त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 18
शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2002
22 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date 17/9/03

सत्यमेव जयते

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 18, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2002/22 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल में किसानों पर पुलिस की कथित गोलीबारी के बारे में	2-5, 383, 387-389
श्री मुलायम सिंह यादव	2-4
श्री प्रमोद महाजन	4-5
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	383, 388-389
श्री रामजीलाल सुमन	5, 383, 387-389
श्री संतोष कुमार गंगवार	388-389
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 343, 345 और 346	6-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 342, 344 और 347 से 361	28-52
अतारांकित प्रश्न संख्या 3723 से 3763 और 3765 से 3952	52-334
सभा पटल पर रखे गए पत्र	335-365
राज्य सभा से संदेश	365-366
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	366
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	367
प्राक्कलन समिति	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा का कार्य..... 368–375

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक..... 393–420

विचार करने के लिए प्रस्ताव 393

मेजर जनरल (सेवानिवृत्ति) भुवन चन्द्र खंडूड़ी 393–395

श्री सुशील कुमार शिंदे 396–401

श्री रतन लाल कटारिया 401–404

श्री सुनील खां 404–407

श्री भर्तृहरि महताब 407–410

श्री धर्मराज सिंह पटेल 410–412

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 412–417

डा. वी. सरोजा 417–420

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

गोहत्या पर प्रतिबंध 420–428

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 420–421,426

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 424–426

लोक सभा

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2002/22 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि सभी संसद सदस्य जनते हैं, गत वर्ष आज ही के दिन पांच आतंकवादियों ने संसद पर कायरतापूर्ण हमला किया था।

संसद भवन में प्रवेश करने के आतंकवादियों के प्रयास को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और संसद के वाच एंड वार्ड के साहसी कर्मियों ने विफल कर दिया। आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल और संसद के वाच एंड वार्ड के दो सुरक्षा सहायकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अपना जीवन बलिदान कर इन वीर सुरक्षाकर्मियों ने साहस और वीरता का अद्‌भूत परिचय दिया। एक निर्दोष माली, जो अपना कार्य कर रहा था भी इस आतंकवादी हमले में मारा गया। इन बहादुर व्यक्तियों के निधन पर हम अब भी दुख महसूस करते हैं।

हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर आतंवादियों द्वारा इस प्रकार हिंसापूर्ण आक्रमण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के प्रति उनकी हताशा को दर्शाता है। ऐसे आक्रमण, आतंकवाद की बुराई से लड़ने के हमारे संकल्प को और दृढ़ बनाते हैं। आइये, देश को संप्रभुता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करें।

अब सदस्यगण संसद भवन पर परिसर की सुरक्षा करने में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल में किसानों पर पुलिस की कथित गोलीबारी के बारे में

श्री मुलायम सिंह (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक मिनट लेना चाहता हूं। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप कर के बस्ती में किसानों की जो हत्याएं हुई उनके बारे में कहा कि वे जाँच कराएंगे और सदन में बयान देंगे। प्रधान मंत्री महोदय ने जब हस्तक्षेप किया तो उससे हमें बहुत उम्मीद और आशा बंधी कि जब स्वयं माननीय प्रधान मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो किसानों की समस्याओं का कुछ समाधान निकलेगा। हमने बार-बार कहा कि गोली चली और तीन किसान मरे, पुलिस छिपा रही है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जनता ने पुलिस से उन दोनों किसानों के शवों को छुड़ा लिया और उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। इस प्रकार से यह बात साबित हो गई कि जो बयान यहां माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया, वह गलत था।

महोदय, दूसरी ओर यह बात जानकर पूरे सदन को अफसोस होगा, किसानों की हत्याएं हुई वह न समाजवादी पार्टी का और न ही किसी अन्य पार्टी का सवाल है, बल्कि हिन्दुस्तान के आम किसान का सवाल है। मैं तीनों के नाम आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदय का बयान आया है जो कितना घिनौना और घटिया बयान हो सकता है उसका अंदाज आप स्वयं लगाइए, उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था।

महोदय, हमने एक पार्टी वहां भेजी। उसने हमें रिपोर्ट दी है कि 13 करोड़ 5 लाख 90 हजार रुपए अकेले बाराबंकी के किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। आपको और प्रधान मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की एक-एक इंच भूमि का पता है। हिन्दुस्तान या उड़ीसा में जितने गरीब जिले हैं, उन्हीं गरीब जिलों में बस्ती भी एक जिला है जिसके किसानों का 13 करोड़ 5 लाख 90 हजार रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। उन मिलों के नाम हैं- बस्ती गन्ना मिल जिस पर 724 लाख 99 हजार, डाल्टन गंज पर 4 करोड़, 8 लाख 19 हजार, भावनाम पर 2 करोड़ 52 लाख और रौट गांव में 1 करोड़ 50 लाख बकाया है।

इस तरह से 13 करोड़ 5 लाख 90 हजार रुपया किसानों का बकाया है। उस भुगतान की मांग करने पर उन पर गोला चलाना क्या ठीक है? सब गोली से मारे गये हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि वे भीड़ से मरे हैं जबकि तीनों गोली से मारे गये हैं। जो लोग गोली से मारे गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं- श्री धर्मराज सिंह, तिलक राम चौधरी और बद्री प्रसाद चौधरी। इस के अलावा 70 घायल हुए हैं जिनमें छह की हालत गंभीर है। हमने वहां नेता विधान परिषद् के नेतृत्व में जो कमेटी भेजी थी, उसे बाराबंकी में सफेदाबाग सेटेशन के क्रासिंग पर रोककर गिरफ्तार कर लिया। श्री नयामत हुसैन, नेता विधान परिषद्, श्री भगवती सिंह, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र से दो-तीन बार एम.एल.ए. रह चुके हैं और आज विधान परिषद के नेता हैं तथा रस्ती विधायक क्षेत्र वहीं बगल में लगा हुआ है बाराबंकी क्षेत्र और फैजाबाद यानी इन तीनों विधायकों और इनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी कमेटी के साथ सासंद कुंवर अखिलेश सिंह भी गये थे जिन्हें बस्ती के स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाराबंकी से 170 किलोमीटर भीतर बस्ती है। जो लोग वहां असलियत जानने के लिए गये, उन्हें लखनऊ से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां अभी तक सारे तथ्यों को छिपाया जा रहा है। वहां किसानों को पेशबंदी करके पुलिस ले गयी है। यह सब कुछ सरकार के निर्देशानुसार हो रहा है। इसके बाद सरकार का मुख्यमंत्री यह कहे कि एक आदमी की हत्या हुई है। आप आज का अमर उजाला पेपर देखें। यह कहना कि यह सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कारया है, ठीक नहीं है। यह समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं कराया है, किसानों ने स्वयं किया है, वहां की सरकार ने स्वयं किया है। जितने भी नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। वहां भीड़ जरूर अनियंत्रित हुई लेकिन उसका कारण सरकार और वहां का जिला परिषद है।...*(व्यवधान)* वहां टी.आई.जी. मौके से भाग गया। अगर डी.आई.जी. मौके से न भागा होता तो माननीय प्रधान मंत्री तो इतनी गंभीर घटना को होने से बचाया जा सकता था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, अभी समय नहीं है कि हम इस पर चर्चा करें। आप बैठिये।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारी आपसे प्रार्थना है कि संसदीय दल की एक कमेटी वहां जांच के लिए जाये। सरकार सारे तथ्यों को छिपा रही है। मौके पर जो कमेटी गयी, उस कमेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए हमारी आपसे प्रर्थना है कि संसदीय दल की कमेटी को वहां तत्काल भेजा जाये तथा किसानों के जो नेता हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाये। इसके साथ-साथ सांसद कुंवर अखिलेश सिंह को पुलिस के कब्जे से रिहा किये जाये और उन्हें मौके पर जाने दिया जाये, कमेटी को जाने दिया जाये। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमेटी वहां जायेगी, वह सार्थक साबित होगी। यदि आप कमेटी को रोकेंगे तो उतनी ही उत्तेजना फैलेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। समाजवादी पार्टी लाखों की भीड़...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उसके बाद यह कहना कि समाजवादी पार्टी करा रही है, यह समाजवादी और किसानों पर अत्याचार होगा। तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों को सड़कों पर उतारेगी, यह कहने में हमें कोई एतराज नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता ने भाषण दिया है इसलिए अब आपकी क्या जरूरत है?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप कोई रूलिंग दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मेरी एक प्रार्थना है कि कल शरद यादव जी ने जो बयान दिया।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आपके नेता बोल चुके हैं इसलिए अब आपकी क्या जरूरत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपने जो विषय उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं उस विषय का महत्व समझता हूं। कल श्री शरद यादव ने यहां निवेदन करते समय कहा था कि हमारे पास जो इन्फोर्मेशन है, वह स्टेट गवर्नमैंट ने भेजी है। उसे मैं यहां रख रहा हूं। आपका यह कहना है कि एक व्यक्ति का देहांत नहीं हुआ है। इसमें तीन लोग मारे गये हैं और आपने उनके नाम भी बताये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उन्हें सरकार ने छिपाया है। पुलिस के कब्जे से निकाल कर उनका पोस्टमार्टम किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यही निवेदन किया है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने तो हर समय कहा है कि किसी भी

विषय पर इस सदन में चर्चा हो सकती है,बहस हो सकती है। उस पर निर्णय कर सकते हैं मगर इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं गवर्नमैंट से कहूंगा कि जब उन्हें सुविधा हो, उस समय वे इस पर चर्चा करा सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: हमारी दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। अगले सप्ताह आप जो भी तिथि तय कर लें। अगर 19 तारीख को संभव हो तो उस दिन इस पर चर्चा की जा सकती है। तब तक सारे विषय आ जायेंगे और उस समय सरकार अपना भी पक्ष रख सकती है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमने कल भी प्रर्थना की थी कि श्री शरद यादव जी ने जो बयान दिया था, उसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी ने तीन लोगों के नाम गिनाए। तीन किसानों का पोस्टमार्टम हुआ है। कल बयान में बाताया गया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री का बयान मेरे पास है। उन्होंने खुद कहा है कि किसानों पर फायरिंग की गई। शरद यादव जी का बयान सत्यता से परे था। यह बहुत गंभीर मामला है। हमने कल भी प्रर्थना की थी कि मेहरबानी करके संसदीय समिति भेज दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, वह अलग सवाल है। सत्यता सामने आ जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि संसदीय समिति भेजी जाए जिससे सभी तथ्य सामने आ जाएं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय को बहुत गंभीर से लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूं कि हर समय स्टेट गवर्नमैंट से जो इन्फार्मेशन आती है, वह सही है या गलत, यह देखना पड़ेगा। इसलिए शरद यादव जी भी इस विषय पर निवेदन करना चाहते है। आपको भी यह विषय सदन में डिटेल में रखना पड़ेगा और इस विषय पर चर्चा हो सकती है। मेरे पास जो रिकार्ड है, मैंने उसमें देखा है, हम इस विषय पर 19 तारीख को चर्चा रखेंगे और चर्चा में जैसे आपने कहा, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उस दिन सब हो जाएगा। इसलिए मैं उस दिन चर्चा रखूंगा।

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष जी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने देखा है, मैं आपको जीरो आवर में इजाजत दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आवास संबंधी ऋण

***343. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या आवास ऋण पर दिए जा रहे अनेक लाभों के कारण देश में भवन निमार्ण गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में भवन निर्माण क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के लिए कितने आवास-ऋण का आकलन किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने कितना आवास-ऋण दिया है और इस संबंध में ब्याज दरें क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। आवास एवं आवास वित्त क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में प्राथमिकता प्रदान की गई है। केन्द्र के पिछले तीन लगातार बजटों में इस क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। वित्तीय संस्थाओं ने उधार देने संबंधी मानदंडों को उदार बनाया है, ब्याज दरों को कम किया है, ऋण की अवधि में वृद्धि की है, संपार्श्विक प्रतिभूत संबंधी अपेक्षा आदि को सहज बनाया है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की समग्र गिरावट और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ इससे आवास वित्त की अभिप्राप्ति एवं सामर्थ्य दोनों में सुधार हुआ है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों से अब यह अपेक्षित है कि वे आवास वित्त के लिए वृद्धिशील जमाराशियों का कम से कम 3% प्रदान करें।

(ख) से (घ) बैंको की ब्याज दरें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए ब्याज दर संबंधी निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती हैं। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपए तक के

ऋणों पर ब्याज बैंक की मूल उधार दर (पी एल आर) से अधिक नहीं होनी चाहिए और 2 लाख रुपए से ऊपर, बैंकों को अपनी ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है। वर्तमान में, आवास ऋणों की स्थिर और अस्थिर ब्याज दर 9.50 से 11.50% और 9.25 से 11.50% के बीच भिन्न-भिन्न है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा संवितरित कुल आवास वित्त 1999-2000 में 19, 723.38 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-2002 में 29,600.25 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2002-03 के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि कुल आवास वित्त संवितरण 37,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह आवास वित्त में वृद्धि की विगत प्रवृत्तियों पर आधारित है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह कहा है कि यदि विद्यमान राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों की उपलब्धता जारी रहती है, तो संभावना है कि अगले तीन वर्षों में आवास क्षेत्र का 25% वार्षिक विकास होगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एन.डी.ए. सरकार और वित्त मंत्रालय का आभार मानना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले चार सालों में एन.डी.ए. सरकार की हाउसिंग योजना को प्रोत्साहन देने की नीति के कारण 1997-98 में आवास वित्त हेतु 10,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। वह 2002-2003 में 37,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। ब्याज दर 14.5% से घटकर 9.25 हो गई है। हर व्यक्ति का सपना होता है- अपना घर, छोटा घर। रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है। मैं जानना चाहूंगा, आपने जैसे शहरी इलाकों या मैट्रो सिटीज में हाउसिंग के लिए टैक्स इन्सैंटिव स्कीम लागू की है, शहरों में डाउनट्राडन के लिए जो झुग्गी-झोपड़ी होती हैं, उसमें कैसे प्रोत्साहन मिल सकता है, घर बनाने की प्रक्रिया को कैसे गति मिल सकती है? उसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में हाउसिंग सैक्टर को कैसे बढ़ावा मिल सके, इस संबंध में क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? दो लाख रुपये से कम जो हाउसिंग लोन होता है, उसका टेक-आफ कम है। क्या सरकार ऐडीशनल इन्सैंटिव या बैनीफिट देने का कोई प्रावधान करेगी?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य के प्रश्न के दो पहलू हैं- एक उन्होंने ने जानना चाहा कि शहरों में जो कच्ची बस्ती है, स्लम है, उसके लिए सरकार की कोई योजना है या नहीं और दूसर, हाउसिंग के संबंध में ग्रामीण हाउसिंग को लेकर सरकार की क्या व्यवस्था है, कोई विशेष व्यवस्था है या नहीं। जैसा माननीय सदस्य जानते है कि जहां तक शहरी आवास, कच्ची बस्ती या स्लम का प्रश्न है, यह अपने आप में राज्य सरकारों के अधिकारों के रूप में आता है। राज्य सरकार केन्द्र से किसी प्रकार की विशेष योजना स्लम उन्मूलन के लिए बनाएगी तो निश्चित रूप से नैशनल हाउसिंग बैंक या अन्य किसी प्रकार के साधनों से उसकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण हाउसिंग में वैसे कई प्रकार की योजनाएं हैं, मैं अगर सब योजनाओं का नाम गिनाने लगूं - जैसे इंदिरा आवास योजना, गोल्डन जुबली रूरल हाउसिंग स्कीम, तो पाता हूं कि मोटे रूप से हमने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के अनुपात में जो वास्तव में उपलब्धि मिली है, वह उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर मुझे संतोष नहीं देती। वैसे अगर आंकड़ों के तौर पर देखा जाये तो जो लक्ष्य रखा है, उसकी तुलना में उपलब्धि करीब 75 प्रतिशत तक मिली है। इसमें और प्रगति होने की आवश्यकता है, यह नि:संदेह एक तथ्य है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह बताया गया है:

> "राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह कहा है कि यदि विद्यमान राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों की उपलब्धता जारी रहती है तो आवास क्षेत्र का 25% वार्षिक विकास होने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार अभी के टैक्स इंसेंटिव्ज को यथावत रखने के लिए यह एडीशनल कोई प्रावधान करेगी क्या? मैं एक और आंकड़ा माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, आवास वित्त में एनपीए मात्र दो प्रतिशत अथवा दो प्रतिशत से भी कम है। तो इस प्रकार की स्कीमों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी? मेरे पास बैंक आफ इंडिया की एक और फीगर है, चार वर्ष पूर्व भारतीय स्टेट बैंक का आवास वित्त का भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपये से कम का था। वर्ष 2001-02 में यह 5000 करोड़ रुपये था और वर्ष 2002-03 के लिए उनका लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये हैं।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि आप इन्फ्रास्ट्रक्चर की डैफिनीशन का और विस्तार करेंगे क्या, क्योंकि आवास मानव की मूल आवश्यकता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो लोन लेता है, उसे आप टैक्स इन्सेंटिव बैनीफिट देते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा या मेरा यह सुझाव रहेगा कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर में सपोज नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर कोई इन्वैस्ट करता है तो उसे भी इस प्रकार का कोई एडीशनल इन्सेंटिव देने के बारे में सरकार सोचेगी क्या?

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो एक से अधिक पूछे हैं और प्रश्न के साथ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह: मैं प्रयास करूंगा कि सब के उत्तर दूं। उन्होंने प्रश्न के साथ बहुत सारे विचार भी रखे हैं। यह सही बात है कि हाउसिंग के क्षेत्र में पिछले तीन सालों में औसतन करीब 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। अपने आपमें 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हम अन्य क्षेत्रों में साधारणतया नहीं पाते हैं। यह भी सही है कि जहां तक ऋण लौटाने का प्रश्न उठता है या जिसे साधारणतया आजकल हम एन.पी.ए. करते हैं, एन.पी.ए. का सवाल है, इस सैक्टर में दूसरों की तुलना में बहुत कम होता है। यह हमारा बैंकिंग का ही अनुभव नहीं है, यह प्राइवेट बैंको का भी अनुभव है कि हाउसिंग लोन में डिफाल्ट सबसे कम होता है। साधारणतया नागरिक जब कुछ उधार लेते हैं और किस्तों में उधार चुकाते हैं तो वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ऋण चुकाकर पूरा मकान अपने नाम पर कर लें, यह एक सही बात हैं।

तीसरा एक पहलू, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा, कि अभी जो फिस्कल इन्सेंटिव वगैरह हैं, अभी मेरे लिए यह तो सम्भव नहीं है कि मैं यहां प्रश्नकाल के दौरान घोषणा करूं कि क्या फिस्कल इन्सेंटिव्ज होंगे, क्या नहीं होंगे। इस प्रश्न का जिस भी रूप में मैं उत्तर दूंगा, उसके गलत अनुमान भी लगाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य भी समझ गये हैं।

श्री जसवंत सिंह: लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कुछ नीतियों के कारण जहां हमें 25 प्रतिशत मिली है, यह तो एक किस्म से नासमझी होगी कि जहां प्रगति हुई है, उस क्षेत्र में ही हम अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करें।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुभव यह हुआ है कि बैंक्स लोन उन्हीं लोगों को देते है जिनके पास अपना प्लाट होता है, जिस पर वे घर बनाना चाहें और इसके कारण जो लोग, खास तौर से शहरों में और चंडीगढ़ में, जहां से मैं आता हूं, वहां का हमारा बिल्कुल यही अनुभव है।

जिन लोगों को छोटे-छोटे प्लाट, 25 गज या उससे भी छोटे प्लाट मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं, वे गरीब लोग होते हैं। उनसे प्लाट की लीज का एग्रीमेंट होता है और फिर उस प्लाट का पट्टा दिया जाता है। लेकिन उनको उस प्लाट पर मकान बनाने के लिए बैंक लोन नहीं देते, क्योंकि उन प्लाट्स की मालकीयत नहीं होती। इसी के कारण हम जो लक्ष्य तय करके हासिल करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता। उनको प्लाट तो मिल जाते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए राशि नहीं मिल पाती। इस कारण वे उसे बेचकर फिर झुग्गी-झोपड़ी कालोनी में रहने को बेबस हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है, क्या ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट वगैरह के लिए बैंक मानेंगे कि अगर सरकारी एजेंसी द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को प्लाट दिए जाएं मकान बनाने के लिए और वे हर महीने में थोड़ी-थोड़ी राशि देकर उसकी कीमत अदा करें, तो क्या बैंक उनको ऋण देंगे, जिससे वे अपने प्लाट पर मकान बना सकें? इस तरह की हिदायत आप कब देंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की हिदायते बैंकों को नहीं दी गई हैं और बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी पर जोर न दें?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। साधारणत: शहरी बस्तियों में यह संभव नहीं है कि हरेक के पास बड़े अहाते में मकान बनाने की सुविधा हो। अधिक प्रतिशत नागरिक छोटे प्लाट्स पर मकान बनाते हैं। उसके लिए उनको जो वहां की व्यवस्था है, चाहे अर्बन डवलपमेंट ट्रस्ट हो या अन्य हो, उनको मकान बनाने के लिए, जो जमीन के छोटे-छोटे हिस्से मिलते हैं, उस पर साधारणत: बैंक लोन देने में अरुचि दिखाते हैं। यह बात जो माननीय पवन कुमार जी ने कही है, वह सही है। उसमें सुधार लाना होगा। सुधार लाने के लिए मोर्टगेज क्रेडिट गारंटी स्कीम नेशनल हाउसिंग डायरेक्टोरेट शुरू करना चाहता है और इस बारे में बातचीत हो रही है। अभी साधारणत: बैंक इनको लोन नहीं देते। बैंकों की अपनी आवश्यकता या मजबूरी होती है कि हम जो ऋण दें, उसकी रिकवरी मिल जाए। इसलिए उनको साधारणत: यही चिंता रहती है कि छोटे प्लाट्स पर मकान बनाने के लिए जो ऋण देंगे, उसकी वसूली होगी या नहीं। उसको भी हमें देखना है, बैंकों को भी सिक्योरिटी हो, जो आवास बनाना चाहते हैं, उनको भी सरलता से ऋण मिले, हमारा यह प्रयत्न होगा और हम इसका समाधान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या सरकार को मालूम है कि छोटे और मझोले शहरों के निकट विकसित भूमि की आवश्यकता के कारण यह प्रवृत्ति रहती है कि जहां कही भी भूमि उपलब्ध हो उस पर कब्जा कर लिए जाए और शर्तो की छानबीन किए बिना वहां निमार्ण किया जाता है। अत: इन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसे स्थानों पर आवास विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कम ब्याज दर पर वित्त प्रदान करेगी जहां ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक पलायन करके छोटे और मझोले शहरों में आते हैं। यदि शहरी विकास प्राधिकरण बनाया जाता है तो मुझे विश्वास है कि कम दर पर धन लेकर और भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य बैंकों के माध्यम से शहरी सहकारिता बैंकों को धन देकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। पियारी चिंचवाड न्यू टाऊनशिप विकास प्राधिकरण का चेयरमैन होने के नाते यह

मेरा अनुभव है। यदि लोगों को कम ब्याज दर पर धन मिलेगा तो वह अपने प्लाट का विकास कर सकते है, वह प्लाट ले सकते है। अत: मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का आवास विकास प्राधिकरणों को बड़ स्तर पर न सही विभिन्न स्थानों पर छोटे और मझौले शहरों में कम ब्याज पर धन देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग है। पहला गैर-कानूनी तरीके से विकासशील क्षेत्रों के बाहर रहना है जो कि राज्य का विषय है। मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

जिसे इन्होंने कम ब्याज दर पर वित्त देना कहा है के प्रश्न पर क्या मैं माननीय सदस्य से सिफारिश कर सकता हूं कि 'कम ब्याज दर पर वित्त'' की कतिपय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनका तात्पर्य 'कम ब्याज दर'' से है।

श्री जसवन्त सिंह: क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि रियायती दर पर वित्त देना कम ब्याज दर से बेहतर शब्द है।...*(व्यवधान)*

जहां तक आवास के लिए वित्त की रियायती दर सम्भव है तो उत्तर हां है। उसके लिए पहले ही कई स्कीमें हैं, जो आवास के लिए रियायती दर पर वित्त प्रदान करते है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते है आवास गतिविधियों के लिए 2,00,000 रुपए के ऋण लेने के लिए बैंकों को पहले ही अनुदेश दिए गए है कि वे वसूल की जाने वाली ब्याज दर में फेर बदल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक है इसके साथ हम आवास के लिए प्रोत्साहन के रूप में और रियायते देने के प्रश्न की जांच कर सकते है ताकि अभी वो हमें 25% प्राप्त हो रहा हैं उसमें वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त जहां तक आवास के लिए रियायती वित्त देने का संबंध है कुछ भी कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह हाउसिंग का मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। इस पर एक दिन अलग से चर्चा करा लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां

*345. **श्री अमर राय प्रधान:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या वित्त मंत्री और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में सहकारी बैंको की कुल अप्रयोज्य आस्तियां कितनी हैं;

(ख) अनुप्रयोज्य आस्तियों की बढ़ती राशि पर रोक लगाने और उनकी वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) अनुप्रयोज्य आस्तियों की तेजी से वसूली के लिए इन बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी सी सी बी), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एस सी एड आर डी बी) और प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पी सी ए आर डी बी) की अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन पी ए) की कुल राशि के राज्यवार ब्यौरे 31 मार्च, 2001 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) सहकारी बैंकों के लिए परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश नाबार्ड द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसने सहकारी बैंकों की अनप्रयोज्य आस्तियों के प्रबंध के लिए निम्नलिखित व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं:

- बैंकों में ऋण वसूली नीति होनी चाहिए और नियत तारीखों पर देय राशि की वसूली के लिए इसे प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए;
- बैंकों को पृथक वसूली प्रकोष्ठ बनाने चाहिएं;
- ऋण प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, अनुप्रयोज्य आस्तियों में कमी लाने के लिए समयबद्ध योजना बनाने जैसे अन्य उपाय;
- जानबूझकर चूक करने वालों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन और सहकारी न्यायालयों/दीवानी अदालतों में दावे दायर करना;
- समुचित ऋण मूल्यांकन एवं प्रबंधन;
- संभावित एवं सीमावर्ती अनुप्रयोज्य आस्ति खातों का शीघ्र निदान एवं उपचारात्मक उपाय;

- अनुप्रयोज्य आस्ति संबंधी आंकड़ों का समुचित विश्लेषण;
- ऋणों की निरन्तर समीक्षा/नवीकरण/पुनर्निधारण;
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम(डी आई सी जी सी) में समय पर दावे दायर करना;
- राज्य सरकारों/न्यायालयों के साथ अनुवर्तन।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से परामर्श करके अनुप्रयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए कुछ उपाय किए हैं। इनमें बहुत पुराना अनुप्रयोज्य आस्तियों के एकबारगी निपटान के लिए मार्गनिर्देश जारी करना, बैंकों को अपनी वसूली बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की सलाह देना, जहां कहीं अपेक्षित हो, बैंकों को अपने अतिदेयों की वसूली हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की सलाह देना, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत वसूली निष्पादन बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की सहायता लेना, बोर्ड की बैठकों और स्टाफ समीक्षा बैठकों में बैंकों के वसूली निष्पादन की समीक्षा करना आदि सामिल हैं।

अनुबंध

31 मार्च, 2001 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार अनप्रयोज्य आस्तियों की कुल राशि के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुप्रयोज्य आस्तियों की राशि			
		एससीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1308	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	95398	99123	—	—
3.	अरुणांचल प्रदेश	3056	—	—	—
4.	असम	16773	750	1789	—
5.	बिहार	31293	34336	11910	—
6.	चण्डीगढ़	270	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	*	16843	—	1022
8.	गोवा	5827	—	—	—
9.	गुजरात	5890	72236	36561	—
10.	हरियाणा	1357	13792	0	32989
11.	हिमाचल प्रदेश	4005	4160	3911	785
12.	जम्मू-कश्मीर	1265	5758	1394	—
13.	झारखण्ड	*	8579	—	—
14.	कर्नाटक	8922	54453	43966	37857
15.	केरल	4981	49448	632	26515
16.	मध्य प्रदेश	15430	67433	8687	13257

1	2	3	4	5	6
17.	महाराष्ट्र	116021	232484	51884	—
18.	मणिपुर	1535	—	57	—
19.	मेघालय	1835	—	—	—
20.	मिजोरम	900	—	—	—
21.	नागालैण्ड	1558	—	—	—
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4093	—	—	—
23.	उड़ीसा	8924	37804	9616	6260
24.	पाण्डिचेरी	723	—	238	—
25.	पंजाब	5664	14474	0	12266
26.	राजस्थान	7814	24766	937	23567
27.	सिक्किम	0	—	—	—
28.	तमिलनाडु	302	88148	36231	39256
29.	त्रिपुरा	3211	—	833	—
30.	उत्तर प्रदेश	33038	92135	42697	—
31.	उत्तरांचल	*	3605	—	—
32.	पश्चिमी बंगाल	7535	16768	5924	6702
	कुल	**388928**	**937095**	**257267**	**200476**

*इन राज्यों के संबंध में आंकड़ों में क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
एस सी बी - राज्य सरकारी बैंक, डी सी सी बी - जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
स सी ए आर डी बी - राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पी सी ए आर डी ,बी - प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

श्री अमर राय प्रधान: महोदय मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यह वक्रोत्तर हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि आप मेरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 31 मार्च 2002 तक अनुप्रयोज्य आस्तियों के ब्यौरे के बारे में पूछा है। यहां उत्तर दिया गया है कि ब्यौरे 31 मार्च 2001 तक के ही हैं। ऐसा क्यों है। इस तथ्य का कारण यह तो नहीं कि उसने ऋण के रूप में 17,000 करोड़ रुपये दिये है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री अमर राय प्रधान: महोदय में आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो आपको दे रहा हूं लेकिन उसे आप ले नहीं रहे है। मंत्री महोदय क्या आप उन्हें बातएगे कि 2002 तक के आंकड़े क्यों नहीं दिए गए हैं?

श्री जसवन्त सिंह: महोदय मुझे माननीय सदस्य की भ्रान्ति को ठीक करने दीजिए। वक्रोत्तर का तो प्रश्न ही नहीं है। वह इससे जुड़े हुए है। मैं उन्हें तभी लेखे दे सकता हूं जब मुझे लेखे दिए जाएगे। उन्होंने 31 मार्च 2002 तक के राज्यों के सहकारी बैंकों के लेखों के लिए कहा है। माननीय सदस्य ने राज्यों के सहकारी बैंकों के लेखों के बारे में पूछा है वह तो उन्हें भली भांति मालूम है कि वह वास्तव में राज्य नियन्त्रित है। इसका

उसकी भान्ति से कोई लेना देना नहीं है मुझे नहीं मालूम वह 17,000 करोड़ रुपये की बात कहां ले आए हैं। महोदय इन्हें न केवल अध्यक्षपीठ से ही संरक्षण प्राप्त है बल्कि जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं और आजतक स्थिति जो उपलब्ध है उन्हें दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह उत्तर के कोष्ठक में दी गई है। श्री अमर राय प्रधान अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते है।

श्री अमर राय प्रधान: महोदय, यह तो माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो सकता है कि सहकारी बैंक किस प्रकार कार्य कर रहे है और भा.रि.बैं. और नाबार्ड से कई मार्गनिर्देश मिले हैं। आपने दस मार्गनिर्देशों के बारे में पहले ही बताया है जिसे अपने सभा के समक्ष आज रखा है और इसे पूरे राष्ट्र में परिचालित किया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके और कपूर समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किए जाने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण वित्त पोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मैंने इसीलिए 2002 के आंकड़े पूछे थे। लेकिन मुझे खेद है कि इसका उचित उत्तर नहीं दिया गया।

मैं नित्य प्रतिदिन बढ़नेवाले ग्रामीण अभावकारी आस्तियों के बारे में जानना चाहता हूं। यह अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति चिंताजनक है। यह केवल माफिया और बाहुबली लोगों के कारण नहीं है इसका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप विशेषकर राज्यों का हस्तक्षेप भी है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से पूछें।

श्री अमर राय प्रधान: जी हां, महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने बैंकों और बोर्डों को बिना किसी सत्यापन के ऋण जारी करने पर मजबूर किया है और उनसे यह कहा गया कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्डों को अधिक्रमित कर दिया जाएगा और नामित सदस्य नियुक्त किए जायेंगे, क्या मंत्री महोदय के पास यह सूचना उपलब्ध है अथवा नहीं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, वास्तव में इसके दो भाग हैं-एक राज्य सहकारिता कृषि और ग्रामीण बैंक है और दूसरा जिला केन्द्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मेरे विचार में इन राज्य सहकारिताओं की जो समस्या है वह इस प्रश्न में निहित हैं। इन सहकारिताओं की क्या समस्या है? मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य सहकारिता कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड की एनपीए अंतिम रूप से उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 2580 करोड़ अनुमानित थी और राज्य सहकारिताओं के लिए यह 2004 करोड़ रुपए थी।

अब सहकारिता क्षेत्र की क्या समस्या है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि वास्तव में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राज्यों में सहकारिता के कार्मकरण के मामले में चर्चा सदस्यों की उपेक्षा का शिकार होती है। मैं मानता हूं कि इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। नियंत्रण दोहरे स्वरूप का है, सहकारिताओं के मामले में इस पर भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों का नियंत्रण है। हमारा यह अनुभव रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप सहकारिताओं का असंतोषजनक संचालन होता है। अत: सहकारिताओं के कार्मिकों की व्यावसायिक कुशलता में कमी होने के कारण प्रणालियों और प्रक्रियाओं की आधुनिकीकरण की अनुपलब्धता अथवा विफलता व्याप्त हुई है। यही परिणाम है। सहकारिता बैंकों द्वारा प्रणालियों को आधुनिकीकृत किए जाने की दिशा में प्रगति नहीं किए जाने के कारण आंतरिक नियंत्रण और लेखा जांच-परीक्षा कमजोर हो जाती है। जिससे वसूली दर प्रभावित होती है और सहकारिता बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब होती है, इन सभी समस्याओं से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने संबंधी कार्य प्रभावित होते है और कम जुटाए गए संसाधन से धनराशि का उपयोग भी उसी प्रकार कम होता है। यह एक कुचक्र की तरह होता है और इस पर तभी हमान दिया जा सकता है यदि संबंधित राज्य सरकार इसकी पहचान करें और भारतीय रिजर्व के परामर्श और सहयोग से प्रभावी कार्यवाही करे।

श्री अमर राय प्रधान: देश की सहकारिता विशेषकर ग्रामीण सहकारिताओं में विभिन्न प्रकार की समस्या है और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए, अन्यथा यह प्रणाली ही बर्बाद हो जाएगी। मैं जानता हूं कि इनपर दोहरा नियंत्रण है। फिर भी इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस उद्देश्य हेतु कोई नया कानून बनाना चाहेंगे अथवा कम से कम या कुछ हद तक सहकारिता क्षेत्र में राजनीतिक दलगत और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप को नियंत्रित करना चाहेंगे।

श्री जसवंत सिंह: वास्तव में सरकार ने बैंकिंग अधिनियम जिसे सभा द्वारा कल पारित किया गया था में संसोधन करके ऐसा करने का प्रयास किया है और इसके अंतर्गत कोई सहकारिता, निगमित निकाय अथवा इसके विपरीत स्वरूप रख सकती है। हालांकि श्री अमर राय प्रधान ऐसा किए जाने की शिफारिश कर रहे हैं, उनके अन्य सहयोगी हमारे द्वारा लाये गए विधान का विरोध कर रहे थे। हम इसमें से केवल एक ही रास्ता चुन सकते है...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: मैं सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री ए. नरेन्द्र: महोदय, मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए हेतु 5 करोड़ रुपए तक एक बार की बगैर भेदभाव वाली निपटान योजना शुरू की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहकारिता बैंकों ने इस योजना को अपनाया और कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रह?

हाल ही में भारत सरकार ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूत हितों का प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 प्रकाशित किया है और इसे अधिनियम के रूप में पारित भी किया जा चुका है।

इस अध्यादेश को प्रकाशित किए जाने के पश्चात से मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहकारिता बैंकों द्वारा इसके उपबंधों का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है और बैंकों द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों से किस हद तक लाभ उठाया गया।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मैं समझता हूं कि बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण तभी घोषित किया जाता है जब वसूली के सभी संभावित प्रयास विफल हो जाएं और वसूली की कोई आशा नहीं हो। कर लाभ हेतु तकनीकी अशोध्यता का भी सहारा लिया जाता है।

मैं जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों के दौरान सहकारिता बैंकों द्वारा कितनी धनराशि अशोध्य ऋण के रूप में घोषित की गई और अशोध्य ऋण घोषित किए जाने की स्थिति क्या है।

श्री जसवंत सिंह: मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकांश प्रश्नों के लिए माननीय सदस्य को अलग से सूचना देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ने कई प्रश्न पूछे है। उन्होंने कई सूचना मांगी हैं और वे अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जब यह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए अथवा लिखित उत्तर के लिए आयेगा तब हम उन्हें संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

जहां तक सहकारी बैंकों द्वारा अलाभकारी परिसंपत्तियों के मामले में अध्यादेश अथवा अधिनियम का उपयोग करने का है वे इस संबंध में अनुरोध कर सकते हैं और इसे अधिसूचित किये जाने के पश्चात् सहकारी बैंक इसके उपबंधों से लाभान्वित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वापसी न होने के कारण बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। यह सिर्फ कोओपरेटिव्ज बैंकों की कहानी नहीं है बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी यही कहानी है। क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पिछले दिनों एक कपूर समिति का गठन किया गया था और इस बारे में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक गंभीर चर्चा भी हुई थी कि किस प्रकार से कोओपरेटिव्ज बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाए। कपूर समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं जिसमें कोओपरेटिव्ज बैंकी की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकारों और कोओपरेटिव्ज बैंकों की वित्तीय स्थिति का अनुपात निश्चित किया गया है। कपूर समिति की उन सिफारिशों को लागू करने के लिए, और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जो अनुपात निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गुजरात में पिछले वर्षों चार-पांच वर्षों में कोओपरेटिव्ज बैंको में भारी घोटालों के कारण उनकी वित्तीय स्थिति चरमरा गयी है। सरकार के पास क्या आंकड़े हैं, कितना घाटा हुआ है और उसके संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

श्री जसवंत सिंह: जहां तक माननीय सदस्य ने कपूर समिति के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1999 में एक टास्क फोर्स बिठायी गई थी।

[अनुवाद]

कृतिक बल का गठन सहकारी ऋण प्रणाली के कार्यकरण कर अध्ययन करने और इसे सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने हेतु किया गया था।

[हिन्दी]

जैसा माननीय सदस्य ने कपूर कमेटी के बारे में कहा, सही बात है कि वह 1999 में बैठायी गई थी। उसने जुलाई 2000 में अपनी रपट सरकार को दी। उसके बाद दिसम्बर 2000 में इस रपट की सिफारिशों पर विचार हुआ। राज्यों के कोआपरेटिव मिनिस्टर्स, कोआपरेटिव फैडरेशन और महत्वपूर्ण कारपोरेटर्स ने सामूहिक रुप से बैठकर विचार किया। फिर अगस्त 2001 में आम राय और एक ही रास्ता अपनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेंस बुलाई गई जो माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद 13 सितम्बर 2001 को एक ज्वाइंट कमेटी जिस में यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फाइनान्स थे, उनके स्तर पर बिठायी गई। सितम्बर 2001 में ज्वाइंट कमेटी ने अपनी रपट दी। 2002 के यूनियन बजट में 100 करोड़ रुपया रीवाइटलाइजेशन आफ कोआपरेटिव में प्रस्तावित किया गया और पारित हो गया। जैसा मैंने अन्य माननीय सदस्यों के सवाल में कहा था कि यह ड्यूअल कंट्रोल आ जाता है। राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के कारण ड्यूअल कंट्रोल होता है। वास्तव में इससे कायदे-कानून को लागू करने में भी एक किस्म

की एम्बिग्यूटी आ जाती है और राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक के साथ तालमेल से काम करने में एक प्रकार का इरिटेशन महसूस होता है। इसका समाधान समन्वय ही है। सब को साथ बैठ कर काम करना होगा। जब तक राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के साथ बैठ कर और बात करके इसका समाधान नहीं निकालेंगे, मुझे नहीं लगता केन्द्र इससे अधिक कोई उपाय कर सकेगा। यह मेरा निवेदन है। माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहते हैं, वह अवश्य पूछें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, कपूर समिति ने कोआपरेटिव बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए केन्द्रीय अनुपात की जो सिफारिश और अनुशंसा की, आपने बताया कि उसकी 1999 में रिपोर्ट आ गई। 1999 से दिसम्बर 2001 तक की सारी प्रक्रिया आपने बता दी और सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात बता दी। क्या आप समझते हैं कि मात्र सौ करोड़ रुपए देने से पूरे देश के कोआपरेटिव बैंकों को वह अनुपात प्राप्त हो जाएगा जिसकी कपूर समिति ने सिफारिश की है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि कपूर समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया। इसलिए कोआपरेटिव बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब है।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। माननीय सदस्य का जो विचार है कि मात्र एक कमेटी की रिपोर्ट को न मानने से कोआपरेटिव बैंकों की स्थिति बिगड़ गई है, यह तथ्यों से परे है। केन्द्र सरकार का यह विचार रहा है कि जब तक ड्यूएलिटी आफ कंट्रोल और यूनिटरी कंट्रोल कोआपरेटिव बैंको में नहीं होगा, अगर राज्य सरकार उसे चलाना चाहती है तो चलाए या रिजर्व बैंक चलाए। ड्यूअल कंट्रोल के रहते कोआपरेटिव बैंकों में सुधार नहीं होगा। यह वित्तीय सहायता का सवाल नहीं है, यह मैनेजमैंट का सवाल है। मैनेजमैंट के सवाल को देखते हुए बजट में वित्त मंत्री जी ने जो 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है, वह इसी रूप में दी है। ड्यूएल्टी आफ कंट्रोल राज्य सरकार और रिजर्व बैंक का हो और फिर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय उसका समाधान केवल राशि देकर निकाल सके, यह संभव नहीं है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों का पैसा लगा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के नेता प्रश्न पूछ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूरी मदद दे रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चतुर्वेदी जी, आपने प्रश्न पूछा और मैंने दो बार इजाजत दी लेकिन अब इजाजत नहीं दूंगा। दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछना है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव मूवमैन्ट महाराष्ट्र से चालू हुआ है। बड़े-बड़े मनीषियों ने कोआपरेटिव मूवमैन्ट गरीबों, देहातियों और किसानों को लोन देने के लिए चालू किया है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको डायरेक्ट दे देंगे, अभी मत बोलिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: कोआपरेटिव बैंकों में गड़बड़ी के कारण गुजरात में जो नुकसान हुआ है, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, उसके बारे में मंत्री जी बतायें।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आप बैठेंगे तो मैं पूछ सकता हूं। मंत्री जी जो प्रश्न श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने पूछा था उसका दूसरा हिस्सा यह था कि गुजरात में जो हुआ है, वह उसके बारे में पूछ रहे थे। उसका उत्तर यदि आप चाहे तो दे दें।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: मेरा वही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, आप एक मिनट बैठिये। मंत्री जी का प्रश्न का दूसरा हिस्सा अधूरा है, यदि आप चाहें तो उसके बारे में बोल सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं उत्तर जरूर दे दूंगा, यदि आप भी उसी को पूछ रहे हैं, मैं आपकी इजाजत से दोनों का उत्तर एक साथ ही दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चतुर्वेदी जी, मंत्री जी दोनों प्रश्न का एक साथ उत्तर देना चाहते हैं, उन्हें उत्तर देने दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय: अभी आप प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कोआपरेटिव मूवमैन्ट चालू हुआ है। उस समय के जो बड़े-बड़े मनीषी थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अच्छे उद्देश्य से किसानों, देहातियों को लोन देने के लिए इसे चालू किया था। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुल अनुप्रयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) है, जिसकी फीगर्स 1,16,021, 2,32,484 और 51,884 है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं उनमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। वास्तव में

उन बैंकों ने गरीब किसानों, दहातियों को लोन देना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने शेयर घोटाले कर दिये। जैसे कि नागपुर में जिला सहकारी बैंक हैं। उस्मानाबाद और परभणी में भी है और जलगांव में बैंक ने करोड़ों रुपये उद्योगपतियों को बांटे हैं, जबकि वह पैसा किसानों में बांटना चाहिए था। जब महाराष्ट्र में इस तरह के शेयर घोटाले बाहर आये तो महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से सब पदाधिकारी उनमें नियुक्त हैं। महाराष्ट्र में 258 करोड़ रुपये का सहकारी बैंकों में घोटाला हुआ है और गुजरात में नौ अर्बन बैंक्स हैं, वहां भी घोटाला निकाला है। अभी जो एन.पी.ए. की संख्या आपने बताई है...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: गुजरात में सरकार के लोग हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: वहां भी कांग्रेस के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आप एक काम कीजिए, पूरी सूची यहां आ जाए कि किन-किन बैंकों में किस-किस पार्टी के लोग हैं।...*(व्यवधान)* आप सारे बैंकों की पूरी सूची मंगवा लीजिए, हम इसके लिए तैयार है। पता लग जाएगा कि कहां कांग्रेस के लोग हैं और कहां भाजपा के लोग हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूचना चाहता हूं कि जो लोग 258 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के किसानों का पैसा है, जो शेयर घोटाले में चला गया है, क्या उसके नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी या वह एन.पी.ए. में दाखिल होगा...*(व्यवधान)* उसके ऊपर केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है। उन पर केन्द्र सरकार के रिजर्व बैंक का कोई अंकुश है या नहीं। जिन लोगों ने करोड़ों रुपयों का गबन कर लिया है, वे खुले घूम रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: मंत्री जी, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि यह कोई दंगल तो है नहीं यह बैंकिंग है।

अध्यक्ष महोदय: सदन में है।

श्री जसवंत सिंह: अपने आपमें इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, कुछ सदस्य महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ गुजरात की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मैंने पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया था। यह प्रवृत्ति उसी की परिचायक है। इसी कारण शायद कोआपरेटिव बैंक्स इस परिस्थिति में पहुंचे हैं।

आप चाहें, तो मैं सबके नाम पढ़ सकता हूं लेकिन मुझे आवश्यक नहीं लगता है क्योंकि इन पर डुअल कंट्रोल है। रिजर्व बैंक अपनी कार्रवाई कर रही है। रिजर्व बैंक विफल नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। कई माननीय सदस्यों ने अभी कोआपरेटिव बैंकों का जो हाल हुआ है, उस बारे में कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते?...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: जो कार्रवाई की गई है वह खोखली नहीं है। वह ठोस कार्रवाई ही है चाहे वह गुजरात का मामला हो या महाराष्ट्र का।...*(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी: मंत्री महोदय, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल नहीं है, यह स्थिति तो हर राज्य के कोआपरेटिव बैंकों की है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: जैसा मैंने कहा, इसमें किसी राज्य का सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बैठिए, देखिए प्रश्नकाल में जब मंत्री जी उत्तर देते हैं, तो आपको सदन में शोर मचाने की बिलकुल जरूरत नहीं है। यदि आपको उत्तर चाहिए, तो मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक-दो बार मैं सहन कर सकता हूं। बार-बार सहन करना मेरे लिए मुश्किल है। मंत्री जी अपना उत्तर पूरा कीरिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री.जी गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें गुमराह करने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, चाहे गुजरात की बैंक हों, पश्चिमी बंगाल की बैंक हों चाहे महाराष्ट्र की बैंक हों, सब बैंकों पर रिजर्व बैंक अपनी कार्रवाई कर रही है। जहां-जहां कोआपरेटिव बैंकों में गड़बड़ी हुई है उनके ऊपर कार्रवाई की है। वित्त मंत्रालय कदम उठा रहा है और यदि आवश्यकता हुई, तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मिलने के बाद और कदम उठाए जाएंगे। यह उसका एक और पहलू है।

महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि जो कपूर समिति ने सुझाव दिया था उसको माना या नहीं। मैं उस विवाद

को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कपूर समिति ने सुझाव दिया है था कि 40 प्रतिशत धन इनको सहायता के रूप में दिया जाए। उसके बाद एक पाटिल कमेटी बैठी। उसने सुझाव दिया था कि 60 प्रतिशत धन सहायता के रूप में दिया जाए। सरकार ने पाटील समिति के सुझावों को मानकर पिछले साल बजट में 100 करोड़ रुपए उस स्कीम को शुरू करने के लिए दिए। अब जब वह स्कीम शुरू होगी तभी इसका समाधान होगा। अभी जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं उनमें डुअल कंट्रोल है। जब तक यूनिटरी कंट्रोल नहीं होगा तब तक इस प्रकार की प्रवित्तियां चलती रहेंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, ने पाटिल समिति के बारे में कहा है। मैं श्री शिवराज पाटिल जी को प्रश्न पूछने का समय दे रहा हूं। बाकी लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपको बाकी लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। शिवराज पाटिल जी के प्रश्न के अलावा अन्य किसी भी माननीय सदस्य का कोई वक्तब्य रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सारी स्टेटों के कोआपरेटिव बैंकों का जो एन.पी.ए. है, वह 17 या 18 हजार करोड़ रुपए है। कोआपरेटिव बैंकों पर डुअल कंट्रोल है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है, वह भी बिल्कुल सही है। डुअल कंट्रोल की वजह से बैंक अच्छी तरह से नहीं चलाए जा रहे हैं, यह बात भी सही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि जिन बैंकों पर डुअल कंट्रोल नहीं नहीं है, जो नैशनलाइज्ड बैंक्स हैं या कामर्श्यल बैंक्स हैं, उनका एन.पी.ए. 17 हजार करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, तो जिन पर डुअल कंट्रोल नहीं है और जिन पर केवल रिकजर्व बैंक का ही कंट्रोल है, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त किसी का कंट्रोल नहीं है औप फिर भी इतना बड़ा एन.पी.ए. दूसरे बैंकों का है उसका क्या कारण है और बैंकिंग के प्रश्न को हल करने के लिए हम सरकारी खजाने से पैसा दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों द्वारा कमाए हुए धन से जो टैक्स लिया जाता है उससे बैंकों की समस्या को हल करने के लिए धन दे रहे हैं। बैंक उस पैसे को वापस नहीं दे रही हैं और फिर हम आदमी से उसकी कमाई के पैसे को बैंकों में जमा करा रहे हैं और फिर बैंकों को दे रहे हैं। ये बैंक्स अच्छे चल रहे हैं। इसका जो हल निकालना है, वह एक नयी दृष्टि बनाकर निकालना पड़ेगा। नये प्रकार का प्रशासन बनाकर निकालना पड़ेगा, गहराई में जाकर निकालना पड़ेगा। अगर ऊपरी बातें ही करना चाहे तो लोगों ने अपने पेट में खाना न डालते हुए जो पैसा रखा है, वह बैंक में आ जायेगा और बैंक में ऐसे लोगों ले जायेंगे जो वापिस नहीं करेंगे। फिर हम यहां बैठकर पांच हजार करोड़ रुपये या दस हजार करोड़ रुपये देते रहेंगे। इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है। इसके बारे में सरकार कानून लाई है लेकिन मेरी दृष्टि में उस कानून से भी काम चलने वाला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार गहराई में जाकर फाइनेंशियनल इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए क्या करने जा रही है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने कई सारी बातें कही हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पब्लिक सैक्टर बैंक्स का औसतन 2002 का परसेंटेज आफ ग्रास एडवांस है, वह करीब 11 परसेंट है। प्राइवेट सैक्टर का 10 परसेंट है और फारेन बैंक्स का करीब सात परसेंट है और फाइनेंशियल इस्टीट्यूट जो बैंकिंग सैक्टर से अलग होते हैं, उसमें ज्यादा है। वर्ष 2001 में आंकड़े के अनुसार वह करीब 15 परसेंट है। जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन आफ ऐसेट बिल अभी इस सदन ने पारित किया है। मैं उस बिल की चर्चा में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा सरकार ने क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो, स्कीम आफ कारपोरेट डैट रिस्ट्रक्चरिंग, लोन पालिसी आदि बनाई गयी हैं। इसके साथ-साथ हर हैड आफिस के साथ रिकवरी सेल बनाये गये हैं तथा एन.पी.ए. एकाउंट जो एक करोड़ रुपये से ऊपर का है, उसके लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स स्वयं को आदेश दिय गये हैं कि उसे रिव्यू करें। इसके अलावा रिस्क मैनेजमैंट के अभी हमारे पास जो कदम हैं, उनको भी स्ट्रैन्दन किया जाये। आपने यह भी पूछा कि रिकवरी और एन.पी.ए. में क्या प्रगति हुई है, तो उसमें अपग्रेडेशन, कम्प्रोमाइज राइट आफ को मिलाकर पब्लिक सैक्टर बैंक का मार्च 2001 में 12,745 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर मार्च 2002 में 14 करोड़ रुपये हुआ है। इसी के साथ-साथ पब्लिक सैक्टर बैंक्स में करीब 8 लाख 80 हजार एन.पी.ए. हैं जिनकी राशि करीब 4,700 करोड़ रुपये है। आज भी आर.बी.आई. के वन टाइम सैटलमैंट के अनुसार जो पांच करोड़ रुपये तक की है, उसको सैटल किया है। इसके अलावा 31 मार्च 2002 तक पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने करीब 2570 करोड़ रुपया डी.आर.डी. के थ्रू हासिल किया है। वन टाइम सैटलमैंट जो स्माल लोन की है यानी 25 हजार रुपये आर.बी.आई. ने दिसम्बर 2002 हजार तक की थी, उसमें कुछ रिकवरी पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने की है। इसी तरह

[अनुवाद]

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के निश्चित चूककर्ताओं की संख्या 1218 है और कुल बकाया धनराशि 5349 करोड़ रुपए है। उसमें से लगभग 763 मामले में मुदमा दायर किया गया है।

मैंने यह सभी सूचना यह दर्शाने के लिए ही है कि अलाभकारी परिसंपत्तियों के इस अस्वीकार्य तथ्य पर प्रयासरत होकर हमान देना होगा और इस पर समय के साथ-साथ बल देना होगा। तभी उस सुधार को महसूस किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कर का दायरा

***346. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष कर के दायरे के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और उदार बनाकर इस दायरे में विस्तार किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का मत और दृष्टिकोण क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कर अदा करने वाली जनसख्या का प्रतिशत 2.92% है।

(ख) और (ग) कुछ समय पहले शुरू किए गए प्रत्यक्ष कर कानूनों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के कार्य के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। सरलीकरण के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आशा है कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और अधिक सरल एवं युक्तिसंगत बनाने से स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा, राजस्व वसूली में सुधार होगा तथा इससे प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर नेटवर्क में भारत के नौ परिवारों के सदस्यों पर 25,000 करोड़ रुपए का बकाया है और इसकी वसूली नहीं हुई है। क्या माननीय मंत्री महोदय, सभा को सूचित करेंगे कि इन परिवारों के नाम क्या-क्या हैं और क्या 25,000 करोड़ रुपए की अभी वसूली की जानी है। यदि हां, तो सरकार इस धनराशि को किस प्रकार वसूल करने पर विचार कर रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री जसवंत सिंह: मैंने उत्तर में कहा है कि यह प्रश्न वास्तव में जनसंख्या की कुल प्रतिशत के आधार पर प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने वालों से संबंधित है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या नौ परिवारों पर अत्यधिक धनराशि बकाया है। मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ पाया हूं। क्या उन पर राजस्व के धन का बकाया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हां, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नौ परिवारों से संबंधित कर अपवंचन का मामला लंबित है जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी पुष्टि करने को तैयार है अथवा नहीं? यदि सरकार इसकी पुष्टि करती है तब इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है।

श्री जसवंत सिंह: मुझे पहले यह आश्वत होना होगा कि मैं विशेषकर इस सभा में इसकी पुष्टि करूं अथवा नहीं। जब माननीय सदस्य नौ परिवार का उल्लेख कर रहे हैं तो मुझे यह आश्वत होना होगा कि क्या उन पर अविभाजित हिन्दु परिवार अथवा निगमित निकाय अथवा व्यक्तिगत आधार पर कर लगाया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी आवश्यक हैं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

न्यूजप्रिंट पर पाटन-रोधी शुल्क

***342. श्री रामनायडू दग्गुबाटि:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू न्यूजप्रिंट उद्योग की क्या स्थिति हैं;

(ख) क्या विभिन्न देशों द्वारा बाजार में न्यूजप्रिंट भर दिए जाने के कारण घरेलू न्यूजप्रिंट उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने घरेलू न्यूजप्रिंट उद्योग को राहत देने के लिये क्या प्रयास किये हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के न्यूजप्रिंट उद्योग को बचाने के लिए न्यूजप्रिंट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) न्यूजप्रिंट उद्योग को अवस्थिति संबंधी नीति के अध्यधीन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 1 मई, 1995 से न्यूजप्रिंट के आयात पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस समय 65 मिलें न्यूजप्रिंट का विनिर्माण कर रहे हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 12.25 लाख टन है। पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यूजप्रिंट की स्थापना क्षमता, उत्पादन और आयात निम्न तालिका में दिए गए हैं-

अवधि	स्थापित क्षमता (लाख टन)	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	आयात का सीआईएफ मूल्य (करोड़ रुपए)	आयात की सीआईएफ यूनिट कीमत (रु. प्रति टन)	घरेलू कीमत रू. प्रति टन)
1997-1998	7.83	4.00	4.98	999.62	20072.69	16000-22000
1998-1999	9.70	5.25	4.27	1003.62	23503.98	18000-23500
1999-2000	10.61	5.04	4.39	960.07	21869.47	1700-22800
2000-2001	10.83	6.34	4.42 (अनन्तिम)	1189.48	26911.31	19500-30000
2001-2002	12.04	6.20	4.08 (अप्रैल-फरवरी)	1087.43 अप्रैल-फरवरी)	26652.69	17000-22000

जैसा कि उक्त तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों से देखा जा सकता है, देश में न्यूजप्रिंट का उत्पादन वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2001-2002 में मामूली कमी के अलावा उक्त वर्षों के दौरान बढ़ा है। न्यूजप्रिंट के आयात में कोई पर्याप्त वृद्धि भी नहीं हुई है जो न्यूनाधिक रूप से चार लाख प्रति टन वर्ष के स्तर पर रहा है। न्यूजप्रिंट की आयात कीमत में भी पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है।

इन तथ्यों एवं आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जहां तक न्यूजप्रिंट का संबंध है, इस स्थिति में पाटनरोधी जांच करने का कोई कारण नहीं है।

(घ) और (ङ) न्यूजप्रिंट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से न तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को और न ही पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

***344. श्री राम विलास पासवान:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं;

(ख) इन श्रमिकों का मजदूरी संबंधी ढांचा क्या है;

(ग) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के संबंध में 1991-92 में भारतीय खाद्य निगम के मजदूर संघ और प्राधिकारियों के बीच कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक ऐसे कितने श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(ङ) शेष श्रमिकों को नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इनको नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (च) इस समय भारतीय खाद्य निगम के बरेली स्थित दो डिपुओं में 103 नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

नैमित्तिक श्रमिकों को स्थानीय जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।

वर्ष 1991-92 में भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन और भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता निष्पादित हुआ था, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात पर सहमति हुई थी कि दिल्ली क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में कार्य कर रहे सभी 69 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाएगा। इस समझौते के आधार पर, इन श्रमिकों को 1.4.1992 से नियमित कर दिया गया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय भारतीय खाद्य निगम के बरेली स्थित 2 डिपुओं में कोई नैमित्तिक श्रमिक कार्य नहीं कर रहा था।

1996 में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन ने ठेका मजदूरों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए विशिष्ट मानदंड अपनाया था। बरेली स्थित डिपुओं में 103 मजदूर इस मानदंड को पूरा नहीं करते थे और उन्हें नियमित नहीं किया गया लेकिन बाद में उन्हें नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्य करने दिया गया।

चाय निर्यात में कमी

*347. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत के चाय निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या चाय उद्योग में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने से इस क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने चाय निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत से चाय का निर्यात 1999-2000 में 192.44 मिलियन किग्रा. से बढ़कर 2000-01 में 203.55 मि. किग्रा. हो गया था। तथापि, बाद के वित्त वर्ष 2001-2002 में निर्यात कम होकर 190 मिलियन किग्रा. रह गया।

चाय के निर्यात में कमी के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक रूस द्वारा कम प्राप्ति, श्रीलंका, चीन, इण्डोनेशिया, वियतनाम और केन्या जैसे अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा रूस, मिश्र और ईरान जैसे कुछ महत्वपूर्ण चाय आयातक देशों द्वारा लागू किए गए प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क उपाय हैं।

(ग) चाय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है, से चाय उद्योग के आधुनिकीकरण और चाय बगान क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए अपेक्षित पूंजी जुटाने में सहायता मिलेगी। इससे भारतीय चाय उद्योग को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता प्राप्त होगी।

(घ) सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2002-03 के लिए 200 मि. किग्रा. चाय के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा मशहूर हस्तियों का बीमा

*348 **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम अपने कम होते व्यापार को बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों का बीमा करने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इस रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने उन मशहूर हस्तियों की पहचान की है जो इस समय बीमा करवाने को इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा मध्यमवर्गीय लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करने तथा उनका विश्वास जीतने पर ध्यान देने के लिए कौन-सी कार्ययोजना तैयार की गयी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि बेची गई पालिसियों की संख्या की दृष्टि से उनके कारोबार में कोई गिरावट नहीं आई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में बेची गई 85,91,612 पालिसियों की तुलना में, जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष के दौलान 31 अक्तूबर तक 91,30,230 नई वैयक्तिक बीमा तथा पेंशन पालिसियों की बिक्री करके 6.27 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। तथापि, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में आई गिरावट के कारण निगम द्वारा अपनी कुछ योजनाओं की प्रीमियम दरों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान प्रथम प्रीमियम आय में कमी आई है।

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि अपनी पालिसियों की बिक्री बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों सहित उच्च मूल्य वाले ग्राहकों से सम्पर्क करने के लिए अपने विपणन बल को और

सुदृढ़ बनाया है। जीवन बीमा निगम व्यावसायिक क्षेत्रों, निगमों तथा समृद्ध ग्रामीण केन्द्रों में भी उच्च मूल्य पालिसियों की बिक्री का लक्ष्य रखे हुए है।

(ङ) अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की कार्य योजना के भाग के रूप में, जीवन बीमा निगम ने दावों के शीघ्र निपटान तथा शिकायतों को तत्काल दूर करने पर बल दिया है जिसमें अस्वीकृत दावों की पुनरीक्षा करना भी शामिल है। निगम ने व्यपगत पालिसियों के पुन:प्रवर्तन के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया है। सामान्य तौर पर जनसाधारण को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए किए गए अन्य उपायों में महानगरों में एलआईसी काल सेंटरों तथा 1350 शाखाओं और सभी 100 मंडल कार्यालयों वाले विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क तक पहुंचने की कर-मुक्त सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ने अपनी 2048 शाखाओं को कम्प्यूट्रीकृत कर दिया है जिससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

पावर ग्रिड कार्पोरेशन के लिए विश्व बैंक से ऋण

***349. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) देश में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के बैकबोन टेलिकाम सिस्टम को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) विश्व बैंक ने जून, 2001 में पावर ग्रेड कारपोरेशन को 450 मिलियन डालर की बचनबद्धता की है जिसमें से 117 मिलियन डालर पावर ग्रिड कारपोरेशन के बैकबोन टेलीकाम सिस्टम को स्थापित करने के लिए निर्धारित किए हैं।

(ख) अब तक लगभग 115 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया गया है। लेकिन टेलीकाम घटक के लिए अब तक कोई उपयोग नहीं किया गया है।

(ग) इस परियोजना के 30 जून, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

रेशम उत्पादन हेतु ठेका फार्मिंग

***350. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड का विचार रेशम की लोकप्रिय किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ठेका फार्मिंग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा छोटे रेशम किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय रेशम उद्योग को चीन से मिल रही कड़ी प्रतस्पिर्धा को देखते हुए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का किसी प्रकार का व्यापारिक परिचालन नहीं है परंतु राष्ट्रीय वस्तु नीति 2000 के अनुसार यह उत्पादकों और उद्योग के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्रोत्साहित करेगा तथा इस संदर्भ में यह अनुबंधित खेती में व्यापारियों अथवा बड़े स्तर पर धागा बनाने वालों को सुविधा प्रदान करेगा जिससे लाभदायक व स्थिर कीमतें पाने में कृषकों की सहायता हो सके।

(ग) किसानों द्वारा सहतूती कोयों को आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित तथा नियंत्रित बाजारों में बेचा जाता है, जिससे बिचौलिए बाहर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड कच्ची सामग्री के बैंकों का प्रचालन भी करता है और प्राथमिक कृषकों को उचित कीमत मिलना सुनिश्चित करने के लिए यह राज्य विपणन अभिकरणों को आंशिक-धन ऋण प्रदान करता है। चालू वर्ष में कुछ राज्य सरकारों ने कोयों की गिरती हुई कीमतों से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, केंन्द्र व संबद्ध राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात पर आधारित लागत भागीदारी के अनुसार किसानों को कोयों के लिए 10/- प्रति किग्रा. का प्रोत्साहन प्रदान करने की अल्प-कालीन योजना तैयार की है।

(घ) सरकार भारतीय रेशम उद्योग के संवर्द्धन के लिए कई कदम उठा रही है:

(i) सरकार ने भारतीय रेशम की गुणवत्ता, इसकी उत्पादकता व लागत प्रतिस्पर्धात्मक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर

तक सुधारने के लिए उच्चकोटि के लिए ट्विफसलीय रेशम के उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

(ii) रेशम विकास की प्रक्रिया तथा उत्पादन को बढ़ाने की सभी अवस्थाओं की प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लागू करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय व केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं लागू की जा रही हैं।

(iii) उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए, वस्त्र क्षेत्र की प्रौद्योगिकीउन्नयन निधि योजना के तहत रेशम क्षेत्र के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, लागू दर से 5% कम पर ऋण उपलब्ध है।

(iv) खुले सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत लाकर अपरिष्कृत रेशम के आयात को उदार बनाया गया है, जिसके कारण उत्कृष्ट कोटि के रेशम की उपलब्धता बढ़ी है।

(v) सरकार द्वारा आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत उल्लिखित मूल्य बर्धन/आयात-निर्यात मानदण्डों, अग्रिम लाईसैंसिंग योजना के तहत कच्चे माल के शुल्कमुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पादकों के लिए शुल्क की रिआयती दरों पर पूंजीपति समान के आयात को निर्यातकों के लिए युक्ति संगत किया गया है।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, टैक्स-स्टाइल इंडिया जैसे घरेलू मेलों में सार्वजनिक प्रोत्साहन मंडपों के आयोजन, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, "सिल्क-इंडिया" पत्रिका के प्रकाशन तथा घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग-संबंधी पूर्वसूचना-कार्ड, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचनाओं के प्रसार, आदि जैसी विभिन्न निर्यात संबंधी गतिविधियों को चलाने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई को सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

***351. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल निर्यात में रत्नों और आभूषणों के निर्यात का कितना हिस्सा है;

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात से वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) सरकार द्वारा रत्नों और आभूषणों के निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और कुल निर्यात में इनके हिस्से को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विभिन्न कदम उठाए गये है;

(घ) क्या सरकार ने रत्नों और आभूषणों के निर्माण की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और उसे आधुनिक बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और आभूषण निर्यात जोन और आभूषण डिजाइन केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001-02 के दौरान पण्य वस्तओं के निर्यात में रत्न एवं आभूषण का हिस्सा 16.77% रहा था। कुल निर्यात 43.56 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जिसमें रत्न एवं आभूषण का हिस्सा 7.31 बिलियन अमरीकी डालर का था।

(ग) से (छ) सरकार और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) ने रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों का संवर्धन करने तथा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछेक कदम निम्नानुसार है:-

* वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति तैयार की है।

* जी जे ई पी सी और सरकार हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधे खरीद करने की संभावना की निरंतर तलाश करती रहती है।

* सरकार ने आभूषण डिजाइन एवं विनिमार्ण को बढ़ावा देने के लिए सूरत में सरदार बल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिमार्ण केन्द्र की स्थापना हेतु निधियां उपलब्ध कराई हैं।

* जी जे ई पी सी द्वारा विज्ञापनों, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता विक्रेता बैठकों के आयोजन और बाजार के खुदरा व्यापरियों से सीधे संपर्क के जरिये विदेशों में भारतीय हीरों और आभूषणों की छवि का संवर्धन किया जाता है।

* जी जे ई पी सी द्वारा परामर्शदाताओं के जरिए बाजार में अध्ययन करवाकर नए बाजारों को अभिज्ञात किया जाता है वह डिजाइनों में नवीनतम प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनरों की भी तैनात करती है; और

* जी जे इ पी सी भारत से हालमार्क आभूषणों के निर्यात का संवर्धन करती है ताकि विदेशों में ग्राहक भारत में निर्मित आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रति आश्वत हो सकें।

इसके आलावा 1.4.2002 से लागू नई एग्जिम नीति में इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं-

* अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है तथा अपरिष्कृत हीरों के लिए लाईसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

* सादा आभूषणों के निर्यात हेतु मूल्यवर्धन संबंधी मानदंडों को 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। मशीनों से निर्मित गैरजड़ाउ समस्त आभूषणों के निर्यात की अनुमति अब 3% के मूल्यवर्धन पर दी जाती है जो पहले पूर्णत: मशीनी प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित केवल सोने/प्लोटिनम/ चांदी की गैर-जड़ाऊ चेनों और चूड़ियों तक सीमित था।

* आभूषणों को व्यक्गित रूप से लाने ले जाने की अनुमति दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर के अलावा हैदराबाद और जयपुर हवाई अड्डों के जरिए प्रदान की जाती है।

भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों द्वारा निर्यात उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के अंतिम उद्देश्य के साथ डिजाइन और विनिर्माण के सभी संगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में मुंबई में भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसमें केन्द्र की वित्तीय सहायता व्यय का 50% होगी। आभूषणों के विनिमार्ण और निर्यात हेतु कोलकाता के मणिकांचन में एक एस ई जैड अनुमोदित किया गया है। आभूषण क्षेत्र में किसी एस ई जैड/ई पी जैड की स्थापना का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का निर्यात

***352. प्रो. दुखा भगत:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फल और सब्जियों के निर्यात के संबंध में विश्व बाजार में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) क्या देश में सेब, आम और अंगूर का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद इनके निर्यात में भारत का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में फल और सब्जियों का निर्यात करने में सरकार को किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इन बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन बाधाओं को हटाने और फल और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार विश्व बाजार में फलों एवं सब्जियों के निर्यात के मात्रा के अनुसार भारत का स्थान 26वां था।

(ख) सेब, आम और अंगूर के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा क्रमश: 0.5%, 5.96% और 0.73% है (स्रोत : एफएओ)

(ग) से (ङ) अनेक कारणों जैसे उचित निर्यात बुनियादी संरचना की कमी (अर्थात विशेषीकृत परिवहन, शीत श्रृंखला सुविधाएं), आयातक देशों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा संबंधी मानक पूरा करने में अक्षमता (अर्थात फसल से पूर्व और पश्चात् अपर्याप्त कार्य, अपर्याप्त आधुनिक संरक्षण पैकेजिंग, अधिकतम अपशिष्ट स्तर) की वजह से निर्यात उस स्तर से कम है जिसे संभावित रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

(च) सरकार फलों एवं सब्जियों के निर्यातों को विभिन्न उपायों जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर एकीकृत कार्गो प्रहस्तन और शीत भंडार सुविधाओं की स्थापना,

बुनियादी संरचना विकास, गुणवत्ता अनुसंधान एवं विकास, पैकेजिंग एवं विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, भारतीय कंपनियों के निज ब्रांडों का संवर्धन ताकि इन ब्रांडों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न की जा सके, के जरिए प्रोत्साहित कर रही है। फलों एवं सब्जियों के निर्यात को कृषि निर्यात जोनों (एईजैड़ों) के जरिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक अनुमोदित 40 कृषि निर्यात जोनों में से 31 फलों एवं सब्जियों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

अशक्त व्यक्तियों का आकलन

***353. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनगणना 2001 के आधार पर मंदबुद्धि और अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों सहित अशक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशतता-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अशक्त व्यक्तियों को जीवन में उचित मानवीय सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कोई नई रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जनगणना 2001 के माध्यम से विकलांगता संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए हैं और उनको भारत के महाजिस्ट्रार द्वारा संकलित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1996 से लागू नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर लक्षित सकारात्मक कार्य और सुरक्षात्मक प्रावधानों की व्यवस्था है। इसके लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों का बहु-क्षेत्रीय सहयोगी दृष्टिकोण अपेक्षित है।

पुनर्वास सेवाएं राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थानों, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों, मेरूदंड क्षति ग्रस्त व्यक्तियों के क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों तथा जिला पुनर्वास केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई है। सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद एवं फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना तथा स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 2001-2002 के दौरान 800 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई ई डी सी), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई सी) आदि के माध्यम से विकलांग बच्चों की शैक्षिक कवरेज में वृद्धि की जा रही है। विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से श्रम मंत्रालय 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चलाता है।

विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा मदद की जाती है और यह निगम राज्य माध्यम एजेंसियों तथा लघु वित्त पोषण कार्यक्रमों के जरिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार भी सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु गंभीर प्रयास कर रही है। भर्ती एजेंसियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सहायता

***354. श्री पी.सी. थामस:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर उड़ीसा के अनुसूचित जिलों के स्वीकृत धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों में कोई विदेशी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परिचर्या योजना आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार प्राथमिक जनजातीय स्वास्थ्य केन्द्रों के आवासीय क्वार्टरों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए गहन स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रमों का एक प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) मंत्रालय, गहन जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के लिए दस बिस्तरों वाले अस्पतालों और मोबाइल डिस्पेंसरियों की स्थापना और संचालन करने के लिए पहले से ही गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। मंत्रालय के पास जनजातीय स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए आवासीय क्वार्टरों की कोई योजना नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के अनुसूचित जिलों सहित वर्ष-वार और राज्य-वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा

क्रं. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.18	111.02	47.47	
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.96	71.70	48.93	
3.	असम	24.68	21.54	25.29	
4.	गुजरात	7.62	16.84	47.17	
5.	जम्मू-कश्मीर	3.91	6.72	3.91	
6.	झारखण्ड	86.52	75.08	82.02	
7.	कर्नाटक	23.09	49.33	69.24	
8.	केरल	16.96	12.28	21.91	
9.	मणिपुर	5.13	18.13	शून्य	
10.	मेघालय	7.82	7.82	7.82	
11.	मिजोरम	6.22	12.63	शून्य	
12.	महाराष्ट्र	2.59	5.35	21.00	
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	7.91	
14.	नागालैण्ड	शून्य	12.58	शून्य	
15.	उड़ीसा	23.68	30.77	55.54	इसमें से राज्य के अधिसूचित जिलों के लिए वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान क्रमशः 10.00, 27.06 और 51.70 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई।
16.	त्रिपुरा	3.09	3.91	3.91	
17.	तमिलनाडु	शून्य	14.84	शून्य	
18.	उत्तर प्रदेश	12.15	22.53	9.77	
19.	पश्चिमी बंगाल	22.00	11.73	32.57	

[हिन्दी]

"ट्राइफैड" के अंतर्गत निधियां

*355. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) वर्ष 2002-2003 के बजट में "ट्राइफैड" के अंतर्गत कितनी निधियां आबटिंत की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "ट्राइफैड" के लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और व्यापारी और बिचौलिए अब भी आदिवासी किसानों का शोषण कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आदिवासी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान ट्राइफैड का बजट आबंटन मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 600.00 लाख रुपए और शेयर पूंजी में निवेश के अंतर्गत 1.00 लाख रुपए है।

(ख) से (घ) बहु-राज्य समिति अधिनियम के अंतर्गत शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत ट्राइफैड की स्थापना वर्ष 1987 में की गई। ट्राइफैड का उद्देश्य देश में उत्पादों की वृद्धि और विकास हेतु व्यवस्था करना और योजना बनाना तथा राज्य स्तरीय निगमों और अन्य एजेंसियों को विपणन सहायता देकर आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से उनकी क्षमता बढ़ाना था। ट्राइफैड प्रारंभ से ही अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।

तथापि, निजी व्यवसायियों और दलालों द्वारा जनजातियों के शोषण संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) ट्राइफैड जनजातियों को उनके उत्पादन के लिए यथासंभव विपणन सहायता प्रदान करने और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करने हेतु मध्यस्थता करने का प्रयत्न करता है। हाल ही में ट्राइफैड ने राज्यस्तरीय सहकारी निगमों के साथ संयुक्त रूप से लघु वन उत्पादों की खरीद की है। इसके बाद अतिरिक्त, ट्राइफैड जनजातियों को विभिन्न सामग्रियों के उत्पादन/संग्रहण, आरक्षण, मूल्य संयोजन और विपणन के संबंध में प्रशिक्षण भी देता है।

[अनुवाद]

अमरीका को वस्त्रों का निर्यात

*356. श्री जे.एस. बराडः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरीका को किए जाने वाले भारतीय वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और चालू वर्ष के दौरान अब तक अमरीका को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के भारतीय वस्त्रों का निर्यात किया गया है;

(ग) इस कमी के क्या कारण है; और

(घ) अमरीका को भारतीय हस्तशिल्पों, सिले-सिलाये कपड़ों और वस्त्रनिर्मित अन्य सामानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के वस्त्रों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मीलियन अमरीकी डालर में
2000-2001	3139.6
2001-2002	2556.5

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

वर्ष 2001-2002 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आने की प्रवृति का मुख्य कारण, सितंबर, 2001 में हुए हमले के कारण संयुक्त राज्य अमरीका जैसे हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण व्यापारी सहभागी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आना है। इसका कारण चीन, बांग्लादेश, आदि जैसे हमारे पड़ौसी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना भी है।

डीजीसीआईएंडएस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2002 की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्रों के निर्यात, 992.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2001 की इसी अवधि के दौरान इनके निर्यात, 908.3 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए थे। इस प्रकार इनमें 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये अद्यतन प्रवृतियां यह दर्शाती हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आने की प्रवृत्ति में बदलाव आया है।

सरकार, संयुक्त राज्य अमरीका सहित सभी देशों को वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न अनुसार है।

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ावर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।

(2) सरकार ने अनेक वस्त्रों और फैब्रिकों के आयात पर जो भी अधिक हो, के आधार पर सम-मूल्य और विशिष्टि मिश्रित शुल्क भी लगाया है ताकि घरेलू उद्योग, विशेषकर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हितों को सस्ते आयात से बचाया जा सके।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गई है।

(4) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतशित की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गई है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(5) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटलरहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है।

(6) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचलित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(7) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन के क्षेत्र में, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(8) पारि-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(9) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बजट प्राक्कलन 2002-03 में 14.5 करोड़ रू. की व्यवस्था की गई है।

(10) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना 2002-03 में 15 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

(11) देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चुनिन्दा कारीगर समूहों को, प्रभावी सदस्य सहभागिता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए व्यावसायिक रुप से संचालित आत्म-निर्भर सामूहिक उद्यमियों के रूप में विकसति करने की व्यवस्था है।

(12) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्रों और हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संवर्द्धनात्मक उपाय कर रही हैं।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन को नया रूप देना

***357. श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को नया रूप देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। मिशन में 'लघु मिशन-1 के अंतर्गत अनुसंधान', 'लघु मिशन-2 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का प्रसार', ''लघु मिशन-3 के अंतर्गत बाजार अध्यसंरचना का सुधार' और लघु मिशन-4 के अंतर्गत जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से चार लघु मिशन हैं। जबकि योजना के विभिन्न संघटक आमतौर पर वही हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, कुछ परिवर्तन जैसे कुछ नई मदों को सहायता प्रदान करना और कुछ

मदों को बंद करना, किये गये हैं। इनमें कीटनाशक दवाओं के साथ-साथ बीज शोधन', सुकरकर्ताओं का मौसम भर प्रशिक्षण' प्रशिक्षकों का राष्ट्र-स्तरीय प्रशिक्षण', नई गांठ प्रेस तथा जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों द्वारा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसी नई मदें 'ब्रीडर बीज के लिए प्रोत्साहन', क्षेत्र प्रदर्शन' को बंद करना और 'डारमेंन्ट यार्ड को चालू करना', आदि शामिल हैं।

पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास

***358. श्री दिलीप संघाणी: क्या सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार के पास पिछड़े वर्गों के फायदे के लिए आर्थिक विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इस निगम के गठन के बाद विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना गरीबी की रेखा के दो गुने से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने तथा आय सृजक कार्यकलापों एवं योग्यता उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दर पर इन्हें ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उन्हें सहायता देने के लिए की गई थी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से यह निगम निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) ऋण योजनाएं-

(क) आवधिक ऋण

(ख) मार्जिन मनी ऋण

(ग) महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा योजना

(घ) माइक्रो वित्त योजना

(ङ) शिक्षा ऋण योजना

(ii) तकनीकी योग्यता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण

(ग) एन बी सी एफ डी सी अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों को आगे अंतत: पात्र लाभार्थियों को वितरित करने के लिए वित्तीय सहयता प्रदान करता है। इस निगम ने अभी तक संचयी रूप से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4,48,268 लाभार्थियों के लिए 715.38 करोड़ रुपए (दिनांक 10.12.2002 तक की स्थिति तक) का वितरण किया है।

जहां तक गुजरात का संबंध है। गुजरात ने दो माध्यम एजेंसियों को नामित किया है अर्थात् गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम तथा गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने अभी तक गुजरात निगम को 56.60 करोड़ रुपए तथा गुजरात गोपालक विकास निगम को 3.50 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये हैं। राज्य माध्यम से एजेंसियों ने अब तक 9345 लाभार्थियों को 34.45 करोड़ रु. वितरित किये है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निगम ने गुजरात के लिए 24.42 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है जिसमें से राज्य माध्यम एजेंसी ने 3136 लाभार्थियों को सहायता देने के लिए 22.10 करोड़ रु. की धनराशि का आहरण किया है। गुजरात की राज्य माध्यम एजेंसी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अदायगी (वापसी) 100% हैं तथा राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा आहरित निधियों का उपयोग 61% है। राष्ट्रीय निगम ने राज्य माध्यम एजेंसियों को उनके द्वारा प्राप्त की गई निधियों का शीघ्र उपयोग करने की सलाह दी गई है।

देश में अनाज भंडारगृह

***359. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनाज के भंडारण हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्मित करने का है और उसने देश में विभिन्न स्थानों पर अनाज भंडारगृह (साइलो) के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अतिरिक्त भंडारण गोदामों की निर्माण लागत में भागीदारी के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशत क्या है; और

(च) सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण में उपलब्ध प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने/नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) जिन स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिये बनाओ और चलाओ आधार पर बल्क अनाज हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन सुविधाएं बनाने की परिकल्पना की गई है, वे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थान	क्षमता
1.	पंजाब	(i) बरनाला	3लाख टन
		(ii) मोगा	3 लाख टन
2.	हरियाणा	(i) सिरसा	3 लाख टन
		(ii) कैथल	3 लाख टन
3.	पश्चिम बंगाल	(i) हुगली	1 लाख टन
4.	तमिलनाडु	(i) चेन्नई	1 लाख टन
		(ii) कोयम्बतूर	1 लाख टन
5.	कर्नाटक	(i) बंगलौर	1 लाख टन
6.	महाराष्ट्र	(i) नवी मुम्बई	1 लाख टन
	जोड़		18 लाख टन

(ग) से (च) ऊपर बातई गई सुविधाओं को चुनी हुई निजी पार्टियों/संयुक्त उपक्रमों द्वारा विकसित और चलाने का प्रस्ताव है और इन्हीं के जरिए बल्क अनाज हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन की समूची निर्माण लागत वहन की जाएगी। सरकार ने वर्तमान परम्परागत प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए एकीकृत बल्क हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन सुविधाएं शुरू करने का निर्णय किया है।

कॉफी क्षेत्र हेतु योजना

*360. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान कॉफी के निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काफी उत्पादकों के लिए एक नया आर्थिक पैकेज भी तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए पैकेज में दी जाने वाली आर्थिक सहायता किस प्रकार की होगी;

(ङ) नए पैकेज की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है;

(च) नए पैकेज से कॉफी उत्पादकों को कितनी मदद मिलेगी;

(छ) क्या सरकार का विचार चाय उत्पादकों के लिए भी ऐसा ही पैकेज तैयार करने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने कॉफी की खेती करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) कॉफी बोर्ड एक मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें विभिन्न बाजारों, विभिन्न ग्रेडों और मूल्यवर्धित काफियों की किस्मों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके साथ-साथ बोर्ड 10वीं योजना अवधि के दौरान देश में काफी की खपत बढ़ाने के लिए एक घरेलू विपणन नीति को भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित मध्यावधि निर्यात नीति मै. मैकिन्से एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट में दिये गए ठोस सुझावों और कार्ययोजना पर आधारित है। इस नीति में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी के बाजार के हिस्से में सुधार करने तथा निर्यात आय को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसी प्रकार, बोर्ड की घरेलू विपणन नीति में काफी के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने वाला प्रजातिगत संवर्धन, घरेलू रोस्टरों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना तथा क्षेत्रीय कॉफी पर्व आयोजित करना शामिल है।

10वीं योजना अवधि के दौरान बोर्ड केवल निर्यात संवर्धन और कॉफी की घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय से योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) से (च) मौजूदा कम कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे कॉफी उत्पादकों की समस्याओं से चिंतित होकर भारत सरकार ने कॉफी क्षेत्र के लाभ के लिए हाल में अनेक कदम उठाए हैं। इसमें कॉफी उत्पादकों के लिए एक विशेष राहत पैकेज

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित) शामिल है जिसके अंतर्गत उनके आवधिक ऋणों और फसली ऋणों को एक विशेष काफी आवधिक ऋण (एससीटीएल) में समेकित कर दिया गया है जिनके वापसी भुगतान की अवधि 9-11 वर्ष है और 3 वर्ष का वापसी भुगतान अवकास है, और इनमें नए ऋण दिया जाना, एससीटीएल पर ब्याज की दरों में 1% कमी करना, अगले तीन वर्षों में वसूल किए जाने वाले चालू वर्ष के दौरान एससीटीएल पर देय ब्याज का स्थगन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

* लघु उत्पादकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर उन्हें 5% ब्याज सब्सिडी,
* काफी के निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन
* निर्यातों में कमी को रोकने और घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में नवीकरणीय विपणन नीतियां।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एससीटीएल पैकेज से ऋण का वापसी भुगतान कारगर रूप से स्थगित होगा, वर्तमान फसली ऋणों के पुन: निर्धारण के पश्चात् आवश्यकता पर आधारित नए फसली ऋण प्रदान किए जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप ऋणों की लागत में कमी हो जाएगी। इन सभी उपायों से काफी उत्पादकों को निश्चित रूप से राहत प्राप्त होगी।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2002 में एक राहत पैकेज की घोषणा की थी जिसमें वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए चाय क्षेत्र में बकाया ऋणों की पुन: संरचना करने/पुन: निर्धारण करने आदि की व्यवस्था है।

(ज) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी की खेती के लिए नए क्षेत्रों की प्रत्याशा करने के बजाय काफी बोर्ड काफी उत्पादकों के लाभ के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने कार्यकलापों को सुदृढ़ करेगा।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंक

***361. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन से की गई वचनबद्धता के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विदेशी बैंकों की 12 शाखाओं को लाइसेंस जारी करने के लिए बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को भी अन्य देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने की ऐसी सुविधा प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशी बैंकों की ये शाखाएं ग्राहकों को भारतीय बैंकों की तुलना में अधिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय बैंकों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां; भारत विश्व व्यापार संगठन के तहत विदेशी बैंकों को प्रत्येक वर्ष 12 शाखा लाइसेंस जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान, हमने विदेशी बैंकों को देश में क्रमश: बारह, पन्द्रह और अट्ठारह शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश, जो अपने देश में विदेशी बैंकों को परिचालन की अनुमति प्रदान करते हैं, भारतीय बैंकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते हैं और उन्हे अपने विवेकपूर्ण विनियमों के अध्यधीन अपने देश में परिचालन की अनुमति प्रदान करते हैं। इस समय, भारतीय बैंकों की 24 देशों में 93 शाखाएं कार्यरत हैं।

(ङ) और (च) विदेशी बैंकों की शाखाएं अधिकांशत: शहरी और महानगरीय केन्द्रों में हैं, जबकि भारतीय बैंकों की शाखाएं शहरी, महानगरीय, अर्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में हैं। चूंकि विदेशी बैंकों के ग्राहकों की रूपरेखा और सेवा संबंधी आवश्यकताएं, भारतीय बैंको से भिन्न हैं, इसलिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का स्वरूप भी भिन्न हैं, तथापि, विदेशी मुद्रा बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए, भारतीय बैंक अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर रहे हैं, संगठनात्मक और परिचालनात्मक पुनर्संरचना को क्रियान्वित कर रहे हैं और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए मानव संसाधन का बेहतर प्रबंध कर रहे हैं।

पीसी मानीटरों और सीटीवी की बिक्री

3723. श्री सईदुज्जमा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों से सैमसंग पीसी मानीटरों और सीटीवी की बाजार में बिक्री से अपनी सर्वोच्चता बनाये रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में इस क्षेत्र में अन्य मुख्य कंपनियों की तुलना में सैमसंग के पीसी मानीटरों और सीटीवी की बिक्री का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैमसंग के सीटीवी की भरमार से अन्य उत्पादों की बिक्री पर गंभीर असर पड़ा है;

(घ) क्या सैमसंग कर बचाने के लिए खातों में प्राप्त मूल्य और बिक्री में हेराफेरी कर सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का व्यापार में कदाचार के मद्देनजर कम्पनी के खातों की जांच करवाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कॉफी मूल्य स्थिरीकरण कोष

3724. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी मूल्य स्थिरीकरण कोष गठित करने के लिए अगस्त, 2002 के माह में केन्द्रीय दल ने कर्नाटक राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) काफी संकट छिपाने के लिए राज्य को कुल कितना अनुदान आवंटित किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):(क) से (घ) जी हां,। मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) की प्रचालन रूपरेखाओं को तैयार करने के लिए गठित समिति ने अगस्त, 2002 के महीने में कर्नाटक का दौरा किया था। इस दौरे का उद्देश्य कॉफी के उपजकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं की गंभीरता की जानकारी प्राप्त करना और पीएसएफ स्कीम को लागू करने के बारे में पणधारकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संदर्शों को समझना था। काफी उद्योग के विभिन्न वर्गों और राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में विचार किया है जिसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कॉफी, चाय, रबड़ और तम्बाकू के उत्पादकों की समस्याओं से निपटने के लिए निधि के प्रचालन हेतु एक ट्रस्ट फंड सृजित करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

बैंकों में अधिवक्ता

3725. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय में अपने मामलों को लड़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अपने पैनल में बहुत से अधिवक्ता हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक के पैनल अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अधिवक्ताओं की नियुक्ति, उनके कार्य का आवंटन और मामलों के निपटान के विषय में उनके कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश बनाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त तिथि के अनुसार प्रत्येक बैंक में लंबित मामलों की संख्या कितनी थी और विगत तीन वर्षों में कितने मामले सुलझाये गये हैं;

(ङ) क्या पैनल के कई अधिवक्ताओं को विगत पांच वर्षों में एक भी मामला सुपुर्द नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अड़सुल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुन:प्रयोज्य कागज मिलें

3726. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की कई पुन:प्रयोज्य कागज मिलें संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुन:प्रयोज्य कागज मिलों को उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) कागज उद्योग स्थापना-स्थल नीति के अध्यधीन लाइसेंस मुक्त है। कागज के कुल घरेलू उत्पादन में से लगभग 39.2 प्रतिशत लकड़ी पर आधारित है, 32.4 प्रतिशत खोई पर आधारित है और 28.4 प्रतिशत रद्दी कागज पर आधारित है। पुन:प्रयोज्य प्रक्रिया अपनाने और अपारंपरिक कच्चे माल का प्रयोग करने वाली कागज मिलों के लिए रियायती उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में प्रोत्साहन पहले से ही उपलब्ध हैं। 75 प्रतिशत और इससे ज्यादा अपारंपरिक कच्चे माल का प्रयोग करके बनाये गये कागज और गत्ते को 3500 मी.टन वार्षिक की प्रथम निकासी तक उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। कागज मिलों को 5 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क की रियायती दर पर रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजना

3727. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ में कितनी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई हैं और उनके लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई राशि का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चाइल्डलाइन द्वारा विगत एक वर्ष में चलाई गयी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान चाइल्डलाइन परियोजनाएं चलाने के लिए दो संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किए गए थे। चाइल्डलाइन किसी बच्चे को आपात सहायता प्रदान करता है और उसके बाद बच्चे की जरूरत पर आधारित बच्चे को दीर्घावधि अनुवर्ती कार्रवाई तथा देखभाल के लिए किसी उपयुक्त संगठन को भेज दिया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों को दौरान चंडीगढ़ में समाज रक्षा योजना पर व्यय की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त अनुदान			लाभार्थियों की संख्या		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना	10.66	9.50	9.50	3273	3076	300
2.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम**	8.59	9.00	1.88	300	300	
3.	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम	2.00*	3.10*	शून्य	–	–	–

* कर्मचारियों को वेतन के प्रयोजनार्थ निधियां निर्मुक्त की गई।

** वर्ष 2001-02 के दौरान चंडीगढ़ में बेसहारा बच्चों की किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, 'बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम' के अंतर्गत दो चाइल्डलाइन परियोजनाओं की स्वीकृत प्रदान की गई थी। चाइल्डलाइन परियोजना में लाभार्थियों की संख्या का परिमाणन नहीं किया जा सकता। चाइल्डलाइन परियोजना के लिए कष्ट में रहने वाले बच्चों या उनके ओर से किसी व्यस्क से प्राप्त कालों की संख्या के आधार पर राशि निर्मुक्त की गई थी।

नागपुर में प्रदर्शनी सुविधा

3728. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के लिए मुख्य स्थल बनने की सभी संभावनायें मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव नागपुर में आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सुविधा विकसित करने का है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिये गये है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) अंर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर ऐसे कारकों के आधार पर विचार किया जाता है जैसे स्थान, अधिक जनसंख्या वाले महानगर के रूप में इसकी उपयुक्तता, एक उत्तम औद्योगिक आधार की मौजूदगी, पिछले कुछ वर्षों में वार्षिक रूप से 3-4 बड़ी व्यापार प्रदर्शनियों को आयाजित करने का प्रमाणित अनुभव, सड़क, बिजली, जल आदि के रूप में सहायक बुनियादी संरचना के साथ विकसित भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की सहायता और निधियों की उपलब्धता। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसे मामलों में तकनीकी और प्रंबधकीय सहायता उपलब्ध कराता है। नागपुर में ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंको के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

3729. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की शुरुआत करने का प्रस्ताव है और इसके लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्य (पीसीए) आपनाने का भी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक बैंक के लिए 'रिस्क प्रोफाइल' के विकास के संबंध में और ग्राहक पर्यवेक्षण कार्य योजना तैयार करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अड़सुल): (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) पर्यवेक्षी को बढ़ावा देगा और उन्हें परिष्कृत करेगा तथा उन्हें सर्वात्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के समकक्ष ले आएगा। आर बी एस का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करना, दक्षता को बढ़ावा देना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा बैंकिंग प्रणाली के दुरूपयोग को रोकना है। आरबीएस बैंकों को प्रणालियों तथा नियंत्रणों में खामियों का पता लगाने तथा उपयुक्त निराकरण ढूंढ़ने में मदद करेगा।

तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) पूर्व निर्धारित नियम आधारित ढांचागत हस्तक्षेप तंत्र पर आधारित तंत्र है। पीसीए का लक्ष्य विद्यमान पर्यवेक्षी ढांचे की प्रभावोत्पादकता नें वृद्धि करना है। इसके पास तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर अर्थात सीआरएआर, निवल अनुपयोज्य आस्तियां और आस्तियों की वापसी पर आधारित सुधारात्मक कार्रवाई अनुसूची है जो क्रमश: पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता तथा लाभप्रदता दर्शाता है। इन पैरामीटरों के अन्तर्गत कतिपय ट्रिगर प्वाइंट्स निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक ट्रिगर प प्वाइंट के लिए ढांचागत एवं विवेकपूर्ण कार्रवाई का प्रस्ताव है जो बैंक की स्थिति में किसी गिरावट का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएस के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के समेकन के लिए विस्तृत जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट विकसित किया है। वाणिज्यिक बैंको से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्वयं के जोखिम प्रोफाइलों का स्व-मूल्यांकन करने के लिए कहा है। प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर उनके लिए एक सटीक पर्यवेक्षी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क में कटौती

3730. श्री राजेन गोहेन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में असम में उत्पादन शुल्क के लिए आवेदन करने आवेदन करने वाले उद्योगों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्पादन शुल्क में छूट के संबंध में असम के प्रत्येक उद्योग का नाम और उसे दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामाचन्द्रन): (क) और (ख) इस समय छूट अधिसूचना संख्या 32/99- केन्द्रीय उत्पादक शुल्क और 33/99- केन्द्रीय उत्पादक शुल्क दोनों दिनांक 8.7.1999 के अन्तर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर उत्तर-पूर्व के उद्योग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। अधिसूचना संख्या 32/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित नई इकाइयों अथवा बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही इकाइयों को छूट प्रदान करती है। तथापि, इस तरह की छूट कतिपय विनिर्दिष्ट मदों पर लागू नहीं होती है। अधिसूचना संख्या 33/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नई इकाइयों अथवा विनिर्दिष्ट अग्राणी उद्योगों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करती है चाहे वे कहीं भी स्थित हों। ये छूटें अधिसूचना की तारीख अर्थात् 8.7.99 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से कम से कम दस वर्षों की अवधि के लिए हैं। ये

दोनों छूटें वापसी प्रक्रिया के माध्यम से काम करती हैं। वे इकाइयां जो इन उत्पादन शुल्क छूटों का लाभ उठा रही हैं और उनके द्वारा प्राप्त की गई राहत के बारे में विनिर्दिष्ट ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। इन ब्यौरे को एकत्र किया जा रहा है।

[हिन्दी]

घटिया उत्पादों का आयात

3731. श्री महेश्वर सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजार घटिया आयातित उत्पादों से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस खतरे को रोकने के लिए एक अभियान चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय बाजारों में भरे पड़े निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को निकालने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) डब्लूटीओ से बाद के परिदृश्य में घरेलू उद्योग को आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है। तथापि, घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क तंत्र का उचित प्रयोग करके आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(ii) अनेक मदों पर आयात शुल्कों में वृद्धि की गयी है।

(iii) चीन से होने वाले बैटरी के सैलों, बैटरी से चालित खिलौनों, खेल-कूद के जूतों के आयातों पर स्वत: पाटनरोधी जांच शुरू की गयी है।

(iv) सभी डिब्बाबंद वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा प्रभावी मानक भार एवं माप (डिब्बाबंद वस्तु) आदेश, 1977 की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

(v) 35 उत्पादों के आयात को घरेलू सामानों पर यथा प्रभावी अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। तदनुसार, ऐसे उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरों से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है, और

(vi) सरकार ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है ताकि यदि स्थिति के अनुसार आवश्यकता हो तो मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपायों की कार्यवाही की जा सके।

विश्व बैंक ऋण

3732. श्री राजो सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार के किन स्थलों के विकास कार्य के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) इस पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या है;

(ग) इस सहायता की शर्तें क्या हैं;

(घ) इस धनराशि के बिहार सरकार ने क्या कार्य शुरू किये हैं; और

(ङ) चल रहे कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अड़सुल): (क),(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार को आईबीआरडी ऋण एकल मुद्रा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर मुहैया कराए गए हैं। इन पर लगने वाला ब्याज लिबोर आधार दर जमा लिबोर कुल विस्तार के बराबर होता है। इन ऋणों पर 1% का फ्रंट-एण्ड शुल्क और 0.75% का वचनबद्धता प्रभार लगता है। आईडीए क्रेडिट ब्याज-मुक्त होता है। लेकिन इस पर 0.75% का सेवा-प्रभार तथा 0.50% का वचनबद्धता शुल्क लगता है।

(ग) सहायता से संबंधित शर्तें कार्यान्वयनकारी अभिकरणों तथा विश्व बैंक के बीच परस्पर सहमत कार्यान्वयन व्यवस्थाओं, परियोजना-गतिविधियों की समय-अनुसूचियों इत्यादि से संबंधित होती हैं।

विवरण

क्रं सं.	परियोजना का नाम	ऋण करार/समापन की तारीख	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	दि. 30.9.02 तक संचयी संवितरण	शामिल क्षेत्र
1.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-III	23.2.98/ 30.9.2003	152	37.74	बिहार और झारखंड
2.	एड्स नियंत्रण परियोजना	14.9.99/ 31.7.2004	194.75	84.13	राष्ट्रव्यापी
3.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	19.5.2002/ 30.6.2004	142.60	81.94	राष्ट्रव्यापी
4.	द्वितीय कुष्ठरोग नियंत्रण परियोजना	19.7.2001/ 31.3.2004	30.00	7.45	राष्ट्रव्यापी
5.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	30.7.97/ 31.3.2003	164.80	49.31	राष्ट्रव्यापी
6.	प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना	30.7.97/ 31.3.2003	248.30	166.76	राष्ट्रव्यापी
7.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	14.3.97/ 30.6.2002	142.40	39.14	राष्ट्रव्यापी
8.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	27.3.97/ 31.12.2003	19.5	3.40	राष्ट्रव्यापी
9.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	11.8.2000/ 31.12.2005	516.00	80.137	मोहियाना, देहरी, औरंगाबाद, शेरघाटी, गौरहार
10.	ग्रांड ट्रंक सड़क परियोजना	27.7.2001/ 30.12.2006	589.00	26.744	मुगल सराय, सासाराम, बाराचट्टी
11.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी	17.3.98/ 31.12.2003	196.8	85.20	राष्ट्रव्यापी
12.	पावर ग्रिड-II	3.5.2001/ 30.6.2006	450	95.052	राष्ट्रव्यापी

एमडीए योजना के अन्तर्गत धन का वितरण न किया जाना

[अनुवाद]

3733. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन निकाय केमक्लिस एलएसी देशों के लिए एमडीए योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का वितरण विशेषकर उत्तरी-क्षेत्र के उन निर्यातकों को जिनके आवेदनों का अनुमोदन किया जा चुका है, नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) वाणिज्य विभाग के लेखा परीक्षा दल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के दल द्वारा भी कैमेक्सिल में की गई अनेक वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। इसलिए कैमेक्सिल द्वारा सरकारी निधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु उठाए जा रहे कदमों के एक हिस्से के रूप में बाजार विकास सहायता स्कीम के अन्तर्गत कैमेक्सिल को निधियों का जारी किया जाना परिषद को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान होने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अत: कैमेक्सिल कुछ समय के लिए एलएसी देशों को निर्यात करने वाले निर्यातकों सहित किसी निर्यातक को निधियां वितरीत करने की स्थिति में नहीं है।

घुम्मकड़ जातियों का विस्थापन

3734. श्री एम.के सुब्बा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हजारों घुम्मकड़ जातियों के लोग जिनकी संख्या अनुमानत: पचास हजार से ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगलों में रह रहे हैं और वह वोट देने के आधारभूत राजनीतिक अधिकार और प्राकृतिक आवास के अधिकार से भी वंचित है;

(ख) यदि हां, तो 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है; और

(ग) उनके वोट, निवास और स्वाभिमान के साथ जीवन-बसर करने के अधिकार को दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विशेष घटक योजना

3735. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में विशेष घटक योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशि का राज्य-वार और केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई उपरोक्त धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि के उपयोग के परिणाम स्वरूप गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विशेष संघटक योजना (एस सी पी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में दी जाती है। विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए संसाधन प्रदान करके गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की परिवारोन्मुख योजनाओं को बल मिलने की संभावना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों को दौरान निर्मुक्त विशेष सहायता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार उनका उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4134.94	4134.94	3720.00	3720.00	3551.51	3551.51
2.	असम	695.31	515.00	1810.69	914.75	127.14	1453.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	3471.49	0.00	0.00	1261.41	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	500.00	284.28	414.68	465.10
5.	गुजरात	682.27	965.20	1521.88	845.03	1227.91	446.76
6.	गोवा	5.49	1.80	8.00	1.50	0	0.13
7.	हरियाणा	840.36	238.02	930.63	635.39	443.53	815.20
8.	हिमाचल प्रदेश	298.18	316.08	440.00	431.22	368.66	378.53
9.	जम्मू-कश्मीर	183.44	137.85	218.00	238.10	201.84	200.60
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	500.00	0.00	578.84	0
11.	कर्नाटक	2097.36	2097.36	2643.64	2643.64	2985.43	2985.43
12.	केरल	813.24	753.88	1251.07	0.00	533.44	0
13.	मध्य प्रदेश	3003.27	1936.10	1720.00	1448.64	1148.23	1737.76
14.	महाराष्ट्र	2067.30	1450.62	2722.00	1766.09	3314.14	2384.28
15.	मणिपुर	12.54	13.00	38.96	8.94	2.73	8.94
16.	उड़ीसा	1907.72	1686.47	1884.00	2002.03	2480.19	223.25
17.	पंजाब	1280.29	313.13	1784.00	184.29	0	161.14
18.	राजस्थान	2792.68	1999.68	3738.96	2137.83	3005.41	2556.29
19.	सिक्किम	22.37	22.26	23.87	23.98	16.68	16.26
20.	तमिलनाडु	4026.92	2841.39	3558.00	2656.93	5020.32	4598.24
21.	त्रिपुरा	159.14	164.87	476.48	476.48	83.45	32.05
22.	उत्तर प्रदेश	9728.65	5682.35	9398.00	6820.62	11816.86	10181.17
23.	उत्तरांचल	0.00	0.00	500.00	54.17	433.21	314.44
24.	पश्चिमी बंगाल	4962.00	4962.00	5450.63	5322.33	7421.59	2333.36
25.	चण्डीगढ़	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50
26.	दिल्ली	149.91	82.87	149.91	36.71	0	80.97
27.	पाण्डिचेरी	30.13	30.13	25.18	12.59	50.00	26.15
	कुल	43700.00	30370.00	45038.90	33971.95	45250.79	34963.06

अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे में बढ़ोतरी

3736. श्री रामानन्द सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1993 से 1998 के दौरान सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे की 27 प्रतिशत तक बढ़ाने के संबंध में कोई सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश की स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कितने ज्ञापन भेजे हैं; और

(ग) इन सिफारिशों की स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रपतिजी के विचारार्थ मध्य प्रदेश सरकार से एक मात्र प्रस्ताव अर्थात् "मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े" वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995" है। यह दिनांक 24.10.1995 को प्राप्त हुआ था।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त विधेयक की प्रक्रियात्मक रूप से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से जांच की गई थी। यह पाया गया था कि विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए प्रदत्त प्रतिशतता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामलें में निर्धारित 50% से अधिक थी और इसलिए यह सलाह दी गई थीं कि इस विधेयक को राष्ट्रपति जी के संदेश के साथ राज्यपाल को लौटा दिया जाएगा। तदनुसार "मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन, विधेयक, 1995" को दिनांक 11.12.2001 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल को इस संदेश के साथ लौटा दिया गया था कि राज्य विधान मंडल इस पर पुन:विचार कर उपयुक्त संशोधन कर सकता है बशर्ते कि:-

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल प्रतिशतता 50% से अधिक न हो। और

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की श्रेणी-वार प्रतिशतता सभी पदों अर्थात श्रेणी i से iv तक के लिए एक समान होनी चाहिए।

[अनुवाद]

भारतीय सहस्त्राब्दी जमा योजना

3737. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सहस्त्राब्दी जमा योजना (आई एम डी एस) के तहत कुल कितनी धनराशि इकट्ठा की गयी है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि को उपयोग में लाया गया;

(ग) क्या अवसंरचना क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं में कम धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) अब तक एकत्रित धनराशि के सुचारू रूप से उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए है

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 25,716 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की है।

(ख) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आई.एम.डी योजना के अंतर्गत संग्रहित सम्पूर्ण राशि का उपयोग निम्नांकित रूप में किया गया है:

(करोड़ रुपये)

(i)	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित राशि	10,286
(ii)	करार के अनुरूप संग्रहकर्ता बैंक को उधार दी गयी राशि	12,023
(iii)	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए उपयोग की गयी राशि	3,407
	जोड़	25,716

संग्रहकर्ता बैंकों को उधार में दी गयी राशि का उद्देश्य आधारभूत ढांचा क्षेत्र की वित्त पोषण आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करना है।

[हिन्दी]

सम्पत्ति को जब्त करने संबंधी कानून

3738. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रवाद विरोधी आतंकवाद गतिविधियों और भष्ट्राचार में लिप्त लोगों/संगठनों की चल और अचल सम्पत्ति को जब्त करने संबंधी कानून का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों में 1 अप्रैल, 2000 से आज तक ऐसे लोगों/संगठनों की संख्या कितनी है जिनकी चल और अचल सम्पत्ति जब्त की गई है और उसकी कीमत क्या है;

(ग) क्या ऐसे लोगों/संगठनों ने अपना धन विदेशी बैंकों में जमा करा रखा है और इन बैंकों के गोपनीयता कानूनों के कारण सरकार उनके बैंक खातों का पता नहीं लगा पाती है और साथ ही इनके धन और सम्पत्ति भी जब्त नहीं कर पाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) स्वापक और तस्करी एवं विदेशी मुद्रा छलसाधन के अपराधों के लिए क्रमशः स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.ए) और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति) अधिनियम, 1976 (सफेमा) में सम्पत्ति जब्ती के लिए मौजूदा प्रावधान वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्तमान में प्रशासित कानूनों में शामिल हैं।

(ख) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति के समपहरण के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है-

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03 (सितम्बर 02 तक)
मामलों की संख्या	103	50	27
मूल्य (रुपए करोड़ों में)	16.62	32.02	19.29

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहायक निदेशक, आयकर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट

3739. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सहायक निदेशक, आयकर (एडीआईटी) को तलाशी के प्रारंभ होने के 60 दिन के अन्दर-अन्दर संबंधित सी.आई.टी और आयकर निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित करनी होती है और यदि यह अवधि बढ़ानी पड़ जाए तो महानिदेशक की लिखित अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश में उल्लंघन हुआ है क्योंकि मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित करने में 239 दिन का विलम्ब हुआ है जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर) के पैरा 3.1.8.3 में ऐसा कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2000 की रिपोर्ट सं. 12 के पैरा संख्या 3.1.8.3 में उत्तर प्रदेश प्रभार में मूल्यांकन रिपोर्टों को अग्रेषित करने में 4 से 239 दिनों तक के विलंब होने का उल्लेख किया है। केवल एक ही मामला ऐसा है जहां प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट को अग्रेषित करने में 46 दिनों का विलंब हुआ था और एक अन्य पूरक रिपोर्ट 239 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत की गई थी।

(ग) अघोषित आय के निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट अन्वेषण विंग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है। समय-समय पर इस आशय के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं कि अन्वेषण विंग के अधिकारियों द्वारा इस समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए। तथापि, यह संभव है कि मूल्यांकन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न कारणों से अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है।

बदला में संशोधन

3740. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बदला नाम से जाने-जाने वाले भविष्य के लेन-देनों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप स्टाक मार्केट और इसके कुल कारोबार को भारी धक्का लगा है और इसके परिणामस्वरूप एनएसई और बीएसई का इंडेक्स 10 प्रतिशत तक नीचे आ गया;

(ग) यदि हां, तो सरकार निवेशकों के हित में (बदला) भविष्य में लेन-देन के व्यापार की पुन: अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) अप्रैल, 2001 में कैरी फारवर्ड व्यवस्था

और आस्थगित उत्पादों की पुनरीक्षा करने के लिए प्रो. जे.आर. वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित समूह की सिफारिशों के आधार पर बदला सहित सभी आस्थगित उत्पादों पर दिनांक 2 जुलाई, 2001 से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(ख) सेबी के अनुसार, हालांकि 2 जुलाई, 2001 से सेबी द्वारा चल निपटान को आरंभ करने और आस्थगित उत्पादों को प्रतिबंधित करने के बाद बाजार में आरंभिक अवधि में कुल कारोबार में गिरावट देखी गई थी, गत कुछ महीनों में प्रमात्रा, व्यापार किए गए शेयरों की संख्या और सौदों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले कुछ महीनों के दौरान राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा और संख्या तथा सौदों की संख्या एनएसई द्वारा चल निपटान को आरंभ करने और आस्थगित उत्पादों को प्रतिबंधित करने से तुरंत पहले के महीनों के दौरान किए गए व्यापार के समतुल्य या उससे ज्यादा हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई विचार नहीं है। सेबी का मत है कि किसी भावी तारीख को निपटान के लिए सौदा करने हेतु व्यष्टि स्टाक फ्यूचर्स सहित विभिन्न व्युत्पन्न उत्पाद वर्तमान में निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान व्युत्पाद खंड में उल्लेखनीय स्तर की गतिविधि रही है। इसके अतिरिक्त, नकदी खंड में चल निपटान को आरंभ करने से कैरी फारवर्ड की शुरूआत के लिए स्थितियों को दैनिक रूप से अग्रेनीत करने की आवश्यकता होगी जो कि दुर्वहनीय हो सकता है और संभवत: लागत प्रभावी न हो।

तेल मिलों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता

3741. श्री अम्बरीश: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विभिन्न पाम-तेल मिलों के विस्तार और सुधार के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस तरह के अनुरोध अन्य राज्यों के सरकारों ने भी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 2001 में कर्नाटक सरकार ने काबिनी, मैसूर, कर्नाटक में पाम तेल प्रसंस्करण मिल को अपग्रेड करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि, इस प्रकार के प्रस्तावों को निधियां देने की कोई योजना नहीं है, अत: भारत सरकार से वित्तीय मदद देना संभव नहीं है। तदनुसार, कर्नाटक सरकार को मामले के संबंध में सूचना दे दी गई थी। अन्य राज्यों से इस प्रकार की वित्तीय मदद के अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

देश की बैंकिंग प्रणाली

3742. डा. डी.वी.जी. शंकर राव:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी 'स्टैंडर्ड एंड पूअर्स' ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बैंकिंग प्रणाली बताया है;

(ख) यदि हां, तो एजेंसी द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अन्य कौन सी कमियां गिनाई गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोया तेल का आयात

3743. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोयाबीन तेल पर 45 प्रतिशत लो बाउंड रेट लगाने से किसानों के नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तिलहन की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि

3744. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिसके साथ भारत ने अब तक दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि की है;

(ग) क्या ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि मारीशस के विदेशी निवेशक भारतीय स्टाक बाजार के अस्थिरीकरण के लिए भारत में बड़े पैमाने पर धनराशि का निवेश कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या मारीशस आधारित कई विदेशी निवेश कम्पनियों की चुकता पूंजी शोचनीय है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। जैसा संलग्न विवरण में दिया गया है, सरकार ने 10 देशों के साथ सीमित दोहरे कराधान के परिहार के करार (वायु और जहाजरानी उद्यमों से प्राप्त आय तक सीमित) के अलावा 65 देशों के साथ व्यापक दोहरे कराधान के परिहार के करार किए हैं।

(ग) कथित बाजार हेराफेरी की जांच के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा 2001 में यह सूचित किया गया था कि कुछ शेयर दलालों द्वारा सर्कुलर व्यापार, धृति के केन्द्रीयकरण, शेयरों की पार्किंग के लिए कतिपय विदेशी निगमित निकायों के उपयोग के संकेत पाये गये थे। जहां तक स्वभावत: खरीद के लिए भारत में धन निवेश करने का संबंध है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सभी व्यापार सुपुर्दगी के आधार पर किए जाते है जिसके लिए पूरे धन का भुगतान किया जाता है।

(घ) जी, हां। मारीशस स्थिति कतिपय विदेशी निवेश कम्पनियों के पास शोचनीय चुकता पूंजी है।

(ङ) दिनांक 29.11.2001 से विदेशी निगमित निकायों को भारत में पोर्ट-पोलियों निवेश स्कीम के अन्तर्गत निवेश करने की अनुमति नहीं है।

विवरण

दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार (भारत के राजपत्र में यथा अधिसूचित) उन देशों की सूची जिनके साथ भारत की व्यापक दोहरे कराधान के परिहार की संधियां हैं

क्रमांक	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	आस्ट्रेलिया
3.	बंगला देश
4.	बेल्जियम
5.	बेलारूस
6.	ब्राजील
7.	बल्गारिया
8.	कनाडा
9.	चीन
10.	साइप्रस
11.	चेक गणराज्य
12.	डेनमार्क
13.	फिललैंड
14.	फ्रांस
15.	जर्मन संघीय गणराज्य
16.	यूनान
17.	हंगारी
18.	इन्डोनेशिया
19.	आयरलैण्ड
20.	इजरायल
21.	इटली
22.	जापान
23.	जोर्डन
24.	कजाकस्तान
25.	केन्या
26.	किरगीज गणराज्य
27.	लीबिया
28.	मलेयशिया
29.	माल्टा
30.	मारीशस

1	2
31.	मंगोलिया
32.	मोरक्को
33.	नामिबिया
34.	नेपाल
35.	द नीदर लैंडस
36.	न्यूजीलैंड
37.	नार्वे
38.	ओमान
39.	फिलीपाइन्स
40.	पौलेण्ड
41.	पुर्तगाल
42.	कत्तर
43.	रोमानिया
44.	रूसी संघ
45.	सिंगापुर
46.	दक्षिणी अफ्रीका
47.	दक्षिणी कोरिया
48.	स्पेन
49.	श्री लंका
50.	स्वीडन
51.	स्वीस परिसंघ
52.	सीरिया
53.	तंजानिया
54.	थाइलैंड
55.	ट्रिनीडाड एवं टोबेगो
56.	तुर्की
57.	तुर्कमेनिस्तान
58.	यूक्रेन
59.	संयुक्त अरब अमीरात
60.	संयुक्त अरब गणराज्य (मिश्र)
61.	यू.के.
62.	संयुक्त राज्य अमेरीका
63.	उजबेकिस्तान
64.	वियतनाम
65.	जाम्बिया

(ख) दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार (भारत के राजपत्र में यथा-अधिसूचित) उन देशों की सूची जिनके साथ भारत की सीमित दोहरे कराधान के परिहार की संधिया (वायु और जहाजरानी उद्यमों से आय तक सीमित हैं) हैं।

क्रमांक	देश का नाम
1.	अफगानिस्तान
2.	इथोपिया
3.	ईरान
4.	कुवैत
5.	लैबनान
6.	पाकिस्तान
7.	पी.डी आर. यमन
8.	सऊदी अरब
9.	यूनाइटेड
10.	यमन अरब रिपब्लिक

लेखा परीक्षा टिप्पणी

3745. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में 27 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेखा परीक्षा टिप्पणी को दूर करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या-12 में उल्लेखित विभिन्न टिप्पणियों का जवाब नहीं दे पा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लेखा टिप्पणियों का जवाब कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ने 2002 की रिपोर्ट संख्या 12 में 1099 ममलों को शामिल किया है जिसमें से 638 मामलों में मंत्रालय पहले ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उत्तर भेज चुका है। शेष मामलों की उनकी सत्यता, कर प्रभाव अथवा अन्यथा, जैसा भी मामला हो, संदर्भ सहित क्षेत्रीय कार्यालयों और मंत्रलय में जांच की जा रही है।

(ग) ये लेखा परीक्षा प्रेक्षण देश भर में फैले आयकर आयुक्तालयों द्वारा मुख्यत: प्रत्यक्ष कर पर किए गए निर्धारणों से संबंधित हैं। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की उत्पत्ति और उनके निपटान की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ईकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर मामलों को निपटाया जाए। इन मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। निपटान की प्रगति की मानीटरिंग मंत्रालय में वरीय स्तर पर की जाती है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) के अंत तक, शेष लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिए जाएंगे।

सरकार द्वारा लिया गया ऋण

3746. डा. वी. सरोजा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार का सकल ऋण कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष में अब तक लिया गया ऋण पूरे वित्तीय वर्ष के बजट का 78 प्रतिशत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने की इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राजकोष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने 5 दिसम्बर, 2002 तक 125000 करोड़ रुपए के सकल बाजार उधार निष्पन्न कर लिए हैं जो वर्ष 2001-02 की इसी अवधि के दौरान निष्पादित 99.47 प्रतिशत की तुलना में ब.अ. 2002-03 का 87.55 प्रतिशत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा लघु वित्तपोषण

3747. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और अन्य कार्यों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने हेतु लघु वित्तपोषण प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितना वितरण किया गया;

(ग) क्या एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कोचिंग और पूर्व-परीक्षा कोचिंग योजना का भी वित्तपोषण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो धनराशि का वितरण किस तरह किया जाता है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी):(क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान सिलाई, बुनाई, तथा कसीदाकारी व्यसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना नामत: महिला समृद्धि योजना चलाई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत उनकी चलती पूंजी की जरूरतों के लिए लघु ऋण हेतु उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है। चूंकि यह योजना वर्ष 2002-03 के दौरान शुरू की गई है इसलिए, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान संवितरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग)जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

3748. डा. बलिराम: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय की स्वीकृत हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और चालू वर्ष के दौरान ऐसे अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरे क्या हैं और इनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश की 37 परियोजनाएं/प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय से स्वीकृत के लिए लम्बित हैं।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के लम्बित रहने के कारण प्रलेखन तथा संबंधित गैर-सरकारी संगठनों से मांगे गए स्पष्टीकरण हैं।

(ग) प्रार्थी संगठन की ओर से संबंधित क्षेत्र में अपर्याप्त अनुभव, वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक क्षमता के संदर्भ में अपात्रता, अपूर्ण दस्तावेज तथा क्षेत्र में उसी प्रकार की परियोजनाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना जो प्रार्थी स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रस्तावित हैं, जैसे कारणों से वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 116 प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

आई.डी.बी.आई. द्वारा ऋण वसूली

3749. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने वृहत् ऋण वसूली अभियान शुरू किया है और कुछ बड़े चूककर्ताओं को वसूली नोटिस भेजें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बड़ी कंपनियों जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अन्य चूककर्ताओं से सार्वजनिक धनराशि की वसूली हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) 30 नवम्बर, 2002 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने 31 अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के मामलों में रकम वसूल करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किए हैं।

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुरूप सरकारी वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इन उधारकर्ताओं से कुल 2600 करोड़ रुपए (बकाया मूलधन 1374 करोड़ रुपए) की रकम की मांग की है।

(घ) ऐसे अन्य चूककर्ताओं से अपनी बकाया देयराशियों की वसूली करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 ऋण वसूली अधिकरणों और न्यायालयों का आश्रय लेना उधारकर्ताओं अर्थात बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

एक समान संवर्धन नीति

3750. श्री रामजीवन सिंह:
श्री रामदास आठवले:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंको ने उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों के लिए एक समान संवर्धन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये वाणिज्यिक बैंक इस नीति का उचित क्रियान्वयन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सुलतानपुर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में इस नीति का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है जो बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करके सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एक समान पदोन्नति नीति बनाई है और इसे वर्ष 1998 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। सभी प्रायोजक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुक्त नीति और सरकार/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को कार्यान्वित करें।

(घ) और (ङ) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि समय-समय पर बैंक की आवश्यकता के अनुसार पदोन्नति नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रसीद बुक की कमी

3751. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में जमा संबंधी रसीद बुक की भारी कमी के कारण राष्ट्रीय बचत योजना के एजेंटों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अभिकर्ता प्राप्ति बहियों की कमी के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इन प्राप्ति बहियों का मुद्रण सरकारी मुद्रणालयों द्वारा किया जाता है तथा जिनकी राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा देशभर में आपूर्ति की जाती है। लघु बचत अभिकर्ताओं को प्राप्ति बहियों की यथेष्ट तथा समय पर आपूर्ति कराने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

(ग) इस संबंध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में उपभोक्ता न्यायालय

3752. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद निबटान आयोग के हाल के निर्णय के विरुद्ध अपील करेगी जिसने यह निर्णय दिया है कि सिर्फ अधिवक्ता ही उपभोक्ता न्यायालय में दावेदारों का प्रतिनिधित्व कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता न्यायालय में दावेकर्त्ताओं के प्रतिनिधित्व के विधिक रवैये के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचारों में भिन्नता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीविनास प्रसाद): (क) और (ख) वादी-परिवादी-उपभोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि के अधिवक्ता न होने के कारण उसके सुनवाई के अधिकार पर प्रतिबंध संबंधी तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर पहले ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 2002 की पुनरीक्षण याचिका सं. 1017 में रोक लगा दी है। तदनुसार, सरकार का मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को इस मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों क विचारों में भिन्नता के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, जैसा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सूचित किया गया है, बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति आयोग के रिकार्ड में रख ली गई है जो सम्भव: तमिलनाडु राज्य आयोग के विचारों का समर्थन नहीं करता है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए अनाथालय

3753. श्रीमती हेमा गमांग: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और विनाशकारी चक्रवात एवं साम्प्रदायिक दंगे आदि के कारण असहाय हुए बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु अनाथालयों में उनके पालन-पोषण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में अनाथालयों में ऐसे कितने बच्चों को पाला-पोसा जा रहा है;

(ग) क्या इन बच्चों के वयस्क हो जाने पर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प तथा विनाशकारी तूफान और साम्प्रदायिक दंगों आदि के कारण असहाय हुए अनाथालयों में पल रहे बच्चों सहित निराश्रित बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न याजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

यह मंत्रालय "देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों, जो या तो परित्यक्त है या अनाथ हैं की देखभाल और संरक्षण करने तथा उन्हें देश के भीतर दत्तकग्रहणों के माध्यम से अन्तिम रूप से पुनर्वास करने के लिए गृहों (शिशु गृहों) की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है। यह मंत्रालय दो अन्य योजनाएं अर्थात् "बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम" और "समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) यह मंत्रालय देश में अनाथ बच्चों की संख्या के संबंध में कोई डाटाबेस नहीं रखता क्योंकि अनाथालयों को राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत किया जाता है तथा उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, जिसे इस मंत्रालय द्वारा शासित किया जा रहा है, के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण के जरूरद मंदों सभी बच्चों के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस मंत्रालय की योजना अर्थात किशोर न्याय के लिए एक कार्यक्रम जिसे उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है, के अंतर्गत राज्य सरकारों को उक्त अधिनियम के तहत परिकल्पित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना संबंधी कुल लागत के 50% की सीमा तक अनुदान दिए जाते हैं। अनाथ तथा निराश्रित बच्चों को विभिन्न उपायों जैसे दत्तक ग्रहण/प्रायोजन/फोस्टर देखभाल/शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से पुनर्वासित करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

औद्योगिक मंदी

3754. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी लंबे समय तक से औद्योगिक मंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति कब से चल रही है और तत्संबंधी मूल कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1998 से अक्तूबर, 2002 तक उद्योगों के विकास, रुग्ण उद्योगों के पुररुद्धार और उन्हें ऋण प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप मंदी की स्थिति में किस हद तक सुधार हुआ है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने लाइसेंस प्रदान किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) कोई अर्थव्यवस्था मंदी की अवस्था में तब कही जाती है, जब दो क्रमिक तिमाहियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की जाए। अर्थव्यवस्था और उद्योग में कोई मंदी की स्थिति नहीं है। पिछले दशक के दौरान भारतीय उद्योग में धनात्मक वृद्धि दरें दर्ज की जाती रही हैं।

(ग) सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

* रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में, रुग्ण कंपनियों के व्यवस्थित और समयबद्ध पुनरुद्धार करने के लिए एक वैकल्पिक ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002-2003 के लिए अपनी वित्तीय और उधार नीति की मध्यावधि-सीमा में अपनी सस्ती वित्तीय नीति जारी रखी है। इसने वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय व संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने तथा ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से कई उपायों की घोषणा की है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) को 5.0% से घटाकर 4.75% कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जिससे मौद्रिक स्थिति में और सुधार आयेगा।

* प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए केलकर समिति ने सुधारों की सिफारिश की है, जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ लेन-देन की लागतों में 50 प्रतिशत तक की कमी आने की आशा है।

* व्यापक विद्युत क्षेत्र में सुधारों की सुविधा हेतु, संसद में मसौदा विद्युत विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

* केन्द्रीय बजट 2002-03 में कुछ प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन किये गये हैं, जिनसे मांग में वृद्धि होगी, विशेषकर निर्माण, आवास, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों में। इन स्कीमों में ये शामिल हैं- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचनात्मक सुविधा इक्विटी कोष, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष, शहरी समस्या (सिटी-चैलेंज) कोष तथा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम।

* वर्ष 2002-07 की मध्यम अवधि निर्यात रणनीति में, निर्यात हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्षेत्र-वार रणनीतियों की भी घोषणा की गयी है। जिनमें शामिल हैं- इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रोनिक/वैद्युत तथा संबद्ध क्षेत्र, वस्त्र रत्न और आभूषण, रसायन तथा संबद्ध क्षेत्र।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तरोत्तर उदारीकरण के साथ ही लाइसेंसों की आवश्यकता कम हो गयी है। जनवरी, 1998 से अक्तूबर, 2002 तक प्रदान किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	1998	1999	2000	2001	2002 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6
अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	8	6	10	4	7
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	1
बिहार	1	1	0	1	0
छत्तीसगढ़	1	0	0	0	1
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	1	0	0	2	1
दमन और दीव	0	1	0	0	0
दिल्ली	1	0	2	0	0
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	4	6	4	2	3
हरियाणा	3	5	15	8	1

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	1	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0
कर्नाटक	4	3	6	2	2
केरल	1	3	0	1	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	1	0	0	1
महाराष्ट्र	5	9	9	6	2
मणिपुर	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	
उड़ीसा	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	3	10	6	2	4
राजस्थान	0	1	1	1	0
सिक्किम	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	21	21	29	19	10
उत्तर प्रदेश	5	10	12	3	0
उत्तरांचल	1	0	0	0	0
पश्चिमी बंगाल	0	2	2	0	2
एक से अधिक राज्य में	0	2	3	0	2
योग	62	81	101	51	37

मध्य प्रदेश में धान की खरीद

3755. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धान की खरीद में मध्य प्रदेश की एजेंसिया घाटा उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने में राज्य की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वसूल किये गए खाद्यान्नों को अतत: भारतीय खाद्य निगम द्वारा ले लिया जाता है। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम उन्हें सांविधिक प्रभार, भण्डारण प्रभार, धान के मामले में मिलिंग प्रभार, ब्याज, मंडी श्रम की लागत, बोरियों की लागत, प्रशासनिक प्रभार, सांविधिक कर/उपकर आदि जैसे प्रांसगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पूर्व मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हो जाने के परिणामस्वरूप, 86% मिलिंग क्षमता छत्तीसगढ़ राज्य में चली गई है और मध्य प्रदेश राज्य के पास धान के लिए केवल 14% मिलिंग क्षमता बची है। इसके कारण राज्य एजेंसियां राज्य के बाहर प्राइवेट मिल मालिकों के माध्यम से धान की मिलिंग करके चावल निकालने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकार के अनुसार इससे वसूली एजेंसियों पर वित्तीय दबाव पड़ रहा है।

(ग) धान की मिलिंग कराने में आ रही इसमस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2000-01 और 2001-02 के दौरान वसूल की गई मिलिंग न हुई शेष धान का निपटान निविदा के माध्यम से करने की अनुमत दी थी। राज्य सरकार से कहा गया था कि धान की शेष मात्रा जिसका निपटान नहीं किया जा सका है उससे रा चावल निकाल लिया जाए। राज्य सरकार के विचारों, मौजूदा स्थिति और भारतीय खाद्य निगम की सीमित क्षमता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि खरीफ विपणन मौसम 2002-03 के दौरान भारतीय खाद्य निगम चम्बल और ग्वालियर प्रभाग तथा जबलपुर प्रभाग में 22 केन्द्रों पर किसानों से सीधे धान की वसूली करेगा। राज्य के अन्य हिस्सों में मध्य प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम की ओर से एक एजेंट के रूप में धान की वसूली करेगी। धान की मिलिंग करने के लिए सरकार ने एम.पी. राईस प्रोक्योरमेंट लेवी आर्डर 1970 को जारी रखने की सहमति भी दे दी है।

धुलाई साबुन में पशु चर्बी का इस्तेमाल

3756. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से आयातित धुलाई के साबुनों में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.आई.एस. घोटाला

3757. श्री नरेश पुगलिया:
श्री वेंब्रिसेलवन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरों आफ इंडियन स्टैन्डर्ड (बी.आई.एस) के कुछ आधिकारियों को करोड़ों रुपए के प्रयोगशाला उपकरण खरीद घोटाले संबंधी रिपोर्ट में दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो बी.आई.एस. के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) वैज्ञानिक विभागों के लिए प्रधान लेखा नियंत्रक द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की 1993 से 1998 की अवधि के लिए की गई लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि भारतयी मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में विभिन्न उपकरणों को चालू करने में देरी हुई और उनका अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल किया गया। विभाग द्वारा मामले में की गई जांच से इस बात की पुष्टि हुई की उपकरणों के संस्थापन और उनको चालू करने में देरी हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

कुक्कुट और कुक्कुट मांस उत्पादन पर पाटनरोधी शुल्क

3758. श्री के येरननायडू: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुक्कुट और कुक्कुट मांस उत्पादन के आयात पर 150% पाटनरोधी शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) चिकन और चिकन मांस उत्पादों पर 150% पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से अप्रैल, 2001 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने पशुपालन और डेयरी विभाग को यह सलाह दी थी कि घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एक याचिका दायर करने के लिए अनुरोध किया जाए जिसमें प्रथम दृष्टया पाटन, क्षति और आयातित माल के पाटन तथा घरेलू उद्योग हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का साक्ष्य दिया गया हो। अभी तक, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय में कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

अंत्योदय अन्न योजना

3759. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवारों को शामिल किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर कर्नाटक सरकार ने उक्त योजना में परिवर्तन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किए गए परिवारों की राज्य-वार संख्या बताने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने पुरातन (प्रीमिटिव) आदिवासी समूह और अकिंचनों की कुछ श्रेणियों को अंत्योदय अन्न योजना के अधीन शामिल करने का अनुरोध किया है।

विवरण

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किए गए परिवारों की संख्या

(आंकड़ें लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों/अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.15
3.	असम	2.81
4.	बिहार	10.00
5.	छत्तीसगढ़	2.73
6.	दिल्ली	0.30
7.	गोवा	0.06
8.	गुजरात	3.25
9.	हरियाणा	1.13
10.	हिमाचल प्रदेश	0.79
11.	जम्मू-कश्मीर	1.13
12.	झारखंड	3.66
13.	कर्नाटक	4.80

1	2	3
14.	केरल	2.71
15.	मध्य प्रदेश	6.32
16.	महाराष्ट्र	10.02
17.	मणिपुर	0.25
18.	मेघालय	0.28
19.	मिजोरम	0.10
20.	नागालैंड	0.19
21.	उड़ीसा	5.05
22.	पंजाब	0.72
23.	राजस्थान	3.73
24.	सिक्किम	0.07
25.	तमिलनाडु	7.16
26.	त्रिपुरा	0.45
27.	उत्तर प्रदेश	16.37
28.	उत्तरांचल	0.76
29.	पश्चिमी बंगाल	5.59
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.04
31.	चंडीगढ़	0.03
32.	दादरा और नागर हवेली	0.03
33.	दमन और दीव	0.01
34.	लक्षद्वीप	0.004
35.	पांडिचेरी	0.09
	जोड़	97.01

[हिन्दी]

खाद्य बैंक में भ्रष्टाचार

3760. श्री सुबोध राय:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में "अन्न बैंक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) सरकार प्रश्न में संदर्भित समाचार से अवगत है। समाचार, अन्न बैंक योजना से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि जनजातियों के लिए आरक्षित खाद्यान्न खुले बाजार में बेचा जाता है और जनजातियों को घटिया खाद्यान्न दिया जाता है। तथापि, मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

देशी और विदेशी ऋण

3761. श्री रामसिंह कस्वां: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश पर कितना देशी और विदेशी ऋण है;

(ख) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऋण पर कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या सरकार देश पर ऋण बोझ को कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 909.052 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-03 (बजट अनुमान) में केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण 1,021,739 करोड़ रुपए

अनुमानित है। भारत का विदेशी ऋण मार्च अंत 2002 में 98.1 बिलियन अमरीकी डालर (478,915 करोड़ रुपए) था, जिसमें सरकारी ऋण 43.5 बिलियन अमरीकी डालर (212,499 करोड़ रुपए) था।

(ख) वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 88,517 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-03 (बजट अनुमान) में विदेशी ऋण पर ब्याज अदायगी 99,011 करोड़ रुपए है। सरकारी विदेशी ऋण पर ब्याज अदायगी वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान) के 4317 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-03 (बजट अनुमान) 4320 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ग) और (घ) देश पर आंतरिक ऋण बोझ को कम करने के लिए केन्द्र सरकार, जैसा कि वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में रेखांकित किया गया है, एक राजकोषीय औचित्य कार्यनीति का पालन कर रही है, जिसका उद्देश्य कर-राजस्व को बढ़ाना, कर-भिन्न प्राप्तियों में सुधार करना और आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि को संयत करना है। ऋणों को नियंत्रित सीमाओं में रखने के लिए सरकार एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का भी पालन करती है। रियायती और कम महंगे विदेशी ऋणों पर, संकेन्द्रित बहुपक्षीय/द्विपक्षीय स्रोतों से विदेशी ऋण प्राप्त करना, अल्पावधि ऋण को सीमित रखना, अधिक महंगे ऋण का पूर्व-भुगतान करना तथा चालू खाते पर निर्यात और अदृश्य मदों और पूंजी खातों पर ऋण-भिन्न प्रवाह सृजन को बढ़ावा देना इस नीति के मुख्य तत्व हैं।

[अनुवाद]

निर्यात लाइसेंस का दुरूपयोग

3762. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कई फर्मों ने बंद फर्मों के निर्यात लाइसेंस का दुरूपयोग कर विभाग को झांसा दिया है;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या है जिन्होंने यह शिकायत की है कि उनके लाइसेंस का दुरूपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों या फर्मों की पहचान कर ली है जिन्होंने बंद फर्मों के निर्यात लाइसेंस का दुरूपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) बन्द फर्मों के निर्यात लाइसेंसों के दुरूपयोग के ऐसे कोई मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पवन चक्की के आयात पर सीमा शुल्क

3763. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना केवल 5% सीमा शुल्क पर पवन चक्की के पंखों के आयात की अनुमति है जबकि पंखों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल का आयात 16% अतिरिक्त शुल्क के भुगतान द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) पवन टरबाइन के पंखों अर्थात् पवन संचालित विद्युत जनरेटरों के रोटर के पंखों पर 5% मूल सीमा शुल्क लगता है। इन पर कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगता है क्योंकि, ऐसे पंखों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसे पंखों के लिए कच्ची सामग्रियों पर भी 5% सीमा शुल्क लगता है और उन पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की अदागी से पूर्ण छूट प्राप्त है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना

3765. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश ने कृषि और संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण से बीज लेकर गेहूं और मसालों के लिये कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक बीजों वाले मसालों के लिए कृषि निर्यात जोन (एईजैड) का संबंध है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा दिनांक 28.11.2002 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जहां तक गेहूं के लिए एईजैड के प्रस्ताव का संबंध है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है।

[अनुवाद]

कर ढांचे के अध्ययन कार्यदल

3766. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उस पेचीदे कर ढांचे और राज्य की उन विविध नीतियों का अध्ययन करने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो नीतियां अल्कोहल आधारित उद्योग के अनुकूल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कराधान संरचना को युक्तियुक्त बनाने तथा अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर उत्पाद शुल्क से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय नीति का माडल विकसित करने हेतु गठित संयुक्त कार्य दल ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, इसने आयतित अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर सीमा शुल्क से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट में, संयुक्त कार्य दल ने श्रेणियों के साथ-साथ आयातित अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए लागू अतिरिक्त सीमा शुल्क की दरों में संशोधनों की सिफारिशों की है।

(ग) और (घ) यह कार्य जटिल तथा व्यापक स्वरूप का है जिसके लिए भारत सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। इसलिए, इस स्तर पर दल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बताना तथा सरकार के लिए इसमें इसकी सिफारिशों पर मत बनाना कठिन है।

जिला पुनर्वास केन्द्र

3767. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नि:शक्तों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना और दूरदराज के क्षेत्रों से इस लाभ से वंचित लोगों तक ऐसी सेवायें पहुंचाने हेतु समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रों की स्थापना हेतु सभी जिलों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी जिलों का कब तक चयन कर लिया जायेगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा तथा अनन्तपुर, कृष्णा और विशाखापत्तनम स्थित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम, 1999 में शुरू की गई एक राज्य क्षेत्र योजना, के अंतर्गत देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो जिलों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा तथा विजयनगरम का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रति ग्राम पंचायत दो समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं का प्रावधान है। कृष्णा जिले में समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं (सी.बी.आर.डब्ल्यू.) के उपयुक्त प्रशिक्षण का प्रावधान है।

ग्रेटर अंडमान की आदिवासी जनसंख्या

3768. श्री राजकुमार वंग्वा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रेटर अंडमान के द्वीपों और जरवार में रहने वाली स्थानीय जनजातीयों के लोग बिल्कुल कम होते जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण निवासियों द्वारा भूमि को छोड़ना है;

(ख) यदि हां, तो निवासियों का वहां से जाना रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है; और

(ग) द्वीपों की विकास संबंधी गतिविधियों में विभिन्न जनजातियों को शामिल किए जाने हेतु वर्तमान विचारधीन योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। जनगणना आंकड़ो से यह पता चलता है कि ग्रेट अंडमानियों की संख्या 1961 में 15 से बढ़कर, 1991 में 32 हो गई है। इसी प्रकार, जरवारों की संख्या 1981 में 31 से बढ़कर, 1991 में 89 हो गई। इस तरह इन समूहों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तथापि, भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकत्ता के निर्देश के अंतर्गत एक समिति गठित की है जो हाल ही में जरवारों के रहन-सहन में हुए परिवर्तनों की जांच करेगी और उनके विलोपन या सांस्कृतिक पहचान लुप्त होने से रोकने के उपाय सुझाएगी।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उपयोजना रणनीति के अंतर्गत कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, पशुपालन, वन शिक्षा और लघु उद्योगों आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लघु और सीमान्त किसानों को ऋण

3769. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को गैर-उत्पादक ऋण सुविधायें उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा इस मद में कितना ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि समाज के गरीब वर्गों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋण देने के लिए एक योजना 1976 से परिचालन में है। योजना अन्य लोगों के साथ-साथ छोटे एवं सीमान्त किसानों पर भी लागू है। योजना के अंतर्गत उपभोग प्रयोजनों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कुल वित्त प्रतिवर्ष प्रति परिवार 1000.00 रुपये से अनधिक होगा, परन्तु यह भी शर्त है कि प्रयोजन-वार उच्चतम सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें ऋण सोने/ चांदी के आभूषणों की जमानत के बदले प्रदान किया जाता है क्योंकि इनके उच्चतम सीमा प्रति परिवार 2000.00 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों की छोटी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा उपभोग ऋण के लिए जिला स्तर पर एस जी एस वाई निधियों के 1 प्रतिशत से साथ एक जोखिम निधि का सृजन किया गया है। योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों से प्रतिस्वरोजगारी 2000/- रुपये से अनधिक का उपभोग ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ करना है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों को वर्ष के दौरान उपर्युक्त समूहों को उनके द्वारा संवितरित किए गए कुल उपभोग ऋणों की 10 प्रतिशत की सीमा तक जोखिम निधि सहायता उपलब्ध की जानी है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शुद्ध उपभोग ऋण योजना के अधीन कमजोर वर्गों को उपभोग ऋणों के संबंध में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 68601.59 लाख रुपये की राशि बकाया थी। एस जी एस वाई के अधीन उपभोग ऋणों के रूप में बैंकों द्वारा उपलब्ध किए गए ऋणों के ब्यौरे की अलग से निगरानी नहीं की जा रही है अत: इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थसेवा के संवर्ग का पुनर्गठन

3770. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने भारतीय अर्थसेवा के संवर्ग के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। सिफारिशों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कई स्तरों पर पदों का संवर्गीकरण/ उन्नयन, केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में वरिष्ठ प्रशासनिक गेरेड स्तर पर भारतीय आर्थिक सेवा का प्रतिनिधित्व सुधारना, भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों पर भारतीय आर्थिक सेवा बोर्ड के निर्णयों को बाध्यकारी बनाना और संवर्ग पदों पर सभी नियंत्रण संवर्ग नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी में निहित करना शामिल है।

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से अगस्त, 2000 में संवर्ग समीक्षा हुई थी, जिसमें अन्य बातों से साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कई स्तरों पर पदों का सृजन/उन्नयन/संवर्गीकरण और संवर्ग नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी के आदेशों को भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों पर बाध्यकारी करना शामिल था।

सामान्य वित्त नियम

3771. **श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य वित्त नियम सांविधिक किस्म के हैं और उन्हें कार्यकारी निर्देश या आदेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या जी.एफ.आर. में संशोधन के बिना निविदा आमंत्रित किए जाने के बारे में तत्संबंधी अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया को हटाकर उक्त नियमों के बदले नए नियम बनाए गए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) स्थिति में सुधार करने और भंडार खरीद में छूट को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या जी.एफ.आर. को बदलने के मामले की जांच करने और इसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) सामान्य वित्त नियम सांविधिक किस्म के नहीं है और उन्हें कार्यकारी निर्देश या आदेश से बदला जा सकता है। तद्नुसार, सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.7.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके संबद्ध एवं अधीनस्त कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन-सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में यह छूट सुपर बाजार तथा एन.सी.सी.एफ. के लिए बढ़ा दी गई थी। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए इस कार्यालय ज्ञापन को वापिस लेने के द्वारा इन तीन संगठनों को दी गई मौजूदा विशेष छूट की समीक्षा की प्रक्रिया तथा इन तीनों एजेंसियों को दी जाने वाली प्राथमिकता की जांच की जा रही है। सामान्य वित्तीय नियमों के स्थान पर अन्य नियम लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नमक का निर्यात

3772. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में नमक के निर्यात की असीम संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में मात्र चढ़ाने-उतारने संबंधी अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) नमक के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

(i) नमक उपकर अधिनियम, 1953 के अंतर्गत समुद्री/रेल द्वारा नमक का निर्यात उपकर से मुक्त है।

(ii) रेल द्वारा आयोडीकृत नमक और साधारण नमक के निर्यात को रेलवे उच्चतर प्राथमिकता 'ख' दे रहा है।

(iii) केवल अच्छी गुणवत्ता वाले नमक के निर्यात का सुनिश्चिय करने के लिए खाद्य और औद्योगिक नमक के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए थे।

(iv) आयोडीकृत नमक के निर्यात पर से 5 लाख मीट्रिक टन की मात्रात्मक सीमा वर्ष 1992 में हटा ली गयी है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार ट्रेडिंग हाउसिज तथा एक्सपोर्ट हाउसिज को, नमक की पोत-लगान से पूर्व अनिवार्य जांच के दायरे से, मुक्त कर दिया गया है।

(vi) नमक आयुक्त का कार्यालय निर्यात योग्य प्रमाण-पत्र मुफ्त जारी करता है।

(vii) नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नमक शोधनशालाओं/धोवनशालाओं (वाशरिज) की स्थापना करने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(viii) नमक के निर्यात को प्रोत्साहित करने और निर्यातकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से निर्यात पुरस्कार योजना, 2002 शुरू की गई है।

(ग) कच्छ क्षेत्र में पत्तन जाखव पर आधुनिक नमक लादान वाहक प्रणाली वाली एक नमक निर्यात जेटी की स्थापना 250.00 लाख रुपये की लागत से की गई है।

इसके अतिरिक्त सामान्य कारगो के लिए आधुनिक वाहक सुविधाओं वाले मुंडा और पिपवव नामक दो आधुनिक पत्तनों का विकास किया गया है, जिनका नमक का लादान करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

लघु बचत योजनाओं के एजेंट

3773. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बचत पत्र और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटो द्वारा एक दिन में एकत्रित और जमा कराये जाने वाली अधिकतम धनराशि के बारे में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उल्लिखित अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। लघु बचत अभिकर्ताओं द्वारा किसी एक दिन में संगृहीत एवं प्रेषित की जा सकने वाली अधिकतम राशि की कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षेत्र हेतु नाबार्ड से ऋण

3774. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी ऋण सहायता दी गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई डी एफ) से राज्यों में सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक आर आईडीएफ-1 से 7 के तहत नाबार्ड द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए संवितरित वित्तीय सहायता की राशि के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

आर आई डी एफ-I से आर आई डी एफ I/II के तहत नाबार्ड द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए संवितरित राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	राज्य	आरआई डीएफ-I	आरआई डीएफ-II	आरआई डीएफ-III	आरआई डीएफ-IV	आरआई डीएफ-V	आरआई डीएफ-VI	आरआई डीएफ-VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	39.21	65.48	96.34	109.48	147.36	113.50	144.36
2.	असम	—	—	—	—	35.39	42.64	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	24.60
4.	छत्तीसगढ़	9.90	33.62	7.82	13.39	28.49	22.05	20.16
5.	गोवा	2.77	4.08	0.00	0.89	2.21	1.32	0.35
6.	गुजरात	31.00	90.13	57.45	57.24	55.17	36.66	17.03
7.	हरियाणा	0.00	14.48	38.21	15.78	25.48	47.23	62.91
8.	हिमाचल प्रदेश	1.80	11.94	9.84	10.27	11.49	22.90	16.11
9.	जम्मू-कश्मीर	0.62	0.00	5.42	6.46	3.34	7.46	14.83
10.	झारखण्ड	—	—	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00
11.	कर्नाटक	23.06	66.61	40.80	24.04	32.97	45.90	34.96
12.	केरल	7.87	53.48	17.65	16.65	19.79	9.03	17.13
13.	मध्य प्रदेश	26.78	84.72	54.88	51.95	59.55	98.47	170.91
14.	महाराष्ट्र	82.01	136.83	68.05	20.57	56.90	96.19	68.71
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.39
17.	मिजोरम	0.00	0.39	1.97	0.00	2.19	1.45	0.00
18.	नागालैंड	0.00	1.38	0.00	0.00	1.71	1.04	1.79
19.	उड़ीसा	27.48	71.42	63.62	34.41	79.78	35.64	31.70
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	43.23	57.08	19.65	58.72	43.40	69.89	124.21
22.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
23.	तमिलनाडु	—	0.00	0.06	0.50	0.96	1.33	29.32
24	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	30.66	191.59	57.78	53.49	97.11	148.29	160.34
26.	उत्तरांचल	—	—	—	0.00	0.00	1.95	0.00
27.	पश्चिमी बंगाल	14.52	54.32	5.76	14.16	26.72	28.91	10.64
	योग	340.71	937.55	546.26	488.00	744.96	834.99	950.45

स्वचालित गणक मशीनें

3775. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारपोरेशन बैंक और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के बीच अपनी स्वचालित गणक मशीनों का आपस में प्रयोग करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों को इस तरह की व्यवस्था से क्या लाभ हुये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स और कारपोरेशन बैंक ने स्वचालित गणक मशीनों (ए टी एम) को सम्मिलित रूप से प्रयोग करने के लिए दिनांक 12.11.2002 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, दोनों बैंकों के ए टी एम नेटवर्क संबंधित स्विचों से जोड़े जाएंगे। इससे दोनों बैंकों के ग्राहकों के लिए ए टी एम नेटवर्क का विस्तार होगा।

(ग) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स और कारपोरेशन बैंक का उत्तर एवं दक्षिण में काफी विस्तार है और ए टी एम को सम्मिलित रूप से प्रयोग करने से दोनों बैंकों के पूंजीगत खर्च में कमी आएगी और इससे ग्राहक सेवा में सुधार होगा।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय

3776. श्री वाई.जी महाजन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंकों के विलय संबंधी कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीआनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। नेदुंगड़ी बैंक लि. को इसकी खराब होती वित्तीय स्थिति के कारण अधिस्थगनाधीन रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेदुंगड़ी बैंक के पंजाब नैशनल बैंक में समामेलन की प्रारूप योजना इन बैंकों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई है। अंतिम निर्णय इन बैंकों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम में विसंगतियां

3777. श्री बीर सिंह महतो:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में खाद्यान्नों की बिक्री करने हेतु नियुक्त किए गए भारतीय खाद्य निगम के विपणन अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की मिली-भगत से अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जानकारी में आए/सूचित किए गए/बताए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कितने मामले भेजे गए और कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के संचालन के सुचारू बनाने और भष्ट्राचार को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार को अपनाए गए उपायों के माध्यम से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां। 1996-97 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के प्रचालन में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ अनियमितताएं ध्यान में आई थीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999, 2000 और 2001 के लिए अपेक्षित सूचना शून्य है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम में एक स्थायी सर्तकता प्रभाग है जो सरकार द्वारा विहित नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है। सरकार सतर्कता के संबंध में वार्षिक कार्य योजना

और तीन आयामी नीति अर्थात रोकथाम, निगरानी और दण्डात्मक का सुझाव देते हुए भारतीय खाद्य निगम के लिए भष्ट्राचार निरोधी उपाय भी तैयार करती है। इसके अलावा यदि आवश्यक समझा जाता है तो भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की स्थल पर जांच करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को भी भेजा जाता है। भारतीय खाद्य निगम और मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की सतत निगरानी के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम में भष्ट्राचार नियंत्रण में आया है और यथा संभव सीमा तक इसके प्रचालन कारगर हुए हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के विकास हेतु योजनाएं

3778. **श्री रतनलाल कटारिया:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री राजेन गोहेन:
श्री राजो सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अ.जा/अ.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु इनके मंत्रालय की योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) प्रत्येक राज्य को आवंटित कुल धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

लंबित शिकायतें

3779. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** डी.सी.ए. और राज्य द्वारा शिकायतों के निपटान के बारे में 2.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3021 के उत्तर से संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 से पूर्व लंबित शिकायतों की संख्या क्या थी;

(ख) इन शिकायतों को कब तक निवारण किये जाने की संभावना है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार कितने मामलों में कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर कितने समय बाद दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) तीन वर्षों (1.4.96 से 31.3.99) के दौरान कुल 40,301 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 19,956 को निपटा दिया गया था और ऐसी 20,345 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 1956 में शिकायतों के निपटान के लिए कोई समय सीमा नहीं है, उन्हें शीघ्रता से निपटाए जाने के प्रयत्न किए जाते हैं।

(घ) यदि कंपनियों के द्वारा समुचित समय में शिकायतों को सुना नहीं जाता है तो कंपनी अधिनियम के संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के लिए उनके विरूद्ध शास्तिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।

कंपनियों के तुलनपत्र

3780. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 70% भारतीय कंपनियां धोखाधड़ी से अपने तुलनपत्र में घाटा दिखा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सही और वास्तविक लेन देन संबंधी रिकार्ड रखने हेतु कंपनियों को बाध्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कई कंपनियां विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज भी नहीं रखती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) कंपनी कार्य विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) यदि कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों को नहीं रखती हैं तो अधिनियम से संबंधित उपबन्धों के अंतर्गत उन पर अभियोजन लगाया जा सकता है।

सीमेंट के अधिक मूल्य को बचाना

3781. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत के सह-उत्पादन हेतु ताप की नई तकनीक शुरू करके सीमेंट के अतिरिक्त मूल्य में बचत करने का विचार किया है जिससे विद्युत और ताप ऊर्जा की खपत कम होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान की एक सहायक कंपनी न्यू एनर्जी एंड इन्डस्ट्रियल टैक्नोलाजी डवलपमैंट आर्गेनाइजेशन (एन ई डी ओ) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सीमेंट संयंत्र में बर्बाद होने वाली ताप ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात किया जाएगा। आयातित प्रौद्योगिकी की मदद से सीमेंट संयंत्र बर्बाद हो रही 40 प्रतिशत ताप ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सकेंगे और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

अनुसूचित जाति विकास निगमों को धनराशि

3782. श्री विजय सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस.सी.डी.सी.) को वर्ष 2001-2002 के दौरान कितना धन जारी किया गया;

(ख) उनके मंत्रालय के पास सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास संबंधी योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ग) जब वर्तमान में धनराशि बगैर खर्च किये पड़ी हुई है तो धनराशि जारी करने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस.सी.डी.सी.) को सहायता की योजना और सफाई कर्मचारयों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन.एस.एल.आर.एस.) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान क्रमश: 21.00 करोड़ रु. और 9.20 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) "सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास" योजना के अंतर्गत मंत्रालय के पास कोई व्यय न हुई धनराशि शेष नहीं है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राज्य सरकारों/एस.सी.डी. के पास उपलब्ध धनराशि का विशिष्ट अनुमोदित कार्यकलापों के लिए उपयोग करने के लिए उनसे लगातार आग्रह कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारी, राज्यों का दौरा करते समय, एस.सी.डी. द्वारा की गई प्रगति को भी मानीटर करते हैं। योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के समुचित उपयोग के बारे में राज्य सरकारों/एस.सी.डी. के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें भी की जाती हैं।

[हिन्दी]

डी.ई.पी.बी. दरों में वृद्धि

3783. श्री पी.आर. खुंटे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात हेतु ड्यूटी इनटाइटलमैंट पास बुक दरों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों में सामान्य रूप से वृद्धि करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, यदि वृद्धि के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विधिवत् रूप से अनुशंसित कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर विदेश व्यापार महानिदेशालय में डी.ई.पी.बी. समिति द्वारा विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

रेशम निर्यात में गिरावट

3784. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस सच्चाई की जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में भारतीय रेशम निर्यात के 430 मिलियन डालर के निर्धारित लक्ष्य में गिरावट आने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेशम के निर्यात में संभावित गिरावट के क्या कारण है; और

(ग) इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के लिए भारतीय रेशम निर्यात का लक्ष्य 450 मिलियन अमरीकी डालर है। रेशम निर्यात अगस्त, 2002 तक 181 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। यद्यपि विश्व-मंदी ने निर्यातों को प्रभावित किया है तब भी सरकार लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आशान्वित है।

(ग) सरकार रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है:

(i) अंर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, टैक्स-स्टाइल इंडिया जैसे घरेलू मेलों में सार्वजनिक प्रोत्साहन मंडपों के आयोजन, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, "सिल्क-इंडिया" पत्रिका के प्रकाशन तथा घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग-संबंधी पूर्वसूचना कार्ड, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचनाओं के प्रसार, आदि जैसी विभिन्न निर्यात संवर्द्धन संबंधी गतिविधियों को चलाने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मुंबई को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ii) सरकार द्वारा आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत निर्यातकों के लिए उल्लिखित मूल्य वर्द्धन/आयात-निर्यात मानदण्डों, अग्रिम लाईसैंसिंग योजना के तहत कच्चे माल के शुल्कमुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क की रिआयती दरों पर पूंजीगत सामान के आयात को युक्तिसंगत किया गया है।

(iii) सरकार ने रेशम निर्यात को विकसित करने के लिए, एक निर्यात संवर्द्धन नीति जिसमें बाजार अनुसंधान अध्ययन, उत्पाद विकास व विविधिकरण, अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन, मेलों व प्रदर्शनियों में भागीदारी, गैर-शहतूती रेशम के लिए ब्रांड-वर्द्धन, भारतीय अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन को बढ़ाना, आदि शामिल है, से संबंधित योजना तैयार करने व उसे कार्यान्वित करने के संबंध में परामर्श देने तथा इसकी निगरानी हेतु एक केंद्रीय समूह की स्थापना की है।

(iv) उद्योग के प्रौद्योगिकिय उन्नयन के लिए, वस्त्र क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत रेशम क्षेत्र के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, लागू दर से 5% कम पर ऋण उपलब्ध है।

(v) सरकार ने भारतीय रेशम की गुणवत्ता, इसकी उत्पादकता व लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को अंर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक सुधारने के लिए उच्चकोटि के द्विफसलीय रेशम के उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किया है। रेशम विकास की प्रक्रिया तथा उत्पादन को बढ़ाने की सभी अवस्थाओं की प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लागू करने तथा करघों के सुधार व डिजाइनों में ऐसे सुधार करना जिससे वे देश की निर्यात भागीदारी को बढ़ा सके, में निवेशों सहित विविधिकृत उत्पादों के लिए विभिन्न कैन्द्रीय व केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं लागू की जा रही हैं।

(vi) खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाकर अपरिष्कृत रेशम के आयात को उदार बनाया गया है, जिसके कारण उत्कृष्ट कोटि के रेशम की उपलब्धता बढ़ी है।

हाट स्थापित करना

3785. श्री विक्रम केशरी देव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में दिल्ली हाट की तर्ज पर 16 हाट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये हाट लगाए जाएंगे; और

(ग) इन हाटों को लगाने के लिए उन राज्यों में किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर दिल्ली हाट की तर्ज पर शहरी हाटों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मंजूर किए गए 19 शहरी हाटों के स्थानों की जानकारी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	राज्य का नाम	स्थान
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी
2.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति

1	2	3
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर
4.	गुजरात	गांधीनगर
5.	हरियाणा	उचना, करनाल
6.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एण्ड श्री नगर
7.	झारखण्ड	रांची
8.	केरल	तिरुवंनतपुरम
9.	मध्य प्रदेश	गौहर महल, भोपाल
10.	उड़ीसा	भुनेश्वर
11.	राजस्थान	जोधपुर एण्ड जयपुर
12.	त्रिपुरा	अगरतला
13.	उत्तर प्रदेश	आगरा, कानपुर और लखनऊ
14.	उतरांचल	देहरादून
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

[हिन्दी]

पिछड़ा वर्ग आयोग

3786. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग मामलों की राष्ट्रीय समिति (नेशनल कमेटी आन कमीशन फार बैकवर्ड क्लासिज) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के समतुल्य अधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है;

(ग) क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में वही अधिकार दिया गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंतरिक और विदेशी ऋण

3787. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य द्वारा आंतरिक और विदेशी दोनों वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की कोई समीक्षा कराई है; और

(ख) 31 मार्च, 2002 तक प्रत्येक राज्य पर ऋण का बोझ कितना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राज्य किसी भी प्रकार का ऋण विदेशी संस्थान से सीधे नहीं ले सकते। राज्य सरकार द्वारा प्राप्य विदेशी सहायता भारत सरकार के माध्यम से दी जाती है।

मार्च के अंत तक यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय पर बकाया ऋणों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

राज्यों के ऋण प्रोफाइल की समीक्षा राज्यों की राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.2000 को बकाया ऋण	31.3.2001 को बकाया ऋण	31.3.2002 को बकाया ऋण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15253.52	16162.39	18734.58

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	347.11	392.29	446.85
3.	असम	4083.44	3712.64	3625.46
4.	बिहार	14177.67	11123.46	11638.82
5.	छत्तीसगढ़	0.00	2835.16	3028.05
6.	गोवा	966.85	793.35	857.54
7.	गुजरात	14863.29	15790.42	17231.44
8.	हरियाणा	5039.47	5238.71	5290.46
9.	हिमाचल प्रदेश	2770.95	2697.56	2712.05
10.	झारखण्ड	0.00	3783.34	3914.64
11.	जम्मू-कश्मीर	3732.69	3398.21	3388.88
12.	कर्नाटक	9380.76	10011.54	11651.46
13	केरल	5835.52	6017.80	6243.51
14.	मध्य प्रदेश	9969.57	7759.08	8830.54
15.	महाराष्ट्र	23120.69	23040.53	22960.86
16.	मणिपुर	452.14	383.59	341.01
17.	मेघालय	315.46	340.93	366.94
18.	मिजोरम	328.80	254.16	269.77
19.	नागालैंड	405.04	356.59	386.74
20.	उड़ीसा	7352.66	7707.84	8289.81
21.	पंजाब	12368.93	12463.84	8855.56
22	राजस्थान	10542.04	10436.25	10660.68
23.	सिक्किम	228.44	211.92	219.56
24.	तमिलनाडु	11118.91	11746.47	12029.68
25.	त्रिपुरा	584.66	634.37	693.82
26.	उत्तरांचल	0.00	1661.91	1701.39
27.	उत्तर प्रदेश	30526.27	30412.98	31547.93
28.	पश्चिमी बंगाल	22195.38	22809.40	23399.4
	कुल	**205960.26**	**212176.73**	**219407.43**

टिप्पणी: 31 मार्च, 2000, 31 मार्च, 2001, और 31, मार्च, 2002 की यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य पर बकाया ब्याज की राशि को कृपया शून्य माना जाए।

[हिन्दी]

वस्त्र का आयात

3788. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में किस-किस तरह के वस्त्रों का आयात किया गया;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौते के पश्चात् वस्त्रों का आयात बढ़ा है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत में वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) भारत में आयात किये जा रहे वस्त्रों के प्रकार हैं:-

रेशम, ऊन, कपास, पटसन, मानव-निर्मित फाईबर्स, यार्न, फैब्रिक्स, सिले-सिलाये परिधान और मेड अप्स।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, और 2001-2002 के दौरान वस्त्र निर्यात और आयात के मूल्य नीचे दिये गये हैं:-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
वस्त्र निर्यात	10508.5	12037.6	10715.0
वस्त्र आयात	1161.0	1168.2	1534.8

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

उदारीकरण के वातावरण में, आयात, बाजार शक्तियों जो समय-समय पर लागू निर्यात-आयात नीति के अध्यधीन हैं, के द्वारा नियंत्रित होता है। उदारीकरण व्यापार व्यवस्था के फलस्वरूप वस्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ जाता है और इस प्रकार के अधिकतम निर्यात अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा साथ-साथ घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयात में प्रवेश करने हेतु खुला छोड़ दिया जाता है। उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए उद्योग को अपनी कार्यक्षमता और उत्पादकता में गति लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि मात्रात्मक प्रतिबंध की समाप्ति के पश्चात् वस्त्र निर्यात ने वृद्धि दर्शायी है, फिर भी कुल निर्यात देश में वस्त्र के वार्षिक घरेलू उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान वस्त्र निर्यात में ह्रास प्रवृत्ति मुख्यत: अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापार भागीदारों की अर्थव्यवस्था में आम मंदी के कारण है जो 11 सितंबर के हमले के कारण बढ़ गया। यहां चीन, बांग्लादेश आदि जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण भी है।

नवीनतम उपलब्ध डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई, 2002 अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात 2001 की इसी अवधि के दौरान 3604.2 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 3845.8 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। इस प्रकार इसमें 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन नवीनतम प्रवृत्तियों ने दर्शाया है कि वस्त्र निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति में सुधार आया है।

[अनुवाद]

अशक्तों के आवागमन को आसान बनाया जाना

3789. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों तक अशक्तों के आवागमन को आसान बनाने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाएं तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट फार आर्थोपिडिकैली हैंडिकेप्ड (एन आई ओ एच), कोलकाता को गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अशक्तों के लिए देशभर में आवागमन की सुविधाओं में सुधार करने के लिए एन आई ओ एच की योजना किस प्रकार की विशेषज्ञता प्रदान करने की है;

(घ) इस क्षेत्र में एन आई ओ एच के अपने कार्य को आगे जारी रखने के लिए एन आई ओ एच को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ एन आई ओ एच का पर्याप्त वित्त पोषण किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवागमन की सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक तकनीकी निवेशों की व्यवस्था की है। संस्थान अपने मुख्य परिसर में बाधामुक्त सुविधाएं विकसित करने के और साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित शिविरों के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान करता है। सरकार इस संस्थान में आदान-प्रदान तथा जागरूकता सहित अपने कार्यकलाप जारी रखने के लिए निधियां प्रदान करती है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को रियायतें

3790. श्री रामदास आठवले:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराज सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा बुनकरों को और रियायतें और छूट देने के लिए बुनकर सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हथकरघा बुनकरों को वर्तमान में दी जारी रियायतों/छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तारीख में उक्त रियायतों/छूटों से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अनेक अनुरोध प्राप्त किए गए थे जिनमें राज्य सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किए गए इनपुट्स अथवा हथकरघा उत्पादों पर लगाए हए बिक्री कर से छूट की मांग की गई थी। चूंकि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है, अत: इसे उनके साथ उठाया गया था। किन्तु कोई भी राज्य सरकार इससे सहमत नहीं है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा 1 मार्च, 2002 से प्लेन रील हैंक रूप में सूती और सेल्यूलोसिक स्पन यार्न पर लगाए गए उत्पाद शुल्क की वापसी की मांग करने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह उल्लेखनीय है कि हैंक यार्न पर सेनवेट इसलिए लगाया गया था ताकि शुल्क छूट संबंधी सुविधा के दुरूपयोग को रोका जा सके जो हथकरघा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को हैंक यार्न के लिए पहले उपलब्ध थी। 1 मार्च 2002 से सेनवेट लगाते समय यह भी घोषणा की गई थी कि हथकरघा बुनकरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क संबंधी अधिभार की प्रतिपूर्ति हेतु एक उपयुक्त योजना बनाकर हथकरघा बुनकरों के हित को संरक्षित किया जाएगा। तदनुसार, राज्य सरकार से 1 मार्च 2002 को अनुरोध किया गया कि वह ऐसे शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों/संगठनों अथवा अन्य उपयुक्त संगठनों को नामित करे जो सेनवेट की अदायगी करके हैंक यार्न की खरीद करें और उसे हथकरघा बुनकरों को सेनवेट के आधार पर वितरित करने की व्यवस्था करें और उन संगठनों द्वारा वहन किए जाने वाले सेनवेट के अधिभार के लिए केन्द्र सरकार से दावा करें। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को भी उत्पाद शुल्क की कीमत पर हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की आपूर्ति हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए निदेश दिया गया था। चूंकि हथकरघा बुनकरों द्वारा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हैंक यार्न पर सेनवेट का बोझ वहन करना अपेक्षित नहीं है इसलिए हैंक यार्न पर लगाए गए सेनवेट के निर्णय को वापस करना आवश्यक नहीं समझा गया। चालू वर्ष के दौरान हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद से भी करूर, कन्नूर, मदुरई तथा खेखरा को ईएक्सआईएम नीति के पैरा 3.3 के अंतर्गत उत्कृष्ट हथकरघा निर्यात केन्द्र के रूप में घोषित करने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। एचईपीसी ने भी सूती हथकरघा दरियों की पिछली दरों को बढ़ाने और बगैर रंगी हुई सूती हथकरघा दरियों की दरों को पुन: बहाल करने की याचना की थी। इन मुद्दों को यथोचित प्राधिकारियों के उठाया गया था।

(ग) हथकरघा क्षेत्र को निम्नलिखित राजस्व रियायतें/छूट उपलब्ध हैं:-

1. निम्नलिखित प्रकार के धागे जब किसी पंजीकृत हथकरघा शीर्ष सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय/राज्य हथकरघा विकास निगम से खरीदे जाते हैं तो वे उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं

   (क) ऊनी धागा

   (ख) क्रास रील हैंक रूप में सूती धागा

   (ग) पालिएस्टर/सूत, पालिएस्टर/विस्कोस के मिश्रण के धागे, और

   (घ) ऐसे काउन्ट के धागे जो क्रासरील हैंक में आपूर्ति होने वाले 25 क्रिन्रिम स्टेपल रेशे से ज्यादा न हों।

2. कन्डेंशर कार्ड मशीन के काटन वेस्ट से निर्मित प्लेन रील हैंक में 2 काउन्ट तक का धागा उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

3. हथकरघा पर उत्पादित और पंजीकृत शीर्ष सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा विकास निगम के स्वामित्व वाले प्रसंस्करण गृह से प्रसंस्कारित निम्नलिखित वस्त्र उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं

(क) ऊनी

(ख) सूती, और

(ग) पालिएस्टर/सूती और पालिएस्टर/विस्कोस के कुछेक मिश्रण

4. हथकरघा पर उत्पादित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कारित ऊनी वस्त्र उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं।

5. हथकरघा पर तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कारित सूती वस्त्र उत्पाद शुल्क रियायती दर लगाया जाता है।

6. हथकरघा वस्त्रों से तैयार एपैरल तथा परिधान की मदें उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं।

7. पंजीकृत शीर्ष हथकरघा सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा आयातित कच्चे ऊन पर 5% की रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(घ) ऐसे हथकरघा बुनकर, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की रियायतों/छूट का लाभ उठाया है, के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन में भारतीय कृषि के संरक्षण हेतु वार्ता

3791. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैक्सिको के कैंकन में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिमंडलीय स्तर के आगामी सम्मेलन में हमारे कृषि क्षेत्र के संरक्षण के लिए वार्ता हेतु क्या रणनीति तैयार की जा रही है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन के लिए सामान्य मुद्दों में से चयन के लिए देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाने की कोई पहले की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) का पांचवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 10-14 सितम्बर 2003 को कैंकन मैक्सिको में आयोजित होगा जिसमें वार्ता में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा, अन्य आवश्वय राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और यथावश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के तहत कृषि क्षेत्र में चल रही वर्ताओं में भारत की स्थिति और दृष्टिकोण राज्यों के कृषि मंत्रियों सहित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्रियों तथा अनुसंधान संस्थानों के साथ सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए व्यापक विचार-विमर्शों पर आधारित है। इन विचार-विमर्शों में कृषि क्षेत्र में विभिन्न हितबद्ध पक्ष वार्ताओं के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ आयातों पर टैरिफ संरक्षण के उचित स्तर का प्रवधान करके और भारत जैसे विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे निर्यात हित के कृषि उत्पादों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच के जरिये हमारे कृषि उत्पादन और कृषकों के हितों की सुरक्षा की जरूरत पर सामान्यत: एक मत हैं। भारत द्वारा समान हितों और चिंताओं वाले अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। ये वार्ताएं 1 जनवरी, 2005 तक सम्पन्न होंगी।

राज्यों को आपात ऋण

3792. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर आपात ऋण मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर उस उच्च अधिकार प्राप्त समिति में चर्चा की गई थी जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और भारत सरकार के वित्त मंत्री ने भी भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंची है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केन्द्र

3793. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री आदि शंकर:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित कितने नशामुक्ति केन्द्रों का अनुमोदन किए जाने की संभावना है;

(ख) इसके लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य-वार कितने नए प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के पास नए प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में कोई संशोधन विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक यह संशोधन किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) मद्यपान और पदार्थ (नशीले पदार्थ) दुरूपयोग निवारण की योजना के अंगर्गत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 369 नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इस कुल धनराशि का उपयोग वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा जो कि उनके संतोषजनक कार्यकरण की पुष्टि करने वाली राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी/एजेंसी की सिफारिश/निरीक्षण रिपोर्ट के अधीन होगा।

योजनाओं का उन्नयन और उनकी स्वीकृत एक निरन्तर प्रक्रिया है और यह समय-समय पर की जाती है। चूंकि योजना के अंतर्गत आवेदक संगठनों को सहायता - अनुदान की स्वीकृत विभिन्न कारकों जैसे सरकार की वर्तमान नीति, योजना के प्रावधानों के अनुसार संगठन की पात्रता, आवेदित क्षेत्र में परियोजना की स्वीकृत की जरुरत और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अत: किसी संख्या या समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती। योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए बजट प्रावधान 25.50 करोड़ रुपये है।

चीनी का बफर स्टाक

3794. **श्री रवीन्द्र कुमार:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी का बफर स्टाक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों के हित में ऐसे निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (घ) सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाने का निर्णय लिया है। इसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपये व्यय होंगे। 374 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बैंकों द्वारा बफर खाते पर रिलीज की जाएगी।

[अनुवाद]

डीएवी स्कूलों/कालेजों में वित्तीय घपलेबाजी

3795. **डा.वी.वी रमैया:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 2002 के "पंजाब केशरी" में "आयकर रिटर्न न भेजकर सरकार को लगाया गया चूना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को आयकर के रूप में अनुमानत: कितना नुकसान हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डी.ए.वी. प्रबंध समिति द्वारा गत तीन कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में दायर की गई आयकर विवरणियों को संवीक्षा के लिए लिया गया है। इस मामले में कानून के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

3796. श्री पी.एस. गड़वी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय और औद्योगिक पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के गठन के बाद से रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु गुजरात से कितने प्रस्ताव बोर्ड को भेजे गए;

(ख) इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, संयुक्त उद्यम उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कितने मामले हैं; और

(ग) पुनरुद्धार हेतु कितने मामलों का अनुमोदन किया गया है और कितने मामले अस्वीकार किए गए है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि इसके गठन के बाद 30 सितम्बर, 2002 तक इसके पास रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीएफ) के अंतर्गत गुजरात राज्य से 378 रुग्ण उद्योग पंजीकृत हुए थे।

(ख) 378 मामलों में से 374 मामले गैर सरकारी क्षेत्र तथा 4 मामले सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं।

(ग) बीआईएफआर तथा एएआईएफआर द्वारा अब तक पुनरूज्जीवन के लिए 26 मामले अनुमोदित किए गए हैं तथा 187 मामले अस्वीकार किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

गरीब महिलाओं को सिडबी से ऋण

3797. श्री रामशकल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु आयोग विकास बैंक गांवों में गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना से वर्ष-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) महिला उद्यमियों के लिए सहायता की विशेष योजनाएं चलाता रहा है- जिसमें सांविधि ऋण, प्रारंभिक पूंजी आदि शामिल हैं। सिडबी की महिला उद्यम निधि (एम यू एन) का उद्देश्य लघु क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इक्विटी अन्तर पूरा करने हेतु महिला उद्यमियों के लिए सुलभ ऋण सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, अर्थक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्वास और विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भी सहयता दी जाती है। महिला विकास निधि योजना (एम वी एन) का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण निर्धन महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देकर आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। इसमें उधार-पात्र संगठन को क्रियाकलाप हेतु न्याय सम्मत मिश्रित ऋण एवं अनुदान के जरिए सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। सिडबी अधिकांशत: महिलाओं के लाभार्थ व्यष्टि ऋण परिचालनों हेतु सिडबी व्यष्टि ऋण प्रतिष्ठान (एस एफ एस सी) के जरिए सहायता भी देता है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरा उपर्युक्त योजना के तहत लाभग्राही महिलाओं की संख्या निम्नलिखित हैं:

योजना	वर्ष 2000-01 के दौरान	वर्ष 2001-02 के दौरान
महिला उद्यम निधि (एम यू एन)	41	64
महिला विकास निधि (एम वी एन)	2,100	2,300
व्यष्टि ऋण योजना (अधिकांशत: महिलाएं) (एमसीएस)	129,000	285,000

प्रत्यक्ष करों के संबंध में केलकर समिति

3798. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री वाई.वी राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए परामर्शदात्री प्रपत्र को व्यापक चर्चा और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परामर्शदात्री-प्रपत्र में कर-छूट पर की गई सिफारिशों के संबंध में उद्योगपतियों ने सरकार से कतिपय आपत्तियां जताई हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या-क्या आपत्तियां जताई गई हैं; और

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार परामर्श पत्र में की गई सिफारिशों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों से उस पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच पड़ताल कर रही है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपने विचारों को प्रतिपादित करेगी।

[अनुवाद]

सोने की मांग

3799. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सोने की मांग में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो सोने की मांग में इस तरह आ रही कमी के कौन-कौन से कारक जिम्मेवार हैं; और

(ग) इसका आभूषण बाजार और शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल एंड गोल्ड फील्डस् मिनरल सर्वे (लंदन स्थित एक स्वतंत्र बाजार अनुसंधान एजेंसी) के अनुसार भारत में सोने की उपभोक्ता मांग जनवरी से सितम्बर, 2002 में पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 570 मीट्रिक टन से गिरकर 363 मीट्रिक टन हो गई है।

(ख) सोने की सार्वभौम मांग को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कारकों ने सोने की भारतीय मांग को भी प्रभावित किया है। डालर स्वर्ण मूल्य में वृद्धि मूल्य अस्थिरता और कमजोर विश्व अर्थव्यवस्था ने विश्व-व्यापी और भारत में सोने की खरीद को रोका है।

(ग) उच्च और कभी-कभी अस्थिर मूल्य आभूषण क्रयों के लिए निवारक बने रहे हैं। आभूषण मांग (रिसाइकल्ड सोने द्वारा निधिपोषित को छोड़कर) जुलाई से सितम्बर, 2002 की तिमाही में वर्ष के प्रथमार्ध की तुलना में टनों के अर्थ में 6.2 प्रतिशत गिरी है।

हाल में सोने के मूल्य नई ऊंचाईयों पर पहुंचे हैं जबकि विश्व-व्यापी स्टाक बाजारों में बढ़ती हुई अस्थिरता भी दृष्टिगोचर हो रही है।

निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरुपयोग

3800. श्री अधीर चौधरी:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री राम मोहन गाइडे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरूपयोग कर ऐसी अधिसंख्य निर्यात-आयात कम्पनियों ने सरकार से करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी की है जो केवल कागजों पर ही चल रही है, जैसा कि दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के काम करने के तौर तरीके क्या है;

(ग) क्या सीमाशुल्क विभाग के अधिसंख्य अधिकारी इन कम्पनियों को मदद पहुंचाने में लिप्त रहें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराया जाना

3801. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री 8 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेश जाने वाले यात्रियों को विदेश में खर्च के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराए जाने संबंधी अधिसूचना का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा हेतु कितना धन निर्गत किया गया?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) नियम, 2000 की अनुसूची-3 की मद 2 के अनुसार विदेश जाने वाले व्यक्ति, किसी भी देश (नेपाल तथा भूटान को छोड़कर) की एक अथवा अधिक निजी यात्राओं के लिए एक कैलण्डर वर्ष में 5000 अमरीकी डालर अथवा इसके समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते थे। और अधिक उदारीकरण के उपाय के तौर पर यह सीमा अब 5000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डालर अथवा इसके समतुल्य राशि तक बढ़ा दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 2000-2001 से विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेश यात्राओं हेतु प्राधिकृत डीलरों द्वारा जारी की गई राशि संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है। 1999-2000 के दौरान फेरा, 1973 के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेश यात्राओं हेतु 9268 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी की गई थी।

[अनुवाद]

एल आई सी का निगमीकरण

3802. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय जीवन बीमा के निगमीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक एक ठोस आयाम दिया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3803. श्री भान सिंह भौरा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिशा-निर्देशों के इस तरह उल्लंघन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जैसा कि इसके डाटाबेस में उपलब्ध है, निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि
(i) 1999-2000	2,50,00,000 रुपये
(ii) 2000-2001	49,77,00,000 रुपये
(iii) 2001-2002	शून्य

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

टेक्सटाइल असेट रिकन्सट्रक्शन फंड

3804. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोष में वृद्धि करने और वस्त्र इकाइयों के उच्च लागत वाले ऋण को समाप्त करने के लिए टेक्सटाइल असेट रिकन्सट्रक्शन फंड बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के वित्त पोषण हेतु 500 करोड़ रुपए का दूसरा बांड जारी करने पर भी विचार कर रहा है;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 20000 कामगारों को सेवानिवृत्ति प्रदान करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) वस्त्र उद्योग ने चालू दर पर ऋणों द्वारा, एकत्र एककों के उच्च लागत के ऋण को बदल कर संभाग का पुनः निर्माण करने के लिए वस्त्र परिसंपदा पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करने का अनुरोध किया है।

(ग) एनटीसी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का वित्त पोषण करने के लिए एनटीसी बाण्ड जारी कर 499.65 करोड़ रुपए पहले से ही इकट्ठे कर लिए हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए निधियां जुटाने के लिए एनटीसी को और 250 करोड़ रुपए का इशू निकालने के लिए सरकार की गारंटी दी गई है।

(घ) और (ङ) बंद करने के लिए प्रस्तावित 39 बंद पड़ी गैर-अर्थक्षम में 23,763 कामगारों को, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा निवृत होना है जिनमें से प्रथम चरण में अभी तक 15393 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन

3805. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने भारत सरकार को सरकारी क्षेत्रों में बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में सकारात्मक कदम उठाने और गैर-अर्थक्षम बैंकों को बंद करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतक्रिया हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) एशिया प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक आयोग से सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी मानदंड

3806. डा. रमेश चंद तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने देश में आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा मानदंडों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा मानदंड़ों में ढील देने का हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में देश में आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी मानदंडों को उदार बनाया है। संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) आयात के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए 5000 अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 25000 अमरीकी डालर कर दिया गया है। इसके अलावा, कम से कम 100 करोड़ रुपए के बिल मूल्य की और स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा भारत सरकार के उपक्रम अथवा इसके विभाग को या तो भरेलू खपत के लिए आयात-बिल (बिल आफ एण्ट्री) की विदेशी मुद्रा-नियंत्रण की प्रति (आयात का प्रमाण) अथवा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा लेखा-परीक्षक से यह प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र कि जिन वस्तुओं के लिए धनराशि भेजी गई है, उनका वास्तव में भारत में आयात किया गया है, प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। यह सुविधा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) जैसे वैज्ञानिक निकायों, शैक्षणिक संस्थानों सहित स्वायत्त निकायों को भी उपलब्ध है जिनके लेखा-विवरणों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और यह सुविधा इन संस्थानों के सीईओ/लेखा-परीक्षक की इस घोषणा के अधीन दी जाती है कि उनके लेखा-विवरणों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा की जाती है।

(ii) आयातों के लिए बैंक गारंटी के बिना अग्रिम तौर पर धन भेजने की सीमा 25000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डालर कर दी है।

(ग) और (घ) घोषित किए गए उपायों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा-नियंत्रण की दृष्टि से आयात संबंधी लेन-देनों पर प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों में छूट देना है। विदेशी मुद्रा के भण्डारों पर इसके प्रभाव के बारे में इतनी जल्दी मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3807. श्रीमती प्रभा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) कौन-कौन से राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्नों, चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण कम मूल्य पर किया है;

(ग) क्या कई राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मासिक वितरण के कारण खाद्य वस्तुएं नहीं खरीद पाते;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मासिक/साप्ताहिक सार्वजनिक वितरण का पालन करते हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा साप्ताहिक वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड धारकों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार ऐसे राज्यों के संबंध में सूचना नहीं रखती है, जिन्होंने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों, चीनी और मिट्टी के तेल को राजसहायता प्रदान की है।

31.8.2001 को अधिसूचित किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में, कार्डधारकों द्वारा राशन कार्ड का साप्ताहिक उठान कर सकने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशनकार्ड धारकों का राज्य-वार ब्यौरा

(आंकड़े लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए राशनकार्डों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	159.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.72
3.	असम	44.66
4.	बिहार	123.83
5.	छत्तीसगढ़	45.80
6.	दिल्ली	37.38
7.	गोवा	3.23
8.	गुजरात	107.28
9.	हरियाणा	44.60
10.	हिमाचल प्रदेश	13.38
11.	जम्मू-कश्मीर	18.30
12.	झारखंण्ड	29.09
13.	कर्नाटक	110.58
14.	केरल	64.08
15.	मध्य प्रदेश	138.99
16.	महाराष्ट्र	217.92
17.	मणिपुर	3.19
18.	मेघालय	2.90
19.	मिजोरम	2.37
20.	नागालैंड	3.19
21.	उड़ीसा	79.02
22.	पंजाब	55.23

1	2	3
23.	राजस्थान	119.27
24.	सिक्किम	1.26
25.	तमिलनाडु	161.00
26.	त्रिपुरा	7.16
27.	उत्तर प्रदेश	380.79
28.	उत्तरांचल	21.97
29.	पश्चिमी बंगाल	159.36
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.86
31.	चंडीगढ़	2.29
32.	दादरा और नागर हवेली	0.33
33.	दमन और दीव	0.31
34.	लक्षद्वीप	0.14
35.	पांडिचेरी	2.73
	जोड़	2165.23

जे.के. कपास मिल का पुनर्वास

3808. श्री श्रीप्रकाश: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने जे.के. कपास के कताई और बुनाई मिल, कानपुर के लिए पुनर्वास पैकेज को स्वीकृत प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के श्रम के सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कंपनी द्वारा कब तक अपना कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक एवम् वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 12.11.2002 को आयोजित अपनी सुनवाई में जे.के काटन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, कानपुर की मसौदा पुनर्वास योजना को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) मसौदा पुनर्वासन योजना के श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा विविध श्रम/तालाबंदी संबंधी मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करवाने के लिए परिकल्पना की है।

(ङ) संस्वीकृत योजना बी.आई.एफ.आर. द्वारा जारी की जानी है।

विज्ञापनों से प्राप्त सेवा कर

3809. श्री अरुण कुमार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन सहित टेलीविजन चैनलों के माध्यम से दिये जाने वाले विज्ञापनों से 5 प्रतिशत सेवा कर के रूप में 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा करों की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

व्यापार समझौतों का उल्लंघन

3810. श्री राम टहल चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय मशीनों को भारत की सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यापार समझौतों के उल्लंघन से संबधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) विदेशों में स्थित भारतीय मशीनों

ने भारत की सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यापार समझौतों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की किसी घटना की सूचना नहीं दी है। विगत में भी उन्हें प्राप्त हुई समस्त शिकायतें आयातक और निर्यातक कंपनियों के बीच गुणवत्ता संबंधी शिकायतों सहित वाणिज्यिक विवादों से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक स्कंधों से प्राप्त वाणिज्यिक/व्यापारिक विवादों से संबंधित शिकायतों के ब्यौरे डीजीएफटी कार्यालय को भेज दिए जाते हैं। डीजीएफटी द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित निर्यातकों अथवा आयातकों के खिलाफ व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं आदेशों तथा निर्यात आयात निति के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। डीजीएफटी कार्यालय इन शिकायतों की जांच पड़ताल करता है और समझौते के सभी प्रयास विफल होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करके/ सुनवाई इत्यादि करके चूककर्ता निर्यातकों का पंजीकरण रद्द करने/उन्हें वर्जित की कार्रवाई करता है और/ अथवा अपराधों की गंभीरता के आधार पर उचित मामलों में कानूनी कार्रवाई समेत प्रवृत नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

सीमेंट उद्योग की समस्याएं

3811. श्री वाई.वी. राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट क्षेत्र उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद चालू वित्त वर्ष में प्रति इकाई लाभ नहीं कमा पा रहा है और संकटों से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (घ) यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों के दौरान सीमेंट के उत्पादन और बिक्री (खपत), दोनों में, वर्ष 2001-02 की इसी अवधि में हुए उत्पादन और बिक्री की तुलना में वृद्धि दर्ज की गयी है। उत्पादन में हुए 9.33% की वृद्धि दर्ज की गयी जो 60.45 मिलियन टन से बढ़कर 66.09 मिलियन टन हो गया और बिक्री में 9.56% की वृद्धि दर्ज की गयी, जो 58.6 मिलियन टन से बढ़कर 64.2 मिलियन टन हो गयी।

किंतु, चालू वर्ष के दौरान, सीमेंट के मूल्यों में, जो सीमेंट विनिर्माता एककों के लाभों के लिए जिम्मेदार होते हैं, असाधारण कमी की कोई आम प्रवृत्ति नहीं देखी गयी है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है। कुछ उपभोग केन्द्रों में मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है जबकि दूसरे केन्द्रों के मूल्यों में सामान्य उतार-चढ़ाव हैं, जो बाजार की मांग और आपूर्ति शक्तियों के कारण आये और इसलिए सरकार का हस्तक्षेप करने में कोई इरादा नहीं है।

सरकार केवल तभी हतक्षेप करती है, जब उद्योगों के कुछ सदस्य उत्पादन और मूल्यों पर एकाधिकारवादी नियंत्रण कायम करने की दृष्टि से कपटपूर्ण व्यापार व्यवहार करते हैं।

विवरण

क्षेत्र/केन्द्र	अप्रैल-02	मई-02	जून-02	जुलाई-02	अगस्त-02	सितम्बर-02	अक्तूबर-02
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	131	136	131	131	135	130	130
करनाल	137	140	137	137	141	135	136
चंडीगढ़	143	145	143	140	136	140	142
जयपुर	120	132	120	118	1120	114	119
रोहतक	129	132	128	129	134	124	125

1	2	3	4	5	6	7	8
भटिण्डा	142	141	142	137	136	133	139
लुधियाना	147	150	146	143	140	139	144
जम्मू	186	183	178	177	177	177	181
शिमला	165	162	158	156	153	152	153
पूर्वी क्षेत्र							
कलकत्ता	134	148	148	153	153	153	153
पटना	129	138	137	140	140	139	137
भुवनेश्वर	121	137	138	148	152	149	143
गुवाहाटी	172	172	172	172	172	172	172
मुज्जफरपुर	131	137	138	143	143	141	139
पश्चिमी क्षेत्र							
मुम्बई	159	160	158	150	144	128	151
अहमदाबाद	136	138	141	137	137	129	127
नागपुर	122	123	123	119	113	107	106
पुणे	121	131	124	112	105	107	123
राजकोट	136	138	141	137	137	129	127
बड़ोदा	136	138	141	137	137	129	127
सूरत	136	138	141	137	137	129	127
दक्षिणी क्षेत्र							
चेन्नई	159	156	147	140	137	128	126
त्रिवेन्द्रम	164	162	156	146	141	133	131
बैंगलोर	131	133	134	136	139	135	138
हैदराबादट	115	111	105	104	105	105	120
कालीकट	164	162	156	146	141	136	136
विशाखापटनम	123	118	115	116	120	120	133
गोवा	130	133	134	133	130	137	128
केन्द्रीय क्षेत्र							
लखनऊ	130	129	134	143	143	133	128
मेरठ	132	137	133	138	138	131	132
फैजाबाद	123	126	134	141	139	128	125
बरेली	127	131	134	138	136	131	134
भोपाल	119	123	124	127	128	120	114

महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन योजना

3812. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन योजना और निर्यात अवसंरचना ऋण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आंबटित धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों में निर्यात वृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए निर्यात अवसंरचना में वृद्धि करके निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) निर्यात अवसंरचना ऋण योजना नामक कोई योजना नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों के ब्यौरे उत्तर के अंत में विवरण के रूप में दिए गए है।

(ख) और (ग) निर्यात अवसंरचना में संवर्धन करके निर्यात पर जोर देने के लिए मार्च, 2002 से ए एस आइ डी ई नामक एक नई योजना शुरू की गई है। योजना के ब्यौरे वाणिज्य विभाग की वेबसाइड www.commin.nic.in पर उपलब्ध हैं।

विवरण

सीआईबी के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धन राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.5	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	अंदमान और निकोबार	—	—	—
4.	असम	6.53	3.4083	3.42
5.	बिहार	—	4.7598	—
6.	छत्तीसगढ़	—	—	—
7.	चंडीगढ़	—	—	—
8.	दिल्ली	—	—	—
9.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
10.	दमन और दीव	—	—	—
11.	गोआ	—	—	—
12.	गुजरात	—	4.4	—
13.	हरियाणा	—	—	.122
14.	हिमाचल प्रदेश	—	3.3	—
15.	जम्मू-कश्मीर	—	1.5533	3.8062
16.	झारखंण्ड	—	—	—
17	कर्नाटक	4.00	5.00	.5735
18.	केरल	1.175	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	1.4237	3.42	3.75
21.	महाराष्ट्र	.05165	4.8433	5
22.	मणिपुर	1.105	—	—
23.	मेघालय	.155	—	—
24.	मिजोरम	—	2.48	—
25.	नागालैंड	—	—	—
26.	उड़ीसा	1.48	3.6	—
27.	पंजाब	—	—	1
28.	पांडिचेरी	2.5	—	—
29.	राजस्थान	—	.34	—
30.	सिक्किम	—	—	—
31.	तमिलनाडु	—	7.16	—
32.	त्रिपुरा	9.425	5.0758	1.2923502
33.	उत्तरांचल	—	—	—
34.	उत्तर प्रदेश	9.66	5.5	—
35.	पश्चिमी बंगाल	2.00	—	3.028708

कंपनियों के तुलन पत्र

3813. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई कंपनियों ने कंपनी राजिस्ट्रार को अपने वार्षिक लेखे विवरण और तुलन पत्र प्रस्तुत करने में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) देश में उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2001-2002 के लिए अपनी वार्षिक विवरणियां तथा तुलन पत्रों को फाइल करने में चूक की है, क्रमश: 3,07,577 तथा 3,18,176 है।

(ग) और (घ) यदि कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेजों को फाइल नहीं करती तो अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उन पर अभियोजन लगाया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार आयोग की रिपोर्ट

3814. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के प्रभावों के बारे में ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो भारत जैसे विकासशील देशों के संबंध में इस आयोग की टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोग का गठन इन बातों पर विचार करने की दृष्टि से किया गया था - (क) अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संदर्भ के भीतर, जिनमें बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता भी शामिल है, किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं को तैयार किया जा सकता है ताकि विकासशील राष्ट्रों को लाभ हो; (ख) नियमों और समझौतों के अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में किस प्रकार सुधार व विकास किया जा सकता है; और (ग) बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं की सहायता के लिए आवश्यक सामान्य नीतिगत ढांचा। चूंकि आयोग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को 12 सितम्बर, 2002 को दे दी गई है।

तथापि, इस बात को देखा गया है कि इस रिपोर्ट में मूल रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों और विकास नीति को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विकाशील राष्ट्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षापायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें यह भी देखा गया है कि पेटेंट व्यवस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट में जो प्रमुख सुरक्षोपाय सुझाये गये हैं वे इनके संबंध में हैं:- अनिवार्य लाइसेंसीकरण; समानांतर आयात; पेटेंट का सरकारी उपयोग; नैदानिक, चिकित्सीय और शल्यचिकित्सा संबंधी विषयों को पेटेंटनीयता के दायरे से बाहर रखना; ज्ञात उत्पादों के नये उपयोगों पेटेंटनीयता के दायरे से बाहर रखना; बोलार; उपबंध, जीनों तथा जीन-पद्धति द्वारा संशोधित किये गये पेड़-पौधों और जानवरों सहित पेड़ पौधों और जानवरों पर पेटेंट संरक्षण की मनाही; तथा आविष्कार में उपयोग किये गये जीन-संबंधी संसाधनों के भौगोलिक स्रोत को पेटेंट आवेदनों में बताने का दायित्व। पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा यथा-संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 में इन सुरक्षापायों की पर्याप्त व्यवस्था है जो उपबंधों के साथ कुल मिलाकर राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित की जरूरतों/चिंताओं के प्रति उपयुक्त, समय पर और दक्ष प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम हैं।

जनजातीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा

3815. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्वदेशी बोडो (जनजातीय) हथकरघा उत्पादों और वस्त्र को बढ़ावा देने, विकास और निर्यात के लिए धनराशि प्रदान करने पर विचार किया है और देश के अन्य जनजातीय लोगों के हथकरघा उत्पादों और वस्त्रों को अब तक किस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) (यत्नाल)]: (क) से (ग) हथकरघा उत्पादों के

विविधीकरण, गुणवत्ता में सुधार, तथा डिजाइनों के अभिनवकरण के तरीके से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की एक योजना, जिसमें जनजातीय हथकरघा उत्पादों और विदेशी बाजार सम्बर्धन सहित निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद शामिल हैं, 1996-97 से चल रही हैं। नियति योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की योजना के अलावा, 1.4.2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना भी चल रही है। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य समेकित यथा समन्वय तरीके से वृहत एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर बुनकरों को उत्पाद विकास, अवसंरचना सहयोग, संस्थागत सहयोग, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति, विपणन सहयोग आदि संबंधी सहायता प्रदान करके संबंधित गतिविधियों की व्यापक तौर पर देखभाल करना है।

विगत दो वर्षों के दौरान निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की योजना तथा दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा निम्नप्रकार हैं:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की योजना		दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	
	पूर्वोत्तर राज्य	अन्य राज्य	पूर्वोत्तर राज्य	अन्य राज्य
2000-2001	25.10	374.90	639.85	1055.99
2001-2002	27.56	297.46	1382.52	4562.53

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

3816. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर अलग-अलग देशों का देश-वार कितना विदेशी ऋण है;

(ख) सरकार द्वारा इस ऋण को वापस लौटाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी ऋण को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर्नदराव विठोबा अडसुल): (क) 5 दिसम्बर 2002 की स्थित के अनुसार, द्विपक्षीय स्रोतों से देश-वार बकाया विदेशी ऋण (सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ऋण) विवरण में दिया गया है।

(ख) अधिकांश ऋण करारों की वापसी-अदायगी की समय-अनुसूचियां होती हैं। अनुसूची और दाता से मांग की प्राप्त के आधार पर दाता को विदेशी मुद्रा में वापसी-अदायगी की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्वीकृति जारी की जाती है, जिसके पश्चात रुपए के मूल्य में इसके समतुल्य राशि सरकारी खाते से निकाल कर उनके खाते में जमा कर दी जाती है। सरकारी क्षेत्र के भिन्न-भिन्न संगठनों द्वारा गैर-सरकारी ऋण की वापसी-आदायगी के लिए भी यह प्रणाली अपनायी जाती है।

(ग) सरकार, ऋण को प्रबंधकीय सीमाओं में रखने के लिए एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति अपनाती है। इस नीति के मुख्य तत्व हैं: रियायती एवं कम मंहगे ऋण पर संकेंद्रित बहुपक्षीय/द्विपक्षीय स्रोतों से विदेशी उधार, अल्पावधि ऋण को सीमित करना, अधिक मंहगे विदेशी ऋण का पूर्व भुगतान और पूंजी खाते पर ऋण-भिन्न सृजक प्रवाहों, निर्यात और चालू खाते पर अदृश्य मदों को प्रोत्साहन देना।

विवरण

5 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार द्विपक्षीय स्रोतों से देश-वार बकाया विदेशी ऋण (सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ऋण)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	देश	बकाया विदेशी ऋण	
		सरकारी ऋण	गैर-सरकारी ऋण
1	2	3	4
1.	आस्ट्रिया	29.03	–
2.	आस्ट्रेलिया	6.39	–
3.	बेल्जियम	35.75	–
4.	कनाडा	281.24	–
5.	चेक और स्लोवाक गणराज्य	1.77	–
6.	जर्मनी	2195.48	726.26
7.	डेनमार्क	78.21	–
8.	स्पेन	28.00	–

1	2	3	4
9.	फ्रांस	574.01	62.14
10.	इटली	102.93	–
11.	जापान	8089.98	1195.71
12.	अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि	30.17	–
13.	नीदरलैण्ड	417.34	–
14.	नार्वे	0.00	0.26
15.	रूसी संघ	390.78	–
16.	सऊदी अरब	7.73	–
17.	स्विटजरलैण्ड	9.55	–
18.	स्वीडन	120.83	–
19.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1075.47	–
	जोड़	**13474.66**	**1984.37**

चीनी का निर्यात

3817. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया और आज की तिथि तक देश-वार कितनी चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) देश द्वारा चालू वित्त वर्ष में कितने निर्यात के आदेश प्राप्त हुए हैं?

(ग) क्या निर्यात की जाने वाली चीनी का मूल्य देश में प्रचलित बाजार मूल्य से कम है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्यात से कितना घाटा होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार का इस निर्यात के कारण चीनी के मूल्य में वृद्धि न होने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अधीन अनुमत है तथा विभिन्न चीनी मिलें/निर्यातक चीनी का निर्यात अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार कर रहे हैं। चीनी के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी. एंड एस.) कोलकाता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2002-2003 (जुलाई, 2002 तक) के दौरान वास्तविक रूप से 3,48,350 मी.टन चीनी का निर्यात किया गया है। इस संबंध में देश-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सामान्यतया, चीनी मिलें निर्यात के प्रयोजनों के लिए जिस दर पर चीनी की आपूर्ति करती है, वह खुले बाजार में चीनी के मूल्य से कम होती है

(घ) चूंकि चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है तथा विभिन्न निर्यातकों/चीनी मिलों द्वारा चीनी का निर्यात किया जा रहा है, इसलिए निर्यात में हुई हानि की मात्रा को बताना संभव नहीं है। तथापि, चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन दे रही है:-

(i) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से मुक्त कर दिया गया है।

(ii) निर्यात के लिए निर्मुक्त की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टाक में समायोजन 18 माह की अवधि के बाद किया जाएगा।

(iii) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 4% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(iv) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन किया गया है ताकि चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(ङ) गत चार लगातार चीनी मौसमों के दौरान चीनी का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण देश में अधिशेष चीनी संचित हो गई है। अत: चीनी के निर्यात से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2002-2003 (जुलाई, 2002 तक) के दौरान देश-वार चीनी का निर्यात

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रुपये में)

क्रम सं.	देश	2002-2003	
		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	4020	428.00
2.	बंगलादेश	27285	2788.74
3.	बेल्जियम	900	2275.09
4.	बहराइन	227	26.19
5.	कनाडा	628	80.48
6.	चीन तेइपी	1712	175.30
7.	चीन	—	—
8.	जिबूती	—	—
9.	इथियोपिया	—	—
10.	जर्मन गणराज्य	1931	239.11
11.	हांगकांग	416	66.16
12.	इंडोनेशिया	4595	501.08
13.	इरान	7298	804.13
14.	इटली	299	60.52
15.	कुवैत	539	61.87
16.	मालागासी गणराज्य	588	62.15
17.	मलेशिया	117041	11945.03
18.	मालदीव	1437	204.42
19.	नेपाल	1527	195.79
20.	पाकिस्तान	2754	286.57
21.	फिलीपींस	—	—
22.	पुर्तगाल	—	—
23.	सऊदी अरब	265	19.79
24.	सिंगापुर	10377	1166.63
25.	सोमालिया	200	22.80
26.	श्री लंका	100229	10720.83
27.	सुडान	—	—
28.	तंजानिया	601	72.59
29.	संयुक्त अरब एमिरात	36251	4311.58
30.	यू.के.	146	18.49
31.	संयुक्त राज्य अमेरिका	8388	1477.73
32.	वियतनाम	4555	511.28
33.	यमन गणराज्य	—	—
34.	अन्य	5041	566.36
	जोड़	**348350**	**39088.71**

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय

गेहूं के निर्यात के लिए बाजार

3818. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात के नए बाजार तलाश न कर पाने के कारण भारतीय गेहूं का निर्यात प्रति माह तीन लाख टन पर रुका हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए गेहूं निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) हमारे देश के निर्यातक कौन-कौन से देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं; और

(घ) सरकार का देश से गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यातकों को अन्य कौन-कौन सी रियायतें प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य एजेंसियों और निजी निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए उठान की गई गेहूं की मात्रा अप्रैल, 2002 को छोड़कर 4 लाख टन से अधिक थी। अप्रैल, 2002 में यह मात्रा 3.71 लाख टन थी।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकार ने इस शर्त के अध्यधीन गेहूं के निर्यात पर से मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी है कि केन्द्रीय पूल में स्टाक किसी भी समय 143 लाख टन गेहूं के न्यूनतम बफर स्टाक से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) केन्द्रीय पूल में गेहूं के अधिशेष स्टाक को देखते हुए सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य एजेंसियों और निजी निर्यातकों को निर्यात के लिए गेहूं उपलब्ध करा रही है। गेहूं के निर्यात के संबंध में भारत किसी भी देश से प्रतस्पिर्धा नहीं कर रहा है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए प्रोन्नयन उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) गेहूं और गेहूं से तैयार उत्पादों के निर्यात के मामले में अपेडा के पास पंजीकरण जैसे प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

(ii) शीघ्र निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त निर्यात संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(iii) एक स्थिर मूल्य व्यवस्था पेश करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात के पेशकश मूल्यों को तीन माह की अवधि के लिए निर्धारित करने का निर्णय किया है जिसमें स्टाक का उठान करने के लिए एक अतिरिक्त माह दिया जाएगा और संबंधित तिमाही के शुरू होने से 45 दिन पहले मूल्यों की घोषणा की जाएगी।

(iv) निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप सुपुर्दगी उपरान्त और संगत खर्चों की अनुमति दी जा रही है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग के लिए विदेशी ऋण

3819. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्त्र उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से विदेशी ऋण लेने के प्रावधानों को उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने कई उपाय सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा सुझाये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इन सिफारिशों से किस सीमा तक सहमत है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) इस समय विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) 50 मिलियन अमरकी डालर तक अथवा इसके समकक्ष सामान्य कारपोरेट के उद्देश्य के लिए जिसकी औसत परिपक्वता तीन वर्ष से कम नहीं हो, के साथ स्वचलित माध्यम से भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा ऋण लेने की अनुमति इस शर्त के साथ निर्धारित है कि इस तरह की निधियों का प्रयोग स्टाक बाजर में अथवा परिसम्पत्ति के व्यवसाय में निवेश हेतु नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार वस्त्र एकक 50 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक ऋण का प्रयोग कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) वस्त्र क्षेत्र अर्थात वित्तीय मामलों, श्रम मामलों तथा बैंकिंग/निवेश मामलों से संबंधित तीन व्यापक विषयों पर चर्चा के लिए दिनांक 29.5.2002 को एक अंतर-मंत्रालय कार्य बल का गठन किया गया है। कार्य बल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

चाय व्यवसाय में चर्च का प्रवेश

3820. श्री वी. वेंकटेस्वरलु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चर्च अपनी मिशन सेवाओं को पूरा करने के उद्देश्य से देश के पूर्वोत्तर राज्यों में चाय व्यवसाय में उतर रहा है;

(ख) क्या चर्च ने उन स्रोतों का खुलासा किया है जिनसे वह चाय उद्योग में निवेश करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) असम के कोकराझार जिले में स्थित एक चाय बागान नामत: मोरनाइ टी इस्टेट का प्रबंधन वर्ष 1890 से ट्रस्ट एसोसिएशन आफ नार्दन इवेंजेलिकल लूदर्न चर्च, दुमका, बिहार द्वारा किया जा रहा है। बागान के पास 570.34 हेक्टेयर ता अनुदत्त क्षेत्र है जिसमें से 410 हेक्टेयर क्षेत्र चाय के अंतर्गत आता है।

इस बड़े बगान के अलावा निम्नलिखित तीन लघु जोत क्षेत्र ईसाई मिशनरियों द्वारा चाय बोर्ड के पास पंजीकृत किए गए हैं।

बागान का नाम	चाय बोर्ड के पास पंजीकृत क्षेत्र	पंजीकरण का वर्ष
वैतभगा (जीईएलसी) मिनी टी.पी गोसनर एवांजोलिकल लूदर्न चर्च, जिला सोनितपुर, असम	4.06 हेक्टेयर	1977
बारकुटिया टी कैथोलिक चर्च, बैरगांग, जिला सोनितपुर असम	2.24 हेक्टेयर	2000
जान पाल चाह बगीचा कैथोलिक मिशन, सलोना, जिला नागांव असम	3.11 हेक्टेयर	2001

यद्यपि चाय बोर्ड के पास पंजीकरण के समय चाय उद्योग में निवेश हेतु निधियों के स्रोतों का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं होता है तथापि बोर्ड आगे से ऐसी सूचना चाय बोर्ड को प्रकट करना सुनिश्चित करेगा।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट

3821. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति और दिशा-2001-2002" नामक एक रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं और सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंको में प्रबंधन के पुनर्गठन और निगरानी कार्य को एक संस्था के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति से संबंधित रिपोर्ट 2001-2002" नवम्बर, 2002 में प्रकाशित की है। रिपोर्ट में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यनिष्पादन का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसमें नीतिगत वातावरण और इन वित्तीय संस्थाओं पर लागू नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की गतिविधियों से संबंधित सूचना भी दी गई है। 2001-2002 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में शुरू की गई नीतिगत पहलों का विहंगावलोकन और विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत बनाने से संबंधित परिदृश्य और बैंकिंग प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए किए गए ढांचागत परिवर्तनों की शुरुआत भी रिपोर्ट का हिस्सा है।

(ग) और (घ) सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान दोहरे नियंत्रण को देखते हुए शहरी सरकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अलग से शीर्ष निकाय की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों को चौ. ब्रह्मप्रकाश समिति द्वारा संस्तुत माडल सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए इसमें विधायी परिवर्तन किए बिना शीर्ष पर्यवेक्षी निकाय को जैसा कि सुझाव दिया गया है, उन्हीं अड़चनों का सामना करना पड़ेगा जिसका कि भारतीय रिजर्व बैंक आज सामना कर रहा है। अत: केन्द्र सरकार का प्रयास राज्यों को अपने राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन के लिए तैयार करवाना है। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने संघीय बजट में सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार प्रारंभ करने की घोषणा की है और इन सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र को पुनरूजीवित करने के लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड द्वारा विपणन प्रक्रिया

3822. श्री एस. मुरुगेसन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने देश भर में अपने उत्पादों का अनौपचारिक रूप से विपणन करने और विक्रय केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कॉफी बोर्ड द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस

3823. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र के कई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ये कब से लंबित हैं;

(ग) इन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों को यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), 21 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) तथा 214 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आवेदन लंबित पड़े हैं।

(ग) और (घ) राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पाए गए प्रतिकूल लक्षणों के कारण लाइसेंस जारी करने के लिए उनके प्रस्ताव लंबित पड़े है। तथापि, चूंकि ये बैंक उस समय पहले से ही कार्य कर रहे थे जब सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1966 में) के दायरे में लाया गया था, अत: इन्हें उस समय तक कार्य करने की अनुमति दी गई है जब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लैइसेंस के लिए इनके आवेदन रद्द नहीं कर दिए जाते। जहां तक शहरी सहकारी बैंकों का संबंध हैं, ये प्रस्ताव अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने, मांगे गए स्पष्टीकरण को प्राप्त करने में विलम्ब आदि के कारण निपटान के लिए लंबित हैं। जैसे ही ये स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाऐगे, इन प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुवीक्षण समिति को भेज दिया जाएगा। इन प्रस्तावों/आवेदनों के निपटान के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है।

फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन

3824. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिला था;

(ख) यदि हां, तो वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और परिसंघ द्वारा कौन-कौन सी समस्याएं/मांगे उठायी गई है; और

(ग) इस पर की गई कार्रवाई सहित सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ के अध्यक्ष श्री पी.डी पटोदिया 18 नवम्बर, 2002 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. बिमल जालान से मिले।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति को विनियमित करता है। उठाए गये मुद्दे और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रमांक	उठाए गए मुद्दे	भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां
1	2	3
1.	निर्यात ऋण लागत को बैंक दर से जोड़ा जाना	इस समय रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर लदान पूर्व ऋण के लिए पहले 180 दिनों और लदान पश्चात ऋण के लिए 90 दिनों के लिए मूल उधार दर (पीएलआर) से 2.5% घटाने तक सीमित रखी गई हैं। निर्यात प्राप्य राशियों पर वायदा (फारवर्ड) प्रीमिया को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के लिए प्रभावी ब्याज लागत आंतर्राष्ट्रीय रुप से अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी है। उच्चतम दरों में और कमी करने से बैंक निर्यातकों को समय पर ऋण देने के लिए हतोसाहित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण एवं लदान पश्चात ऋण लाइबोर से जुड़ी (लाइबोर+0.75%) दरों पर उपलब्ध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धी है।

1	2	3
2.	निर्यात क्षेत्र के लिए उदार ऋण मानदंड	बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शुद्ध बैंक ऋण के कम से कम 12% तक निर्यात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही तिमाही समीक्षा के आधार पर अलग-अलग बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जा रही है और बैंकों को निर्धारित स्तर प्राप्त करने की सलाह दी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिशत का स्तर न्यूनतम है और बैंकों को इस स्तर से अधिक निर्यात ऋण देने की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उपलब्धि में कोई चूक न हो। यह भी पाया गया है कि कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में बैंकों द्वारा दिया गया निर्यात ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्यात अंश के अनुसार होगा।
3.	निर्यात ऋण प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता-सम्पार्श्विक एवं गारंटियों को माफ करना	बैंकों को समय-समय पर सलाह दी जाती रही है कि केवल सम्पार्श्विक की अनुपलब्धता के आधार पर ही ऋण के अभाव में कोई उपोयगी निर्यात आदेश रद्द न हो जाए। तथापि, ऋण देना बैंको का व्यावसायिक निर्णय है, जो ऋणकर्ता के समग्र मूल्यांकन एवं जोखिम अनुमान पर निर्भर करता है।
4.	सहायता संघ (कान्सोर्शियम) वित्त	बैंकों को पहले ही यह सलाह दी जाती रही है कि सहायता संघ वित्त के मामले में जैसे ही सहायता संघ मूल्यांकन को अनुमोदित कर दें, सदस्य बैंकों को अपनी संबंधित मंजूरी प्रक्रिया साथ-साथ शुरू कर देनी चाहिए।
5.	ऋण लागत की एकरूपता	इस समय, भारतीय रिजर्व बैंक मूल उधार दर (पीएलआर) से जुड़ी उच्चतम दरों को ही निर्धारित करती है। इसे अतिरिक्त, बैंकों को ऋण पात्रता वाले निर्यातकों को उनके पिछले अच्छे कार्य निष्पादन रिकार्ड के आधार पर पैकिंग ऋण की पूरी अवधि के लिए अपने विवेक से मूल उधार दर (पीएलआर) से कम ब्याज लेने की भी स्वतंत्रता है।
6.	ईईएफसी खातों में लोच	अब से ईईएफसी खातों को चालू खातों के रूप में रखने की अनुमति दी गई है, जिन पर कोई ब्याज नहीं लगता।

[हिन्दी]

सड़क और राजमार्ग के लिए विश्व बैंक से ऋण

3825. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजमार्गों और सड़कों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) कौन-कौन से स्थानों पर इन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) अब तक प्रत्येक परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) विश्व बैंक ने नवम्बर, 2000 में गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना के लिए 381 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण मुहैया कराया है।

(ख) इस परियोजना में शामिल स्थान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) नवंबर, 2002 तक इस परियोजना के तहत किया गया व्यय 437 करोड़ रु. है।

(घ) गुजरात सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिए इस परियोजना हेतु 400 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया है।

(ङ) इस परियोजना की समापन तिथि 31.12.2005 है।

विवरण

गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना में शामिल सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम
1	2
1.	सरखेज-विरामगाम
2.	महसाना-पालनपुर
3.	राजकोट-जामनगर (वन्थाली से सम्पर्क)
4.	कडोदरा- बाजीपुरा
5.	गोधरा-हालोल
6.	महसाना-पालनपुर (चार लेनों का निमार्ण)
7.	गोधरा-शामलाजी
8.	लाडवेल-डाकोर गोधरा
9.	बडोदरा-पाडरा-जामबुसर-भड़ौच-दाहेज
10.	जेतपुर-जूनागढ़-राजकोट-मोरवी
11.	वन्थाली जामनगर-खामबलिया से ध्रोल सम्पर्क
12.	विरामगाम-ध्रांगधरा ध्रांगधरा-हलवाड
13.	धोलका-बागोदरा वातमन-पिम्परी
14.	ओलपैड-इच्छापुर इच्छापुर-नवसारी से सम्पर्क
15.	अहमदाबाद-महमदाबाद
16.	हालोल-बोडेली
17.	बांडसा-धरमपुर
18.	धरमपुर-अम्बेठी
19.	बोरसाड-पाडरा से जैसर मार्ग
20.	धोलेरा-भावनगर
21.	महुवा-राजुला (भाग)
22.	सचिन-पलसाना
23.	पिपली-धोलेरा
24.	धानसुरा-मोडासा
25.	तिलकवाड़ा-राजपिपला
26.	नेत्रांग-खांट
27.	मांडवी-व्यारा से सम्पर्क
28.	अम्बेठी (पींट से सम्पर्क)-वापी एवं वापी दमन
29.	वलसाड-धरमपुर
30.	भावनगर-त्रापज
31.	त्रापज-अलंग, भावनगर-वरतेज एवं वरतेज शिहोर
32.	आटकोट-चावंड (अमरेली से सम्पर्क), चावंड-धासा
33.	नारदा सम्पा
34.	सम्पा हरसोल
35.	हरसोल धनसुरा
36.	उमरेठ डाकोर
37.	तिलकवाड़ा वोवेली
38.	जामबुसर अमोद
39.	धांधुका वल्लभीपुर
40.	बागोदरा फेदरा
41.	फेदरा धांधुका
42.	सम्पर्क वन्थाली जामनगर

मादक पदार्थों को जब्त किया जाना

3826. डा. जसवंत सिंह:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में '68 किलोग्राम हशीश सीज्ड टू हेल्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरों (एन.सी.बी.) द्वारा जब्त की गयी नशीली दवाओं/स्वापकों संबंधी संबंधी मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने व्यक्तियों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में हशीश के विनिर्माण और बिक्री के विरूद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरों (एनसीबी) के अधिकारियों ने विशिष्ट सूचना के आधार पर 20.10.2002 को सिंधु सीमा, दिल्ली पर एक ट्रक रोका और उसकी तलाशी के पश्चात् 68.025 किलोग्राम हशीश जब्त की जो कि 23 पैकेटों में थी, जिन्हें ट्रक के केबिन में छिपा कर रखा गया था। स्वापक औषधि और ट्रक को जब्त कर लिया गया था और ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक और व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

(ग) और (घ) सूचना विवरण में दी गई है।

(ङ) भारत सरकार ने, देश में हशीश सहित स्वापक औषधियों के अवैध विनिर्माण व्यापार और उनकी बिक्री के खिलाफ बहुत से उपाए किए हैं। इनमें कैनेविश पौधों जिससे हशीश बनाई जाती है, की अवैध खेती को समाप्त करना, समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, प्रवर्तन अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच घनिष्ट समन्वय स्थापित करना और इस उद्देश्य के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यौरो द्वारा तिमाही समन्वित बैठकें करना, समन्वित कार्रवाई द्वारा संगठित स्वापक औषधि के व्यापारियों को निष्प्रभावित करना, आधुनिक बनाना और अपग्रेड करना, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अधिक संख्या में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रदान करना और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 और 2002 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरों द्वारा जब्त की गयी स्वापक औषधियों के मामलों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	2000		2001		2002 अक्तूबर तक	
		मामलों की सं.	गिरफ्तार किए गए/आरोप निर्धारित व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	गिरफ्तार किए गए/आरोप निर्धारित व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	गिरफ्तार किए गए/आरोप निर्धारित व्यक्तियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	10	10	16	15	16	13
2.	तमिलनाडु	5	17	7	19	17	46

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पश्चिमी बंगाल	6	11	12	17	13	15
4.	उत्तर प्रदेश	19	11	9	8	13	17
5.	बिहार	1	1	–	–	–	–
6.	राजस्थान	3	5	4	5	3	9
7.	महाराष्ट्र	11	22	10	28	11	13
8.	पंजाब	4	2	3	3	1	0
9.	गुजरात	4	9	6	15	5	10
10.	मणिपुर	1	3	–	–	1	0
11.	जम्मू-कश्मीर	4	6	1	0	2	2
12.	केरल	5	12	6	8	5	8
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	2	5
	कुल योग	73	109	74	118	89	138

[अनुवाद]

नौवी योजना में भंडारण क्षमता

3827. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा सृजित भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में उपलब्ध भंडारण क्षमता प्रर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं को सृजित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 3.96 लाख टन की भंडारण क्षमता और केन्द्रीय भंडारण निगम ने 13.06 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया। राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 353.10 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी/किराये की और ढकी हुई एवं कैप) थी जिसमें 242.80 लाख टन स्टाक रखा गया था। इस प्रकार वर्तमान में भंडारण क्षमता पर्याप्त है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम का 6.42 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता और केन्द्रीय भंडारण निगम का 15 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार निर्मित क्षमता

क्र सं.	राज्य	केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.05	0.60
2.	अंडमान	—	0.03
3.	बिहार	0.04	0.03

1	2	3	4
4.	गुजरात	0.63	0.20
5.	गोवा	0.10	—
6.	हरियाणा	1.83	0.10
7.	हिमाचल प्रदेश	—	0.02
8.	जम्मू-कश्मीर	—	0.08
9.	कर्नाटक	0.86	0.73
10.	केरल	0.33	0.40
11.	मध्य प्रदेश	0.75	0.15
12.	महाराष्ट्र	0.68	0.15
13.	मेघालय	—	0.04
14.	नागालैंड	—	0.10
15.	उड़ीसा	0.30	0.25
16.	पंजाब	1.65	0.48
17.	राजस्थान	0.67	—
18.	तमिलनाडु	0.61	0.10
19.	त्रिपुरा	—	0.05
20.	उत्तर प्रदेश	1.79	0.45
21.	पश्चिमी बंगाल	0.77	—
	जोड़	13.06	3.96

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना

3828. श्रीमती रानी नरहः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी अनुदान प्राप्त कर रहे असम के अनेक गैर-सरकारी संगठन निधियों का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों पर प्रत्यक्ष सतर्कता रखने हेतु अपना स्वयं का लेखा परीक्षण और निरीक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या निधियों के उचित उपयोग हेतु इन गैर-सरकारी संगठनों पर निगरानी रखने हेतु कोई अन्य प्रणाली उपलब्ध है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इस मंत्रालय से सहायतानुदान प्राप्त करने वाला असम स्थित कोई भी संगठन निधियों का दुरूपयोग करता नहीं पाया गया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा सहायताप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समय-समय पर मानीटरिंग एवं मूल्यांकन किया जाता है। इन संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, नोडल एजेन्सियों तथा मंत्रालय के अपने अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

मध्य प्रदेश स्टोन पार्क

3829. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचों और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कटनी (जबलपुर) में स्टोन पार्क स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टोन पार्क हेतु मध्य प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान किए जाने का विचार है; और

(ग) इसमें राज्य सरकार का कितना अंशदान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। गांव हरदुआ-खुरावल, जिला-कटनी में स्टोन पार्क स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) द्वारा भारत सरकार की निर्यात बुनियादी संरचना और अन्य कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता स्कीम (एएसआईडीई) के अंतर्गत स्वीकृति दी गयी है।

(ख) एसएलईपीसी के अनुमोदन के अनुसार इस स्टोन पार्क के लिए एएसआईडीई के अंतर्गत 3.26 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जानी है।

(ग) 1.23 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि., जबलपुर जो कार्यान्वयन एजेंसी है, के जरिए किया जाना है।

उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं

3830. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस आवंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इनमें से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 636.80 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) से (घ) नौवीं योजना अवधि की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु निधियों की निमुक्ति के अधिक होने का अनुमान है इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता परन्तु राज्यों द्वारा निधियों की प्राप्ति परिपूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने, बजट की उपलब्धता और पहले निर्मुक्त की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है। 09.12.2002 तक 66.92 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में कल्याण योजनाएं

3831. श्रीमती रीना चौधरी:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों/नि:शक्त व्यक्तियों और विधवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001 के दौरान और आज की तिथि के अनुसार ऐसी प्रत्येक योजना पर योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है/खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े और अत्यधिक पिछड़े वर्गों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार में उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत पृथकत: कितने परिवार और व्यक्ति लाभान्वित हुए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क), (ख) और (ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जातियों/अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं तथा वर्ष 2001-02 और 2002-03 (आज तक) के दौरान निर्मुक्त धनराशि और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। सूचना अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्य पिछड़े वर्गों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग शामिल हैं। ये योजनाएं हैं:-

(1) अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(4) विदेश में अध्ययन करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पी.एच.डी और उच्च स्तर हेतु उच्च छात्रवृत्ति सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व सोचिंग

(6) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम (इक्विटी शेयर अंशदान)।

विवरण

(रु. लाख में)

	अनुसूचित जाति विकास	उत्तर प्रदेश				बिहार			
		2001-02		2002-03 (आज तक)		2001-02		2002-03 (आज तक)	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	11816.86	अनुपलब्ध	3973.64	अनुपलब्ध	0.00	अनुपलब्ध	0.00	अनुपलब्ध
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2304.94	23002	1469.46	386000	0.00	37623	0.00	37623
3.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0	0.00	0	15.47	0	0.00	अनुपलब्ध
4.	अनुसूचित जाति विकास निगम	350.00	933701	314.60	0	0.00	0	0.00	0
5.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	48.16	7132	11.42	8241	0.00	0	0.00	0
6.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टलों का निर्माण	103.16	450	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	196.04	550	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना	2.61	60	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	700.00	0	886.64	0	0.00	0	65.00	0
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्यता का उन्नयन	30.87	276	36.25	275	0.00	0	0.00	0
11.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	468.02	6705	202.07	2590	89.61	1735	8437	1265
12.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	0.00	4671(टी) (आर) 11653	0.00	16324	0.00	0	0.00	लागू नहीं
	अल्पसंख्यक								
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग	56.73	1890	1.80	120	53.68	3410	29.32	890

1		2	3	4	5	6	7	8	9
विकलागं कल्याण									
14.	विकलांगों को रोजगार	29.05	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं
15.	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	347.45	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	251.75	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं
16.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन की योजना	715.34	6789	488.17	6495	225.42	1930	126.36	1290
17.	सहायक यन्त्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग	1768.51	10000	938.50	6000	63.31	600	52.00	400
महिला और बाल विकास विभाग									
1.	कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना (स्वाधार)	8.13	18.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0

टी - प्रशिक्षित आार - पुनर्वाधित

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों संबंधी आयोग

3832. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के क्या कार्य हैं; और

(ग) आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां। अनुसूचित क्षेत्र और अनसूचित जनजातियों संबंधी द्वितीय आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत 18.7.2002 को किया गया है।

(ख) आयोग के विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट इसके अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर किए जाने की संभावना है।

विवरण

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति आयोग के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कार्य निम्नलिखित हैं

(1) संविधान के विभिन्न उपबंधों और देश में जनजातीय परिदृश्य को समग्र रूप से ध्यान रखते हुए आयोग भविष्य में किए जाने वाले संभावित कार्यों और दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार करेगा और एक व्यवहार्य व्यापक जनजातीय नीति बनाएगा।

(2) जनजातीय हितों के संवर्धन के लिए संवैधानिक, विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक युक्तियों को ध्यान में रखते हुए यह, अनुसूचित जनजातीयों से संबंधित उपबंधों की जांच करेगा और संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के पार्याप्त और समुचित प्रचालन के लिए उपाय सुझाएगा।

(3) ढेबर आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनाई जाने वाली/या अन्यथा कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यचालन की समीक्षा करेगा तथा इस संबंध में यथावश्यक नीति आदि बनाने के उपाय सुझाएगा।

(4) यह कब तक अपनाई जा रही विकास संबंधी कार्यनीतियों की जांच करेगा और खासतौर से निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए जनजातीय उपयोजना के समग्र दृष्टिकोण की संवीक्षा करेगा-

(क) योजना और गैर-योजना अर्थात्—कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय और सहकारी संस्थानों की भूमिका, जनजातियों का विस्थापन।

(ख) भूमि पर अन्यों द्वारा कब्जा करने, धन संबंधी लेन-देन, उत्पादन-शुल्क आदि के मामलों में विधिक और प्रशासनिक प्रकार के सुरक्षा उपाय करना।

(ग) वित्तीय और बजटीय प्रबंध करना और यथावश्यक संशोधनों और अभिनव परिवर्तनों के लिए सुझाव देना।

(5) पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों से संबंधित संविधान के भाग IX के संदर्भ में सामाजिक-राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढांचे की जांच करना और उसके जनजातीय लोगों द्वारा स्वशासन तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए प्रभावी बनाने हेतु उपाय सुझाना।

(6) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों और/अथवा अनुसूचित जनजातीयों के प्रशासन और कल्याण से संबंधित अन्य कोई मामला।

बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते

3833. डा.एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रामपाल सिंह:
डा. वी सरोजा
श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. अशोक पटेल:
श्री पदम सेन चौधरी:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के किसी भी लाइसेंस प्राप्त बैंक में विदेशी मुद्रा के खातों के संचालन हेतु भारतीय नागरिकों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण देश के विदेशी मुद्रा भण्डार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या बार-बार विदेशों को दौरा करने वाले नागरिकों को इससे लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मौजूदा बैंक खातों में विदेशी मुद्रा रखी जा सकती है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) जी, हां। निवासी भारतीयों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा संबंधी सुविधाओं को और अधिक उदार बनाने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में निवासी व्यक्ति को भारत में एक प्राधिकृत डीलर के पास निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता नामक विदेशी खाता खोलने, धारित करने और बनाए रखने की अनुमति दे दी है। निवासियों द्वारा निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से भी प्राप्त विदेशी मुद्रा इस खाते में रखी जा सकती है:

(i) भारत से बाहर किसी स्थान की योत्रा के दौरान सेवा हेतु भुगतान के रूप में;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो भारत का निवासी नहीं है और जो भारत की यात्रा पर आया है, किन्हीं कानूनी देयताओं के निपटान के रूप में;

(iii) भारत से बाहर यात्रा के दौरान मानदेय या उपहार के रूप में;

(iv) विदेश यात्रा के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त राशि जो खर्च न की गई राशि की द्योतक है।

यह नई सुविधा करेंसी नोटों और/अथवा विदेशी मुद्रा यात्री चेकों के रूप में 2000 अमरीकी डालर अथवा इसकी समकक्ष राशि रखने की सुविधा के अतिरिक्त है। निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में रखी शेष राशि का उपयोग निवासी भारतीयों के लिए मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमों के तहत अनुमत किसी भी प्रयोजन (उदाहरण: यात्रा, विदेश में चिकित्सा-उपचार 5000 अमरीकी डालर तक के उपहार, सीधे या इन्टरनेट के जरिए पुस्तकों की खरीद, विदेश में शिक्षा इत्यादि) के लिए किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा के भण्डारों पर इसके प्रभाव का आकलन इतनी जल्दी कर पाना संभव नहीं है। इस योजना क समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी।

(च) और (छ) जी, नहीं। निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते की प्रचालनात्मक अपेक्षा अन्य मौजूदा योजनाओं से भिन्न है और इसलिए किसी मौजूदा बैंक खाते का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विनिर्माण गतिविधियों को बंद किया जाना

3834. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी भारत में अपनी विनिर्माण गतिविधियों के बंद करने और चीन, ताइवान, कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में स्थित अपने कारखानों से आयातित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में उतारने की नीति बनाई है जहां विनिर्माण लागत बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थित को सुलझाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष जोनों में विनिर्माण सुविधाओं के लिए ऐसी कंपनियों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में दीर्घकालिक उपाय करने का है जहां हमारे अनुत्पादक श्रम कानून और उत्पाद शुल्क लागू नहीं होते ताकि उनकी विनिर्माण लागत कम की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) कार्यकलापों में परिवर्तन करने वाली कंपनियों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम एन सी) के निवेश संबंधी निर्णय वैश्वीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, व्यवसाय/विपणन के मूलतत्व, कारपोरेट पुनर्संरचना/रणनीति, आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करते हैं। सरकार अपनी ओर से एक प्रतिस्पर्धात्मक, उदार एवं पारदर्शी नीति की व्यवस्था उपलब्ध कराती है जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलापों सहित लगभग सभी कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिनमें रणनीति तथा क्षेत्रीय महत्व के आधार पर सीमाएं लागू की गयी हैं। कार्यकलाप में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा वर्तमान एफ डी आई नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्यात के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक तथा प्रयोक्ता-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से अप्रैल, 2000 में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) योजना भी आरंभ की है। एस ई जैड के तहत विनिर्माण, व्यापार, रिकंडीशनिंग, मरम्मत अथवा सेवा कार्यकलाप के लिए एककों की स्थापना की जा सकती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जैड) में रणनीति, रक्षा, पर्यावरण अथवा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार के विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए स्वत: मार्ग के माध्यम से 100% तक एफ डी आई की अनुमति है। एस ई जैड में स्थित एककों को मिलने वाले अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:-

* पूंजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्रियों, उपभोप्य वस्तुओं, फुटकर पूर्जों का नि:शुल्क आयात/प्राप्ति;
* 5 वर्षों के लिए आयकर में 100% छूट और इसके बाद 2 वर्षों के लिए 50% की छूट;
* लागू आयात नीति के अध्यधीन पूर्ण सीमा शुल्क पर स्वदेशी बिक्री;
* उप संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता;
* निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा (ई ई एफ सी) लेखा में 100% विदेशी मुद्रा प्राप्तियां रखने की सुविधा;
* स्वदेशी प्रशुल्क क्षेत्र से एस ई जैड एककों को की गयी बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर से छूट;
* एस ई जैड में विदेशी बैंकिंग एककों की स्थापना करने की सुविधा।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में बंद पड़े गोदाम

3835. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखंड राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदाम गत एक वर्ष से बंद पड़े हैं;

(ख) क्या इन सभी गोदामों में खाद्यान्न भरे हुए हैं जो सड़ रहे हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान गोदामों के किराए पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इन गोदामों में कितने मूल्य के अनाज भरे हैं;

(घ) क्या सरकार इन गोदामों को खोलने और संचानल करने हेतु प्रयास करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) बिहार और झारखंड क्षेत्रों में किराए पर लिए गए क्रमश: 7 और 2 गोदाम 1.11.2001 से बंद पड़े हुए हैं।

(ख) कुल 31,493 टन की क्षमता के इन गोदामों में 6453 टन खाद्यान्न हैं जो इस समय सड़ नहीं रहा है।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान प्रदत्त किराए की राशि लगभग 15.28 लाख रुपए है। इन गोदामों में भंडारित अनाजों का मूल्य लगभग 3.57 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) इन गोदामों को चलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिशेष मजदूरों को तैनात करने हेतु अगस्त, 2001 में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। तथापि, इन गोदामों को जल्द से जल्द खोलने तथा चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारत माता थियेटर को खाली करना

3836. श्री किरीट सोमैया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई में भारत माता थियेटर को खाली करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मसले से निपटने हेतु प्रस्ताव, प्रतिक्रया और भावी कार्रवाई क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के दिनांक 5.3.2002 के निर्देश अनुसार, एन.टी.सी. के सम्पदा अधिकारी द्वारा सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जेदार से खाली करवाना) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत भारत माता थियेटर को कब्जेदार से खाली कराने के आदेश जारी किए गए थे। कब्जेदार ने खाली कराने के आदेश के खिलाफ सिटी सिविल न्यायालय में एक अपील दायर की और न्यायालय ने खाली करने के आदेश पर स्टे प्रदान कर दिया।

(ग) बीआईएफआर द्वारा पुर्नस्थापना योजना के अनुमोदन के अनुसरण में बीआईएफआर के निर्देश अनुसार परिसम्पत्ति को बेचने का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय यथा समय लिया जाएगा।

सिमटने वाले कंटेनरों का आयात

3837. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूखे की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने हेतु कतिपय विशेष उपस्करों के आयात का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों की राय मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को सड़क टैंकरों के कमी के मद्देनजर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अधिक प्रभावी और किफायती ढंग से पेय जल की आपूर्ति हेतु सिमटने वाले कंटेनरों के आयात हेतु राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी संगठनों अथवा निजी पक्षों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत देश में सूखे की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए विशेष उपस्करों का आयात करने का प्रावधान किया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सिमटने वाले कंटेनरों के आयात के बारे में राज्य सरकारों, अर्द्ध-सरकारी संगठनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्पाद शुल्क और आय कर संबंधी दावे

3838. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगमित क्षेत्र पर विवादित उत्पाद शुल्क और आयकर संबंधी दावों में भारी वृद्धि हुई है जो न्यायालयों में लंबित अपीलों, आय कर अपीलीय अधिकरण इत्यादि में रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि की भारी वसूली के लिए सभी लंबित मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने को सुनिश्चत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख)	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
प्रत्यक्ष कर	2,57,325	41,147 करोड़ रुपए
उत्पाद शुल्क	31,931	9,480 करोड़ रुपए

लंबित मामलों के कारणों में निर्धारितियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तक सभी उपलब्ध कानूनी उपायों की शरण लेना है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों सहित अपील अधिकरण बहुधा वसूली पर स्थगन आदेश दे देते हैं।

(ग) लंबित मामलों को तेजी से अंतिम रूप देने से लिए उठाए गए कदमों में लम्बित मामलों की साप्ताहिक निगरानी, एक समान विषयों वाली अपीलों को तेजी से निपटाने के लिए समूहीकृत करना, अनावश्यक वादों को कम करना तथा अपीले दर्ज करने के लिए मौद्रिक सीमाएं बढ़ाना शामिल हैं। स्थगन आदेशों को समाप्त करने के लिए यथा न्यायालय में उपयुक्त याचिका दायर करके ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई करने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं।

वृद्धाश्रम

3839. श्री ए. नरेन्द्र: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धश्रमों के संचालन हेतु किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का इन संगठनों द्वारा पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 (30.11.2002 तक) के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना के अधीन वृद्धावस्था गृहों को चलाने के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में दी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) जिन संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है वे उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अपने सहायता अनुदान प्रस्तावों के साथ उपयोग प्रमाण-पत्र भेजते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्तमान वित्त वर्ष 2002-2003 (30.11.2002 तक) के दौरान वृद्धावस्था गृहों के संचालन के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

आंध्र प्रदेश

क्रम संख्या	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2002-03 (30.11.2002) तक के दौरान वृद्धावस्था गृहों के संचालन के लिए दिया गया सहायता अनुदान
1	2	3	4
1.	डिस्प्रेड पीपल्स डेव. सोसाइटी कुड्डप्पा, जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
2.	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग अभिरूद्धि संगम कुड्डप्पा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38

1	2	3	4
3.	श्रीनिवास एजुकेशन एंड रुरल डेव. सोसाइटी कुड्डप्पा जिला	वृद्धावस्था गृह	4.14
4.	खादी सिल्क ग्रामोदय समिति कुड्डप्पा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.32
5.	मदर इंडिया कम्यूनिटि डेव. एसोसिएशन चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
6.	पेडा प्रजाला सेवा समिति चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.60
7.	पीपल्स एक्शन फार सोशल सर्विस चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
8.	राष्ट्रीय सेवा समिति चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
9.	सर्वोदय महिला कल्याण समिति चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
10.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.32
11.	तेलुगु भारती महिला मंडली चित्तूर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
12.	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति	वृद्धावस्था गृह	0.63
13.	एसोसिएशन फार द केयर आफ द ऐज्ड, इस्ट गोदावरी जिला	वृद्धावस्था गृह	2.34
14.	हल्प द वुमन काकीनाडा इस्ट गोदावरी जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
15.	संजय गांधी मेमोरियल अनाथालय और बोर्डिंग होम इस्ट गोदावरी जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
16.	श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी इस्ट गोदावरी जिला	वृद्धावस्था गृह	0.70
17.	इंदिरा मेमोरियल विकर सेक्शन, गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
18.	नरासरपेट तालुक एस टी युथ क्लब गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38

1	2	3	4
19.	नवीन आदर्श महिला मंडली गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.73
20.	एस इ आर डी, एस सी/ एस टी एंड क्रिशचन वेलफेयर सोसाइटी गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.29
21.	सोनियां गांधी हरिजन गिरिजन बलहीन वर्गमूलमहिला मंडली गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
22.	उदय श्री महिला समाजम गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.32
23.	कंड्रीका महिला मंडली गुंटुर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
24.	अनुराग ह्युमन सर्विसिस हैदराबाद जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
25.	डा. पी.एन. हनुमंत राव चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
26.	वृद्धावरुद्ध कल्याण केन्द्र हैदराबाद रंगारेड्डी जिला	वृद्धावस्था गृह	2.67
27.	माई सेवा संघ कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.11
28.	ज्योति कल्याण संघ हैदराबाद जिला	वृद्धावस्था गृह	4.14
29.	ए पी गिरीजन सेवक संघ कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
30.	अम्मा व्योवृद्ध सेवा सदनम कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	3.85
31.	एकीकृत विकास एजेंसी कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
32.	सीनियर सीटिजन फारम कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	2.30
33.	बापुजी एंटीग्रेटिड रुरल डेव. सोसाइटी कृष्णा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.37
34.	श्री त्रिवेणी एजुकेशनल अकादमी	वृद्धावस्था गृह	1.38
35.	नव भारत एजुकेशनल सोसाइटी कुरनुल जिला	वृद्धावस्था गृह	0.75
36.	प्रतिभा एजुकेशन सोसाइटी कुरनुल जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
37.	बेथल एजुकेशन सोसाइटी महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
38.	सोशल एकशन फार सोशल डेव. महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38

1	2	3	4
39.	ग्रामाभ्युदय सेवा संस्थान महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.07
40.	स्वराज लक्ष्मी आरग, फार वुमन महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
41.	संध्या रूरल वेलफेयर सोसइटी महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
42.	एस ए वी गुप्ता एजुकेशन सोसइटी महबूब नगर	वृद्धावस्था गृह	1.38
43.	रूरल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन महबूब नगर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.32
44.	सोसाइटी आफ इमेन्युवल इवेनजिलिज्म फौर रूरल डेव. नालगोंडा जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
45.	आस्थाना-ए-चिश्तीया महिला मंडली नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
46.	आर्य दयानंद महिला मंडली नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
47.	भारतीय महिला सेवैच्छिक सेवा संघ नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
48.	द डिवाइन	वृद्धावस्था गृह	2.76
49.	नेहरू भारतीय एजुकेशनल इंस्टिटयुशन नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
50.	पालीमर्स एजुकेशनल सोसाइटी नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
51.	हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (हरिजन क्रिशचन सोशल वेलफेयर सोसाइटी) नेल्लौर जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
52.	3 मेन एकेडेमिक्स प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
53.	लक्ष्मी महिला प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
54.	महिला मंडली प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
55.	प्रकासम जिला बलहीन वर्गला क्लोनी वरगा सेवा संगम प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
56.	समता महिला वेदिका प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
57.	श्री महालक्ष्मी महिला मंडली प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
58.	बाल्मिकि सेवा संगम प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.73

1	2	3	4
59.	वास्वी एजुकेशनल सोसाइटी प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	2.76
60.	श्री भवानी महिला मंडली प्रकासम जिला	वृद्धावस्था गृह	1.56
61.	प्रियदर्शनी सर्विस ऑरग विशाखापट्नम जिला	वृद्धावस्था गृह	1.31
62.	श्री वेंकटेश्वर युवजन संघम विशाखापट्नम जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38
63.	सेंट मेरी रिहेब्लिटेशन सेंटर फार आरफन, विडोज एंड लेपरर्स वेस्ट गोदावरी जिला	वृद्धावस्था गृह	1.38

उत्तरांचल

क्रम संख्या	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2002-03 (30.11.2002) तक के दौरान वृद्धावस्था गृहों के संचालन के लिए दिया गया सहायता अनुदान
1.	पर्वतीय नवजागरण समिति बागेश्वर जिला	वृद्धावस्था गृह	2.58

वस्त्र संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचा योजना

3840. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचा योजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इस योजना ने अपना लक्ष्य कहां तक हासिल कर लिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वस्त्र संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचा योजना की विशेषताओं में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सरकार ने परम्परागत वस्त्र-अपैरल केन्द्रों में स्थित एककों की सहयता करने हेतु उनमें व्याप्त जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतर को दूर करने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र (टीसीआईडीएस) नामक एक नई योजना शुरू की है ताकि वे विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बन सकें।

(ख) वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र (टीसीआईडीएस) योजना का एक प्रमुख माना गया लाभ, उत्पादन के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर करना और गुणवत्ता, उत्पादकता में सुधार लाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रचालन संबंधी रियायतें देना है ताकि वस्त्र उद्योग के केंन्द्र विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बन सकें और वे घरेलू और अंतराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकें। इसलिए योजना के अंतर्गत वस्त्र केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ और अन्य उपायों के फलस्वरूप, 1 जनवरी , 2005 से शुरू होने वाले एमएफए पश्चात युग में विशेष रूप से निर्यात में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र (टीसीआईडीएस) योजना के अंतर्गत सहायता के लिए कुछ राज्य सरकारों ने परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं। इन परियोजना प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पहले, योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में योजना के कार्य क्षेत्र और उसके वित्त पोषण के पैटर्न में संशोधन करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, पहले परियोजना के

जटिल संघटक के 50 प्रतिशत तक दी जाती थी जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 करोड़ रूतक सीमित थी। संशोधित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, सामान्य बहिस्राव संयंत्र के संबंध में परियोजना के संघटक के 100 प्रतिशत तक उपलब्ध कराई जाएगी जिससे अपैरल एककों के लिए जल आपूर्ति और निकासी की सुविधाओं में सुधार लाने और क्रेच भवन का निर्माण करने के निमित्त होगी जबकि अन्य संघटकों के वित्त पोषण का अनुपात, केन्द्र और संबंधित राज्यों/प्रतिष्ठत एजेंसियों के बीच 75:25 का होगा।

टीसीआईडीएस के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न हैं।

विवरण

वस्त्र केन्द्रों की अध्यसंरचना के विकास से संबंधित संशोधित योजना (टी.सी.आई.डी.एस) के मार्गदर्शी सिद्धान्त।

1. वस्त्र केन्द्रों की अध्यसंरचना के विकास संबंधी योजना, संभावित वस्त्र विकास केन्द्रों में अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के कार्यक्रम का एक भाग है और इसलिए इसका उद्देश्य निर्यात क्षेत्र से जटिलताओं को समाप्त करना है जिससे वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिसपर राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 में बल दिया गया है।

2. इस योजना में आवश्यक अथवा आपातकालीन प्रकृति के निवेशों को ही शामिल किया जाएगा और जिन्हें वार्षिक प्लान-योजना के प्रस्तावों के भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस योजना में मुख्यत: तीव्रता से एवं नीतिपरक रूप से कठिनाईयों को दूर करने तथा सामान्य निर्यात सुविधाएं प्रदान करने के लिए निवेश को शामिल करना आवश्यक है। इन निवेशों में निर्यात संवर्धन से संबंध प्रदर्शित होना चाहिए।

3. इस योजना में सभी परंपरागत वस्त्र केन्द्र शामिल होंगे जैसे तिरूपुर, कोएम्बटूर, करूर, बंगलोर, दिल्ली-नोएडा-गुणगांव, पानीपत, लुधियाना, अहमदाबाद, मुंबई, भिवंडी, इचलकरंजी, बुरहानपुर, सलेम-इरोड, वाराणसी-मऊ, मेरठ-पिलखुआ, सूरत, सोलपुर, कोलकाता, (निटिंग) चैन्नई, कनानूर, अमृतसर, बद्दी (हिमाचल प्रदेश), मालेगांव और भीलवाड़ा। इसके अतिरिक्त, इस योजना में विद्युतकरघा समूहों सहित नए/उभरते हुए केन्द्रों भी शामिल करने का प्रावधान है।

4. अन्य बातों के साथ-साथ, संतुलित निवेश का संबंध इनसे हो सकता है:-

   (i) सड़क निर्माण

   (ii) परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान

   (iii) सामूहिक बहिस्राव परिशोधन संयंत्र सुविधाएं

   (iv) प्रदर्शनी/विपणन भवन

   (v) विद्युत आपूर्ति का सुदृढ़ीकरण

   (vi) जल-आपूर्ति और निकासी सुविधाओं में सुधार

   (vii) दूरसंचार नेटवर्क तथा आसूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं में सुधार

   (viii) डिजाइन केंन्द्रों की स्थापना

   (ix) बंदरगाहों तथा विमानपत्तन, अंतमार्गी कंटेनर डिपो, हवाई कार्गो परिसरों आदि तक सामान के आवागमन संबंधी सुविधाओं में सुधार

   (x) विशेष रूप से भीड़भाड़ कम करने के लिए परिवहन सुविधाओं में बढ़ोतरी

   (xi) मानव संसाधन में सुधार की सुदिधाएं

   (xii) अपैरल एककों के लिए क्रैच भवनों का निर्माण

5. इस प्रकार से विकसित अध्यसंरचना इन केंन्द्रों से बाहर के इतने ही विकसित प्रयोक्ताओं के प्रयोग के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

6. इस योजना के अंतर्गत उन अध्यसंरचनाओं के विकास के लिए जो वस्त्र एककों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करती हैं केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य केन्द्र/राज्य सरकारी अभिकरणों/ मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों अथवा उद्यमी निकायों को निधियां प्रदान की जा सकती हैं। ये निधियां औद्योगिक उत्पादन एककों के लिए उपलब्ध नहीं होगीं।

7. संतुलन संबंधी निवेश, कुल परियोजना के रूप में नहीं होना चाहिए, अपितु मौजूदा अथवा प्रस्तावित सुविधा को बढ़ाने अथवा उसमें सुधार के लिए होना चाहिए (विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त)। किसी केन्द्र विशेष के लिए अधिक से अधिक 20 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता होगी और यह अपैरल एककों के लिए सामूहिक बहिस्राव परिशोधन संयंत्र सुविधाएं, जलापूर्ति और निकासी सुविधाओं में सुधार तथा अपैरल एककों के लिए क्रैच

भवनों का निर्माण से संबंधित परियोजना के जटिल घटकों के 100% तक सीमित रहेगी। अन्य घटकों के लिए केन्द्र एवं राज्य/प्रतिष्ठित संबद्ध अभिकरणों के बीच वित्त-पोषण को अनुपात 75:25 रहेगा।

8. वस्त्र मंत्रालय, नामित अभिकरणों नामतः वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति, वस्त्र अनुसंधान संघों, वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद तथा औद्योगिक संघ के माध्यम से इस योजना के तहत वस्त्र उत्पादन केंन्द्रों में अध्यसंरचना के जटिलताओं की पहचान करने के लिए एक मास्टर-प्लान तैयार करने के साथ-साथ इन्हें दूर करने के लिए योजना का ब्लू-प्रिंट तैयार करेगा, जो परियोजना के आवश्यकताओं का आधार तैयार करेगा। नोडिए अभिकरण इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त परियोजनाएं तैयार करने के लिए संबंद्ध राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करेंगे। पर्यावरणीय अध्ययनों/परियोजनाओं में सलंग्न प्रतिष्ठित अभिकरण जैसे टीईआरआई, आईआईटी, अनुसंधान संस्थान, इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में संलग्न रहेगी। विशेष परिस्थितियों में, वस्त्र मंत्रालय इन प्रतिष्ठित अभिकरणों के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकता है।

9. राज्य सरकार/प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा अपने संसाधनों से अग्रिम रूप से धन देने के पश्चात पुर्नप्राप्ति आधार पर ही निधियों को वास्तविक रूप से जारी किया जाएगा। अग्रिम रूप से निधियां जारी नहीं की जाएंगी।

10. निवेश-प्रस्ताव संबद्ध विभाग द्वारा यथोचित जाचें गए आकलनों के साथ प्रस्तुत किए जाऐंगे। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-विशेष के सभी प्रस्ताव संबद्ध राज्य/संघ शासित प्रदेश के वस्त्र संबंधी प्रभारी सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किए जाऐंगे।

11. परियोजना की वाछंनीयता सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ, उत्पादन/निर्यात/निवेश में वृद्धि के आशय से मात्रात्मक रूप में उल्लिखित होने चाहिए।

12. भारत सरकार परियोजना के क्रियान्वयन की वास्तविक जांच कर सकती है और जैसा उपयुक्त समझे वह इस प्रकार की अन्य जांच भी कर सकती है।

13. परियोजना के अंतर्गत किए गए भुगतान व सभी व्ययों की लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा की जाएगी।

14. प्रस्तावित निवेश संबद्ध विभाग/अभिकरण की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किए जाने चाहिएं।

15. परियोजना की आर्थिक वांछनीयता/अर्थक्षमता सिद्ध करने के लिए संतुलित निवेश से प्राप्त लाभ यथासंभव मात्रा में परिभाषित किए जाने चाहिएं तथा उपयुक्त मामलों में वित्तीय-मापदंडों की सहायता से/अथवा निर्यात में हुई वृद्धि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

16. इस प्रस्ताव पर सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित अधिकार-प्राप्त समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगें, द्वारा विचार किया जाएगा।

(i) सलाहकार, योजना आयोग।

(ii) अपर-सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय।

(iii) आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय।

(iv) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय।

(v) संयुक्त सचिव (अध्यसंरचना), वाणिज्य विभाग।

(vi) संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य सचिव।

17. प्रत्येक अनुमोदित प्रस्ताव के क्रियान्वयन तथा इसे मानीटर करने के लिए संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश की सरकार द्वारा एक समिति को विधिवत रूप से गठित किया जाएगा। इस समिति में वस्त्र मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

18. इस परियोजना को लागू करने के लिए एक एकल अभिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथापि, इस योजना के तहत सृजित सामान्य सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंधन वस्त्र अनुसंधान संघ, औद्योगिक संघ आदि जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा किया जाएगा।

19. वस्त्र केन्द्रों की अध्यसंरचना के विकास से संबंधित योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) के कार्य निष्पादन का समग्र रूप से मूल्यांकन एक उपयुक्त प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा वार्षिक आधार पर लिया जाएगा, जिस पर योजना की शक्ति-प्राप्त समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

20. प्रत्येक योजना के साथ अनिवार्य रूप से मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संलग्नक-1 में दिए प्रपत्र में विधिवत रूप से भरा हुआ एक विवरण शामिल होना चाहिए और यह राज्य/संघ शासित प्रदेश के वस्त्र प्रभारी सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

21. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुलग्न-2 में निर्दिष्ट हैं।

संलग्नक 1

राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी की बचनवद्धता संबंधी विवरण

1. परियोजना का नाम
2. प्रस्तावक संगठन
3. क्रियान्वयन संगठन
4. कुल परियोजना लागत
5. परियोजना के वित्त पोषण की पद्धति
6. निम्नलिखित का प्रस्तावित अंशदान:
   (i) राज्य सरकार
   (ii) कार्यान्वयन संगठन
   (iii) केन्द्रीय सरकार
   (iv) अन्य
7. (i) क्या राज्य सरकार और क्रियान्वयन संगठन अपना अंशदान देने के लिए बचनबद्ध हैं?
   (ii) क्या आवश्यक बजटीय प्रावधान कर दिया गया है?
8. राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्रों/अन्य एजेंसियों के लिए टीसीआईडीएस के अंतर्गत पहले से स्वीकृत परियोजना के ब्यौरे:

परियोजना का नाम	कुल लागत (लाख रु.)	अंशदान (लाख रु.)		जारी राशि (लाख रु.)		पूरा होने की संभावित तारीख	क्रियान्वयन में हुए विलंब के मुख्य कारण और किए गए उपचारी उपाय
		राज्य/यूटी	टीसी आईडीएस	राज्य/यूटी	टीसी आईडीएस		

(कार्यान्वयन अभिकरण के सचिव/वस्त्र प्रभारी निदेशक/मुख्य कार्यपालक)

संशोधित वस्त्र केन्द्र इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (टीसीआईडीएस) के अंतर्गत परियोजना को प्रस्तुत करने के सिद्धान्त

1. परियोजना के निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत संकेतात्मक होने चाहिए और न कि सर्वांगपूर्ण होने चाहिए क्योंकि प्रस्ताव में प्रत्येक योजनाओं की विशेष विशेषताओं को शामिल किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावों की 10 प्रतियां निदेशक (निर्यात प्रभाग), वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्ताव सर्वांगपूर्ण और बिंदुवार होना चाहिए। सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जानी चाहिए एवं यथासंभव आंकड़ों और सर्वेक्षणों से समर्थित होना चाहिए।
4. प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संपूर्ण सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे भी निहित होने चाहिए:

(क) प्रस्तावक संगठन का नाम व पता

(ख) कार्यान्वयन संगठन का नाम व पता

(ग) कार्यान्वयन संगठन की अवस्थिति (केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र का उपक्रम/नगरपालिका/अन्य)

(घ) संतुलित निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा उत्पादन/निर्यात/निवेश में हुई वृद्धि के रूप में निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

(ङ) **कार्यक्षेत्र**

इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करने, उन्नत करने अथवा सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं की किस्म निर्दिष्ट की जानी चाहिए। योजना के अंतर्गत जिन मदों पर केन्द्रीय सरकार से वित्त पोषण अपेक्षित है उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(च) **परियोजना स्थिति और कार्यान्वयन अनुसूची-**

परियोजना रिपोर्ट की वास्तविक समय-सीमा दर्शानी चाहिए जिसके भीतर विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा किया जाएगा। निधियों की आवश्यकता भी तदनुसार दर्शायी जानी चाहिए।

(छ) **वित्तीय योजना**

(1) परियोजना लागत

संपूर्ण परियोजना लागत के लिए कुल परियोजना लागत और निधि आवश्यकता को मदवार दर्शाया जाना चाहिए। इस परियोजना जिसके लिए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है, कि सभी संघटकों को स्पष्टतया तथा पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(2) परियोजना का वित्त प्रदान करना

रिपोर्ट की परियोजना को वित्त प्रदान करने का तरीका तथा निधियों के स्रोतों सहित वित्त प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाओं के स्पष्ट रूप दर्शाना चाहिए

(ज) **वित्तीय व्यवहार्यता**

रिपोर्ट को परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता, जिसके समर्थन में पर्याप्त आंकड़े तथा वित्तीय प्राचलों (आंतरिक लाभ दर, ऋण सेवा अनुपात आदि) दिया गया हो, को दर्शाना चाहिए।

(झ) **प्रबंधन**

रिपोर्ट में परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए परिवीक्षणीय नियंत्रण के संबंध में विस्तृत योजना होनी चाहिए। निर्यातकों, स्थानीय उद्योग संघ आदि जैसे प्रयोक्ताओं तथा वस्त्र मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को निदेशक मंडल, प्रबंधकीय समिति आदि जैसी भी स्थिति हो में शामिल करना अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को बैंक ऋण

3841. श्री राजो सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों से दी जा रही ऋण राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सहकारी बैंकों द्वारा बिहार और अन्य राज्यों की चीनी मिलों को कितना ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार सरकार से सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों को दिए जा रहे ऋण को बढ़ाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बिहार में कोई सहकारी चीनी फैक्टरी नहीं है और यह सूचित किया गया है कि बिहार में सहकारी चीनी फैक्टरियों को वित्तपोषित करने में सहकारी बैंकों की कोई निधि अन्तर्ग्रस्त नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों को उपलब्ध कराए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष-1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों को दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		स्वीकृत	उपयोग किया गया	स्वीकृत	उपयोग किया गया	स्वीकृत	उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	247.45	248.07	321.59	298.35	326.43	308.75
2.	असम	5.33	4.58	6.30	3.65	4.80	1.35

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गोवा	16.15	16.09	16.25	16.25	16.25	16.43
4.	गुजरात	653.35	727.36	855.87	848.20	1053.58	973.49
5.	हरियाणा	268.15	226.36	368.15	286.49	483.81	399.98
6.	कर्नाटक	556.4	500.56	701.94	618.36	724.02	686.63
7.	केरल	10.00	9.69	10.00	9.22	10.00	9.97
8.	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	6678.50	5448.92	8785.21	7733.36	9720.06	9107.67
10.	उड़ीसा	49.15	28.33	15.55	8.23	23.80	14.11
11.	पांडिचेरी	18.00	17.89	16.00	15.99	12.00	11.96
12.	पंजाब	173.51	155.55	288.81	280.61	425.87	374.62
13.	राजस्थान	7.50	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	703.55	594.18	844.48	791.39	951.44	913.74
15.	उत्तरांचल	65.30	62.42	163.73	153.28	182.18	175.11

[अनुवाद]

नाप और तोल अधिनियम की समीक्षा

3842. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाप और तोल अधिनियम, 1976 के मानकों को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु इसकी समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पारदर्शिता बढ़ाने हेतु इस विधान में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किये गए इन परिवर्तनों की उपयोगिता का सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसे आसानी से लागू करने योग्य बनाने हेतु इस अधिनियम में आगे क्या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) कानून में बदलाव किए जाने के मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानवीय सहायता के रूप में खाद्यान्नों का निर्यात

3843. श्री कैलाश मेघवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान मानवीय सहायता के रूप में किसी देश को नि:शुल्क गेहूं अथवा चावल प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान आर्मेनिया को आपदा राहत के तौर पर राज्य व्यापार निगम के जरिए कुल 1,28,39,300 रुपये की लागत पर 750 टन गेहूं और 250 टन चावल "डोनेशन" के रूप

में देने की व्यवस्था की थी। सरकार ने आंतरिक और बाह्य रूप से विस्थापित अफगानों और अन्य जरूरतमंदों को एक मिलियन टन गेहूं देने की व्यवस्था करने सहित मानवीय सहयता प्रदान करने का वचन भी दिया था।

[अनुवाद]

निजी मुद्रकों द्वारा लेखाओं का मुद्रण

3844. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री 2.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी मुद्रकों के माध्यम से मुद्रण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जिम्मेवार बाध्यकारी परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कार्यों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) सरकारी मुद्राणालयों की व्यवहार्यता की स्पष्ट रूप से समीक्षा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1999 से आज तक निजी मुद्रकों के माध्यम से मुद्रण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है तथा फिर भी सरकारी मुद्राणालयों का आधुनिकीकरण/पुनर्गठन नहीं किये जाने के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकारी मुद्राणालयों, सरकारी अधिकारियों और निजी मुद्रकों की सांठगांठ से इन्कार किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वे परिस्थितियां, जिनके कारण "अनापत्ति प्रमाणपत्र" मंजूर किए गए, दिनांक 2.8.2002 को उत्तर दिए गए लोक सभा, अतारांकित प्रश्न सं. 2448 के भाग (ख), (ग) और (घ) तथा दिनांक 13.3.2001 को उत्तर दिए गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 2275 के भाग (ख) के उत्तर में भी पहले से बता दी गई थीं। तथापि, उनको नीचे पुन: दोहराया जाता है:-

(i) मांग विभाग द्वारा मांगे गए कागज की विशिष्टता/गुणवत्ता की अनुपलब्धता;

(ii) विशेष प्रकार के मुद्रण के लिए अपेक्षित आधारढांचे की अनुपलब्धता;

(iio) कार्य के लिए मांग-विभाग द्वारा दिया गया कम समय; और

(iv) कभी-कभी आपाती कार्य की प्राप्ति;

(ख) से (घ) मुद्रण निदेशालय से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के बाद मंत्रालयों/विभागों द्वारा करवाए गए मुद्रण कार्य की मात्रा के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कार्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे निजी मुद्रकों के माध्यम से कराया जाता है।

मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार मुद्रणालयों की पुनर्संरचना/आधुनिकीकरण से संबंधित मामला विचाराधीन रहा है। सरकार ने अभी हाल ही में इन मुद्राणालयों की पुनर्संरचना / आधुनिकीकरण/विलय/अंतरण/समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

1 जनवरी, 1999 से अब तक 394 मामलों में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ समिति

3845. श्री अम्बरीश: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों/उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निवेश पक्ष क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) उक्त सिफारिशों के आधार पर समुद्री खाद्य पदार्थों/ उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) समुद्री क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ाने और इसके संभावित उत्पादों को पूरा दोहन करने के लिए सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण आवश्यकताओं की जांच करने तथा किए

जाने वाले आवश्यक उपायों के लिए अक्तूबर, 1998 में एक विशेष कार्यबल का गठन किया था।

(ख) विशेष कार्य बल का गठन और इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:-1

1. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन के प्रभारी, वाणिज्य मंत्रालय - संयोजक
3. पशुपालन एवं डेरी विभाग में मत्स्य उद्योग से संबंधित संयुक्त सचिव - सदस्य
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव - सदस्य
5. वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बैंकिंग)
6. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
7. अध्यक्ष, एम्पीडा - सदस्य
8. आमंत्रित किए जाने वाले तटवर्तीय राज्यों के प्रतिनिधि - सदस्य
9. समुद्री खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि - सदस्य

विशेष कार्यबल को समुद्री उत्पादों और समुद्री खाद्य उद्योग की सम्पूर्ण व्याप्ति की जांच करनी थी ताकि विभिन्न कार्यकलापों के लिए ऋण आवश्यकताओं के संबंध में एक उचित दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

(ग) से (ङ) विशेष कार्यबल द्वारा समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में गठित कार्य बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री उत्पादों और समुद्री खाद्य उद्योग का बैंक द्वारा वित्त पोषण, स्वास्थ्यकर मछुवाही हार्बर/उतराई केन्द्र सुलभ कराने की दृष्टि से बुनियादी संरचना का सृजन, समुद्री उत्पाद क्षेत्र के लिए एक पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करना आदि शामिल हैं। बैंक द्वारा वित्त पोषण से संबंधित सिफारिशों को भारतीय बैंक एसोसिएशन और समुद्री खाद्य उद्योग का वित्त पोषण करने वाले विभिन्न बैंकों को इन्हें आपनाने और अलग-अलग मामलों में लागू करने के लिए भेजा गया है। सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के साथ मिलकर संबंधित राज्य सरकारों के साथ स्वास्थ्य के सुधार और मछुवाही हार्बरों/उतराई केन्द्रों के रख-रखाव का मुद्दा उठाया है। सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योग के लिए पुनर्निर्माण निधि के सृजन के सुझाव की जांच की है। तथापि, प्रस्ताव का समर्थन करना/इसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

राजस्व विभाग का कार्यकरण

3846. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्व विभाग को अधिक पारदर्शी बनाकर इसे चुस्त-दुरुस्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार धन वापसी के मामलों में और मंजूरी प्रमाण पत्रों को जारी करने में आयकर अधिकारियों के पास निहित विवेकाधीन अधिकारों में कटौती करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार दंड लगाने और ब्याज के मामले में केन्द्रीय उत्पाद विभाग के पास निहित विवेकाधीन अधिकारों में भी कटौती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और विवेकाधिकार कम करने के लिए विचाराधीन उपायों में कानूनों में संशोधन और उनकी आवधिक समीक्षा विशेषकर वार्षिक बजट की तैयारी के समय, राजस्व अधिकारियों के साथ जनता के संपर्क को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, वापसियों को शीघ्रता से लौटाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी करना, सतर्कता तन्त्र को मजबूत करना, संवेदनशील प्रभारों में अधिकारियों की तैनाती के लिए चयन इत्यादि शामिल है।

(ख) वापिसियों को रोकने के लिए अधिकार को वापिस ले लिया गया है। 5 लाख रुपए से अधिक कीमत की अचल सम्पत्ति के अन्तरण के पंजीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230क के अंतर्गत अनुमोदन प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्याज लगाना विवेकाधिकार नहीं है और कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य शास्ति लगाने के लिए कानून में प्रावधान है। कानून के अंतर्गत शास्ति लगाने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विवेकाधिकारों को कम करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

काष्ठ कणों से निर्मित बोर्डों की कर में रियायत

3847. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण हितैषी काष्ठ कणों से निर्मित बोर्डों की कर में रियायत देने का नीतिमय निर्णय है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष वर्ष 1999-2000, 2001-2002 और चालु वर्ष में काष्ट और अन्य बोर्डों की तुलना में कणों से निर्मित बोर्डों को लिए दिए गए उत्पाद शुल्कों के संबंध में कितनी कर रियायत दी गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) ऐसे काष्ठ कण बोर्डों के लिए कर में रियायतें देने हेतु कोई नीतिमय निर्णय नहीं लिया गया है जो पर्यावरण हितैषी हैं। तथापि, गन्ने की खोई या अन्य कृषि अपशिष्ट से निर्मित 100% काष्ठ रहित सपाट अथवा पूर्ण-परतयुक्त कण अथवा फाइबरबोर्ड को केन्द्रीय शुल्क से छूट दी गई है। अन्य कणों और लकड़ी के फाइबरबोर्डों अथवा अन्य काष्ठीय सामग्रियों पर वर्ष 1999-2000 के दौरान 8% और वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा चालू वर्ष के दौरान 16% केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया जाता गया है। सभी कण और फाइबर बोर्ड सामान्य लघु पैमाने पर छूट योजना के अंतर्गत छूट के लिए पात्र हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगम हेतु सहायता

3848. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है;

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति विकास निगम हेतु कितना आवंटन किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003-2004 के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगमों हेतु बजट आंबटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस सी डी सी) द्वारा की गई वित्तीय सहायता से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
लाभार्थियों की संख्या	427901	4627541	482686

(ख) वर्ष 2002-03 वर्ष के दौरान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को भारत सरकार द्वारा किया गया राज्य-वार आबंटन/निमुर्क्ति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार का राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए बजट आंबटन 25.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27.50 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। किन्तु वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद ही अंतिम आंकड़ों की पुष्ट की जाएगी।

विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2002-2003
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	496.50
2.	असम	शून्य
3.	बिहार	शून्य
4.	चंडीगढ़	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	503.70
6.	दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली	शून्य
7.	दिल्ली	शून्य
8.	गोवा	शून्य
9.	गुजरात	शून्य
10.	हरियाणा	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश	25.60
12.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
13.	कर्नाटक	160.50
14.	केरल	437.70
15.	मध्य प्रदेश	शून्य
16.	महाराष्ट्र	शून्य
17.	उड़ीसा	शून्य
18.	पांडिचेरी	शून्य

1	2	3
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य
21.	सिक्किम	100.00
22.	तमिलनाडु	400.00
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	314.60
25.	उत्तरांचल	61.40
26.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	कुल	2500.00

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश हेतु विदेशी सहायता

3849. डा. बलिराम: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन-किन परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता की मांग की है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

विदेशी सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

1.	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार ऋण (2) (यूपीएफआरपीएसआर-2)	विश्व बैंक	यह परियोजना सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई है। विश्व बैंक शीघ्र ही इस परियोजना पर विचार करेगा।
3.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए अनुवर्ती परियोजना	विश्व बैंक	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के विचाराधीन है।
4.	पर्यावरणीय सुधार तथा आगरा-मथुरा-फिरोजाबाद समलंब का दीर्घकालिक विकास	एशियाई विकास बैंक	इस परियोजना को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार/पर्यटन मंत्रालय तथा एशियाई विकास बैंक के बीच परामर्श जारी है।
5.	पारदर्शिता के लिए कर्मचारी प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु डाटाबेस (डेमिस्ट)	यूएसएड	इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की जा रही है।
6.	बंदायू जिला अस्पताल	ओपेक निधि	यह प्रस्ताव ओपेक निधि को भेजा गया है। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
7.	रिहंद तथा हाईडल ओबरा हाईड्रो पावर स्टेशन का नवीकरण और आधुनिकीकरण	कुवैत निधि	यह प्रस्ताव कुवैत निधि को भेजा गया है। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	गोमती नदी का पर्यावरण उपशमन-संशोधित परियोजना	मध्य पूर्व निधिकरण एजेंसियां	विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए इस प्रस्ताव को मध्य-पूर्व निधिकरण एजेंसियों को भेजा जा रहा है।

9.	गोरखपुर-देवरिया-बलिया सड़क तथा इलाहाबाद-जौनपुर-दोहरी घाट राज्य राजमार्ग परियोजनाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	जेबीआईसी, जापान	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-03 में विचार हेतु इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
10.	अनपार 'सी' थर्मल पावर परियोजना	जेबीआईसी, जापान	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन, जापान सरकार ने 2002-03 के दौरान जेबीआईसी निधिकरण के लिए इस प्रस्ताव का चयन नहीं किया है।
11.	बौद्ध सर्किट (चरण-II) का विकास	जेबीआईसी, जापान	विस्तृत परियोजना निरूपण न होने के कारण 2002-03 में इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका।
12.	रोगी परिचर्या, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा औषधि के उद्गामी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए समर्पित केन्द्र	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
13.	संजय गांधी स्नाकोत्तर संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ में ट्रोमा सेंटर	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
14.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में पलमोनेरी विभाग का विकास	जर्मनी	राज्य सरकार को यह प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया है।
15.	मोलीक्यूलर मेडसीन हेतु एक केन्द्र की स्थापना	जर्मनी	राज्य सरकार को यह प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया है।
16.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्चा हेतु एक उन्नत केन्द्र की स्थापना	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
17.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में चरण-II अति विशिष्टता के रूप में अर्बुद विज्ञान विभाग की स्थापना	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
18.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में अंग प्रत्यारोपण की केन्द्र की स्थापना	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
19.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में बायोमेडिकल इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना	जर्मनी	दाता ने सहायता के लिए इस परियोजना को नहीं चुना है।
20.	एसजीपीजीआई, में बायोमेडिकल रिसोंनेंस में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	जर्मनी	राज्य सरकार को निदेश दिया गया है कि वह इस प्रस्ताव के संबंधित प्रशासनि मंत्रालय के माध्यम से भेजे।
21.	उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार कल्याण के उन्नयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के समाकलन द्वारा नवीन स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन	जर्मनी	राज्य सरकार को निदेश दिया गया है कि वह इस प्रस्ताव के संबंधित प्रशासनि मंत्रालय के माध्यम से भेजे।

[अनुवाद]

यात्री और वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात

3850. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के दौरान यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात में मात्रात्मक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय यात्री और वाणिज्यिक वाहनों हेतु किन-किन देशों ने रूचि दिखाई है और पहले पिछले तीन वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कितने वाहनों का निर्यात किया गया है और तत्संबंधी अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश द्वारा ऐसे निर्यात द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य देशों में भारत में निर्मित यात्री वाणिज्यिक वाहनों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) और सोसाइटी फार इंडियन आटोमाबाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम), जो व्यापार के प्रतिनिधिक स्वायत्तशासी निकाय हैं, द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री एवं वाणिज्यितक वाहनों से संबंधित उत्पादन निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य करोड़ रू.में)

वर्ष	यात्री वाहन			वाणिज्यिक वाहन		
	उत्पादन*	निर्यात (सं.)**	निर्यात (मूल्य)**	उत्पादन*	निर्यात (सं.)**	निर्यात (मूल्य)**
1999-2000	577347	26577	667.33	173524	14002	148.09
2000-01	513415	29382	763.73	156706	30538	314.97
2001-02	564126	18793	564.52	146197	44133	250.11

स्रोत:* एसआईएएम ** डीजीसीआईएंडएस

एसआईएएम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अप्रैल-अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में तुलनात्मक उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वाहनों की श्रेणी	अप्रैल-अक्तूबर				
	2000	2001	%परिवर्तन	2002	%परिवर्तन
यात्री वाहन	13389	29132	117.58	36839	26.45
वाणिज्यिक वाहन	7416	5595	-24.55	5710	2.05

पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के निर्यातों के देशवार मूल्य को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सरकार ने यात्री और वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी इंजीनियरी सामानों के निर्यातों को प्रोत्साहित/बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता इत्यादि शामिल हैं और ये उपाय सभी देशों को होने वाले निर्यातों पर समान रूप से लागू होते हैं।

विवरण

वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात (एचएस कोड 8704, 3705, 8709)

(मूल्य लाख रु. में)

देश	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
अल्जीरिया	3.176	41.87	85.83
अंडोरा	0.00	16.63	0.00
अंगोला	0.00	0.00	16.71
अर्जेंटिना	41.95	1024.76	278.89
आस्ट्रेलिया	36.42	356.62	73.40
आस्ट्रिया	0.00	4.09	0.00
बहरीन आई एस	40.93	83.00	112.71
बंग्लादेश	669.14	1433.55	3973.44
बारबाडोस	0.00	5.18	0.00
बेलारूस	0.00	0.00	4.48
बेनिन	0.00	9.01	0.00
भूटान	15.92	0.00	2.40
ब्राजील	0.00	14.85	0.00
ब्रुनेई	–	2.75	–
कनाडा	2.67	4.54	120.49
चिली	0.00	0.00	215.38
चीनी ताइपई	0.00	17.28	0.00
कोस्टारिका	0.00	62.70	0.00
चीन ज.गण.	0.00	0.00	3.59
साइप्रस	87.33	0.00	0.00
कोलम्बिया	0.00	31.50	131.90
कांगो ज.गण.	0.00	0.00	215.28
डेनमार्क	–	1.71	–
जिबूती	26.34	65.38	77.13
इक्वाडोर	0.00	133.57	594.73
क्यूबा	0.00	0.00	5.78
मिश्र ए आरपी	23.60	78.63	8.89
इथोपिया	0.00	22.13	87.31
फ्रांस	2.36	–	–
जर्मन सं.गण.	3.86	7.26	83.42
घाना	6.64	26.52	57.03
ग्रीस	0.00	41.00	0.00
ग्वाडेलूप	0.00	14.38	0.00
ग्वाटेमाला	97.10	49.71	71.37
गिनी बिसाउ	0.00	0.00	8.35
हांडुरास	111.16	343.59	0.00
हांगकांग	156.49	0.00	371.07
हैती	0.00	0.00	42.89
हंगरी	81.53	968.28	148.68
इराक	624.28	567.45	369.84
इजराइल	169.35	123.75	13.89
इटली	2670.08	5525.11	3520.64
इरान	0.00	0.00	11.61
आइवरीकोस्ट	325.34	0.00	0.00
जापान	100.24	0.00	0.00
जार्डन	59.30	0.00	0.00
केन्या	35.40	32.40	135.79
कोरिया गण.	0.00	0.00	22.57
कुवैत	108.42	195.74	2124.83
मेसोनिया	193.44	15.40	0.00
मालावी	567.02	0.00	97.65

1	2	3	4
मलेशिया	247.04	2336.08	3068.00
माली	0.00	0.00	400.20
माल्टा	62.30	9.50	0.00
मारीशस	476.43	282.24	144.59
म्यांमार	0.00	16.20	147.90
मोरक्को	2.79	–	–
मोजाम्बिक	547.76	535.82	741.88
नामीबिया	159.31	0.00	0.00
नेपाल	136.75	206.13	556.68
नीदरलैंड	10.11	0.00	0.00
न्यूजीलैंड	–	1.59	0.46
निकारगुआ	0.00	51.86	0.00
नाइजीरिया	200.33	185.39	17.75
ओमान	95.55	125.04	91.49
पापुआ न्यू गिनी	0.00	20.34	0.00
पोलैंड	1.30	–	–
पुर्तगाल	406.89	1346.78	69.07
पनामा सी जैड	74.08	0.00	0.00
पनामा गण.	19.03	0.00	0.00
फिलीपींस	–	3.97	0.00
कतर	15.98	72.78	198.52
रोमानिया	3.20	0.00	0.00
स. अरब	137.05	100.28	346.37
सेनेगल	20.69	19.83	0.00
सेशेल्स	0.00	5.87	0.00
सिंगापुर	0.00	12.08	60.79
द. अफ्रीका	41.49	373.05	689.33
स्पेन	1631.93	1346.76	1544.41
श्रीलंका	811.54	3037.08	197.70
स्वीडन	0.00	0.00	16.40
स्विटजरलैंड	211.66	377.41	493.48
सीरिया	14.50	1309.38	387.57
तंजानिया गण.	58.46	27.75	183.72
थाइलैंड	13.78	0.00	72.32
टर्की	995.33	4561.81	0.00
टर्कस सी आइ एस	0.00	149.16	0.00
संयुक्त अरब अमीरात	410.99	428.05	788.31
यू.के.	1258.69	2288.99	963.31
यू.एस.ए.	116.03	183.53	10.53
उगांडा	22.26	107.40	115.91
वनवातु गण.	0.00	34.82	0.00
यमन गण.	0.00	39.71	29.19
जांबिया	318.33	358.83	583.07
जिम्बाबे	0.00	0.00	5.31
कुल	14809.65	31497.72	25011.93

विवरण

यात्री वाहनों का निर्यात (एचएस कोड 8702, 8703)

(मूल्य लाख रु. में)

देश	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
अफगानिस्तान	0.00	6.02	0.00
अल्जीरिया	45.80	868.50	1210.62
अंगोला	0.00	41.39	326.51
अर्जेन्टीना	167.75	783.00	126.15

1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	233.94	313.84	63.38
आस्ट्रिया	332.54	11.18	0.00
बहरीन आई एस	59.15	127.30	94.12
बंगला देश	2634.79	3780.72	3671.70
बारबादोस	5.36	0.00	0.00
बेलारूस	0.00	0.00	6.99
बेल्जियम	1988.64	523.70	209.98
बेनिन	0.00	10.37	24.28
बरमुडा	51.73	0.00	0.00
भूटान	15.60	0.00	139.92
बोलिविया	20.50	101.45	20.61
ब्राजील	0.00	36.37	91.85
बुल्गारिया	61.34	70.27	0.00
कनाडा	27.76	0.00	1.46
केमानिस	0.00	0.00	14.53
चिली	1093.94	1297.55	993.31
चीन जन गण.	0.00	23.48	8.82
चीनी ताइपेई	4.21	15.70	0.00
कोकोस आई एस	0.00	11.64	0.00
कोलम्बिया	569.27	0.00	317.06
कांगो जन.गण.	0.00	28.55	104.53
कोस्टा रिका	0.00	20.54	75.23
क्रोएशिया	0.00	1.87	0.00
क्यूबा	9.11	1.94	10.95
साइप्रस	44.03	61.84	23.94
डेनमार्क	611.04	0.00	17.13
जिबूती	40.00	5.74	90.43
डोमिनिक गण.	0.00	0.00	67.54

1	2	3	4
इक्वाडोर	0.00	0.00	410.01
मिस्र ए पी आर	937.59	792.59	732.34
एल साल्वेडर	0.00	42.74	46.48
इथोपिया	0.00	1146.13	53.99
फिनलैंड	143.58	759.31	84.78
फ्रांस	101.94	300.56	39.81
गाबोन	11.34	0.00	0.00
जार्जिया	0.00	0.00	8.26
गैम्बिया	0.00	326.25	0.00
जर्मन स. गण.	3470.81	834.37	105.33
घाना	96.17	291.05	24.40
यूनान	2557.75	634.27	375.15
ग्रेनाडा	0.00	5.26	0.00
ग्वाटेमाला	0.00	16.26	8.24
गुयाना बीसू	0.00	84.60	50.66
हैती	0.00	0.00	90.55
हांदुरास	22.26	74.57	0.00
हांगकांग	91.74	40.69	0.00
हंगरी	9.37	29.80	84.17
इंडोनेशिया	1.84	4924.77	1587.37
ईरान	137.05	1.98	30.20
इराक	0.00	0.00	574.89
आयरलैंड	337.88	172.52	0.00
इजराइल	125.79	52.87	74.31
इटली	7249.87	7305.58	6828.61
आइवरी कोस्ट	7.16	0.00	0.00
जापान	223.50	134.25	103.99
जार्डन	46.84	37.36	25.00

1	2	3	4
कजाकिस्तान	0.00	109.92	0.00
केन्या	101.73	300.61	137.34
कोरिया डीपी आरपी	7.15	0.00	1.30
कोरिया गण.	51.44	7.69	12.92
कुवैत	79.38	286.92	559.09
लेबनान	69.35	60.02	0.00
मेसिओर्निया	51.14	16.34	0.00
मालागासी गण.	0.00	26.74	45.57
मालावी	10.69	0.00	11.50
मलेशिया	1138.19	323.66	0.00
मालदीव	47.51	31.32	0.00
माल्टा	1556.67	1289.79	393.12
मारीशस	287.26	850.41	562.70
मैक्सिको	0.00	2.00	0.00
मोरक्को	1.73	466.22	0.00
मोजाम्बिक	549.78	173.23	744.91
नेपाल	2451.12	1886.32	4880.64
निकारागुआ	0.00	41.09	0.00
नीदरलैंड	8056.27	7824.63	5059.95
नीदरलैड एन्टिल	7.56	0.00	0.00
न्यजीलैंड	4.77	8.18	120.87
नाइजर	0.00	18.83	0.00
नाइजीरिया	46.12	54.97	247.55
ओमान	183.56	168.53	587.19
पाकिस्तान	0.00	14.50	0.00
पनामा सी जेड	0.00	0.00	7.47
पनामा गण.	11.56	0.00	0.00
पापुआ एनजीएनए	33.23	4.91	15.38
पैराग्वे	283.50	270.35	221.57
पेरू	8.75	3.19	97.74
फिलीपीन्स	0.00	4.73	0.00
पोर्ट टीमोर	0.00	2354.49	360.09
पुर्तगाल	2155.87	974.40	291.58
कतर	99.84	161.93	268.05
रूस	1.69	0.00	0.00
सऊदी अरब	82.33	17.37	9.86
सेनेगल	83.40	41.63	190.24
सेशेल्स	10.86	645.33	116.31
सिएरा लिओन	0.00	0.00	14.61
सिंगापुर	242.98	238.92	27.35
दक्षिण अफ्रीका	33.95	168.43	34.06
स्पेन	5984.10	5618.59	7038.30
श्रीलंका	8135.70	12228.66	4274.12
सेंट लुसिया	18.93	7.50	0.00
सूडान	130.69	1.61	30.33
स्वीडन	1063.20	1481.76	172.19
स्विजरलैंड	377.08	1778.88	666.15
सीरिया	0.00	26.98	789.71
तंजानिया गण.	480.67	76.76	164.62
थाइलैंड	0.00	2.48	2.37
टोगो	0.00	25.51	0.00
त्रिनिडाड	48.94	72.47	0.00
टर्की	246.61	1085.01	17.89
संयुक्त अरब अमीरात	3097.50	2573.24	4989.77
यू.के.	5065.05	5723.25	3812.79
यूएसए	184.38	51.00	70.19

1	2	3	4
युगांडा	132.83	177.86	83.20
यूक्रेन	0.00	2.81	0.00
अनिर्दिष्ट	0.00	24.60	0.00
उरुग्वे	245.53	349.50	214.02
वालिस एफआईएस	4.34	0.00	0.00
यमन गण.	21.52	0.00	20.38
युगोस्लाविया एफ. गण.	0.00	23.04	0.00
जायरे गण.	34.95	0.00	0.00
जाम्बिया	100.65	33.78	22.01
जिम्बावे	22.55	0.00	15.68
योग	66773.55	76373.63	56452.26

प्रतिभूति घोटाला

3851. श्री रामजीवन सिंह:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ''नाबार्ड'' को होम ट्रेड स्कैम पर आपराधिक जांच विभाग से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस घोटाले में कुल कितनी राशि संलिप्त है;

(घ) इस घोटाले में संलिप्त पाई गई अन्य एजेंसिया कौन-कौन सी हैं और उनके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों को सजा देने हेतु तैयार की गई आगे की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सूचित किया है कि उन्हें होम ट्रेड स्कैम के बारे में सीआईडी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नाबार्ड द्वारा आयोजित निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि तीन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 205.06 करोड़ रु. की हानि हुई थी।

(घ) मैसर्स होम ट्रेड लि. के अतिरिक्त इसमें शामिल अन्य दूसरे दलाल थे- मैसर्स इन्द्रमणि मर्चेन्ट (प्रा.) लि., मैसर्स सिंडिकेट मैनेजमैंट सर्विसेज लि., मैसर्स गिल्टेड मैनेजमैंट सर्विसेज लि., तथा मैसर्स सेंचुरी डीलर्स (प्रा.) लि.। इन फर्मों द्वारा किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा मुख्यत: राशि प्राप्ति के बावजूद प्रतिभूति पत्रों की गैर-सुपुर्दगी से संबंधित थे।

(ङ) पुलिस की जांच चल रही है।

तम्बाकू के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

3852. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अगले पांच से छह वर्षों में तम्बाकू के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस पर तम्बाकू खेती करने वाले ताम्बाकू उत्पादों के निर्माओं की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात

3853. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्कृत क्षेत्र के निर्यात को सुधारने के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर ध्यान बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की सहायता हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार की राष्ट्रीय कोडेक्स समिति प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों सहित समस्त खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी मानदण्डों की सिफारिश करने में सतत् आधार पर कार्यरत है।

(ग) कृषि उत्पादों तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं- फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करने तथा जोखिम विश्लेषण एवं निर्णायक नियंत्रक बिंदु (एचएसीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु योजना के अंतर्गत एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) द्वारा निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मानदंडों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु पैकेजिंग का विकास करना तथा विभिन्न राज्यों में भौगोलिक दृष्टि से निकटवर्ती क्षेत्रों में कृषि निर्यात जोन की स्थापना करना।

केलों का निर्यात

3854. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से केलों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रमुख केला उत्पादक राज्यों, विशेषकर कर्नाटक का केलों के कुल निर्यात में राज्य-वार प्रतिशतता का योगदान क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक से केलों का निर्यात बढ़ाने की व्यापक संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केले की फसल को वाणिज्यिक फसल के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु कर्नाटक के किसानों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत से केले के कुछेक प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, और यू के जैसे पश्चिम यूरोपीय देश तथा सार्क एवं अन्य उत्तर मध्य अमरीकी क्षेत्र।

(ख) विभिन्न वस्तुओं के निर्यात संबंधी राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक से केले के निर्यात को बढ़ाने की संभावना के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। केले सहित ताजे फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अवसंरचना विकास, पैकेजिंग विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास एवं संगठन निर्माण तथा एच आर डी इत्यादि संबंधी योजनाएं सामिल हैं।

स्वापकों की तस्करी

3855. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पाकिस्तान से स्वापकों की तस्करी में वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वापक औषधियों की तस्करी को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए सरकार ने बहुत उपाय किए हैं। इसमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना और फ्लड लाइटिंग की व्यवस्था करना, प्रवर्तन अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना, और इस उद्देश्य के लिए स्वापक नियंत्रक ब्यूरों द्वारा तिमाही समन्वित बैठकें करना, समन्वित कार्रवाई द्वारा संगठित औषधि के व्यापारियों को निष्प्रभावित करना, आधुनिक

हथियारों से लैस करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और अपग्रेड करना, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अधिक संख्या में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रदान करना और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना शामिल है।

बीजों का पेटेंटीकरण

3856. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेडियोधर्मिता के माध्यम से विकसित बीजों के पेटेंटीकरण की प्रक्रिया को स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से बीजों का पेटेंट किया गया है;

(ग) क्या रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. रमण सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों को ऋण

3857. श्री अमर राय प्रधान: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पूर्वी बंगाल क्षेत्र में लघु उद्योग राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की अनुपलब्धता से कठिनाई में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु उद्योगों के पुनर्वास और उन्हें और अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पास उत्तरी बंगाल क्षेत्र सहित देश के लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चल-निधि है। अर्थक्षम एवं बैंकों द्वारा स्वीकार्य योजनाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने से मना नहीं किया जाता है, जो लघु उद्योग को ऋण के प्रवाह और पुनर्वास के संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों को भी क्रियान्वित कर रहे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने तथा संभावित रूप से अर्थक्षम के रूप में पहचान की गई रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए जनवरी, 2002 में बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण वितरण की प्रणाली में सुधार करने और रुग्ण लघु इकाइयों के पुनर्वास के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। वे निम्नलिखित हैं:-

(1) अति लघु क्षेत्र को संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण के लिए उधार सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. करना।

(2) बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखा खोलें। इसके अलावा, बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र को अपना 60% या इससे अधिक अग्रिम देने वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करें ताकि समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

(3) संमिश्र ऋण सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. करना।

(4) न्यूनतम 20% अनुमानित वार्षिक कारबार के आधार पर कार्यशील पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करना।

(5) अति लघु क्षेत्र तक बैंकों की पंहुच में वृद्धि करना, अति लघु क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए गैर-वित्तीय कंपनियों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल करना।

(6) जहां योजना के अंतर्गत गारंटी के लिए 25 लाख रु. तक के संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण शामिल हैं, वहां भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा नई ऋण गारंटी योजना शुरू करना।

(7) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए परियोजनाओं की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रु. करना।

(8) वर्तमान में रुग्ण किन्तु संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार करना।

(9) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पारिवारिक आय की पात्रता की सीमा 24,000/- रू. से बढ़ाकर 40.000/- रू. कर दी गई है।

(10) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत निवेश का 30% अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित करना।

(11) बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे 25,000/- रु. तक के सभी ऋण आवेदनों के निर्माण का निपटान दो सप्ताह के अंदर और 5 लाख रु. तक के ऋण आवेदनों का निपटान चार सप्ताह की अवधि के अन्दर करें बशर्ते कि ऋण आवेदन हर दृष्टि से पूर्ण हो।

[हिन्दी]

आयकर विवरणिकाओं को डाकघरों में जमा करने की अनुमति

3858. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्र नाथ सिंह:
श्री ए. नरेन्द्र
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डाकघरों और बैंकों में आयकर विवरणिकाओं को जमा करने की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरः क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर से संबंधित सभी दावों के निपटान हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) कर संबंधित दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। धनवापसी को जारी करने, त्रुटियों को ठीक करने, अपीलीय आदेशों इत्यादि को लागू करने के विभिन्न दावे कर निर्धारितियों द्वारा पूरे वर्ष भर दायर किये जाते है। इन दावों को संसाधित करने की प्रक्रिया और उनसे प्रोद्भूत होने वाली समुचित कार्रवाई भी वर्ष भर जारी रहती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों हेतु एच.डी.पी.ई. थैले

3859. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अन्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, हापुड़ ने सरकार को वाणिज्यिक गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु पी.पी./एच.डी.पी.ई. थैलों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में पी.पी./एच.डी.पी.ई. से बुने थैलों की खरीद की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड़ की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य वसूली एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध रूप में एन्टी स्लिप पी.पी./एच.डी.पी.ई. बोरियों का उपयोग किया जा सकता है। यह कार्य प्रचालानात्मक स्टाक को तरजीह देते हुए शुरु किया जाए।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को उपयुक्त नीतिगत निर्णय लेने के लिए इस मामले को अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखने की सलाह दी गई है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम को पी.पी./एच.डी.पी.ई. से बुनी बोरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में धान का निपटान

3860. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के सामने कस्टम मिलिंग में सेला चावल की खरीद न होने के कारण खरीदे गए धान के निपटान में समस्या आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी समस्याएं आती रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को मिलिंग क्षमता में कमी के कारण राज्य में वसूल किए गए धान की कस्टम मिलिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है जहां भारतीय खाद्य निगम के धान का ऐसा स्टाक था लेकिन जिसकी कस्टम मिलिंग नहीं की जा सकी है।

(ङ) से (छ) इन राज्यों में धान मिलिंग में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2000-01 के दौरान वसूले गए बिना मिलिंग के शेष धान को निविदाकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर 450/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर दे कर निपटान करने की स्वीकृत दी है।

निजी क्षेत्र के बैंक

3861. प्रो. दुखा भगत:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी बैंकों की स्थापना को स्वीकृत देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विद्यमानता के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जनता को लूटने वाले निजी बैंकों को रोकने की सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है; और

(च) यदि हां, तो इन बैंकों के निवेशकों/ग्राहकों की सुरक्षा हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-सरकारी क्षेत्र में दो नए बैंक स्थापित करने के लिए 7 फरवरी, 2002 को "सिद्धान्तरूप में" अनुमोदन प्रदान किया है। "सिद्धान्तरूप में" अनुमोदन आवेदकों को अपेक्षित पूंजी जुटाने एवं अन्य शर्तों को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु एक वर्ष के लिए वैध है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर सन्तुष्ट होने पर कि आवेदकों ने अपेक्षित शर्तों को पालन किया है, इन आवेदकों को उचित समय में बैंकिंग कारबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करेगा।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को प्रवेश करने की अनुमति सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में कम बैंक ऋण, समाज की बचत सम्भाव्यता में वृद्धि, बैंकिंग आदतों में सुधार तथा अधिक प्रतियोगिता उत्पन्न करना जिससे बैंकिंग क्षेत्र में उच्च उत्पादकता तथा कुशलता प्राप्त की जा सके, इन बातों को ध्यान में रख कर दी गई थी।

(ङ) और (च) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से निरीक्षण करके बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मदार है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध

3862. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसान काफी सीमा तक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पहल से कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ के आयात को बचाया गया है;

(घ) क्या इस प्रतिबंध को उठाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अग्रिम लाइसेंसों पर प्राकृतिक रबड़ (एन आर) के आयात पर प्रतिबंध लगाने से मात्रा मुक्त व्यवस्था में प्राकृतिक रबड़ के आयातों में होने वाली वृद्धि पर रोक लगी है और देशी रबड़ की खपत बढ़ी है। अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का 13456 एम टी का आयात हुआ था जबकि गत वर्ष की समनुरूपी अवधि में प्राकृतिक रबड़ का 20824 एम टी आयात हुआ था। प्राकृतिक रबड़ की कीमत में भी पर्याप्त सुधार हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अग्रिम लाइसेंसों पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों को खाद्य वस्तुएं प्रदान करने हेतु समिति

3863. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं, चावल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु अर्थोपाय निकालने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सभावना है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितना व्यय किया जाना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करना

3864. श्री जे.एस. वराड:
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में शामिल किए जाने की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों के समुदाय कौन-कौन से हैं और क्या उनके अनुरोध अभी लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) जी, हां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के लिए क्रमश: लगभग 456 और 757 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुसार प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। प्रस्ताव की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। प्रस्तावों के विवरण गुप्त रखे हैं जिन्हें इस स्तर पर प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह जटिल मामला है और इसमें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के लिए राज्य/संघ राज्य-वार प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	90
2.	अंदमान निकोबार द्वीप समूह	0	0

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	24
4.	असम	16	112
5.	बिहार	36	43*
6.	चंडीगढ़	8	15
7.	छत्तीसगढ़	33	0
8.	दादरा और नागर हवेली	1	1
9.	दमन और दीव	0	1
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12	0
11.	गोआ	3	9
12.	गुजरात	16	8
13.	हरियाणा	10	2
14.	हिमाचल प्रदेश	29	12
15.	जम्मू-कश्मीर	7	11
16.	झारखंड	1	0
17.	कर्नाटक	16	54
18.	केरल	20	54
19.	लक्ष्यदीप	0	1
20.	मध्य प्रदेश	24	18*
21.	महाराष्ट्र	21	82
22.	मणिपुर	2	19
23.	मेघालय	8	16
24.	मिजोरम	0	3
25.	नागालैंड	0	17
26.	उड़ीसा	59	83
27.	पांडिचेरी	6	11
28.	पंजाब	10	13
29.	राजस्थान	13	10
30.	सिक्किम	2	6
31.	तमिलनाडु	45	43
32.	त्रिपुरा	5	4
33.	उत्तर प्रदेश	30	68*
34.	उत्तरांचल	19	0
35.	पश्चिमी बंगाल	2	7
	कुल	456	737

*नवगठित छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के अनुसूचित जनजाति प्रस्तावों की संख्या को अभी तक उनके मूल राज्यों से अलग नहीं किया गया है।

मूक और बधिरों का उत्थान

3865. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के मूक और बधिर व्यक्तियों के उत्थान और देखरेख हेतु कोई नया प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में उक्त निशक्तता वाले व्यक्तियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ने मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, भुनेश्वर, सिकन्दराबाद तथा तिरूवनन्तपुरम में श्रवण विकलांग शिशुओं तथा बच्चों के लिए शीघ्र पहचान और उपचार हेतु प्रशिक्षुओं के शिक्षण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई में भारतीय संकेत भाषा सेल देश के अंदर भागों में अपने प्रशिक्षण कार्यकलापों का विस्तार करने की प्रक्रिया में है।

(ग) दो याजनाएं नामत: विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य प्रोत्हासन देने की योजना (अम्ब्रेला स्कीम) तथा सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना को सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2000

3866. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में कतिपय कानून किशोर अपराधियों के हितों के प्रतिकूल हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ संशोधनों का परीक्षण किया जा रहा है।

एक बिलियन विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी

3867. श्री सईदुज्जमा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 2002 के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में "प्रोव इनटू डालर 1 बिलियन फोरेन्स फ्राड वाय कारपोरेट्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक कंपनी पर कितनी राशि लंबित है; और

(ग) सरकार का विचार इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):(क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने सूचित किया है कि ऐसी कम्पनियों की संख्या 676 है, जो प्रत्येक विदेशी विक्रेताओं तो एक करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा वापिस करने के बाद वास्तविक आयात का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहीं। इसके अतिरिक्त, ऐसी लगभग 2500 कम्पनियां हैं जिनमें से प्रत्येक ने वास्तविक आयात का सबूत प्रस्तुत किए बिना एक करोड़ रुपए अथवा इससे कम की विदेशी मुद्रा वापिस की है। प्रश्न में संदर्भित इतने सारे मामलों की कम्पनी-वार सूचना समेकित करने में संल्पित श्रम अभीष्ट परिणामों के समनुरुप नहीं होगा।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के संगत उपबंधों के अन्तर्गत उपर्युक्त मामलों में पहले से ही कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं। ये मामले अब न्यायनिर्णयाधीन हैं।

हथकरघा ग्राम विकास योजना

3868. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वास्तव में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) वस्त्र निदेशालय, उड़ीसा ने सूचित किया है कि राज्य में उड़ीसा हथकरघा ग्राम विकास योजना नामक कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है। केन्द्र सरकार वर्ष 1991-92 से एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास नामक एक योजना कार्यान्वित करती है। यह योजना 1.4.1997 से बंद कर दी गई थी। इसलिए, विगत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किसी भी ग्राम को कवर नहीं किया गया।

(ख) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना के कायान्वयन के वर्षों के दौरान 2137 हथकरघा बुनकरों को कवर करने के लिए 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

आयकर विभाग, गुजरात में कर्मचारी

3869. श्री दिलीप संघाणी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आयकर विभाग लम्बे समय से कर्मचारियों विशेषकर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) क्या कर्मचारियों के कमी के कारण लोगों को आयकर विभाग के साथ व्यवहार करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) मुख्य आयकर आयुक्त, के कार्यालय ने समूह "ख" और समूह "ग" के कुछ पदों की कमी के बारे में विगत लगभग एक वर्ष से सूचना दी है।

(ख) जी, नहीं। मौजूदा कर्मचारियों को विवेकपूर्ण रूप से तैनात करने के प्रबंध किए गए हैं ताकि कर-दाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो।

(ग) पुराने भर्ती नियमों के अनुसार कतिपय श्रेणी के पदों में पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक (डीपीसी) कराने हेतु मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद के कार्यालय सहित सभी प्रभारों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन

3870. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को विधेयक लाकर निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का उत्तरदायित्व उस कंपनी को स्थानांतरित एवं सौंप दिया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित एवं रजिस्टर की जाएगी। ऐसी कंपनी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार बैंकिंग कारबार करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अंतरण एवं निसरन) विधेयक, 2002 क 4 दिसम्बर, 2002 को लोक सभा में पेश किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

समुद्री खाद्य पदार्थों की खेप को अस्वीकार करना

3871. श्री रामचन्द्र पासवान:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय देशों ने 1999 से मछलियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान आज तक किसी आयात करने वाले देश द्वारा समुद्री खाद्य पदार्थों की खेप को अस्वीकार किया गया है और भारत को वापस भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खेप को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ङ) देश को मछलियों की उक्त निर्यात खेप के वापस आने से कितने राजस्व की हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा निकट भविष्य में ऐसी भारी हानि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2001 के दौरान ई यू देशों को निर्यातित समुद्री खाद्य की 13 खेपों को अस्वीकृत किया गया है, जिनमें से 8 खेपें भारत को वापस कर दी गई थीं। आगे यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2002 के दौरान अब तक समुद्री खाद्य की 47 खेपें अस्वीकृत की गई हैं और इनमें से 5 खेपें भारत को वापस कर दी गई हैं। ये खेपें रासायनिक और सूक्ष्म जैविक संदूषण के कारणों से अस्वीकृत की गई हैं। हानि, यदि कोई हो, उन अलग-अलग निर्यातकों को उठानी होगी जिनकी खेपें ई यू द्वारा इस आधार पर कि ये मानव खपत के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अस्वीकृत और वापस कर दी गई थीं। तथापि ऐसी हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि आमतौर पर निर्यातक सरकारी एजेंसियों को ऐसी सूचना प्रकट नहीं करते हैं।

(च) समुद्री उत्पादों की खेपों की अस्वीकृति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:- उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के सभी चरणों पर समुद्री खाद्य के स्वास्थ्यकर रख रखाव हेतु अनिवार्य अपेक्षाएं निर्धारित करना ताकि गुणवत्ता मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके; रसायनों को भारी धातुओं का अधिकतम अनुमत्य स्तर निर्धारित करना; प्रसंस्करण इकाइयों की एम्पीडा और ई आई सी द्वारा निगरानी ताकि अपेक्षित मानदण्डों का अनुपालन हो सके; निर्यातकों, प्रसंस्कर्ताओं, किसानों, आहार विनिर्माताओं, अंडज उत्पत्तिशालाओं के मालिकों इत्यादि के बीच गुणवत्ता संबंधी जागरूकता

पैदा करने के लिए सभी समुद्री खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में एम्पीडा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अभियान चलाना तथा किसी भी चरण पर प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग के बारे में में उन्हें हतोत्साहित करना; और प्रमुख उत्पादन केन्द्रों पर समुद्री खाद्य के परीक्षण के प्रयोजनार्थ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उनका उन्नयन करना इत्यादि।

विकास परियोजनाओं हेतु निधियां

3872. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभन्नि क्षेत्रों में गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई ऋण की राशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और मार्च 2002 तक इन परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों के लिए पूर्व के वर्षों की तुलना में ऋण की राशि में वृद्धि की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (1997-98 से 2001-2002) के दौरान विकास परियोजना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), आईएफसीआई लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संवितरित ऋणों की मात्रा में गिरावट आई है और आधारिक विकास वित्त निगम (आईडीएफसी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आईआईबीआई) द्वारा संवितरित ऋणों में वृद्धि हुई है।

(ख) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित रकमें निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं	वित्तीय संस्था का नाम	संवितरण		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आईडीबीआई	17063	16990	10893
2.	आईएफसीआई	3301	2145	1079
3.	आईडीएफसी	642	762	1501
4.	एक्जिम बैंक	1668	1781	3061
5.	सिडबी	6964	6441	5919
6.	आईआईबीआई	277	200	161
7.	आईसीआईसीआई	25786	31665	20208

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	वित्तीय संस्था का नाम	वे क्षेत्र, जहां 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान ऋणों की रकम में वृद्धि की गई है
1	2	3
1.	आईडीबीआई	(क) प्लास्टिक और प्लास्टिक के सामान
		(ख) सीमेन्ट
		(ग) मशीनरी
		(घ) विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक उपस्कर
		(ङ) अस्पताल
		(च) सड़क परिवहन
		(छ) पत्तन
		(ज) मनोरंजन
		(झ) वित्तीय सेवाएं और
		(ञ) सेवाएं (अन्य)
2.	आईडीएफसी	(क) दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी
		(ख) परिवहन
		(ग) ऊर्जा और
		(घ) शहरी और अन्य
3.	एक्जिम बैंक	(क) फामास्यूटिकल
		(ख) वस्त्र और
		(ग) इलेक्ट्रानिक्स (दूरसंचार सहित)

1	2	3
4.	आईआईबीआई	(क) विद्युत उत्पादन
		(ख) दूरसंचार
		(ग) सड़क
		(घ) उर्वरक और
		(ङ) फार्मास्यूटिकल उद्योग

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. आयोग का झज्जर दौरा

3873. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने झज्जर जिले में दुलीना पुलिस चौकी, जहां पुलिस हिरासत में कुछ दलितों की हत्या कर दी गई थी, का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अपराध की जांच किए जाने पर पता चला कि हालांकि गुड़गांव में मृत पशुओं की खाल और चमड़ा हटाने के लिए ठेका प्रचालित है फिर भी गत दस वर्षों से झज्जर जिले में ठेका देने की ऐसी कोई प्रणाली नहीं है तथा मृत पशुओं को सामान्यत: दफना दिया जाता है। शायद, पीड़ितों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी और उन्होंने सड़क के किनारे एक मृत गाय की खाल उतारनी शुरू कर दी जिसे गलती से गो हत्या की घटना के रूप में ले लिया गया और शायद किसी गलत पहचान के आधार पर अफवाह के माध्यम से जनभावनाओं को भड़काते हुए इसने दशहरा उत्सव के दिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची।

इस त्रासदी के कारणों के आकलन के आधार पर आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की:-

(1) चूंकि पीड़ितों में से चार विवादित थे और अपने परिवारों के एक मात्र कमाने वाले सदस्य थे और पांचवां अविवाहित श्रमिक था, सभी अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थे इसलिए उन सभी के परिवार अपने आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए राज्य से पूरी सहायता के पात्र हैं।

(2) इस दुर्भाग्यपूर्व त्रासदी की सभी चार विधवाएं और अविवाहित पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को पर्याप्त वित्तीय मुआवजे के अलावा राज्य सरकार द्वारा उचित रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीड़ितों में से एक का कोई मकान भी नहीं था और मात्र आजीविका अर्जित करने वाले की अनुपस्थिति में उस महिला को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक आवास यूनिट आबंटित करना उचित होगा।

(3) अपराधी पाए गए गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(4) पीड़ितों पर अत्याचार करने वाले तथा उन निर्दोष व्यक्तियों को मारने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों तथा उनको अपराध में साथ देने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

(5) भविष्य में ऐसी घटना न होने देने तथा मृत पशुओं का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार को प्रमुख समुदाय की भावनाओं तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक घटकों को ध्यान में रखते हुए समुचित तंत्र तैयार करना चाहिए जैसा कि अन्य जिलों में प्रचालित है।

तथापि, डिविजनल कमीश्नर, रोहतक, हरियाणा सरकार द्वारा इस मामलें में आरंभ की गई जांच रिपोर्ट इस मंत्रालय में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

3874. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केवल चार हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे दो संस्थान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वे इन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव उपर्युक्त राज्यों से दो संस्थानों को अधिग्रहीत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के अधीन देश में चार भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी, राजस्थान में जोधपुर, तमिलनाडु में सेलम और असम में गुवाहाटी में स्थित हैं।

(ग) और (घ) दो संस्थान अपने राज्य सरकारों के अधीन वेंकटगिरि (आंध्र प्रदेश) और गडन-बेटागिरि (कर्नाटक) में कार्य कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उपर्युक्त दो संस्थानों की स्थापना के लिए अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार को 1.19 करोड़ रुपए और कर्नाटक सरकार को 1.05 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3875. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने पंजीकरण को रद्द किए जाने के पश्चात् भी अपना कारोबार कर रही हैं, के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवर्तन एजेंसियों को विभिन्न राज्यों में ऐसी कंपनियों का प्रचालन रोकने हेतु कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों को कब तक बंद किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। बैंक ने उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं, को आगे जमाराशि स्वीकार करने और जमाकर्ताओं को वापसी अदायगी के लिए आस्तियों के हस्तांतरण को छोड़कर आस्तियों का अन्य हस्तांतरण करने से रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। उनके नाम बैंक की वेबसाइट में दे दिए जाते हैं। संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार और राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा को सूचित कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिए जाने के संबंध में अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जनता को भी सूचित कर दिया जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अस्वीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूचियां राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ दे दी हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करके आप्राधिकृत तरीके से व्यवसाय चलाने वाली कंपनियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का सहारा लें।

(घ) अस्वीकृत कंपनियों को निदेश दे दिए गए हैं कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय चलाना बंद कर दें, रखी गई सार्वजनिक जमाराशि पर उनकी स्वीकृति, शर्तों यदि कोई हो, के अनुसार वापस करना जारी रखें। ऐसी कंपनियों को निदेश दिए गए है कि अस्वीकार किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर स्वयं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में बदल लें या अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान कर लें या स्वैच्छा से कंपनी बंद करने की मांग करें।

वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2002 जो कि इस समय स्थायी वित्त समिति के समक्ष है, यह प्रावधान किया गया है कि गैर-पंजीकृत कंपनी द्वारा वित्तीय व्यवसाय आप्राधिकृत तरीके से चलाया जाना संज्ञेय अपराध होगा।

परिवहन संबंधी राज सहायता

3876. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री वी. वेद्रिसेलवन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फूलों, सब्जियों, मुर्गीपालन और डेयरी उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन संबंधी राजसहायता को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना जुलाई, 2002 तक शुरू की जानी थी;

(ग) यदि हां, तो इस परिवहन संबंधी राजसहायता की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या यह योजना विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह राजसहायता योजना अन्य निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए भी दी जा सकती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (च) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने दसवीं योजना के लिए 95 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से चुनिंदा फलों, सब्जियों, मुर्गी-पालन और डेयरी उत्पादों के लिए परिवहन सहायता की एक स्कीम तैयार की है। इसका इस समय सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसी सहायता कृषि संबंधी वर्तमान करार के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ के अनुरूप है जिसमें आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा भाड़ा लागतों सहित कुछ लागतों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी गई है। अन्य उत्पादों के लिए ऐसी प्रतिपूर्ति करना इस प्रकार की प्रतिपूर्ति की वास्तविक आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता दोनों पर निर्भर करेगा।

चीनी क्षेत्र पर "सीटा" रिपोर्ट

3877. श्री प्रकाश वी. पाटिल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्टर फार इन्टरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर एण्ड एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज 'सीटा' ने चीनी क्षेत्र में सुधारों संबंधी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीटा की सिफारिशों का मूल्यांकन किया है और चीनी उद्योग को राहत देने की दृष्टि से उन्हें लागू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) चीनी मामलों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के नोडल विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चीनी क्षेत्र में सुधारों के बारे में हाल में सैन्टर फार इन्टरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर एण्ड एग्रो-बेस्ट इंडस्ट्रीज (सी.आई.टी.ए.) से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लम्बित प्रस्ताव

3878. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के गंजक जिले के छतरपुर में इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड के सहयोग से उच्च स्तर के सिंथेटिक जूट के उत्पादन हेतु एक प्रदर्शन संयत्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास एफ.आई.पी.बी. मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस विदेशी निवेश परियोजना की शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) मैं आस्टपैक रिसोर्सेज, एन एल आस्ट्रेलिया ने उड़ीसा में सिंथेटिक रूटाइल संयंत्र स्थापित करने हेतु, इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड (आई.आर.ई.एल) के साथ एक संयुक्त उद्यम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उक्त प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और उसे इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि वह मूल्य-वर्धन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। इसे उचित रूप से कंपनी को बता दिया गया था। यद्यपि कंपनी ने उसके बाद नये सिरे से आवेदन करने की इरादे की सूचना दी है, आज की तारीख तक कंपनी ने कोई औपचारिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां

3879. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराजसिंह चौहान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां प्रदान करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों (विभागों) संगठनों को आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं कि जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति सही प्रकार से कार्यान्वित की जानी चाहिए। भर्ती एजेंसियों द्वारा समय-समय पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी मंत्रालयों/विभागों से भर्ती एजेंसियों को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा नई भर्ती के लिए मांग भेजते समय विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति को ध्यान में रखा गया है।

(ग) यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है कि वह अपने उपक्रमों में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थित आरक्षण संबंधी प्रावधान को कार्यान्वित करें। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों की समूह ख, ग तथा घ श्रेणियों में 6% आरक्षण का प्रावधान किया है।

[अनुवाद]

जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम

3880. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995 से 1997 तक अनिवार्य पैकेजिंग आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में सीमेंट कम्पनियों से लगभग 2000 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और दोषी कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उनसे आर्थिक दंड के रूप में कितनी राशि वसूली जानी है;

(ग) क्या सीमेंट और उर्वरक कंपनियां जूट पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिए गए आदेश का अभी तक उल्लंघन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश को पूरी तरह लागू करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 1.4.2002 को सिविल रिट याचिका सं. 2941/1996- आईजेएमए-बनाम संघ सरकार में दिए गए आदेश के अनुसरण में, पटसन आयुक्त ने पटसन सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी आदेशों के उल्लंघन हेतु 58 सीमेंट और उर्वरक कंपनियों को अगस्त, 2002 में कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके विरुद्ध 30 कंपनियों ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करके अधिकांश मामलों में स्थगन आदेश भी ले लिया। दंड की राशि इन न्यायालय संबंधी मामलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

(ग) से (ङ) सीमेट और उर्वरक को क्रमश: 15.12.98 और 1.9.2002 से पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 की सीमा से मुक्त किया गया है। इसलिए, आदेश के क्रियान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता। पुराने मामलों में प्रस्तावित कार्रवाई उपरोक्त न्यायालय संबंधी मामलों के निर्णय पर निर्भर करेगी।

आभूषणों की शुद्धता

3881. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर 2002 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में "आर यू श्योर युअर डायमंड आर रियल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस और अमरीका की प्रयोगशाला में उत्पादित पत्थरों (एन पी एस) की भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गई है और कुछ ज्वैलर्स उन्हें हीरे के रूप में बेच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे ज्वैलर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और 'मोहसानाइटस' नामक एन एस पी एस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) यह ज्ञात नहीं है कि घरेलू जौहरी नकली नगीनों की कितनी बिक्री वास्तविक हीरों के रूप में कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) मायसेनाइट्स, जिसे सिन्थेटिक मायसेनाइट्स भी कहा जाता है के आयात पर तब प्रतिबंध लगाना उचित नहीं हो सकता जब इनका आयात एग्जिम नीति और सीमाशुल्क कानूनों के अनुसार किया गया हो। दंडात्मक कार्यवाही का प्रश्न तभी उठता है जब ऐसे नगीनों को धोखाधड़ी से असली हीरों के रूप में बेचा जाए। ग्राहकों को खरीदे गए हीरों की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संन्तुष्ट करने के लिए खुदरा जौहरियों से प्रमाणीकरण एवं परीक्षण की मांग करनी चाहिए।

सेवा/सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर जोर

3882. डा. बी.बी.रमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चालू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का फोकस सेवा/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन अथवा कोई अन्य संख्या सेवा/सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) आईआईटीएफ 2002 "सेवा निर्यात पर्यटन" पर केन्द्रित था।

(ख) "सेवा निर्यात" संबंधी पैविलियन में सेवाओं में विश्व व्यापार तथा सेवा निर्यातों में उपलब्ध अवसरों से लाभान्वित होने की भारत की क्षमता और संभावना को प्रदर्शित किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी समर्थित सेवा, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा में अवसर एवं क्षमता, मैपिंग हेतु अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसर, चिकित्सा सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं तथा यात्रा/पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल थी।

(ग) और (घ) विभिन्न उत्पादों तथा सेवा/आईटी क्षेत्र के संवर्धन हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकों सहित व्यापार संवर्धन कार्य-कलापों का आयोजन निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इन कार्यकलापों के एक भाग के रूप में आईटीपीओ द्वारा यूएसए और यूरोप में अनेक क्षेत्रों में सेवा निर्यातों में भारत की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए विचार विनियमकारी सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है। निर्यात संवर्धन प्रयास को मजबूत करने के लिए आईटीपीओ की योजना अन्य संगठनों तथा सरकारी संस्थानों के साथ विचार विनियम करने की भी है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

3883. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सात राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने संबंधी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है और सूची को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार अधिसूचित सूची क्या है;

(ग) अन्य राज्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन राज्यों के उन अन्य सामाजिक वर्गों के नाम क्या हैं जिन्होंने कुछ और समुदायों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आवेदन किया है लेकिन विशेषकर गुजरात से आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था/लम्बित है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) ने पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव भेजे हैं। इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में किए गए समावेश/संशोधन को समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए गुजरात राज्य सहित 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक 19 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल समुदायों के ब्यौरे इन अधिसूचनाओं में दिए गए हैं।

(घ) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इस आधार पर गुजरात के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में निम्नलिखित जातियों/समुदायों को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है कि वे इस मामले में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करे हैं:

1. बरदाई ब्राह्मण
2. सिन्धी

3. सुत्तर
4. लूवर/लवर
5. नडोदा राजपूत
6. राजपूत
7. पुरबिया क्षत्रिय राजपूत
8. ब्राह्मण
9. कदवा पटेल
10. अंजना (पटेल, चौधरी, देशाई)
11. मोध पटेल अथवा मोध पाटिदार
12. बलोच मुस्लिम
13. पटनी कमलिया (वघोलिया), हलारी, चुनवालिया, झालोरी, कनकुदिया, सलतिया, पोमना, वधियारी, उत्तमिया, घंघलिया, संसोरिया, (लकडिया) कच्छी, बवरी, मोधक्रिया, वनसदिया, भोइया और मादिया वधारी के पर्याय के रूप में।
14. सारेथिया माली, सैनी माली, मोरिया, कुशवाहा, रामी माली के पर्याय के रूप में।
15. जयसवाल तेली, जयसवार तेली, चौधरी तेली, तैलिक, मोदी तेली, वैश्य तेली, विनया तेली, महाजन तेली, राजपूत तेली, मराठा तेली।
16. गुगली ब्राह्मण

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास निपटान हेतु निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:

1. जगरी
2. धांगर
3. खवास
4. सागर
5. कनसारा
6. चाकी

आयोग उपर्युक्त 6 समुदायों के लिए सार्वजनिक सुनवाई के बाद सरकार को अपना विचार देगा।

निगमित क्षेत्र में विलय

3884. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी कार्य विभाग निगमित द्वारा क्षेत्र के लिए विलय की प्रक्रिया हेतु तैयार दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दिशानिर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) कंपनी कार्य विभाग द्वारा ऐसा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

3885. श्री नरेश पुगलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अधिनियम से प्रस्तावित संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में व्यापक संशोधन करने के लिए 26 अप्रैल, 2001 को राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना, प्रतितोष एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि करना, उनको अधिक शक्तियां देकर मजबूत करना, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना तथा अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है ताकि इसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाया जा सके। उक्त विधेयक अर्थात उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 को संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार करके पारित कर दिया गया। इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृत प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा इसको यथा समय पर लागू कर दिया जाएगा।

विधेयक में अन्तर्निहित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:

(i) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की पीठों का सृजन और सरकिट बेंचों का आयोजन;

(ii) शिकायत दर्ज करने, नोटिस जारी करने और शिकायत के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करना;

(iii) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ली गई सेवाओं को हटाना;

(iv) प्रतितोष एजेंसी द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति राशि की भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाण-पत्र केस के जरिए वसूली;

(v) प्रतितोष एजेंसियों द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने के लिए प्रावधान;

(vi) जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना।

[हिन्दी]

पिछड़े और विकसति क्षेत्रों में असमानता

3886. श्री डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछड़े क्षेत्रों तथा विकास शील क्षेत्रों के बीच असमानता में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों के बावजूद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उनके राज्यों के पिछड़े क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण तथा अन्तर-राज्यीय विकास में अंतर को कम करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रभावी तथा व्यावहारिक नीतियां तैयार करने के उद्देश्य से कोई नया प्रोत्साहन पैकेज सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् निवेश के निर्णय अब पहले से भी अधिक, उद्यमियों को वाणिज्यिक समझ पर आधारित होते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना मूलतः राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/प्रोत्साहनों के जरिये राज्यों के प्रयासों में सहायता दी जाती है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

(1) वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत रियायतें प्रदान करने की दृष्टि से, देश में औद्योगिक रूप से पछड़े 123 जिलों को अधिसूचित किया था।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 80-Iख के तहत औद्योगिक उपक्रम श्रेणी 'क' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में पांच वर्षों की अवधि के लिए और श्रेणी ख औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में तीन वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत करावकाश के पात्र हैं। ऐसे औद्योगिक उपक्रम, दोनों श्रेणियों के जिलों में पांच वर्षों की और अवधि के लिए अपने लाभों और फायदों से 25 प्रतिशत छूट (कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत) के भी पात्र हैं।

(3) **विकास केन्द्र योजना:**

इस योजना के तहत देश-भर में 71 विकास केन्द्रों को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें बिजली, पानी, दूरसंचार, मल-जल निकासी व्यवस्था, बहिःस्राव निपटान, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जायेगी ताकि वे उद्योगों को आकर्षित कर सकें। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विकास केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा विकसित किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये प्रति विकास केन्द्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 15 करोड़ रुपये) की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(4) **परिवहन राजसहायता योजना:**

यह योजना पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से जुलाई, 1971 में आरंभ की गयी थी। यह योजना इन क्षेत्रों के लिए लागू है- हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य द्वीप के केन्द्र शासित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला तथा उत्तरांचल के आठ पहाड़ी जिले, जिनमें शामिल हैं, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादू, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। इस योजना के तहत, वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए, नामोद्दिष्ट

किये गये रेल शीर्षों/पत्तनों से उद्योग स्थल तक कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को वहां तक वापस लाने पर आने वाली परिवहन लागत के लिए 50 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक राजसहायता अनुमेय है। यह योजना 31.3.2007 तक आगे बढ़ा दी गयी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को तेज करने के लिए, नौवी योजना में निम्नलिखित तीन योजनाएं भी आरंभ की गयी है। यह पैकेज जम्मू और कश्मीर के लिए भी लागू कर दिया गया है:-

(1) पूंजी निवेश राजसहायता योजना:

इस योजना के तहत, विकास केन्द्रों स्थित उद्योगों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरे पहचान किये गये औद्योगिक एककों और/अथवा उनके पर्याप्त विस्तार हेतु, संयंत्र और मशीनरी में किये गये निवेश के 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता अनुमेय है जिसके लिए अधितम सीमा शर्त 30 लाख रुपये है। यह योजना 1.6.1998 को अधिसूचित की गयी थी।

(2) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना:

19.2.1999 को अधिसूचित की गयी योजना के विवरण के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये औद्योगिक एककों को एकक द्वारा उत्पादन आरंभ करने के पश्चात् दस वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) व्यापक बीमा योजना:

14.7.1999 को अधिसूचित की गयी इस योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24 दिसंबर, 1947 के बाद स्थापित किये गये औद्योगिक एककों को 100 प्रतिशत प्रीमियम का बीमा लाभ देने की परिकल्पना है। आरंभिक प्रीमियम को भुगतान बीमा की गयी पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति फिर नोडल बीमा कंपनी द्वारा रखी जाने वाली एक आवर्ती निधि में से कंपनी द्वारा की जाएगी। इस आवर्ती निधि के लिए धन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिया जायेगा। यह योजना 10 वर्षों की अवधि तक अर्थात 13.7.2009 तक प्रभावी रहेगी।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय, लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:

(1) एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधा विकास योजना (आई.आई.डी)

1994 में आरंभ की गयी इस योजना में लघु अद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की परिकल्पना है, ताकि ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 53 आई.आई.डी केन्द्रों को मंजूरी दी गयी है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम (एन.पी.आर.आई.)

1999-2000 से ग्रामीण औद्योगिकरण के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण औद्योगिक समूह स्थापित किये जा सकें और इसकी निगरानी लघु उद्योग विकास संगठन (सीडा) द्वारा की जायेगी।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों के पैकेज को हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए भी लागू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कंपनी कार्य विभाग के कार्यालयों का पुनर्गठन

3887. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी कार्य विभाग और कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्रीय कार्यालयों का संपूर्ण पुनर्गठन करने हेतु आठ माह की समय सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) कंपनी कार्य विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

केन्द्रीय भांडागार निगम

3888. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम को विश्व में किसी भी स्थान पर किसी के भी साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने का अधिकार है और राज्य भांडागार निगमों को ऐसा करने से वर्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय भांडागार निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करके छूट देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय लिया है और तदनुसार केन्द्रीय भांडागार निगम अधिनियम, 1962 में परिवर्तन करने की योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) भांडागार निगम अधिनियम, 1962 को हाल में 29.2.2001 को संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में से एक के अनुसार भांडागार अधिनियम, 1962 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय भांडागार निगम विदेशी कम्पनी अथवा इसकी सहायक कम्पनियों सहित किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित तथा पंजीकृत किसी कम्पनी के साथ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संयुक्त उद्यम लगा सकता है। सभी राज्य भांडागार निगमों को भी संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की अनुमति दी गई है।

(ग) से (च) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से भांडागार निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, ताकि राज्य भांडागारण निगम संबंधित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी के साथ संयुक्त उद्यम लगा सकें। भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 को हाल में संशोधित किया गया है। मुख्य मंत्री का सुझाव नोट कर लिया गया है।

बिहार में भंडारण सुविधाओं का निर्माण

3889. श्री अरुण कुमार:
श्री राजो सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने राज्य में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में अतिरिक्त भंडारण क्षमता अधिष्ठापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के अनुरोध अन्य रोज्यों से भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन अप्रैल, 2002 में 3 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का अनुरोध किया था और इसे भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया था। राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के परामर्श से इस क्षमता के लिए अनंतिम तौर पर केन्द्रों की पहचान की है और आशा है कि निर्माण कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) से (च) वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राजस्थान सरकार ने 10,000 टन की अतिरिक्त क्षमता का अनुरोध किया है। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन क्रमश: 7.5 लाख टन और 10,000 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का अनुरोध किया है। मंत्रालय दोनों प्रस्तावों पर विचार कर रहा है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

परिवहन पर अधिक व्यय

3890. श्री के. येरननायडू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की खरीद में परिवहन पर अधिक व्यय आड़े आ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिल कर परिवहन पर अधिक व्यय का बोझ वहन करने के लिए क्या कार्रवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) जहां तक संभव है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निकटस्थ डिपु/रेल शीर्ष से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्टाक जारी किए जाते हैं और यदि पूरी 14 किलोमीटर से अधिक है तो सरकार ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा वहन की गई ढुलाई लागत की प्रतपिूर्ति करती है।

पहाड़ी क्षेत्र बाहुल्य वाले राज्यों में, आने वाली ढुलाई की ऊंची लागत को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों को विनिर्दिष्ट बेस डिपुओं से अनुमोदित प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की ढुलाई पर आने वाली लागत की वास्तविक आधार पर प्रतपिूर्ति की जाती है।

सेवा क्षेत्र को संरक्षण

3891. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन में वितरण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भारतीयों के हित असंरक्षित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में किसी मार्किट एजेंसी से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा के क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) इस समय डब्ल्यू टी ओ में सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार के अंतर्गत वार्ताएं चल रही हैं। पणधारकों के साथ परामर्श किए जाना वार्ताओं की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और यह एक सतत कार्य है। वितरण सेवाओं में भारतीय सेवा प्रदाताओं के हितों को असंरक्षित नहीं छोड़ा गया है। भारत ने डब्ल्यू टी ओ में इस क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक कोई क्षेत्र विशिष्ट वचनबद्धताएं नहीं की हैं।

[हिन्दी]

दंगा पीड़ितों को ऋण

3892. श्री सुबोध राय: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से "सेन्ट्रल इंट्रेस्ट सबसिडी स्कीम" के लाभों को सभी समुदायों के दंगा पीड़ितों को देने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने दंगा पीड़ितों को एक प्रतशित ब्याज दर पर ऋण दिए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए ऋण की राशि कितनी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार को भविष्य में सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित होने वाले सभी उधारकर्ताओं के लिए नवम्बर 1984 के दंगा प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए विद्यमान केन्द्रीय ब्याज दर सब्सिडी योजना संशोधित की तर्ज पर एक योजना तैयार करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मानना है कि उपर्युक्त योजना, विशेष परिस्थिति में उधारकर्ताओं के कष्टों की तीक्ष्णता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में तैयार की गई थी। इस प्रकार, भविष्य के सभी दंगों को कवर करने के लिए आम योजना शुरू करने पर विचार करना अपेक्षित नहीं समझा गया।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों को आयकर में छूट

3893. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के दो पर्वतीय जिलों उत्तर कछार हिल्स और करबी अंगलांग में रहने वाले जनजातीय लोगों के समान देश के मैदानी क्षेत्र के जनजातीय लोगों के समान देश के मैदानी क्षेत्र के जनजातीय लोगों को अनिवार्य आयकर भुगतान से छूट देने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

3894. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सम्भलाई समिति (हैण्डलिंग कमेटी) के प्रभावशाली सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न भण्डारों से खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसके परिणामत: गरीब जनजातीय लोग वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) खाद्यान्न भंडारों से खुले बाजारों में खाद्यान्न बेचने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इतने विशाल प्रचालन, जिसमें अनेक एजेंसिया शामिल हों, में प्रणाली में कुछ कमी होने की सदैव संभावना होती है।

कमजोर वर्ग के लिए कार्यक्रम

3895. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: महाराष्ट्र में कमजोर वर्ग के लिए पुनर्वास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है और महाराष्ट्र में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है और अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क)से (घ) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के वैकल्पिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और उनके पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय योजना मार्च, 1992 में शुरू की। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या 64785 थी तथा इस योजना की शुरूआत से प्रशिक्षत और पुनर्वासित सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा निर्मुक्त धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	सफाई कर्मचारियों की सं.		निर्मुक्त निधियां
	प्रशिक्षित	पुनर्वासित	(रु. करोड़ में)
1991-92	-	-	3.70
1992-93	680	1650	6.59
1993-94	1034	2753	3.78
1994-95	1332	3246	5.00
1995-96	1782	3115	5.80
1996-97	1874	2349	0.00
1997-98	909	2273	0.00
1998-99	645	1678	0.00
1999-00	575	1313	0.00
2000-01	29	30	21.35
2001-02	2122	679	0.00
कुल	10982	19086	46.22

वर्ष 2001-02 के लिए उपोयग प्रमाणपत्र को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।

सी आई बी एस के लिए मध्य प्रदेश के प्रस्ताव

3896. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत हेतु केन्द्र सरकार के पास पीलुखेडी औद्योगिक क्षेत्र की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम (सी आई बी एस) के अंतर्गत एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव पीलुखेडी औद्योगिक विकास केन्द्र में 144.00 लाख रु. की कुल लागत से बुनियादी संरचना के विकास के लिए था। 104.61 लाख रू. की कुल लागत से 15.72 किमी. लम्बे नाले के निर्माण और 29.24 लाख रु. की लागत से 4.97 किमी. का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) इस प्रस्ताव को भारत सरकार की महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना संतुलन स्कीम (सी आई एस) संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु परियोजना को निर्यात से संबंधित न बताए जाने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मतभेद

3897. श्री वी. वेत्रिसेलवम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र, ह्विस्की का वर्गीकरण, विशेषज्ञों की आवाजाही और राजसहायता प्राप्त व्यापार समाप्त करना जैसे प्रमुख मुद्दों पर भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच मतभेद से द्विपक्षीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मुद्दों को निपटाने के लिए हाल ही में कोपेनहेगन में भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था; और

(ग) यदि हां, शिखर सम्मेलन के परिणाम क्या रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में वस्त्र, ह्विस्की का वर्गीकरण, व्यवसायियों का आवागमन, व्यापार विकृतिकारक सब्सिडियों को चरणबद्ध ढंग से हटाना आदि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है। इन पर 10 अक्तूबर 2002 को कोपेनहेगन में आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की बैठकों में भी विचार विमर्श किया गया था। शिखर सम्मेलन की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों का तीव्रता से और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में रचनात्मक ढंग से साथ मिलकर कार्य करके बाजार में अधिक पहुंच सुलभ कराने से संबंधित समाधान किया गया था।

भारत के विरुद्ध पाटनरोधी मामले

3898. श्री पवन कुमार बंसल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों द्वारा भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी उपाय अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन भारतीय उत्पादों के नाम क्या हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए गए हैं और यह शुल्क कितना है तथा इन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) भारतीय सरकार की इन पाटनरोधी मामलों पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन मुकदमों को लड़ने के लिए सरकार द्वारा छोटे निर्यातकों को क्या सहायता दी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत लाए गए भारतीय उत्पादों की एक निदर्शन सूची विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसी जांच पड़ताल के अंतर्गत लाए गए उत्पाद के भारतीय निर्यातक अथवा उत्पादक पाटनरोधी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं ऐसे सभी मामलों में सरकार आवश्यक समर्थन और सहायता देती है। सरकार द्वारा मामले को द्विपक्षीय रूप से अथवा विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के जरिए उठाने के लिए भी उचित कार्यवाही की जाती है।

(घ) वाणिज्य विभाग की विपणन विकास सहयता स्कीम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों को कुछ शर्तों के अध्यधीन अधिक शाखाओं में विस्तारित पाटनरोधी मुकदमें लड़ने के लिए उसमें होने वाले खर्च की 50% की अधिकतम सीमा तक सहायता दी जाती है जिसकी प्रत्येक मामले में सर्वाधिक राशि 10.00 लाख रुपए है।

विवरण

पाटनरोधी मामलों की सूची

क्र.सं.	उत्पाद	जांचकर्ता देश का नाम	लगाए गए शुल्क की सीमा
1	2	3	4
1.	साईकिल के लिए टायर	ब्राजील	38% से 145%
2.	जूट के बैग	ब्राजील	38.90%
3.	ब्लैक ग्रैनाइट मैमोरियल्स (सभी आकार एवं रूप) और ग्रेनाइट स्लैब (मोटाई>-3 इंच)	कनाडा	8.7 % से 32.7%
4.	हाट राल्ड कार्बन प्लेट्स	कनाडा	28.4%तक
5.	स्टेनलैस स्टील राउण्ड बार्स	कनाडा	18.8% से 52.4%
6.	हाट रोल्स कार्बन स्टील शीट एवं सिट्रप्स	कनाडा	11.9% से 62.9%
7.	पालिस्टर टेक्चूराइण्ड यार्न (पीटीवाई)	ई यू	3.7% से 7.9%
8.	सल्फानिलिक एसिड	ई यू	18.30%
9.	कैथोड के कलर (टेलिविजन पिक्चर ट्यूब (सीपीटी))	ई यू	20.50%
10.	काटन टाइप बेड लिनेन-II	ई यू	11.6%से 24.7%
11.	फ्लैड रोल्ड प्रडक्ट्स अफ आयरन एंड नान एलाय स्टील (एच आर सी)	ई यू	18.1% तक
12.	हाट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स आफ नान-अलाय स्टील (क्वार्टो प्लेट्स)	ई यू	22.3%वचनबद्धता दी गयी
13.	पालिथिलीन टेरेफ्थ,लट चिप्स	ई यू	24.2से 44.3%
14.	पालिथिन टेरेफ्थालेट फिल्म	ई यू	62.6% तक
15.	पालिस्टर टेक्चर्ड फिलामेंट यार्न	ई यू	3.7%से 19.1%
16.	पालिथिलीन एंड पालिप्रोप्लीन बोरी एवं बैग	ई यू	36% तक
17.	पालिथिलीन एंड पालिप्रोप्लीन बोरी एंव बैग (नव निर्यातक)	ई यू	10.5% तक
18.	पालिस्टर स्टेपल फाइबर	ई यू	14.7% से 35.4%
19.	स्टेनलैस स्टील फास्टनर्स एंड पार्टस	ई यू	11.2% से 54%
20.	1 मिमी और इससे अधिक व्यास वाला स्टेनलैस फाइन वायर	ई यू	55.6% तक
21.	स्टील स्टैण्डैर्ड रोप्स और केबल	ई यू	23.8% 30.8%
22.	एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेड और एमेक्सोसिलीन ट्राइहाइड्रेड	इंडोनेशिया	14%
23.	ब्लैक कार्बन	इंडोनेशिया	19.74% से 52.48%
24.	हाट रोल्ड क्वायल्स/प्लेट्स	इंडोनेशिया	26% से 38%

1	2	3	4
25.	वायर राडस	इंडोनेशिया	23%
26.	एसीटामिनो फिनोल	दक्षिण अफ्रीका	434 सेंट/किग्रा.
27.	एक्रिलिक कंबल	दक्षिण अफ्रीका	203 से 1077 सेंट किग्रा.
28.	कार्बन ब्लैक	दक्षिण अफ्रीका	22.8% से 48.90%
29.	लीड कवर्ड इलैक्ट्रिक केबल सतह युक्त पेपर	दक्षिण अफ्रीका	65.47% तक
30.	पालिविनाइल क्लोराइड (पी बी सी) ससपेंसन	दक्षिण अफ्रीका	32.07%
31.	पालिविनाइल क्लोराइड (पी बी सी)	दक्षिण अफ्रीका	64% से 157%
32.	पालिस्टर टेक्चाराइज्ड यार्न (पी टी वाई)	तुर्की	6.8 से 20.3%
33.	कार्बन स्टील प्लेट्स	अमरीका	72.49%
34.	स्टेनलैस स्टील बार	अमरीका	21.02% तक
35.	स्टेनलैस स्टील फ्लैंजेज	अमरीका	210% तक
36.	स्टेनलैस स्टील वायर राड	अमरीका	48.80%
37.	सल्फानिलिक एसिड	अमरीका	71.90%
38.	पालिथाइलिन टेरेथाइलट फिल्में	अमरीका	24.14%
39.	हाट रोल्ड स्टील फ्लैट उत्पाद	अमरीका	36.53% से 44.4%
40.	सिलिको मैगनीज	अमरीका	17.74% से 20.53%
41.	गल्वनाइज्ड स्टील पाइप	दक्षिण अफ्रीका	34.70%
42.	पिक्स (गार्डन)	दक्षिण अफ्रीका	4.6% से 57.7%

बच्चों को गोद लेना

3899. श्री एम. मुरूगेसन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों के संबंध में समन्वित जानकारी और ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) दत्तकग्रहण के मामले में सूचना के निकासी-गृह के रूप में कार्य करती है।

[हिन्दी]

बैंकों में रिक्त पद

3900. श्री धावरचन्द गेहलोत:
श्री सुरेश पासी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर 2002 की तिथि के अनुसार प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक में कितने पद रिक्त हैं;

(ख) उक्त पदों में से अनुसूचित जाति/अनु.ज.जा. के लिए पद-वार और बैंक-वार कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए बैंक प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वृद्धाश्रम

3901. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार से राज्य के कुछ जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(ग) स्वीकृति के अनुसार इस पर कितना व्यय आने की संभावना है; और

(घ) उक्त वृद्धाश्रम स्थापित किए जाने के लिए क्या समय-सीमा दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वीकृत किए जाने वाले नए प्रस्तावों के लिए कोई विशिष्ट समय और लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

काजू गिरी के मूल्यों में गिरावट

3902. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत से निर्यात होने वाले काजु गिरी के मूल्यों में गिरावट की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों का मूल्य स्तर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान काजू गिरी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए काजू गिरी की यूनिट निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष	यूनिट निर्यात कीमत (रु./किग्रा)
2000-2001	229.89
2001-2002	182.13
2002-2003 (अप्रैल-अक्तूबर)	188.66
2001-2002 (अप्रैल-अक्तूबर)	197.77

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार रही:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
2000-2001	2049.60
2001-2002	1776.70
2002-2003 (अप्रैल-अक्तूबर)	1123.03
2001-2002 (अप्रैल-अक्तूबर)	1050.32

(घ) काजू गिरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता की वरीयताएं आदि, सरकार के नियंत्रण से पूर्णत: बाहर के घटकों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होती हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

3903. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और ग्रामीण अर्थतंत्र पर सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम ने अर्थतंत्र को सुधार दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम से रोजगार संसाधनों का सृजन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) अनेक सुधारोपाय, जिनका मुख्य केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, दूसरी पीढ़ी के सुधारों के एक भाग के रूप में किए गए हैं। इस वर्ष किए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय यह सुनिश्चित करना था कि पूरा देश चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, चीनी, खाद्य तेलों और तिलहनों जैसी मुख्य फसल उत्पादों के आवागमन और भंडारण पर नियंत्रणों को हटाने के माध्यम से किसानों के लिए एक एकल बाजार है। हाल ही में किए गए कुछ अन्य सुधारोपाय इस प्रकार हैं:

- मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और नाशवान उत्पादों के अपव्यय को रोकने के लिए सरकार ने भंडारण क्षमता के सृजन के लिए ऋणों पर ब्याज के भाग को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नीति की घोषणा की है;
- वायदा व्यापार की अब 42 उत्पादों में अनुमति दी गई है, यहां तक कि इसके लिए कई एक्सचेंज अभी प्रचालनात्मक होने हैं;
- प्याज, नाइजर बीजों और जूट को छोड़कर बहुत से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया था;
- चालू वर्ष के दौरान सुधारोपायों के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र से 51 मदों को अनारक्षित किया गया;
- 15 राज्यों में मंजूर किए गए 32 कृषि निर्यात क्षेत्रों (एईजैड) में से, अब तक 28 को प्रचालनात्मक किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कीमें हैं: स्वर्णजन्यती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सुधारोपायों और रोजगार सृजन स्कीमों के लाभों का तुलनात्मक रूप से परिणाम बताना अथवा मूल्यांकन करना अभी ठीक नहीं होगा।

बैंकों में अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के लिए रिक्तियां

3904. श्री राम टहल चौधरी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अ.पि.व. के लिए निर्धारित कोटे को कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उनके लिए निर्धारित कोटे को भरने के लिए विफलता के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2002 तक नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 9989 है।

(ग) और (घ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने संबंधी मार्गनिर्देश राष्ट्रीयकृत बैंकों को सितम्बर 1993 में ही जारी कर दिए गए थे। कोटे को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोटे को नहीं भरे जाने का मुख्य कारण बैंकों द्वारा सीमित सीधी भर्ती तथा पर्याप्त उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज का उत्पादन

3905. श्रीमती प्रभा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अखबारी कागज उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और अखबारी कागज की मांग को स्वदेशी उत्पादन से कितना पूरा किया जाता है;

(ख) आयातित आखबारी कागज की स्वदेशी अखबारी कागज की तुलना में कीमत कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा कितनी है; और

(घ) प्रतियोगी मूल्यों पर अखबारी कागजों के उत्पादन में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) इस समय, 12.25 लाख टन की कुल अधिष्ठापित

क्षमता वाली 65 मिले (सार्वजनिक क्षेत्र में 4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में 2 और निजी क्षेत्र में 59) हैं जो अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं। देश में अखबारी कागज की कुल मांग लगभग 10 लाख मीट्रिक टन है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने की अधिष्ठापित क्षमता है। विगत दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज का वास्तविक घरेलू उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन
2000-2001	6.34 लाख मीट्रिक टन
2001-2002	6.20 लाख मीट्रिक टन

(ख) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत दो वर्षों के दौरान घरेलू और आयातित अखबारी कागज का मूल्य निम्नानुसार था:-

वर्ष	घरेलू मूल्य	आयातित मूल्य
2000-2001	24000-30450 रुपये (प्रति मीट्रिक टन)	650-700 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
2001-2002	20000-22000 (प्रति मीट्रिक टन)	405-450 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा निम्नानुसार थी:-

वर्ष	मात्रा
2000-2001	4.42 लाख मीट्रिक टन
2001-2002 (जुलाई, 2002 तक)	1.72 लाख मीट्रिक टन

(घ) सरकार ने अखबारी कागज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) स्थापना स्थल संबंधी नीति के अध्यधीन अखबारी कागज को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(ii) अखबारी कागज का विनिर्माण करने के लिये लुगदी का आयात करने हेतु कोई सीमाशुल्क नहीं है।

(iii) अखबारी कागज के लिए भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कागज का उत्पादन करने वाली कागज मिलों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची में रखा गया है जिसमें उनको अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसी मिलों द्वारा विनिर्मित अखबारी कागज को उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखा गया है।

कोयला क्षेत्र में कालाधन

3906. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री 14 दिसम्बर 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4083 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जांच में कोई प्रगति हुई है और निरसा, धनबाद में रहने वाले समूह के दस व्यक्तियों के विरुद्ध क्या आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। इस समूह की कारोबारी संस्थाओं अर्थात् मैसर्स कल्याणेश्वरी ब्रिकेट उद्योग, मैसर्स कल्याणेश्वरी कोक (प्रा.) लिमिटेड और मैसर्स कल्याणेश्री वस्त्रालय के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है। इस समूह के अन्य सभी व्यक्ति साझेदार अथवा निदेशक हैं।

(ख) कल्याणेश्वरी ब्रिकेट उद्योग के मामले में 1500/- रुपए की विवरणीगत आय के मुकाबले कर-निर्धारण 4,39,990/- रुपए पर किया गया है। मैसर्स कल्याणेश्वरी कोक (प्रा.) लि. के मामले में 32,440/- रुपए की विवरणीगत आय के मुकाबले कर-निर्धारण 4,29,110,/- रुपए पर किया गया है। मैसर्स कल्याणेश्वरी वस्त्रालय के मामले में 1150/-रुपए की विवरणीगत आय के मुकाबले कर-निर्धारण 13,330/-रुपए पर किया गया है।

(ग) कर-निर्धारण अवधि के दौरान उपर्युक्त कर-निर्धारितियों के विरुद्ध धारा 271 (1) (सी) के अंतर्गत अर्थदंड संबंधी कार्यवाही संबंधी कार्यवाहिया प्रारंभ की गई है।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ख) और (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

यूनिट योजना, 2002

3907. श्री एन.एन.कृष्णदास: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास यूटीआई स्कीम 2002 (यू एस 2002) जो यूटीआई की प्रमुख योजना यूएस 64 से ही निकली निवल परिसम्पत्तियों पर आधारित खुले निवेश वाली योजना है की विवरणिका जमा करायी है;

(ख) यदि हां, तो यू एस 2002 की प्रमुख विशेषताएं क्या है और यह यूएस 64 से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या सरकार ने म्यूचूअल फंड में लोगों के वर्तमान निवेश रुझान की जांच की है जो प्रमुख योनजा यूएस 64 के हाल में विफल होने के कारण कम हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के सुचारु संचालन के लिए सरकार द्वारा कौन से विश्वनीय उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) यूटीआई ने सूचित किया है कि उसने ''सेबी'' के समक्ष 4 अक्टूबर, 2002 को यूनिट स्कीम-2002 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

(ख) यूएस-2002 की अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य विशेषताएं ये है कि यह एक अतिरिक्त अवधि की संतुलित सीमा है जिसका उद्देश्य क्रमश: ''आय'' और ''वृद्धि'' विकल्पों के अंतर्गत दीर्घावधि हेतु आय विवरण/आय संचयन तथा पूंजी मूल्यांकन की व्यवस्था करना है जिसमें से 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत राशि को ऋण किश्तों में निवेश किया जाएगा और जिसमें से कम से कम ऋण निवेशों का 7.5 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में होगा और इक्विटी में निवेश 25 प्रतिशत से 55 प्रतिशत होगा। यह यूएस-64 से भिन्न जिसका वर्तमान में इक्विटी में परिसम्पत्ति का आवंटन का 65 प्रतिशत और ऋण में 35 प्रतिशत है। यूएस-64 के तहत नयी बिक्री पर 2 नवम्बर, 2002 से रोक लगा दी है तथा यूएस-2002 के अंतर्गत बिक्री 15 नवम्बर, 2002 से आरम्भ हो गयी है।

(ग) और (घ) म्यूचुअल फंडों का विनियमन भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास पुनर्जीवित करने हेतु संसद ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2002 तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम अंतरण तथा निसरन) विधेयक, 2002 पारित किया गया है।

वैश्वीकरण नीति

3908. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्वीकरण नीति से कोई राजकोषीय खतरा है;

(ख) यदि हां, तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के संबंध में शब्दाडम्बर और वास्तविकता का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन पर इसके नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सही आर्थिक अर्थ में ''वैश्वीकरण'' व्यापार, निवेश, सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रवाह, वित्तीय प्रवाह, यात्रा, श्रम की अधिक गतिशीलता आदि में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वृद्धिकारी आर्थिक परस्पर क्रिया अन्तर्निहित करता है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्धित परस्पर क्रिया को लेन-देनों और संप्रेषण की लागत में समग्र कमी द्वारा सुविधाजनक बनाया जाना अनुमानित है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, आर्थिक क्षमता में वृद्धि करता है और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाता है। इसके कारण इससे वर्धित और सतत विकास होता है, जो निर्धनता दूर करने के लिए आवश्यक है। भारत में चालू सुधारों का एक मानवीय पहलू है और यह घरेलू अर्थव्यवस्था, विशेषकर समाज के असुरक्षित वर्गों पर वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय पर बल देता है। सुधार-पश्च अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में सफल राजकोषीय घाटा वर्ष 1990-1991 में 6.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-2002 में 5.9 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1993-94 में सकल निर्धनता अनुपात 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 26 प्रतिशत हो गया है।

(ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टीओ), जिसने विश्व व्यापार के लिए बहुपक्षीय नियम-आधारित व्यापार प्रणाली बनाई है, का उददेश्य राष्ट्रों के बीच सामग्रियों और सेवाओं का मुक्त प्रवाह बढ़ाना है, और यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने वाले महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है।

विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र

3909. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 9 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 3975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थापित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रत्येक केन्द्र सरकार की योजना के अनुरूप 4-5 जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला में एक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) राज्यवार, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रियाशील जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार सूची

राज्य	जिला
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर
	2. विशाखापटनम
	3. कृष्णा
अरुणाचल प्रदेश	1. ईटानगर
	2. दिवांग घाटी
असम	1. डिब्रुगढ़
	2. सिल्चर
	3. तेजपुर
बिहार	1. छपरा
	2. दरभंगा
	3. गया
	4. नवादा
	5. मुजफ्फरपुर
	6. बांका
छत्तीसगढ़	1. रायगढ़
गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. बड़ौदा
	3. जामनगर
	4. सूरत
	5. राजकोट
गोवा	1. पणजी
हरियाणा	1. भिवानी
	2. कुरूक्षेत्र
	3. सोनीपत
हिमाचल प्रदेश	1. शिमला
	2. धर्मशाला
झारखंड	1. रांची
	2. हजारीबाग
जम्मू-कश्मीर	1. उधमपुर
कर्नाटक	1. गुलबर्गा
	2. बेल्लारी
	3. मंगलोर
	4. तुमकोर
	5. बेलगांम
केरल	1. कोजीकोड़
	2. त्रिचूर
	3. तिरूवनंतपुरम
मेघालय	1. शिलांग
महाराष्ट्र	1. वर्धा
	2. औरंगाबाद
	3. कोल्हापुर
	4. लातूर
	5. बुल्दाना
	6. सिंधूदूर्ग
मध्य प्रदेश	1. ग्वालियर
	2. इंदौर
	3. राजगढ़ बायरोडा
	4. उज्जैन
	5. सागर
	6. झबुआ
नागालैंड	1. दिमापुर

1	2
उड़ीसा	1. कोरापुट 2. फुलबनी
पंजाब	1. पटियाला 2. फिरोजपुर 3. संगरूर
राजस्थान	1. उदयपुर
सिक्किम	1. गंगटोक
तमिलनाडु	1. चेन्गालपट्टी 2. टूथुकुड़ी 3. मदुराई 4. सेलम 5. विरुद्धनगर
उत्तर प्रदेश	1. पीलीभीत 2. बलिया 3. इलाहाबाद 4. झांसी 5. फरुक्काबाद
उत्तरांचल	1. अल्मोड़ा 2. टेहरी गढ़वाल 3. हरिद्वार
पश्चिमी बंगाल	1. दक्षिण दिनाजपुर 2. जलपाईगुडी 3. मुर्शिदाबाद

पोस्त की खेती

3910. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों को पोस्त की खेती हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और पोस्त का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या देश के अनेक भागों में गैर-कानूनी रूप से पोस्त की व्यापक रूप से खेती की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी गई हैं; और

(ङ) गैर-कानूनी रूप से पोस्त की खेती में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में अलग-अलग किसानों को जारी लाइसेंसों के अंतर्गत अफीम पोस्त की खेती की जाती है। फसल वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (अनंतिम) के दौरान कुल उपज क्रमश: 70 डिग्री संशक्ति पर 1705,995 और 1016 मीट्रिक टन है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अफीम की अवैध खेती की सूचना मिली है।

(ङ) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराधों के लिए, अफीम की अवैध खेती की पहचान करने और उसे नष्ट करने और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए विभिन्न औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

3911. श्री ए. नरेन्द्र: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल के जनजातीय विद्यार्थियों को किस वर्ष से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ग) उन जनजातीय क्षेत्रों का राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल के संबंध में ब्यौरा क्या है जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) देश में जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष 1992-93 में स्वीकृत किया गया था। उत्तरांचल राज्य में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

स्कीम के आरंभ से राज्य-वार स्वीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र निम्न प्रकार से है:-

आंध्र प्रदेश

स्थिति	जिला
1	2
सीठमपेटा	श्रीकाकुलम
श्री सैलम	कुरनुल
केरामेरी	आदिलाबाद
पंछीपेंटा	विजयनगरम
भद्राचलम	खम्माम
चिंठापल्ली	विशाखापटनम
मारेडुमिली	ईस्ट गोदावरी
इथुरुनगरम	वारंगल
कोटारामचन्द्रपुरम	वेस्ट गोदावरी
जीगिराम	विजयनगरम
येटपाका	खम्माम
जयंतीपुरम	कृष्णा
पढेरू	विशाखापटनम
विजयवाड़ा	कृष्णा
नन्दीग्राम	कृष्णा
असम	
तुकराझार	कोकराझार
दारंगा	नलबाड़ी
बंगफार	मोरीगांव
धेमाझी	धेमाजी
कृष्णई	गोलपारा
कदम	लखीमपुर
लंगलच्छेरा	काच्छर
थेंगापुट	डिबरूगढ़
बिजरी	बारपेट
चम्पाय अटी	बारपेट
कुरचाकटी	ढूबरी
चारीदुआर	सोनितपुर
पठारकंडी	काच्छर
देहीनगमुख	सिबसागर
मेरापानी	गोलघाट
कालीबाड़	नागांव
काशीबाड़ी हाई स्कूल	कोकराझार
धीरमजाखिली हाई स्कूल	गोपालपारा
रूनाथ हाई ब्रोहमा स्कूल	धेमाजी
बंगानपाड़ा हाई स्कूल	नलबाड़ी
भीलपुरिया कोलीगिएट हाई स्कूल	एन. लखीमपुर
कोपाहहेरा हाई स्कूल	मोरीगांव
परूलबाला गोस्वामी बामुनी बोरबाड़ी हाई स्कूल	नागांव
श्री लुट हाई स्कूल	जोरहट
गुरमो हाई स्कूल रांगिया	कामरूप
गोहपुर बोरो हाई स्कूल	सोनितपुर
कुरछाकटी	ढुबरी
चारीदुआर	सोनितपुर
पठारकंडी	कच्छार
देहींगमुख	सिबसागर
मोरापानी	गोलघाट
कालीबाड़	नागांव
जोनाई	धेमाजी
सादिया	तिनसुकिया
कलाई गांव	दरांग
सिद्धी	बोंगाईगांव
बिजरी	बारपेट
धोपात्री	कामरूप
बिहार/झारखंड	
चिरिया	गारहवा
चापाटोई	गुमला
कुंढित	दुमखा
गुजरात	
छोटा उदयपुर	वड़ोदरा
वंशदा	बुलसार
राजापीपला	बहरुच

1	2
मांडवी	सुरत
डंटा	बनासकंठा
दाहोड़	पंचमहल
कपाराड़ा	वलसाद
खेदब्रह्मा	साबरकंठा
सोनगध	सुरत
अहवा	डांग्स
भिलोड़ा	साबरकंठा
वलसाद	वलसाद
पालनपुर	बनासकंठा
अंधरोखा	साबरकंठा
डांघवा	डांग
जम्मू व कश्मीर	
कंगन	श्रीनगर
कर्नाटक	
बी.आर. हिल्स	मैसूर
एसजेपी पोलीटैक्निक फॉर वूमेन	बंगलौर
सीपीसी गवर्नमेंट पोलीटैक्निक, मैसूर	मैसूर
डीआरआर पोलीटैक्निक	दवानगिरी
गवर्नमेंट पोलीटैक्निक	मंगलौर
गवर्नमेंट पोलीटैक्निक	रायचुर
गवर्नमेंट पोलीटैक्निक	बेल्लारी
दवानगिरी	दवानगिरी
केरल	
चेत्तियामपारा	तिरुवनंतपुरम
पठानमथ्तित्ता	पठानमथ्तित्ता
उद्दुकी	उद्दुकी
कायाकुलम	अल्लापुजा
मध्य प्रदेश	
सोसर	छिंदवाड़ा
अलीराजपुर	झाबुआ
गाटीगांव	ग्वालियर
सिज़होरा	मांडला
सैलाना	रत्तलाम
चुरहट	सिद्धी

1	2
आई.टी.आई. डोंडीलोहारा	दुर्ग
आई.टी.आई. बैहार	बालाघाट
आई.टी.आई. गीदम	दांतेवाड़ा
आई.टी.आई. कोरबा	कोरबा
आई.टी.आई. धामनोड	ढार
आई.टी.आई. पीथामपुर	ढार
आई.टी.आई. राजपुर	सरगुजा
टी.सी.पी.सी. बरवानी	बरवानी
टी.सी.पी.सी. झाबुआ	झाबुआ
टी.सी.पी.सी. मांडला	मांडला
टी.सी.पी.सी. अंबिकापुर	सरगुजा
टी.सी.पी.सी. जशपुरनगर	जशपुरनगर
बिल्किशगंज	सिहोर
पोहाड़ी	शिवपुरी
गौरवा	सेहापुर कलां
सिहोरा	जबलपुर
कुंडाम	जबलपुर
ग्वालियर	ग्वालियर
महाराष्ट्र	
कोटगुल	गदचिरोली
कासंसुर	गदचिरोली
विनवाल	थाणे
पथराज	रायगडा
शेंदुरजाना	अमरावती
माना	अकोला
मणिपुर	
हेंगलेप	चुराचंदरपुर
चांडेल	चांडेल
माओ	सेनापति
तामेई	तामेंगलोंग
फुंगयार	उखरूल
थानलो	चुराचंदरपुर
तेमगनोपाल	चांडेल
कसोम खुल्लेन	उखरूल
मारम	सेनापति
तोसेम	तामेंगलोंग

1	2
मिजोरम	
संगान	चिहंतनीपुई
सैहा	चिहंतनीपुई
चम्फाई	चम्फाई
सेरच्छिप	सेरच्छिप
कोलासिब	कोलासिब
लुंगलेई	लुंगेलई
उड़ीसा	
चित्रकोंडा	मल्कानगिरी
बालीगुडा	फुलबानी
कोडिंगा	नवरंगपुर
काटीपाडा	मयूरभंज
बनभुइन	नीलगिरी
मोहाना	परलाखेमुंडी
भोजपुर	कुचिंडा
सुनाबेडा	कोरापुट
कैलाशपुर	रायगडा
दारिंगीबाडी	फुलबानी
नलगोजा	मयुरभंज
नारनपुर	क्योंझर
बिरकालदिही	सुंदरगढ़
डुमेरपदार	कालाहांडी
बमिनीपुर	कोरापुट
माताकाम्बेडा	चाम्पुआ
गोपालपुर	सुंदरगढ़
राउरकेला	राउरकेला
राजस्थान	
बिचिवाडा	डुंगरपुर
गिरवार	सिरोही
मामेर	उदयपुर
प्रतापगढ़	चित्तौडगढ
कोटा	उदयपुर
गिरवार	सिरोही
तमिलनाडु	
एस.ए कलरायन हिल्स	साउथ अरकोट
जवाधी हिल्स	नार्थ अरकोट अम्बेडकर
कोल्ली हिल्स	सालेम
सिथेरी हिल्स	धर्मपुरी
पापनासाम-उप्पेरदाम	तिरुनेलवेली-कट्टाबोम्मन
त्रिपुरा	
बिश्रामगंज	वेस्ट त्रिपुरा

1	2
चंदराईपैरा	डलाई
बैखोरा	साउथ त्रिपुरा
धर्मनगर	नार्थ त्रिपुरा
तुल्सीखर एच/एस स्कूल	वेस्ट त्रिपुरा
मंडाई एच/एच स्कूल	वेस्ट त्रिपुरा
रूपैचारी एच/एस स्कूल	साउथ त्रिपुरा
बगाफा एच. एस.	साउथ त्रिपुरा
पश्चिमी बंगाल	
झिलमिल	बनकुरा
कालीनगर	नार्थ 24 परगना जिला
नगराकटा	जलपाईगुड़ी
सलबोनी	मिडनापुर
कालागांव	मिडनापुर
झारग्राम	मिडनापुर
बेलपहाडी	मिडनापुर
चंद्रकोना रोड	मिडनापुर
दमन व दीव	
जारी विलेज	दमन
हिमाचल प्रदेश	
किल्लर	चम्बा
भारमौर	चम्बा
केयलोंग	स्पिती (लाहौल व स्पिती)
काजा	लाहौल (लाहौल व स्पिती)
लोटे	मांडी
चागांव	किन्नौर
ताबो	स्पिती (लाहौल व स्पिती)
उदयपुर	लाहौल व स्पिती
किल्लर	पांगी (जिला चम्बा)
होली	चम्बा
नागालैंड	
डजुलहामी	फेक
कोहिमा	कोहिमा
वोखा	वोखा
तेन्यीफे	दीमापुर
आटोजिउ	जुनहेबोटो
उत्तर प्रदेश	
काकरहवा	सिद्धार्थनगर
छत्तीसगढ़	
तातीबांड	रायपुर
उत्तरांचल	**शून्य**

घरेलू धन अंतरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3912. श्री किरीट सोमैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू धन अंतरण व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को अनुमति प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेस्टर्न यूनियन फाइनैन्सियल सर्विस इंटरनेशनल ने ऐसा व्यवसाय आरंभ किया है;

(घ) क्या उस कंपनी ने डाक विभाग के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उचित दिशा-निर्देशों, विनियामक प्राधिकरण और नेटवर्क के बिना अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम की शर्तों में ''पत्रों'' के सम्प्रेषण के अनन्य विशेषाधिकार से भिन्न सरकार को धन अंतरण से संबंधित कोई अनन्यता प्रदान नहीं की गई है। धन अंतरण के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए निजी संचालक पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) वेस्टर्न यूनियन फाइनैन्सियल सर्विस इंटरनेशनल (डब्ल्यू.यू.एफ.एस.आई.) को, लागू विनियामक फ्रेमवर्क और 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एन.बी.एफ.सी. के 50 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूनतम पंजीकरण मानदंडों के अध्यधीन, घरेलू धन अंतरण कार्यकलाप करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (जिसने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया था) और डाक विभाग ने परामर्श, से दिसम्बर, 2001 में एक विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदन दिया गया था। तदुपरांत अप्रैल, 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई ने उन सभी कंपनियों जिन्होंने घरेलू धन अंतरण व्यवसाय करने के लिए अनुमति हेतु बैंक से निवेदन किया था, को माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के समक्ष लम्बित केस (रिट याचिका) के मद्देनजर इस संबंध में बैंक द्वारा नीतिगत निर्णय लेने तक कार्यकलाप न करने की सलाह दी गई है। तदनुसार औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) ने वेस्टर्न यूनियन फाइनैन्सियल सर्विस इंटरनेशनल को ऐसे समय तक घरेलू धन अंतरण कार्यकलाप न करने के निदेश दिये हैं। यहां तक वेस्टर्न यूनियन का डाक विभाग से समझौते का संबंध है तो इस संबंध में डाक विभाग ने सूचना दी है कि उनका अन्तर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवाओं के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ समझौता है जिसका अभिप्राय देश में आने वाले धन से ही है।

सर्वप्रिय योजना

3913. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु सर्वप्रिय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है;

(घ) गत वर्ष और चालू वर्ष में आज की तारीख तक इस योजना के लिए सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी गई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में सर्वप्रिय नामक एक स्कीम शुरू की थी जिसमें आम आदमी के लिए दैनिक प्रयोग की 11 चुनिंदा वस्तुओं के वितरण की संकल्पाना की गई है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि., जो देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों का शीर्षस्थ निकाय है, को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह स्कीम स्वैच्छिक है और इसका संचालन राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभागों तथा उनकी राज्य एजेंसियों के सहयोग से किया जाता है जो उचित दर दुकानों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और सहकारिताओं के अन्य बिक्री केंन्द्रों के जरिए वितरण की व्यवस्था करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि इस स्कीम के बारे में प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं है क्योंकि राज्यों के पास इसी प्रकार की अपनी स्कीमें हैं। इस समय राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्य इस स्कीम के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ग) वितरण के लिए अभिनिर्धारित 11 चुनिंदा वस्तुएं हैं: अरहर दाल, चने की दाल, लाल मलका, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्किाएं, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट।

(घ) इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकरी संघ ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर मदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

कंप्यूटरों का अधिकतम खुदरा मूल्य

3914. श्री रामजी मांझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंप्यूटर विनिर्माता न तो पैकेजों पर और न ही अपनी मूल्य सूची में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियम की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंप्यूटरों की मूल्य सूची में कर संबंधी खंडों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) अधिनियम 1977 के उपबंधों के तहत किसी उत्पाद के पैकेज पर उसका खुदरा मूल्य "अधिकतम खुदरा मूल्य .....(सभी करों सहित)" के रूप में लिखा जाना होता है। अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा न किए जाने पर कानूनन दण्ड दिया जा सकता है। नियमों को लागू करने का दायित्व राज्य प्राधिकारियों का हैं। जब कभी भी उल्लंघनों का पता चलता है तो उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) कम्प्यूटरों की मूल्य सूची में करों की स्थिति का ब्यौरा सामान्यतया विनिर्माताओं द्वारा दिया जाता है तथा यह बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

महिलाओं को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से सहायता

3915. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रही पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) इस निगम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के दुगुने के नीचे (अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000/-रू. और शहरी क्षेत्रों में 55,000/-रू.) जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और उन्हें आय सृजन कार्यकलापों तथा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के प्रौद्योगिकीय एवं उद्यमीय कौशलों के उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस नियम ने गरीबी रेखा के नीचे (अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आय प्रतिवर्ष 20,000/- रू. तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500/- रू.) जीवन यापन करने वाली अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए "नई स्वर्णिमा" योजना दिसम्बर 2001 में शुरू की। इससे पहले यह स्वर्णिमा योजना कार्यान्वित कर रही थी। नई योजना के अंतर्गत यह निगम अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र लाभग्राहियों को निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से प्रतिवर्ष 4% के रियायती ब्याज दर पर 50,000/-की सीमा तक ऋण प्रदान कर रहा है:

1. *कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र:* डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्यस्य क्रय-विक्रय आदि
2. *लघु व्यवसाय/शिल्पी तथा परम्परागत व्यवसाय:* चूडी एकक, ब्यूटी पार्लर, टोकरी बुनाई, ग्रोसरी शाप आदि।
3. *सेवा क्षेत्र:* फोटोकापियर, एसटीडी/पीसीओ बूथ, टेलरिंग, बाइन्डिंग, मोमबत्ती विनिर्माण, अगरबत्ती निर्माण आदि।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ऋण राशि का 95% प्रदान करता है और राज्य माध्यम एजेन्सी 5% अंशदान करती है। चुकौती की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।

इस निगम ने नई स्वर्णिमा योजना के अंतर्गत अभी तक 22689 लाभाग्रहियों को शामिल करते हुए 19.84 करोड़ रु. का ऋण संवितरित किया है।

[हिन्दी]

विकलांगो के लिए कल्याण केन्द्र

3916. डा. बलिराम: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विकलांगों के कल्याण के लिए कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) इन निगमों की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्रों में 6 राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थानों के अतिरिक्त श्री नगर, लखनऊ, भोपाल, सुन्दरनगर तथा गुवाहाटी में 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, मोहाली, कटक, जबलपुर तथा बरेली में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा, भिवानी, मैसूर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोटा, चेन्नालपट्टू, सीतापुर, तथा मिदनापुर में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र तथा 74 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (आन्ध्र प्रदेश-2, अरुणाचल प्रदेश-2, असम-3, बिहार-6, छत्तीसगढ़-1,गुजरात-5, गोवा-1, हरियाणा-3, हिमाचल प्रदेश-2, झारखंड-2, जम्मू और कश्मीर-1, कर्नाटक-5, केरल-3, मेघालय-1, महाराष्ट्र-6, मध्य प्रदेश-6, तमिनाडु-5, उत्तर प्रदेश-5, उत्तरांचल-3, पश्चिम बंगाल-3) देश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस निगम द्वारा इसके प्रारंभ होने से दिनांक 28 नवम्बर, 2002 तक 40.95 करोड़ रुपए की धनराशि (माइक्रो वित्त योजना सहित) वितरित की गई है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों की लंबित परियोजनाएं

3917. **श्री अम्बरीश:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु/कर्नाटक राज्य की अनेक परियोजनाएं उनके मंत्रालय की मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुत अधिक समय से उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय के पास विदेशी सहायता से संबंधित लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में है। इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावों को परियोजना संबंधी प्राथमिकताओं, प्रशासनिक स्वीकृतियों, जिनमें योजना आयोग की स्वीकृतियां भी शामिल हैं, को सुनिश्चित करने के बाद संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग के पास प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है जिसमें विदेशी सहायता हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा सके। विदेशी अभिकरण को एक बार परियोजना प्रस्तुत कर देने के बाद, यह पूर्व-मूल्यांकन परियोजना अवधारणा दस्तावेज तैयार करने, मूल्यांकन, वार्ता और अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरती है। इस बात पर निर्भर करते हुए परियोजना को कैसे तैयार किया गया है और विदेशी अभिकरणों की उनके संसाधनों के संदर्भ में समग्र वचनबद्धताएं क्या हैं, इस प्रक्रिया में कम से कम एक वर्ष या इससे अधिक का समय लग जाता है।

विवरण

वित्त मंत्रालय के पास विदेशी सहायता हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	प्रास्थिति
1	2	3	4	5
1.	कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना	तमिलनाडु	विश्व बैंक	प्रस्ताव पर विदेशी सहायता हेतु विचार करने से पूर्व कावेरी जल विवाद अधिकरण से स्वीकृत की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समकेन परि. चरण-II	तमिलनाडु	विश्व बैंक	जल संसाधन मंत्रालय से टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	कर्नाटक जल संसाधन समेकन	कर्नाटक	विश्व बैंक	राज्य स्तर की समन्वय समिति से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	कर्नाटक अवसंरचनात्मक समायोजना ऋण तीसरी श्रृंखला (केईआरएल-III)	कर्नाटक	विश्व बैंक	यह परियोजना विचाराधीन है।
5.	तमिलनाडु अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण	तमिलनाडु	विश्व बैंक	यह परियोजना विचाराधीन है।
6.	कर्नाटक विद्युत योजना	कर्नाटक	विश्व बैंक	यह परियोजना विचाराधीन है।
7.	तमिलनाडु राज्य सड़क परि.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	इस परियोजना को विश्व बैंक के वित्त-पोषण हेतु तैयार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परि.	कर्नाटक	विश्व बैंक	इस परियोजना को विश्व बैंक के वित्त-पोषण हेतु तैयार किया जा रहा है।
9.	कर्नाटक जल एवं शहरी प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक	विश्व बैंक	इस परियोजना को विश्व बैंक के वित्त-पोषण हेतु तैयार किया जा रहा है।
10.	कृषि मानव संसाधन विकास परि.-II	तमिलनाडु (आंध्र प्रदेश, हरियाणा के साथ)	विश्व बैंक	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। ''आईडेन्टिफिकेशन मिशन'' ने अक्तूबर 2002 के दौरान यात्रा की थी।
11.	तमिलनाडु महिला विकास परि.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। विश्व बैंक से उत्तर की पतीक्षा की जा रही है।
12.	''चेतना'' (समुदाय-प्रेरित अधिकारिता, परिवर्तन और नवजागरण)	कर्नाटक	विश्व बैंक	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। यह परियोजना राजकोषीय वर्ष 2004 में विश्व बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के लिए निर्धारित है।
13.	कांची क्षेत्र विकास एवं भागीदारी परियोजना	तमिलनाडु	विश्व बैंक	यह परियोजना जापान सामाजिक विकास निधि (जेएसडीएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
14.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए तमिलनाडु जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	तमिलनाडु	विश्व बैंक	यह परियोजना विश्व बैंक के विचाराधीन है।
15.	तमिलनाडु में भूमि-आधारित गतिविधियों के जरिए ग्रामीण निर्धनता उपशमन संबंधी परि.	तमिलनाडु	जेबीआईसी, जापान	वर्ष 2002-03 के दौरान जेबीआईसी से वितत्पोषण हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी है।
16.	चेन्नई महानगर क्षेत्र में क्षेत्र विकास योजना	तमिलनाडु	जेबीआईसी, जापान	वर्ष 2002-03 के दौरान जेबीआईसी से वितत्पोषण हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी है।
17.	दो प्रमुख गन्दी बस्ती सुधार परियोजनाएं	कर्नाटक	जेबीआईसी, जापान	वर्ष 2002-03 के दौरान जेबीआईसी से वितत्पोषण हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी है।
18.	कावेरी जलापूर्ति परियोजना चरण-IV	कर्नाटक	जेबीआईसी, जापान	जापान सरकार ने 2002-03 के दौरान ऋण वचनबद्धता हेतु इस परियोजना का चयन नहीं किया है।
19.	कर्नाटक में वन संसाधनों का स्थायी प्रबंधन	कर्नाटक	जेबीआईसी, जापान	यह प्रस्ताव विचाराधीन है।
20.	तमिलनाडु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना	तमिलनाडु	जेबीआईसी, जापान	यह प्रस्ताव विचाराधीन है।
21.	चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण और तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड के परियोजना प्रस्ताव	तमिलनाडु	जर्मनी	परियोजना प्राधिकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5
22.	अन्ना विश्वविद्यालय के साथ मिलकर तमिलनाडु सरकार की प्रबंधन प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार	तमिलनाडु	जर्मनी	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।
23.	तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड	तमिलनाडु	जर्मनी	परियोजना प्राधिकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
24.	कर्नाटक विद्युत निगम लि. (केपीसीएल) द्वारा विद्युत प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	कर्नाटक	जर्मनी	विद्युत मंत्रालय से वित्तीय परिणामों की सूचना देने का अनुरोध किया गया है।
25.	कर्नाटक नवीनीकरण ऊर्जा विकास लिमिटेड (केआरईडी)	कर्नाटक	जर्मनी	परियोजना प्राधिकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
26.	माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य अस्पताल चरण-II,	कर्नाटक	जर्मनी	जर्मनी ने परियोजना के लिए अनुदान के रूप में 14.3 मिलियन यूरो की राशि की वचनबद्धता की है।

अनाथ और निराश्रित बच्चे

3918. श्री सुशील कुमार शिन्दे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भूकंप और हाल के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान बहुत से बच्चे अनाथ एवं निराश्रित हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने बच्चे अनाथ और निराश्रित हुए थे;

(ग) क्या इच्छुक संतानहीन दम्पत्तियों और अन्य लोगों द्वारा उनको गोद लेने हेतु कोई योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उनमें से कितने बच्चों को गोद लिया जा चुका है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भूकंप से प्रभावित 400 अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की पहचान की गई थी। गुजरात सरकार ने इन बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ यथासंभव पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए। इन बच्चों के दत्तकग्रहण करने के लिए केवल उन मामलों में कार्रवाई की गई है जिनका कोई रिश्तेदार जीवित नहीं बचा है। इस मंत्रालय ने चाइल्ड रिलीफ एंड यू, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा चाइल्ड लाइन इन्डिया फाउंडेशन जैसे संगठनों को राहत उपाय स्थापित करने के लिए अनुदान भी प्रदान किया। समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम तथा बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की गई हैं। इस मंत्रालय ने गुजरात के दंगा प्रभावित बच्चों के लिए पुनर्वास पैकेज नामक एक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अहमदाबाद, गुजरात के स्व-नियोजित महिला संघ को 2.02 कोरड़ रु. का सहायतानुदान भी स्वीकृत किया है। उपर्युक्त परियोजना के लिए 30 लाख रु. की दो किस्तों में स्व-नियोजित महिला संघ को 60 लाख रु. की धनराशि पहले ही निर्मुक्त की गई है।

कपास खरीद केन्द्र

3919. श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री अम्बरीश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में स्थापित भारतीय कपास निगम के खरीद केन्द्रों का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से देश में भारतीय कपास निगम के और अधिक खरीद केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): (क) से (घ) जब भी 'कपास' (कपास बीज) की बाजर कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यनूतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाती हैं, तब भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाना अनविार्य होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कपास निगम व्यावसायिक परिचालनों को अपने जोखिम पर स्वयं ही चलाता है। समर्थन मूल्य परिचालन की व्यावसायिक व्यावहारिकता तथा आवश्यकता को देखते हुए खरीद केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार, भारतीय कपास निगम द्वारा खरीद केन्द्र की स्थापना के संबंध में निर्णय नहीं लेती। वर्ष 2001-02 के कपास मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा परिचालित खरीद केन्द्र तथा वर्ष 2002-03 के वर्तमान कपास मौसम के दौरान परिचनालन हेतु प्रस्तावित खरीद केन्द्रों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:—

राज्य	शाखा	खरीद केन्द्रों की संख्या	
		2001-02	2002-03
पंजाब	भटिंडा	17	13
हरियाणा	सिरसा	06	05
राजस्थान	श्री गंगानगर	17	11
	भीलवाड़ा	06	05
मध्य प्रदेश	इंदौर	24	19
गुजरात	अहमदाबाद	15	16
	राजकोट	18	14
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	12	12
	गुंटूर	33	24
	वारंगल	09	09
कर्नाटक	रायचूर	05	05
	हुबली	12	11
मेघालय/पश्चिमी बंगाल	कोलकाता	01	02
उड़ीसा	रायगदा	03	03
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	01	00
महाराष्ट्र	अकोला	00	15
	औरंगाबाद	00	15
कुल		179	179

[हिन्दी]

चीनी के मूल्य में गिरावट

3920. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के मूल्य में आई अचानक गिरावट के कारण महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने हेतु केन्द्रीय हस्तक्षेप की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रीलय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (घ) राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दार्जिलिंग चाय का पेटेन्ट

3921. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने केन्द्र सरकार के पास दार्जिलिंग की लोकप्रिय चाय का एक ब्रांड के रूप में पेटेंट कराने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग के चाय बगानों की गुणवत्ता संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) दार्जिलिंग चाय एक भौगोलिक

संकेत, प्रज्ञा स्वामित्व अधिकार है जो आविष्कारों के लिए लागू पेटेन्ट से अलग है। दार्जिलिग चाय भारत में एक प्रमाणन ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत है। दार्जिलिग चाय का लोगो भी यू.के. जर्मनी, इटली, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, पुर्तगाल, यू एस ए, जापान, मिश्र, और कनाडा सहित विभिन्न देशों में पंजीकृत है।

(ग)और (घ) जी, हां। उपयुक्त रूप से चुने गए नमूना बागानों के मौके पर अध्ययन के आधार पर दार्जिलिग चाय उद्योग की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए टी बोर्ड द्वारा दार्जिलिग चाय उद्योग के संबंध में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। अभिज्ञात की गई मुख्य समस्याएं पुरानी झाड़ियों, कम उत्पादकता, कम हो रही लाभकारिता, पौधों को उखाड़ने और पुन: रोपित करने की कमी, ऊपरी मिट्टी का कटाव, पर्याप्त वित्त की कमी आदि से संबंधित हैं। सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों में विस्तार रोपण और पुन: रोपण, उपयुक्त इनफिलिंग कार्यक्रम, कम उपज सम्पदाओं में पौधों को उखाड़ने और पुन: रोपित करने का कार्यक्रम, पुनरुद्धार और अंतर पंक्ति रोपण से सघन बनाना, खर-पतवार नाशकों का उचित प्रयोग, उत्पादन के गुणवत्तात्मक उन्नयन और वृद्धि के लिए खेत और कृषि संबंधी परम्पाराओं में नवीनतम अनुसंधान और विकास को अपनाना, और पैकेजिंग मशीनों का उन्नयन, श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करने के उपाय, विशेषत: लघु चाय सम्पदाओं में अनिवार्य कार्यस्थल प्रचालनों पर जोर तथा आधार भूत बुनियादी संरचना सुविधाओं का सुधार शामिल हैं।

निर्यात योग्य वस्तुएं

3922. प्रो. दुखा भगत:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बीस वस्तुओं के नाम क्या है जिनका निर्यात 1990 से आज की तारीख तक लगातार बढ़ता रहा है;

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात में उक्त अवधि के दौरान गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पादों, इंजिनियरी वस्तुओं तथा वस्त्र जैसे निर्यातों की प्रमुख मदों में एक या दो वर्षों को छोड़कर जब दक्षिण पूर्व एशियाई संकट और विश्वव्यापी मंदी को दौर था, 1990 से लेकर आजतक निरंतर वृद्धि प्रदर्शित हुई है। तथापि भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र में अनेक मदों के बारे में उक्त अवधि (1991-2002) के लिए सी ए जी आर (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) सकारात्मक रही है जिनमें निम्नलिखित बीस मदें शामिल हैं—

रत्न एवं आभूषण, सिलेसिलाए वस्त्र, पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि, भेषज एवं परिष्कृत रसायन, चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं, मशीनरी एवं उपस्कर, धातु विनिर्माण, समुद्री उत्पाद, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, परिवहन उपस्कर, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, अकार्बनिक, कार्बनिक/कृषि रसायन, प्राथमिक एवं अर्द्धप्रसंस्कृत लोहा तथा इस्पात, हस्त निर्मित कालीनों को छोड़कर हस्तशिल्प, रंजक मध्यवर्ती एवं कोलतार, तेल खाद्य, बासमती चावल, चीनी एवं शीरा, अवशिष्ट रसायन एवं संबद्ध उत्पाद तथा काजू।

(ख) पिछले दस वर्षों में किसी भी प्रमुख निर्यात मद में लगातार गिरावट का रुख प्रदर्शित नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रयास होने के कारण, सरकार द्वारा पण्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। वर्ष 2002-07 के लिए एग्जिम नीति में निर्यातों के सकारात्मक संवर्धन के लिए अनेक उपायों को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा किए गए कुछेक मुख्य उपायों में राज्यों को निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सहायता योजना शुरू करना, बाजार पहुंच संबंधी पहलू का सुदृढ़ीकरण, कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, विशेष आर्थिक जोनों के लिए अतिरिक्त विशेषताओं एवं सुविधाओं को शामिल करना, फोकस अफ्रीका कार्यक्रम शुरू करना, आदि शामिल हैं। इनके अलावा, इस वर्ष एक मध्यावधि निर्यात नीति 2002-2007 की घोषित की गई है, जिसमें 220 फोकस उत्पादों एवं 25 फोकस बाजारों को अभिज्ञात किया गया है और वर्ष 2006-07 तक विश्व निर्यातों में 1% हिस्सा प्राप्त करने हेतु मुख्य नीतियों तथा वस्तु क्षेत्र-वार नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है।

देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान

3923. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत का है;

(ख) क्या गत दशक में इस प्रतिशतता में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) वर्ष 2001-02 के लिए (1993-94 मूल्यों पर) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किये गये नवीनतम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था के समग्र जी.डी.पी. में औद्योगिक क्षेत्र (निर्माण सहित) का हिस्सा 26.7 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1991-92 तथा 2001-02 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 26.7 प्रतिशत रहा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहले की हैं:-

* सरकार ने एकीकृत नगरों तथा क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाओं के विकास में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निदेश जारी किए हैं। इसके फलस्वरूप आवास/स्थावर सम्पदा क्षेत्र में तेजी आने तथा सीमेंट और इस्पात क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की आशा है।

* प्रत्यक्ष करों व अप्रत्यक्ष करों के लिए केलकर समिति ने सुधारों की सिफारिश की है जिनके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, सौदों की लागत में 50 प्रतिशत कमी आने की आशा है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002-2003 के लिए अपनी वित्तीय और उधार नीति की मध्यावधि-समीक्षा में अपनी सस्ती वित्तीय नीति जारी रखा है। इसनें वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय व संस्थागत व बुनियादी सुविधाओं का विकास करने तथा ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से कई उपायों की घोषणा की है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) को 5.0 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जिससे मौद्रिक स्थिति में सुधार आयेगा।

* विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आसान बनाने की दृष्टि से संसद में मसौदा बिजली विधेयक पेश किया गया है।

* केन्द्रीय बजट 2002-03 में कुछ प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन किये गये हैं, जिनसे मांग में वृद्धि होगी, विशेषकर निर्माण, आवास, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों में। इन स्कीमों में ये शामिल हैं- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचनात्मक सुविधा इक्विटी कोष, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष, शहरी समस्या (सिटी-चैलेंज) कोष, तथा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम।

* वर्ष 2002-07 की मध्यावधि निर्यात रणनीति में निर्यात हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियों की भी घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं- इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रोनिक/वैद्युत और संबद्ध, वस्त्र, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध क्षेत्र।

* औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने पूंजीगत वस्तुओं, लुगदी और कागज तथा सीमेंट उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त संगठनों को इन उद्योगों के संबंध में क्षेत्र-वार अध्ययन चलाने का कार्य सौंपा है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 'फेरा' का उल्लंघन

3924. श्री सईदुज्जमा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून 2002 के 'द इकानामिक टाइम्स' में '17 एमएनसीज गेट फेरा पार्टिंग किक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी धनराशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। पता चला है कि 18 बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों को विदेश में वेतन/अधिलब्धियों का भुगतान किया गया है। ये कर्मचारी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उद्देश्यों से भारत के निवासी भी थे/हैं और भारत के बाहर उन्हें वेतनों आदि का भुगतान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन था। इस मामले में संलिप्त 18 कंपनियों के नाम विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत इन सभी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

विवरण

उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

क्रम स.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1.	मै. जापान एयरलाइन्स, नई दिल्ली	103.47
2.	मै. हुन्डई मोटर (इंडिया) लि. नई दिल्ली	804.50
3.	मै. सैमसंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2403.93
4.	मै. मेरुबेनी (इंडिया) प्रा. लि. नई दिल्ली	983.72
5.	मै. बैंक आफ टोकियों मित्सुबिशी लि. नई दिल्ली	2043.19
6.	मैं. मोटरोला (इंडिया) लि. गुड़गांव	557.67
7.	मै. मित्सुबिशी कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2052.92
8.	मै. सनवा बैंक लि. (यू.एफजे. बैंक लि.) नई दिल्ली	260.04
9.	मै. बैंक आफ नोवा स्कोटिया, नई दिल्ली	42.31
10.	मै. एल.जी. इलैक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली	80.63
11.	मै. सोनी (इंडिया) लि. नई दिल्ली	574963183 जापानी येन
12.	मै. ड्यूश बैंक, नई दिल्ली	1343.42
13.	मै. सकूरा बैंक, नई दिल्ली	40978509 जापानी येन
14.	मै. आल निप्पन एयरवेज, नई दिल्ली	147.33
15.	मै. नोकिया टेलीकम्युनिकेशन्स, नई दिल्ली	1086.02
16.	मै. एरीक्सन (इंडिया) प्रा.लि. नई दिल्ली	3546.05
17.	मै. देवू मोटर्स, नई दिल्ली	266.68
18.	मै. फूजी बैंक लि. नई दिल्ली	280.88

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कर सूचना नेटवर्क

3925. श्री वाई.जी महाजन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय कर सूचना नेटवर्क की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नेटवर्क की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) उससे सरकार को क्या लाभ होने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में कार्य-बल द्वारा जारी किए गए परामर्शी कागजात में दिया गया है। कार्य बल ने कर-प्रशासन और करदाताओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कर-सूचना नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश की है। इससे डिजिटल बनाने के लिए आयकर विभाग की ओर से बैंको से करों के संग्रहण और स्रोत पर कर की कटौती की विवरणियों और सूचना विवरणियों के संबंध में आन लाइन सूचना प्राप्त होगी। करदाताओं को कर-भुगतानों, वापिस की जाने वाली राशियों आदि से संबंधित उनकी सूचना प्राप्त करने के लिए सीमित सुविधा प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम, 1961 में परिवर्तन

3926. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु गठित की गई समिति की सिफारिशों पर जनता की टिप्पणियां आंमत्रित की हैं ताकि कामर्स कम्पनियों पर कर लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को जनता से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनता की टिप्पणियों सहित उक्त समिति के प्रतिवेदन की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति की सिफारिशों में कर प्रयोजन के लिए आय के वर्गीकरण सहित ई-कामर्स के विभिन्न पहलू शामिल हैं।

कराधान उपबंधों में विश्वव्यापी स्तर पर होने वाले ई-कामर्स लेन-देन शामिल है और तदनुसार, सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को ई-कामर्स के कराधान पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुकूल और समय-समय पर होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय समिति की रिपोर्ट पर ओ ईसी डी के कर परामर्शदाता समूह द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। उपर्युक्त चर्चा के लिए भारत के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया था। ओईसीडी द्वारा इलेक्ट्रानिक कामर्स के कराधान पर दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये दिशा निर्देश ई-कार्मस संबंधी लेन-देन करने वाले सभी विकसित और विकासशील देशों पर लागू होंगे। इस संबंध में, यदि संभव हो, तो विश्वव्यापी सर्वसम्मति प्राप्त करने के कुछ प्रयास भी किए गए हैं।

निर्यात की गई चीनी का वापस आ जाना

3927. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से निर्यात की गई चीनी को आयातक देशों ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और इसके अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अस्वीकृत चीनी घरेलू बाजार में बेची गई;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्यातकों ने इस चीनी पर सीमा-शुल्क का भुगतान किया है; और

(ङ) किस प्राधिकरण द्वारा इस लौटाई गई चीनी को घरेलू बाजार में बेचा गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमत है। अत: विभिन्न चीनी मिलें/निर्यातक अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार चीनी का निर्यात कर रहे हैं। हाल ही में आयातकर्ता देशों द्वारा चीनी के किसी निर्यात परेषण को अस्वीकृत करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आदिम आदिवासी समूहों का उत्थान

3928. श्री अनंत नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आदिवासी में सर्वाधिक पिछड़े समुदायों आदिम आदिवासी समूहों के उत्थान पर अधिक जोर देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं और समुदाय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) आदिम जनजातीय समूहों की सनसंख्या वाली राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से एक बेसलाइन सर्वेक्षण करने और आदिम जनजातीय समूह के रूप में पहचाने गए प्रत्येक समुदाय के संबंध में व्यापक कार्रवाई योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

3929. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वाई.वी. राव:
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भण्डार की क्या स्थिति रही;

(ख) क्या हाल में विदेशी मुद्रा भण्डार में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वित्त वर्ष में अपने विदेशी मुद्रा भण्डार को बनाए रखने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (स्वर्ण और एसडीआर सहित) मार्च अंत, 2000 में 38.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च, अंत, 2001 में 42.3 बिलियन अमरीकी डालर और मार्च अंत, 2002 में और बढ़कर 54.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गई।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में हाल की अवधि में काफी गिरावट नहीं हुई है। इसके बजाय यह अब तक वर्ष 2002-2003 के पहले आठ महीने के दौरान मार्च, 2002 के अंत तक में 54.1 बिलियन अमरीकी डालर से 12.8 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर नवम्बर, 2002 के अंत में 66.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

(घ) और (ङ) पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का पर्याप्त स्तर निर्मित करने के भारत के सतत प्रयास को हाल की घटनाओं द्वारा सिद्ध किया गया है। प्रारक्षित निधि प्रबंध की नीति कुछ अभज्ञेय कारकों और अन्य आकस्मिककताओं पर विवेकपूर्ण तरीके से बनाई जाती है। ऐसे कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ चालू खाता घाटे की मात्रा; अल्पावधि देयताओं की मात्रा; पोर्टफोलियों निवेश और अन्य किस्मों के पूंजी प्रवाहों में संभावित व्यवहार्यता; बाहरी आघातों और अनिवासी भारतीयों की प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा जमाराशियों में घट-बढ़ से तत्पन्न भुगतान संतुलन में अपूर्वानुमानित दबाव शामिल है। इन कारकों पर ध्यान देते हुए भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि इस समय सुखद और विकास दर, अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र के हिस्से और जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाह की मात्रा के सुसंगत है।

एमएमटीसी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3930. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएमटीसी लि. द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम एम टी सी लि. को अधिकारी/कर्मचारी संघ की ओर से अनुग्रह राशि की गणना हेतु एक महीने के 30 दिनों के बजाय 26 दिनों को ही विचारार्थ रखने और सेवा एवार्ड में बढ़ोत्तरी संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जैसा कि पहले की सेवानिवृत्ति योजना में दिया जाता था;

(घ) यदि हां, तो एमएमटीसी लि. द्वारा उनके अभ्यावेदन में अंतर्विष्ट सभी मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसके विनिवेश से ठीक पहले पूर्ववर्ती योजना के मुकाबले इस अनाकर्षक स्वैच्छिक सोवानिवृत्ति योजना को लाए जाने के क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। एम एम टी सी द्वारा अंतिम सेवानिवृत्ति स्कीम 5 अप्रैल, 2002 को लागू की गयी थी जो कर्मचारियों के लिए 30 अप्रैल 2002 तक उपलब्ध थी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज के अंतर्गत अनुग्रह लाभ को सेवानिवृत्ति के समय पर सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष अथवा उसके भाग के लिए 60 दिन की परिलब्धियों (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) अथवा सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले बची हुई सेवा के शेष महीनों द्वारा गुणित परिलब्धियों (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता), जो भी कम हो, की दर से दिया गया था। अंतिम लाभ सेवानिवृत्ति स्कीम की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त थे।

(ग) और (घ) जी, हां। स्टाफ यूनियनों की फैडरेशन और अधिकारियों की एसोसिएशनों ने अनुग्रह भुगतान की गणना करने के लिए 30 दिनों के बजाय 26 दिन का महीना मानने के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर प्रबंधन द्वारा विचार किया गया और इस तथ्य की दृष्टि से गणना के आधार को परिवर्तित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों पर आधारित थी जिनका अनुसरण भारत सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाना है। की गई सेवा प्रत्येक वर्ष के लिए 750/- रुपए की दर से सेवा पुरस्कार की पेशकश की गई थी जिसकी अधिकतम सीमा 15000/- रुपए थी और 1996 से सेवा पुरस्कार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ङ) एम एम टी सी में 5 अप्रैल, 2002 को लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम में दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के संशोधित दिशा-निर्देशों जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 26 दिन की अपेक्षा एक महीने में 30 दिन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों को गणना का प्रावधान है, सहित उस तारीख को सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया गया था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की कीमतों में कमी

3931. **श्री सी.के. जाफर शरीफ:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखा प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाजों की कीमतों में कमी करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई विकास बैंक ऋण

3932. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा एशियाई विकास बैंक ऋण की कितनी धनराशि प्राप्ति की गई है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किस प्रयोजन के लिए एशियाई विकास बैंक ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने किस सीमा तक ऋण धनराशि का उपोयग किया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) गत तीन कलैण्डर वर्षों (कै.व. 1999-2001) के दौरान एशियाई विकास बैंक ने राज्यों के लिए निम्नलिखित ऋणों को मंजूरी दी है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	निवल ऋण राशि	दि. 31.10.2002 तक किया गया उपोयग
		(मिलियन अमरीकी डालर)	
1999			
1.	1704-कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंधन परियोजना	145.00	2.800
2.	1717-मध्य प्रदेश लोक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम ऋण	250.00	175.00
2000			
3.	1803-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150.00	51.500
4.	1804-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	200.00	3.112
5.	1813-कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	220.00	3.041
2001			
6.	1826-गुजरात भूकंप पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना	350.00	50.563
7.	1868-मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150.00	106.500
8.	1869-मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	200.00	2.026
9.	1870- पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना (ब्यूरो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाना है)	210.00	शून्य

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3933. श्री सुबोध मोहितेः क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रस्ताव का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के चारों साधारण बीमा कंपनियों ने श्रेणी-II के विकास अधिकारियों के लिए, उनकी सेवा शर्तों, कार्य-निष्पादन के मापदंडों और विभिन्न प्रोत्साहनों के संबंध में उनकी हकदारी को विनियमित करने वाली मौजूदा योजना की पुनर्संरचना-प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, विशेष स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की पेशकश करने का प्रस्ताव किया है। योजना की पुनर्संरचना किए जाने का प्रस्ताव आईआरडीए विनियमों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप किया गया है जिनका लक्ष्य पेशेवर एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों तथा एजेंसी कमीशन दरों में परिवर्तन के जरिए अधिक बीमा कारोबार हासिल करना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार को सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों से अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की पेशकश करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

3934. श्री प्रवीण राष्ट्रपालः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछली जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है; और

(ग) 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी अभी ज्ञात नहीं है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी की प्रतिशतता क्रमशः 16.48 और 8.08 है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में आरक्षण की प्रतिशतता क्रमश 15 और 7.5 है। अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में, जो अन्यथा खुली स्पर्धा से की जाती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66 प्रतशित और 7.5 प्रतिशत है। समूह ग और घ के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, जिसमें सामान्यतया स्थानीय या उस क्षेत्र से उम्मीदवार लिए जाते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतशितता सामान्यतया उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात में निर्धारित की जाती है। गैर-चयन विधि द्वारा पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं को सभी समूहों अर्थात क,ख,ग एवं घ में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के अनुपात में उपलब्ध है। चयन विधि द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समूह क के सबसे निचले स्तर तक उसी प्रतिशतता में उपलब्ध है। समूह ''क'' के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिनमें अंतिम वेतन 5700 रु. (पूर्व संशोधित) या कम होता है, कोई आरक्षण नहीं है, परन्तु अनुदेशों में यह उल्लेख है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जो, रिक्तियों की संख्या के भीतर ही, जिसके लिए चयन सूची जारी की जानी है, पदोन्नति के विचारार्थ दायरे में आने के लिए पर्याप्त रूप से वरिष्ठ है, तो उनका नाम उन सूची में शामिल कर लिया जाएगा बशर्ते उन्हें पदोन्नति के लिए आयोग्य न समझा गया हो।

सीमा शुल्क विभाग में रिक्त पद

3935. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री पी.आर. किन्डिया:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 2002 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली में "की कस्टम डिपार्टमेंट पोस्ट्स वैकेंट" शीर्षक से प्रकासित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में प्रकाशित मामले के तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार मद में मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली के पद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड) में सदस्य के दो पदों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क में महानिदेशक (लेखा-परीक्षा) के पद और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के अध्यक्ष पद पर अधिकारियों की तैनाती में देरी से संबंधित रिपोर्ट थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की पुनसंरचना के परिणाम स्वरूप मुख्य सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ग्रेड में स्वीकृत पदों की संख्या में 26 की बढ़ोत्तरी हुई थी। जिस तारीख को यह समाचार मद प्रकाशित हुई थी उस तारीख को इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी थी। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक के खाली पदों पर तैनाती की मुख्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जा सकती थी। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के खाली पड़े दो पदों का संबंध है, एक पद को दिनांक 26.02.2002 को भर दिया गया था। और दूसरे पद को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसरण में खाली रखा गया था। महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के पद को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2002 में भाग लेना

3936. डा.वी.जी. रमैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2002 में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(ख) इस मेले में कितना व्यापार कारोबार हुआ;

(ग) क्या चीन ने व्यापार परिसर का उपयोग अपने कम लागत वाले उत्पादों की वाटरशेड मार्केटिंग के लिए किया;

(घ) यदि हां, तो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा ऐसे जोरदार विपणन से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या भावी खतरे के मद्देनजर प्रतिभागियों के विरुद्ध कोई बाधा/सीमा लगाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) आई आई टी एफ, 2002 में 24 देशों ने भाग लिया। इसका विवरण निम्नानुसार है- प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले 19 देश विदेश चीन, मलेशिया, चिली, म्यांमार, ट्युनिशिया, इराक, ब्राजील, तुर्की, यू ए ई, श्री लंका, भूटान, हांकांग, ईरान, नाइजीरिया, केन्या, युक्रेन, तन्जानिया, कजाकिस्तान, नेपाल। पांच देशों अर्थात रूस, ओमान, इटली, जापान, और जर्मनी ने अपने भारतीय एजेंटों के जरिए भाग लिया।

(ख) आई आई टी एफ, 2002 के दौरान 11,44,71,395/-रु. के व्यापारिक सौदे किए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में भंडारण क्षमता

3937. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भारतीय खाद्य निगम और भारतीय भंडागार निगम के गोदामों की जिला-वार और क्षमता-वार संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में इन संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान गोदामों के निर्माण पर कितना खर्च किया गया और इनकी कितनी क्षमता बढ़ाई गई है;

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान कितने गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उन पर किया जाने वाला स्थानवार खर्च कितना है;

(घ) गुजरात में वर्तमान में और अगले पांच वर्षों में वास्तव में कितने गोदामों की आवश्यकता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) उक्त लक्ष्य के कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गुजरात क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित क्षमता की वृद्धि की गई है:-

वर्ष	केन्द्र का नाम	बढ़ाई गई क्षमता	वहन किया गया खर्च
1999-2000	राजकोट	10,000 टन*	158.80 लाख रुपए
2000-2001	राजकोट	शून्य	81.63 लाख रुपए
2001-2002	राजकोट	10,000 टन	93.74 लाख रुपए

* अनुषांगिक ढांचों सहित

केन्द्रीय भण्डारण निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 8.83 करोड़ रुपए की लागत से पिपावाव में 50,000 टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया है।

(ग) गोधरा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम का निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तथापि, इस वर्ष के दौरान कोई भौतिक क्षमता हासिल नहीं होगी।

वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम का कांडला में 15 करोड़ रुपये के परिव्यय से 0.40 लाख टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। मुन्द्रा पत्तन पर भण्डागारण इंफ्रास्ट्रक्चर (परंपरागत भाण्डागारण, बल्क भण्डारण अथवा कंटनेर फ्रेट स्टेशन) तैयार करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम ने आदानी पोटर्स लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं के अगले दो से तीन वर्षों में चरणों में शुरू किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध 10.35 लाख टन भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की क्षमता सहित) राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्याप्त है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना में गोधरा में 25,000 टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके 2003-04 में चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण

1. गुजरात में जिला-वार भण्डारण क्षमता सहित भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की संख्या

31.10.2002 की स्थिति के अनुसार
(क्षमता हजार टन में)

राजस्व जिले का नाम	भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की कुल संख्या	भण्डारण क्षमता
पंचमहल	2	53.96
वडोदरा	1	14.25
	3 (कैप)	28.83
वलसाड	1	10.00
	1 (कैप)	3.00
भावनगर	1	20.00
जामनगर	1	30.00
राजकोट	2	30.00
सुरेन्द्र नगर	1	10.00
	1 (कैप)	5.35
अहमदाबाद	2	136.62
	2(कैप)	18.12
बनासकाथा	1	30.48
मेहसाना	1	11.12
कच्छ	2	143.36
सकल जोड़	22	545.09

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों की संख्या संबंधी विवरण

1.11.2002 की स्थिति के अनुसार
(क्षमता टन में)

जिले का नाम	गोदामों की कुल संख्या	कुल भण्डारण क्षमता
अहमदाबाद	1	29193
अमरेली	1	50000
बलसार	1 (कैप)	18375
वडोदरा	2	21650
	2 (कैप)	37528
भावनगर	1	14250
गांधीनगर	1 (कैप)	21200
जामनगर	1	19700
खेडा	3	25820
कच्छ	3	44500
	1 (कैप)	31800
राजकोट	2	25000
	1 (कैप)	16250
सूरत	2	21150
	1 (कैप)	32280
सकल जोड़	23	408696

विदेशी कंपनियों द्वारा सिगरेटों का उत्पादन

3938. श्री अधीर चौधरी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से पंजीकरण सं. एएएसीएम 1680 पीएक्सएम 001 के अंतर्गत पंजीकृत मैसर्स जे.टी. इंटरनेशनल इंडिया प्राईवेट लि. सहित कुछ विदेशी कंपनियां देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में सिगरेटों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रवर्तकों और शेयर-धारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने सिगरेटों के उत्पादन औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सिगरेट उत्पादन की मंजूरी दी गई है और क्या इस कंपनी के लाइसेंस पर पृष्ठांकन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कंपनी को आंध्र प्रदेश में सिगरेटों के उत्पादन की अनुमति देने वाली आथोरिटी का क्या नाम हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. रमण सिंह): (क) से (ङ) मौजूदा नीति 1998 से सिगरेट उद्योग सहित तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं देती है। भारत के सिगरेटों के विनिर्माण हेतु 1998 से पूर्व तीन भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति दी गई थी। इन कंपनियों में आंध्र प्रदेश में संचालित मैं. मोदी आर जे आर लि. सम्मिलित है जिसमें मैं. आर जे रेनाल्ड्स का 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी का हिस्सा है। इस कंपनी को उप्पल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष पांच बिलियन सिगरेटों का विनर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस सी आई एल सं. 63/96 दिनांक 9 अगस्त, 96 जारी किया गया था। मैं. जापान टोबेक्को इंटरनेशनल (जे टी इंटरनेशनल) द्वारा मै. आर जे रेनाल्डस के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार के अधिग्रहण करने के बाद नये सहयोगकर्ता के नाम में लाइसेंस की पृष्ठांकन करने तथा 100% तक विदेशी इक्विटी में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया था। मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की शर्तों के अनुसार इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने मै. जे टी इंटरनेशनल लि. को सिगरेटों के उत्पादन करने के लिए पंजीकरण प्रदान किया है। मै. जे टी इंटरनेशनल (इंडिया) लि. के निदेशकों की यथा उपलब्ध सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

मै. जे टी इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि. के निदेशकों के ब्यौरे

नाम	आवासीय पता
1	2
श्री डेनिस मिलोन्स चेयर मैन	35,चेमिन दू बेंक बेनिट, 1213, पेटिट लेंसी, स्वीटजरलैंड ,
श्री आनंद देश पांडे प्रबंध निदेशक	106, नूपूर सोसायटी, लोकपुरम थाणे 400601, इंडिया

1	2
श्री जान हारोल्ड कोच, निदेशक	3, प्लेस क्लापार्डे, 1205, जनेवा, स्वीटजरलेंड
श्री जी जी ए वरांकेन, निदेशक	6, चेमिन देस सामेंटस, 1222 वेसेनाज, स्वीटजरलेंड
श्री जीन लुक पेराई, निदेशक	22, आर टी सी डी कोमिरे, 124, 1 पपलिंजे, स्वीटजरलेंड
श्री टेटसुरो इशली, निदेशक	7, रू, राबर्ट-डी-ट्राज, 1206, जनेवा स्वीटजरलेंड
श्री दारा पी. मेहता, री जॉन हारोल्ड कोच के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक	वाडिया हाउस, 120, वोडे हाउस रोड कोलाबा, मुम्बई, भारत
सुश्री फाल्गूनी मेहता, श्री जी जी ए वरांकेन के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक	ए/10, रजत धवलगिरी, शाहजी राजे मार्ग, विले पार्ले (ईस्ट) मुम्बई-57 भारत

व्यय सुधार आयोग

3939. श्री नरेश पुगलिया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री व्यय सुधार आयोग के बारे में 27 जुलाई, 2001 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यय सुधार आयोग की विभिन्न सिफारिसों को अभी तक कार्यान्वित कर चुके मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं;

(ख) अब तक प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कर्मचारियों की संख्या को किस सीमा तक कम किया जा चुका है और प्रत्येक वर्ग में कम किए गए पदों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए अपनी सभी 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था और इस समय कार्यान्नयन के विभिन्न चरणों में हैं। व्यय सुधार आयोग ने लगभग 42,000 पदों को समाप्त करने के लिए अभिनिर्धारित किया है। आगे अध्ययन करने पर मंत्रालय/विभाग व्यय सुधार आयोग द्वारा अभिनिर्धारित किए गए लगभग 23,000 पदों को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। अब तक लगभग 11,400 पद समाप्त कर दिए गए हैं। इन पदों में सभी समूहों अर्थात् 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' समूह के पद शामिल हैं।

विशेष निर्यात जोनों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

3940. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा उद्योग संघ ने सरकार से विशेष निर्यात जोनों में बुनियादी ढांचों को युद्ध स्तर पर सुदृढ़ करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल के लिए आयात संबंधी मानदंड

3941. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पासबुक स्कीम के माध्यम से कच्चे माल के आयात संबंधी मानदंडों को आसान बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये नए मानदंड किस तारीख से लागू हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम का उद्देश्य निर्यात उत्पाद की आयात वस्तुओं से सीमाशुल्क के भार को निष्क्रिय करना है। यह निष्क्रियता निर्यात उत्पाद के लिए शुल्क ऋण प्रदान करके सुलभ कराई जाती है। शुल्क ऋण की गणना मानक निवेश उत्पादन मानदंडों, ऐसे माने गए आयातों पर देय मूल सीमाशुल्क और ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त अधिक मूल्य के अनुसार उक्त निर्यात उत्पाद की मानी गई आयात वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। शुल्क हकदारी पासबुक मानदंडों के संशोधन के लिए

संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर डी ई पी बी समिति द्वारा विचार किया जाता है और संशोधित दरें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।

हथकरघा विकास निगम के लिए योजना

3942. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हथकरघा विकास निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के पुनर्गठन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 40.00 करोड़ रुपए है।

(ग) कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के पुनर्गठन के लिए परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता 20.00 करोड़ रुपए है।

(घ) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हथकरघा संगठनों को उनके पुनर्गठन हेतु सहायता अनुदान उनकी कैश ऋण सीमा/कार्यशील पूंजी को बढ़ाकर उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए प्रदान की जाती है। एक संगठन को उसके वित्तीय पुनर्गठन हेतु सहायता प्राप्त करने के लायक बनाने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को अपनी व्यापारिक नीतियों को सरलीकृत करके और अपनी श्रमशक्ति को आनुपातिक बनाकर पहले अपनी व्यवहार्यता को सुधारना पड़ता है। कर्नाटक हथकरघा विकास निगम को पहचान किए गए फालतू 315 कर्मचारियों को अपने संसाधनों से अथवा राज्य सरकार से अनुदान लेकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत भेजना है। राज्य सरकार द्वारा निगम को अग्रिम तौर पर दिए गए 26.44 करोड़ रुपए से ऋण को इसे इक्विटी में भी परिवर्तित कराना है। कर्नाटक सरकार से उपर्युक्त मुद्दों को तेजी से निपटाने का अनुरोध किया गया है ताकि भारत सरकार परियोजना की स्वीकृत पर विचार कर सके।

राज्य वित्त निगम

3943. श्री अरुण कुमार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राज्य वित्त निगम मंडल की जवाबदेही/उत्तरदायित्व निर्धारित करने और डूबे हुए धन तथा काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंजूरी, संवितरण, वैध दस्तावेज बनाने, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के क्षेत्र में मुख्यकारी और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शक्तियां प्रदान किए जाने की अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य वित्त निगमों में एनपीए के 60,000 कोरड़ रुपए तक के घोटाले की विस्तृत जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण लेने एवं जमाराशि स्वीकार करने तथा अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में राज्य वित्तीय निगमों के बोर्डों को कार्यात्मक स्वायत्तता एवं परिचालनात्मक लोच प्रदान करता है।

भारत सरकार राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) में शेयर धारक नहीं है। एसएफसी के राज्य स्तरीय संस्था होने के कारण सरकारें और संबंधित एसएफसी के बोर्ड उनका कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, जिनमें राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली करना शामिल है।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांगों का कल्याण

3944. श्री कैलाश मेघवाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आत्मविमोह, सेरेब्रल पालसी, मानसिक विकलांगता तथा अन्य अपंगताओं के लिए 100 करोड़ रु. की आरंभिक निधि से शारीरिक रूप से विकलांगता व्यक्तियों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय न्यास गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बोर्डों को जारी की गई राज्य-वार और वर्ष-वार धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास जुलाई, 2000 में अस्तित्व में आया। गंभीर विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए एक व्यापक स्वरूप, सामाजिक, वित्तीय राष्ट्रीय न्यास का अंतिम लक्ष्य है।

(1) जिला स्तर पर स्थानीय स्तर पर समितियों और (2) विभिन्न स्तरों पर माता-पिता संघों सहित पंजीकृत संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय न्यास का कार्य होता है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा राहत संस्थाओं की स्थापना तथा देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इस न्यास में अस्तित्व में आने से इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार विकलागं व्यक्तियों को सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण करने के लिए शिविरों के माध्यम से आऊटरीच सेवाओं में सुधार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्र तथा 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान 104 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 74 डी.डी.आर.सी. पहले ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नीचले स्तर से ऊपर तक क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए रेफरल पद्धति स्थापित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना (अम्ब्रेला योजना) तथा सहायक यंत्रों तथा उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत 800 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को सहायता भी दी जा रही है।

विवरण

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थानीय स्तरीय समितियां (लाख रुपए में)		अनुसंधान तथा राहत योजनाएं और देख भाल करने वालों को प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने वाले पंजीकृत संगठन (लाख रुपए में)	
		2001-2002	2002-2003 (* 30.11.2002)	2001-2002	2002-2003 (* 30.11.2002)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.40	0.70	43.33	1.00
2.	असम	0.30	शून्य	10.44	शून्य
3.	बिहार	0.10	2.00	29.00	4.00
4.	चंडीगढ़	0.10	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	0.20	0.80	शून्य	1.00
6.	दादरा और नागर हवेली	0.10	शून्य	शून्य	शून्य
7.	दमन और दीव	0.10	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
8.	दिल्ली	0.20	0.60	11.23	3.82
9.	गोवा	0.10	शून्य	4.71	6.34
10.	गुजरात	1.10	शून्य	63.36	शून्य
11.	हरियाणा	0.70	0.30	2.28	शून्य
12.	हिमाचल प्रदेश	0.90	0.30	11.18	शून्य
13.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	1.00	शून्य
14.	कर्नाटक	1.90	0.40	9.34	4.59
15.	केरल	0.60	0.20	45.04	1.00
16.	मध्य प्रदेश	3.30	0.50	शून्य	8.89
17.	महाराष्ट्र	3.00	0.10	14.80	शून्य
18.	मणिपुर	शून्य	0.20	11.80	12.87
19.	मेघालय	0.50	0.20	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	0.70	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उड़ीसा	2.30	0.60	1.00	12.39
22.	पांडिचेरी	0.10	शून्य	शून्य	1.00
23.	पंजाब	1.40	शून्य	14.23	1.00
24.	राजस्थान	2.30	0.60	32.96	शून्य
25.	सिक्किम	0.10	शून्य	शून्य	शून्य
26.	तमिलनाडु	2.40	0.40	58.50	2.00
27.	त्रिपुरा	0.40	शून्य	11.22	शून्य
29.	उत्तर प्रदेश	1.40	0.50	27.99	3.00
29.	उत्तरांचल	0.20	शून्य	शून्य	शून्य
30.	पश्चिमी बंगाल	1.80	शून्य	79.63	4.00

[अनुवाद]

लार्सन एंड टुब्रो में वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी

3945. श्री जी.एस.बसवराज:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री खारबेल स्वाईं:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लार्सन एंड टूब्रो के शेयरों को प्राप्त करने संबंधी रिलायंस ग्रुप-ग्रासिम सौदे में भारतीय जीवन बीमा निगम साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो जांच एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड फर्म में हिस्सेदारी है, जो अधिग्रहण के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की जांच को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) मौसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के शेयरों के संभावित अर्जन और/या नियंत्रण के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहा है कि क्या सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों या सेबी (शेयरों का प्रचुर अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का उल्लंघन हुआ है।

(ग) और (घ) लार्सन एंड टूब्रो द्वारा स्टाक एक्सचेंज, मुम्बई के पास दर्ज शेयरधारिता पद्धति के अनुसार दिनांक 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता निम्नानुसार है:

नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
यूटीआई	25722787	10.34
एलआईसी	43314837	17.42
एनआईए	6218996	2.50
जीआईसी	5588372	2.25
ओआईसी	3520279	1.42
यूआईसी	2601974	1.05
एनआईसी	2530685	1.02

(ङ) सेबी की जांच प्रगति पर है। इस जांच के पूरा होने की सुनिश्चित तारीख निर्दिष्ट करना मुश्किल है।

यूटीआई	–	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
एलआईसी	–	जीवन बीमा निगम
एनआईए	–	न्यू इंडिया इन्श्यूरेंश
जीआईसी	–	जनरल इन्श्यूरेंश कार्पोरेशन
ओआईसी	–	ओरियंटल इन्श्यूरेंश कार्पोरेशन
यूआईसी	–	यूनाइटेड इन्श्यूरेंश कार्पोरेशन
एनआईसी	–	नेशनल इन्श्यूरेंश कार्पोरेशन

[हिन्दी]

किशोर अपराधों के लिए न्याय दिलाने हेतु निधियां

3946. श्री सुबोध राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने किशोर अपराधों के लिए न्याय दिलाने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को धनराशि जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई निधियां जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और निधियां कब तक जारी किए जाने की संभवना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। बिहार सरकार ने "किशोर न्याय के लिए एक कार्यक्रम" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निधियों की निर्मुक्ति हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और 30 सितम्बर, 2002 को 30,31,250/-रु. (तीस लाख इकतीस हजार दो सौ पचास रुपए) की राशि का केन्द्रीय शेयर निर्मुक्त किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बच्चों, विकलांगों और विधवाओं हेतु योजनाएं

3947. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, शारीरिक विकलांगों और विधवाओं आदि के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटित की गई और वास्तव में जारी की/गई वितरित की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	ब्यूरो विकलांगता	निर्मुक्तिया (रु. लाख में)			लाभार्थी		
		1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
1.	विकलांगो को रोजगार	8.32	4.56	5.72	–	लागू नहीं	–
2.	एन.पी.आर.पी.डी.	12.50	74.45	60.35	–	लागू नहीं	–
3.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना	2.27	4.30	5.22	4000	8672	1190
	समाज रक्षा						
4.	किशोर सामाजिक कुसमंजन का निवारण एवं नियंत्रण	2.00	3.10	0.00	–	लागू नहीं	–
5.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	8.59	9.00	0.00	300	300	0
6.	वृद्धावस्था के लिए एकीकृत कार्यक्रम	1.37	1.67	1.27	1525	1545	1500
7.	वृद्धाश्रमों का निर्माण (होस्टल)	10.00	5.00	0.00	50	50	0

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन न किया जाना

3948. श्री हरिभाई चौधरी:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों का रिकार्ड रखती है जिन्हें स्वीकृत किया गया परन्तु विभिन्न कारणों से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो, इस संबंध में ऐसे रिकार्ड न रखने के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने के पश्चात भी उन्हें लागू न किए जाने के कारणों का पता लगाने हेतु जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ङ) सरकार द्वारा विदेशी निवेश के अनुमोदनों और उनसे संबंधित अन्तरवाहों से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के वास्तविक कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी नहीं की जाती और उनसे संबंधित आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार कार्यान्वयन

संबंधी मुद्दों के बारे में निवेशकों से समय-समय पर संपर्क करती है। सरकार द्वारा एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है ताकि विदेशी निवेशकों तथा केन्द्रीय व राज्य स्तरों के विभिन्न प्राधिकरणों के लिए एकल स्थान संपर्क बिन्दु उपलब्ध कराया जा सके। विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों के संपर्क करके और स्वीकृतियों को उत्प्रेरण/सहायता प्रदान करके अनुमोदन के बाद की बाधाओं को हटाने में निवेशकों की सहायता की जाती है।

[अनुवाद]

11वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान

3949. श्री जी.जे. जाधीया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि राज्य में सभी पंचायतों के चुनावों को सफलतापूर्वक कराने की दृष्टि से राज्य को 11वें वित्त आयोग के अनुदानों की पहली किस्त जारी की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुदान जारी कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि चूंकि सभी ग्राम पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, इसलिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत वर्ष 2000-01 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अनुदानों की रोकी गई धनराशि उन्हें जारी किए जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के समक्ष वित्तीय संकट

3950. श्री विक्रम केशरी देव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच संकटग्रस्त राज्यों के घाटे की पूर्ति के लिए उन्हें मध्यम अवधि के ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन पांच संकटग्रस्त राज्यों को दी गई कुल सहायता कितनी है;

(ग) ओवर ड्राफ्ट की गंभीर समस्या का सामना कर रहे इन राज्यों को इससे कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या यह सहायता राशि वसूली जाएगी अथवा नहीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) 2001-02 में भारी नकदी असंतुलन का सामना कर रहे पांच राज्यों के लिए मध्यम आवधिक ऋण के रूप में 3154 कोरड़ रुपए की राशि अनुमोदन की गई है ताकि वे अपनी नकदी असंतुलन पर काबू पा सके।

(घ) और (ङ) चूंकि यह पांच वर्ष के लिए मध्यम आवधिक ऋण के रूप में है, अत: मूल की अदायगी पर दो वर्ष के विलम्ब के साथ यह सहायता वसूली योग्य है।

आयुक्त कार्यालय का स्थानान्तरण

3951. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय को गुवाहाटी स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यालय के स्थानांतरण के विरुद्ध बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त निर्णय की समीक्षा करने और उक्त कार्यालय का स्थानांतरण न करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, शिलांग के कार्यालय को गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है जिसे अधिसूचना सं. 37/ 2002-के.उ.शु.(मै.टै.) दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 के तहत अधिसूचित भी किया गया है।

सरकार का निर्णय निम्नलिखित कारणों पर आधारित था:

(i) राजस्व संभाव्यता

(ii) व्यापार सुविधा

(iii) प्रशासनिक सुविधा

(ग) जी, हां। उपर्युक्त कार्यालय के स्थानांतरण के विरुद्ध कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) सरकार इन अभ्यावेदनों की जांच कर रही है।

बेरोजगार उद्यमियों को नाबार्ड से सहायता

3952. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड द्वारा उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा गावों, अर्धशहरी क्षेत्रों के कृषि में काम आने वाली चीजों के विपणन के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए बेरोजगार उद्यमियों को दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा क्या है और नाबार्ड द्वारा इस तरह की वित्तीय सहायता मुहैया कराने संबधी निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में उद्योग, कारोबार, व्यापार एवं कृषि निवेश के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए बेरोजगार उद्यमियों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की जा रही पुनर्वित्त सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) नाबार्ड ने प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा निवेश आपूर्ति एवं सेवाओं के संवर्द्धन के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करने हेतु कृषि क्लिनीक तथा कृषि कारोबार केन्द्र स्थापित करने के लिए कृषि स्नातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस स्कीम का लक्ष्य कृषि के नए एवं उभरते क्षेत्र में कृषि स्नातकों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। किसी व्यक्ति एवं समूह के लिए परियोजना लागत की अधिकतम निर्धारित सीमा क्रमश: 10 लाख रुपए और 50 लाख रुपए है। इस ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 5 से 10 वर्ष के भीतर होगी जो क्रियाकलापों पर निर्भर है और इसमें अधिकतम 2 वर्ष की रियायती अवधि शामिल की जा सकती है। ब्याज दर का निर्धारण वित्तपोषक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। नाबार्ड बैंक ऋण के लिए शतप्रतिशत वित्तपोषण करेगा;

(ii) गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक क्रियाकलापों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से नाबार्ड का वित्तपोषण उपलब्ध है जिसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण तथा परिवहन वाहनों, मूलभूत ढांचों तथा विपणन सिहित लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमोदित सेवा संबंधी क्रियाकलाप शामिल है और उसमें कुटीर, ग्रामीण, अति लघु उद्योगों, ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण हस्तकला पर बल दिया गया है। किसी एक उधारकर्ता/ यूनिट के लिए उपलब्ध अधिकतम वित्त निम्नानुसार है: -

वाणिज्यिक बैंक-परियोजना लागत पर बिना किसी उच्चतम सीमा के 50 लाख रुपए; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक/सहकारी बैंक -परियोजना लागत पर बिना किसी उच्चतम सीमा के 20 लाख रुपए;

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-परियोजना की कुल लागत पर 30 लाख रुपए की अधिकतम लागत सीमा के साथ 20 लाख रुपए।

(iii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (उद्योग, सेवा एवं कारोबार संघटक) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को भी योजनाओं के मार्गनिर्देशों के अनुसार नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हं:-

(1) लागत लेखा अभिलेख (बागान उत्पाद) नियम, 2002 जो 8 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) लागत लेखा अभिलेख (पेट्रोलियम उद्योग) नियम, 2002 जो 8 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) लागत लेखा अभिलेख (दूरसंचार) नियम, 2002 जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6380/2002]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6381/2002]

(ख) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6382/2002]

(ग) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6383/2002]

(घ) (एक) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6384/2002]

(3) कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनोरटीज इन इंडिया के जुलाई, 1998 से जून, 1999 तक की अवधि के 37वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6385/2002]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6386/2002]

(2) (एक) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6387/2002]

(3) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6388/2002]

(4) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6389/2002]

(5) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6390/2002]

(6) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6391/2002]

(7) (एक) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6392/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. रमण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6393/2002]

(2) (एक) सेन्ट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नालाजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नालाजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6394/2002]

(2) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6395/2002]

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 871(अ) जो 16 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 902(अ) जो 26 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 903(अ) जो 26 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 932(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1036(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1037(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1132(अ) जो 28 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1133(अ) जो 28 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 761(अ) जो 12 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) संशोधन नियम, 2002 जो 20 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 774(अ) जो 20 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6396/2002]

(2) शीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 758(अ) जो 11 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य तथा सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लीसीन मिथाइल पोटेसियम डेन सॉल्ट पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 769(अ) जो 15 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 770(अ) जो 15 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना विहित करना तथा लागू प्रतिपाटन शुल्क की गणना करना और साथ ही 16 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 120/2001 सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 773(अ) जो 20 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 780(अ) जो 22 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सीमा-शुल्क टैरिफ रक्षोपाय ड्यूटी के अधिनिर्धारण तथा निर्धारण नियम, 1997 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिल्ली की महानिदेशक रक्षोपाय के रूप में नियुक्ति के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6397/2002]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 752(अ) जो 7 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 764(अ) जो 14 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्र अथवा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क अथवा औद्योगिक संपदा अथवा क्षेत्र वाणिज्यक सम्पदा अथवा योजना क्षेत्र में स्थित किसी इकाई द्वारा निर्मित सिगरेट/तम्बाकू वाले सिगारों, शीतल पेयों और उनके सांद्रणों को छोड़कर सभी उत्पाद शुल्क सामानों पर छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 765(अ) जो 14 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी भी स्थान पर स्थित इकाई से निकासी किए गए विनिर्दिष्ट माल को छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेनवेट क्रेडिट संशोधन नियम, 2002 जो 14 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 767(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 23 जुलाई, 2002 की तदर्थ अधिसूचना संख्या 85/5/2002-सी.एक्स. जिसका आशय उत्पाद-शुल्क व्यय वस्तुओं जैसे सीमेंट, टोड, स्टील एवं स्ट्रक्चरल स्टील पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6399/2002]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 213(अ) जो 19 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96-सेवाकर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 325(अ) जो 3 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96-सेवाकर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 332(अ) जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96-सेवाकर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 333(अ) जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 44/98-सेवाकर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 334(अ) जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 1/2001-सेवाकर में संशोधन करना है, तथा उसका शुद्धि पत्र जो 20 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6399/2002]

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (230) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्त्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (231) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों को लाइसेंस दिया जाना) विनियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (232) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों को लाइसेंस दिया जाना) विनियम, 2002 ,जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (233) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (234) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रीमियम प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआईडीए/रेग./10/2002 (235) में प्रकाशित हुए थे।

(6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6400/2002]

(7) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) यूनाइटेड बैंक आफ इंडया के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) यूको बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) सेन्ट्रल बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6401/2002]

(8) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ पाटियाला तथा स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6402/2002]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6403/2002]

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6404/2002]

(ग) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6405/2002]

(घ) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6406/2002]

(ङ) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6407/2002]

(10) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6408/2002]

(दो) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6409/2002]

(तीन) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6410/2002]

(चार) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6411/2002]

(पांच) भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6412/2002]

(छह) भण्डारा ग्रामीण बैंक, भण्डारा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6413/2002]

(सात) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6414/2002]

(आठ) बोलनगीर आचंलिक ग्राम्य बैंक, बोलनगीर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6415/2002]

(नौ) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6416/2002]

(दस) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6417/2002]

(ग्यारह) चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6418/2002]

(बारह) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6419/2002]

(तेरह) ढेंकानाल ग्राम्य बैंक, ढेंकानाल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6420/2002]

(चौदह) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6421/2002]

(पन्द्रह) गौर ग्रामीण बैंक, माल्दा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6422/2002]

(सोलह) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6423/2002]

(सत्रह) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6424/2002]

(अठारह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6425/2002]

(उन्नीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6426/2002]

(बीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6427/2002]

(इक्कीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6428/2002]

(बाईस) ककातिया ग्रामीण बैंक, हनमकोंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6429/2002]

(तेईस) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानीपाटन

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6430/2002]

(चौबीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, तुमकूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6431/2002]

(पच्चीस) कोरापुर पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6432/2002]

(छब्बीस) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोशी कालोनी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6433/2002]

(सत्ताईस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6434/2002]

(अठाईस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6435/2002]

(उनतीस) लांग्पी देहांगी रूरल बैंक, दिफू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6436/2002]

(तीस) मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6437/2002]

(इकतीस) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6438/2002]

(बत्तीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6439/2002]

(तैंतीस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6440/2002]

(चौंतीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6441/2002]

(पैंतीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6442/2002]

(छत्तीस) नाडिया ग्रामीण बैंक, नाडिया

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6443/2002]

(सैंतीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6444-45/2002]

(अड़तीस) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6446/2002]

(उनतालीस) निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगोन

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6447/2002]

(चालीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6448/2002]

(इकतालीस) रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6449/2002]

(बयालीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6450/2002]

(तेतालीस) सागर ग्रामीण बैंक, कोलकाता

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6451/2002]

(चौवालीस) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6452/2002]

(पैंतालीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6453/2002]

(छियालीस) शिवालिक ग्रामीण बैंक, होशियारपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6454/2002]

(सैंतालीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चायबासा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6455/2002]

(अड़तालीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6456/2002]

(उनचास) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6457/2002]

(पचास) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6458/2002]

(इक्यावन) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6459/2002]

(बावन) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6460/2002]

(तिरपन) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6461/2002]

(चौवन) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6462/2002]

(पचपन) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6463/2002]

(छप्पन) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6464/2002]

(सत्तावन) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजमुन्दरी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6465/2002]

(अठावन) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6466/2002]

(उनसठ) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6467/2002]

(साठ) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6468/2002]

(इकसठ) सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6469/2002]

(बासठ) वर्दा ग्रामीण बैंक, कुम्टा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6470/2002]

(तिरसठ) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6471/2002]

(चौंसठ) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6472/2002]

(पैंसठ) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6473/2002]

(छियासठ) प्रागज्योतिष गनोलिया बैंक, नलबाड़ी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6474/2002]

(सड़सठ) मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6475/2002]

(अड़सठ) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6476/2002]

(उनहत्तर) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6477/2002]

(सत्तर) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6478/2002]

(इकहत्तर) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगरेड्डी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6479/2002]

(बहत्तर) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6480/2002]

(तिहत्तर) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6481/2002]

(चौहत्तर) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6482/2002]

(पचहत्तर) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6483/2002]

(छिहत्तर) वलसाड डांग्स ग्रामीण बैंक, वलसाड

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6484/2002]

(सतहत्तर) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुडीवाडा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6485/2002]

(अठत्तर) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6486/2002]

(उनासी) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6487/2002]

(अस्सी) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6488/2002]

(इक्यासी) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6489/2002]

(बयासी) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6490/2002]

(तिरासी) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6491/2002]

(चौरासी) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6492/2002]

(पचासी) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6493/2002]

(छियासी) मगध ग्रामीण बैंक, गया

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6494/2002]

(सतासी) अधियामांड ग्राम बैंक, धर्मपुरी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6495/2002]

(अठासी) वल्ललार ग्राम बैंक, कुड्डालोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6496/2002]

(नवासी) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6497/2002]

(नब्बे) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6498/2002]

(इक्यानवे) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6499/2002]

(बानवे) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6500/2002]

(तिरानवे) शिरपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6501/2002]

(चौरानवे) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6502/2002]

(पचानवे) मिजोरम रूरल बैंक, मिजोरम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6503/2002]

(छियानवे) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6504/2002]

(सत्तानवे) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6505/2002]

(अठानवे) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, पासीघाट

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6506/2002]

(निन्यानवे) पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6507/2002]

(सौ) मंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6508/2002]

(एक सौ एक) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6509/2002]

(एक सौ दो) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6510/2002]

(एक सौ तीन) चन्द्रपुर गडचिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6511/2002]

(एक सौ चार) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6512/2002]

(एक सौ पांच) बालासोर ग्राम्य बैंक बैंक, बालासोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6513/2002]

(एक सौ छह) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धमान

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6514/2002]

(एक सौ सात) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6515/2002]

(एक सौ आठ) समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6516/2002]

(एक सौ नौ) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6517/2002]

(एक सौ दस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6518/2002]

(एक सौ ग्यारह) राजगढ़ सेहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेहोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6519/2002]

(एक सौ बारह) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6520/2002]

(एक सौ तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6521/2002]

(एक सौ चौदह) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6522/2002]

(एक सौ पन्द्रह) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6523/2002]

(एक सौ सोलह) बैतरणी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6524/2002]

(एक सौ सत्रह) लक्ष्मी गांवलिया बैंक, गोलाघाट

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6525/2002]

(एक सौ अठारह) श्रावती ग्रामीण बैंक, बहराइच

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6526/2002]

(एक सौ उन्नीस) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6527/2002]

(एक सौ बीस) पुरी ग्रामीण बैंक, पीपली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6528/2002]

(एक सौ इक्कीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6529/2002]

(एक सौ बाईस) बुल्डाना ग्रामीण बैंक, बुल्डाना

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6530/2002]

(एक सौ तेईस) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6531/2002]

(एक सौ चौबीस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6532/2002]

(एक सौ पच्चीस) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6533/2002]

(एक सौ छब्बीस) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6534/2002]

(एक सौ सत्ताईस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6535/2002]

(एक सौ अठाईस) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6536/2002]

(एक सौ उनतीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6537/2002]

(एक सौ तीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6538/2002]

(एक सौ इकतीस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद, होशंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6539/2002]

(एक सौ बत्तीस) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6540/2002]

(एक सौ तैंतीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6541/2002]

(एक सौ चौंतीस) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्री गंगानगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6542/2002]

(एक सौ पैंतीस) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6543/2002]

(एक सौ छत्तीस) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6544/2002]

(एक सौ सैंतीस) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6545/2002]

(एक सौ अड़तीस) गोलकुंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6546/2002]

(एक सौ उनतालीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6547/2002]

(एक सौ चालीस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6548/2002]

(एक सौ इकतालीस) अलकनंदा ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6549/2002]

(एक सौ बयालीस) पांडियन ग्राम्य बैंक, विरुधुनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6550/2002]

(एक सौ तैंतालीस) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6551/2002]

(एक सौ चौवालीस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, माड्या

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6552/2002]

(एक सौ पैंतालीस) सह्याद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6553/2002]

(एक सौ छियालीस) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6554/2002]

(एक सौ सैंतालीस) साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6555/2002]

(एक अड़तालीस) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6556/2002]

(एक सौ उनचास) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6557/2002]

(एक सौ पचास) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6558/2002]

(एक सौ इक्यावन) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6559/2002]

(एक सौ बावन) बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटन

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6560/2002]

(एक सौ तिरपन) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6561/2002]

(एक सौ चौवन) फरीदकोट फटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6562/2002]

(एक सौ पचपन) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6563/2002]

(एक सौ छप्पन) जयपुर नगर आंचलिक ग्रामीण बैंक

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6564/2002]

(11) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीजीबी/राजपत्र/जीएडी/2002-03 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोदावरी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या संदर्भ संख्या 001/3/405/498 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) काकतिया ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 4 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/केयूबी/227 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बाटारानी ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./71/50/बीसीडी/159/125 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या परका/कार्मिक/2002-03/254 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2002 जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केकेजीबी/एचओ/23/विजिल/163 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/पीकेबी/01-02/290 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनआरबी/19/एचओ/12/607 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 20 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17/पी/249 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भंडारा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 2 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी-ग्राम/2000-01/209 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बालासोर ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 108 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सुंबश्री गांवलिया बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएच/बीके/82/2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6565/2002]

(12) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 23 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) में प्रकाशित हुए।

(दो) डाकघर बचत खाता (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 24 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए।

(तीन) राष्ट्रीय बचत योजना (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6566/2002]

(13) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) दूसरा संशोधन नियम, 2002 जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6567/2002]

(14) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2002 जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) लोक भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 2002 जो 15 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 768(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6568/2002]

(15) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)*-

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम, 2002 जो 17 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी सं. 1995(1)/स्टाफ-जन. (2) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का भुगतान) विनियम, 2002 जो 17 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी सं. 1995(2)/स्टाफ-जन. (2) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान और अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियम, 2002 जो 17 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी सं. 1995(3)/स्टाफ-जन. (2) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6569/2002]

(16) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1246(अ) जो 29 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के स्पष्टीकरण 4 के प्रयोजनों के लिए 37 खेलों और खेलकूद को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 29 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1247(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6570/2002]

(17) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 19 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या एफ.एस.आर.सी. 47 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 23 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या आई.एल. 2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(18) उपर्युक्त मद संख्या 17 के (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6571/2002]

(19) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6572/2002]

(20) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6573/2002]

(21) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 736(अ) जो 30 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अक्तूबर, 2002 से दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण संख्या 3 के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 753(अ) जो 8 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अक्तूबर, 2002 से ऋण वसूली अधिकरण, कटक के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 6574/2002]

(22) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनिमय (संशोधन) विनियम, 2002 जो 9 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6575/2002]

(23) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ इकनामिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 6576/2002]

(24) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 36 जो 7 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 में किए गए संशोधन दिए हुए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 6577/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6578/2002]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ताजा, शीतित और संसाधित मछली तथा मत्स्य उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानिटरिंग) (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 24 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1029(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ड्राइड फिश मॉ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 जो 14 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 6579/2002]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6580/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 29 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि राज्य सभा श्री विक्रम वर्मा जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के कारण समिति के सदस्य नहीं रह गए हैं, के स्थान पर लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करे और उक्त समिति में कार्य करने के लिए, उस विधि से जैसा कि सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री ललित भाई मेहता, राज्य सभा सदस्य को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 2002 को पारित जैव विविधता विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2002 को पारित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2002 जो राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करती है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2002 को पारित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2002 जो राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करती है।"

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव: महोदय, मैं 5 दिसम्बर, 2002 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2002

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2002

अपराह्न 12.3$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं ''एयर इंडिया लिमिटेड'' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का सांतवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

प्राक्कलन समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बजट प्रभाग)-''रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए अनुदानों की नई मांग का सृजन'' से संबंधित ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मोदय, गृह राज्य मंत्री, श्री आई.डी. स्वामी को दुबई के अनीस की गिरफ्तारी पर सदन में एक वक्तव्य देना है। आपने सदन में कहा था कि आपने उनके अनुरोध पर विचार किया है, वह आगे की जानकारी एकत्र कर रहे हैं और फिर सदन को सूचित करेंगे। आज सप्ताह का अंतिम दिन है और मामले को कार्य सूची में 9 तारीख को उठाया गया था। हम जानना चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री वक्तव्य कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। सदन को इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। यह महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय: वह मंत्री महोदय से पूछकर सदन को बता देंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, हम भी जानना चाहते हैं कि बीस आतंकवादियों की जो लिस्ट पाकिस्तान को दी गई है। उसका क्या हुआ। उसमें दाऊद का भी नाम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा नोटिस देना पड़ेगा।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:-

1. आज की कार्य-सूची से सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और पारित करना-

   (i) प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001

   (ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित।

   (iii) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 202

4. राज्य सभा द्वारा यथापरित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

   (i) प्रसव पूर्व निदान-तकनीक विनियमन और दुरूपयोग निवारण, संशोधन विधेयक, 2002

   (ii) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार करना और उसे पारित करना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, श्री आई.डी. स्वामी द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह बड़ी अजीब बात है। सभा को हमेशा यह बताया जाता है कि सरकार सीमा-पार आतंकवाद संबंधी मामले पर सहयोग करेगी। सरकार ने 9 दिसम्बर की कार्यसूची के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मंत्री जी वक्तव्य देंगे और आपने आश्वासन दिया था कि तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात् वे सभा के समक्ष आएंगे। चार दिन, 9, 10, 11 और 12 दिसम्बर गुजर गए हैं आज 13 दिसम्बर है। अभी तक भी सरकार अनीस के संबंध में जो उनमें से एक आतंकवादी है और दाऊद इब्राहिम का भाई है, तथ्यों को सुनिश्चित नहीं कर सकी है। सरकार क्या कर रही है और इसके पास किस प्रकार का तंत्र है?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को सूचना एकत्र करके आज ही सभा को बताएं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप मंत्री जी को निर्देश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने ऐसा ही किया है। मैंने उन्हें आज सभा के स्थगित होने से पूर्व यह बताने का निर्देश दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परन्तु महोदय, वे आपके निर्देश को भी अनदेखा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, के मेरे निर्देश को अनदेखा नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: फिर मंत्री जी सभा में क्यों नहीं आए? उन्हें सभा में आना चाहिए था। तथ्यों को पहले से ही क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया था?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी आप सब कुछ जानते हैं। अब मुझे कार्य की अगली मद लेनी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम हमेशा कहते हैं कि समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए और समय की आवश्यकता है। मंत्री को यहां आकर कहना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र काम नहीं कर रहा है और यह कि मंत्रालय इस तरह काम कर रहा है और अभी मुझे तथ्य प्राप्त करने है*...(व्यवधान)* मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। महोदय, भारत में इस प्रकार का गृह मंत्रालय काम कर रहा है। आज 13 दिसम्बर है। हम गृह मंत्रालय की इस प्रकार की अक्षमता को कैसे सह सकते हैं? गृह मंत्रालय के कारण पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। आप आतंकवादियों के संबंध में कुछ नहीं कर सकते। आप केवल बात करते हैं*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये:

1. देश के सभी क्षेत्रों के खासकर गन्ना किसानों पर हो रहे जोर जुल्म, लेकिन उसकी समस्याओं के समाधान की ओर कार्रवाई नहीं होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार विमर्श।

2. बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार पर बकाया कर्ज को समाप्त करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और आर्थिक पैकेज देने हेतु, ताकि बिहार बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और कटाव से मुक्त हो, पर विचार-विमर्श करने के लिए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(एक) भारत की आई डी पी एल इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ के लिए, दिनांक 20.9.2002 की वी आर एस अधिसूचना का संशोधन करने तथा विशेषकर चेन्नई के, ई पी एफ अंशदाता आई डी पी एल के कर्मचारियों के लिए आवास योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(दो) भारत में संसद सदस्यों/विधायकों तथा पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों में ग्रामीण गोदाम योजना के बारे में जागरूकता करने तथा वरीयता आधार पर सामुदायिक भागीदारी के लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये:

1. नासिक पूना नई रेल लाइन का सर्वे हो गया है, मंजूरी देने के बारे में;

2. महाराष्ट्र में 36 जिलों में से 26 जिले सूखे की चपेट में हैं। इसमें नासिक जिला खास करके आदिम जाति बस्ती का जिला है। ज्यादा से ज्यादा सूखे की चपेट में है। केन्द्र सरकार ने एक कमेटी भेजना और आर्थिक मदद करने के बारे में।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये:

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बिलासपुर में 1.11.2000 को हाईकोर्ट की स्थापना की गई और जबलपुर हाईकोर्ट से बिलासपुर हाईकोर्ट में 21000 मामले (लंबित) भेजे गए, किन्तु न्यायाधीशों की कमी के कारण उक्त प्रकरणों की संख्या 40000 हो चुकी है, जिससे आम नागरिकों को सुलभ न्याय नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अत: केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में तीन जजों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र करने की व्यवस्था की जाये।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की स्थापना सन् 1983-84 में हुई है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र को शासन के नियमानुसार प्राथमिकता दी जाती है। अत: केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाये।

श्री रामानंद सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में मेरे निम्न विशेष जोड़ने की कृपा करें:-

1. ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन को देश हित में पांच वर्ष के अंदर पूर्ण कराए जाने पर चर्चा।

2. देश के कई भागों में डकैती व अपहरण की बढ़ती घटनाओं विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना व रीवा जिलों में डकैती, अपहरण तथा फिरौती की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: सब्मिशन्स में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामानंद सिंह: हम सब्मिशन के द्वारा यहां मामले उठाते हैं, लेकिन मंत्री जी उसको जोड़ते नहीं है। कम से कम आप मंत्रियों को हिदायत करें कि वे उपस्थित रहें। इसी तरह जीरो आवर में कोई उत्तर नहीं मिलता। अधिकांश मंत्रियों को यहां रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए रूल बदलना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो रूल के लिए लिखकर दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

(1) प्रस्तावित कोट्टायम-एरूमेली बड़ी लाईन को रान्नी, पथानामथिता, कोन्नी, पथानापुरम होते हुए पुनालुर तक बढ़ाया जाना चाहिए। कोट्टायम से पुनालुर बरास्ता एरूमेली तक सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु रेल मंत्री ने केवल एरूमेली तक ही मंजूरी दी है। हर वर्ष पुनालुर से सबरीमाल मंदिर में लाखों अयप्पा श्रद्धालु आते हैं। इस बड़ी लाईन को लाभकारी और व्यवहार्य बनाने के लिए पुनालुर तक बढ़ाना होगा।

(2) केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में तीन दूरभाष के लिए लाख से अधिक आवेदन लंबित है। ये आवेदक तीन/चार वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं। बी एस एन एल शीघ्रता से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। जहां तक केरल का संबंध है सभी सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए काफी मांग है। मेरा संचार मंत्री से अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र और आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. अजमेर जिले में स्थित मार्बल तथा पावरलूम व्यवसाय के प्रमुख केन्द्र तथा लगभग 1 लाख की आबादी वाले किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न कोनों से आने वाले उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों की सुविधार्थ दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस (2015/2016) को आते-जाते 2 मिनट का ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

2. अजमेर के मेरवाड़ क्षेत्र की हृदयस्थली तथा प्रमुख औद्योगिक नगर एवं सैनिक बहुल मगरा क्षेत्र से घिरे हुए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले, दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन पर स्थिति ब्यावर नगर में जनसाधारण के व्यापक हित में सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस (2915/2916) का 2 मिनट का स्टापेज सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

1. जनपद खीरी में शारदा परियोजना के कारण सीपेज की समस्या से हजारों एकड़ जमीन स्थाई जल-भराव और हजारों किसानों का जीवन स्तर निरंतर प्रभावित है। उनके लिए आर.आई.डी.एफ. के माध्यम से सीपेज का समाधान करने हेतु धन आबंटन की व्यवस्था करें।

2. मानसून की असफलता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के कारण कृषि की उत्पादन लागत बहुत बढ़ रही है। इससे देश का किसान बदहवास है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा योजना पर पुन: विचार करते हुए इसे ज्यादा व्याहारिक बनाने और फसल बीमा का प्रीमियम कम करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने की पात्रता ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाए, जिससे छोटे किसानों को लाभ प्राप्त हो।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. कामगारों की उस सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिनकी सेवाओं का उपयोग सभी करते हैं। ये लोग सिलाई करने वाले कामगार हैं जिनके लिए न तो कोई कल्याण योजनाएं हैं और न ही किसी क्षेत्र से किसी प्रकार की सहायता का प्रावधान। बूढ़ा और अक्षम होने के बाद वे लोग गरीबी में रह रहे हैं। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को या तो भुगतान नहीं किया जाता या कम भुगतान किया जाता है तथा उनके पास जीविका के लिए पर्याप्त काम भी नहीं है। भारत सरकार को सिलाई करने वाले कामगारों के लिए कुछ कल्याण योजनाएं शुरू करनी चाहिएं।

2. बागवानी मजदूर और किसानों को जो बहुत मुसीबत में रह रहे हैं, सरकार द्वारा उनके लिए समुचित उपाय कर उनका कल्याण करना चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

(एक) भारत सरकार ने भंडारण और परिवहन के लिए 50 किलो वाले प्लास्टिक के थैलों में गेहूं और चावल की पैकेजिंग की सिफारिश की है। यदि इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से स्वयं नष्ट होने वाले प्लास्टिक के थैलों का भी उपयोग किया जाता है तब भी यह खतरनाक है। गेहूं और चावल जैसे अनाजों को यदि ऐसे प्लास्टिक के थैलों में भारा जाता है तो वे अंतत: जहरीले बन जाते हैं और मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं होते। इसके अलावा, इस निर्णय से जूट के थैलों में पैकेजिंग बंद हो जाएगी और लाखों जूट उत्पादक और हजारों जूट मिल मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उपभोक्ताओं और जूट मिल मजदूरों के हितों में खाद्यान्नों को केवल जूट के थैलों में ही भरा जाना चाहिए।

(दो) भारत सरकार खुदरा व्यापार क्षेत्रों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की योजना बना रही है। देश भर में लाखों खुदरा दुकानें हैं और लाखों खुदरा व्यापारी वर्षों से अपने व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब योजना आयोग अपने दसवें योजना दस्तावेज में खुदरा क्षेत्र में एफ डी आई की सिफारिश करने वाला है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के खतरनाक होगा इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अमजेर): राजस्थान में अकाल के कारण बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। वहां लोग बर्बाद हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है। वहां लोग बेघर हो गये हैं।...*(व्यवधान)* राजस्थान में गंभीर स्थिति बनी हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुरेश जाधव के बाद मैं आपको मौका देने वाला हूं। रासा सिंह जी का नोटिस हमारे सामने है। अभी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राजस्थान को मौका दीजिए।...*(व्यवधान)* राजस्थान में लोग मर रहे हैं। वहां हालत इतनी नाजुक हो गई है, पहले राजस्थान को मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष जी, राजस्थान में अकाल के कारण भयंकर स्थिति बनी हुई है।...*(व्यवधान)* पहले राजस्थान पर बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चेयर से जब विनती की जाती है तो आप लोगों को सुनना चाहिए। ऐसे सदन कैसे चलेगा? आप सब जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कृपया बैठिए। सुरेश रामराव जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नोटिस तो मेरे पास बहुत हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिए, बिजनैस आगे नहीं जाएगा। कृपया आप लोग बैठिए। सुरेश रामराव जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 13 दिसम्बर के दिन को हमारा इतिहास नहीं भूलेगा। पिछले साल 13 दिसम्बर को आतंकवादियों द्वारा हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक असफल हमला किया गया। हमारे देश की गरिमा को नष्ट करने का आतंकवादियों द्वारा यह एक असफल प्रयास था। इस दिन जो हमला हुआ, वह हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ। हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आतंकवादियों का इरादा अच्छा नहीं था। हम इस दिन को कभी नहीं भूल सकते। हमारा इतिहास इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। हमारे वाच एंड वार्ड के तथा अर्द्ध सैनिक बल के कई नौजवान संसद पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस आतंकवादी हमले में हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, इन्हें पूरा हिन्दुस्तान जान सके, इनकी पहचान हो सके, हम भी जान सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका इतिहास जान सकें। इनके बलिदान के बारे में बच्चों के पाठ्यक्रम में इसे जोड़ा जाए और लोक सभा का जो एरिया है वहां इनकी प्रतिमा स्थापित करने की भी मैं सरकार से मांग करता हूं ताकि इनके बलिदान को हम याद कर सकें।

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। अरावली श्रृंखला, अरावली पहाड़ के ऊपर खनन का कार्य रुक जाने के कारण राजस्थान के 65 लाख आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक गरीब और पिछड़े वर्ग के सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

महोदय, तीन दिन से सारा कार्य वहां ठप पड़ा है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पांच हजार खनन की खानें बंद हो गई हैं, 8000 इकाइयां मारबल, ग्रेनाइट और पत्थर की सारी की सारी खानें बंद हो गई हैं। परिणामस्वरूप राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाला करोड़ों रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा और पर्यावरण के नाम पर, अकाल की स्थिति से, लगातार

चार साल से वर्षा न होने के कारण राजस्थान वैसे ही भुखमरी का शिकार हो रहा है तथा भूख के कारण किसान मौत के मुंह में जा रहे हैं। अरावली खनन का कार्य बंद होने के कारण वहां और भी ज्यादा बेकारी और भुखमरी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक पक्ष बन कर और सोलिसिटर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय में भेज कर, राजस्थान की पीड़ित जनता को बेरोजगार होने से, भुखमरी के मुंह में जाने से और देश को खनिजों का नुकसान होने से बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

महोदय, यह बहुत अहम समस्या है, हमारे साथी भी इसी मामले में बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या गंभीर है इसलिए मैं भी एसोशिएट करता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने बोल दिया, रिकार्ड हो गया, खाली इससे काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान की बहुत बुरी हालत है। पहले अकाल की वजह से लोग मर रहे थे और अब पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। वहां टोटली डेवलपमेंट रूक गया है और लोगों के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए इसे सरकार बहुत सीरियसली ले।...*(व्यवधान)*

महोदय, राजस्थान पूरा तबाह हो गया है और अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।...*(व्यवधान)* वहां न कोई सड़क बन सकती है, न स्कूल बन सकता है और न ही कोई बिल्डिंग बन सकती है तथा न कोई मकान बन सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मेरे पास दो और नोटिस हैं- एक नोटिस भैरूलाल मीणा जी का है और दूसरी गिरधारी लाल भार्गव जी का है।

...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम सब को एक ही बात कहनी है कि राजस्थान को कैसे बचाया जाए।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार मिल कर इसके लिए कोई समाधान निकालें ताकि राजस्थान की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस क्यों नहीं देते? आप नोटिस नहीं देंगे और सदन के नियमों को तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय में आपका नोटिस नहीं है, आप बैठिए। मैंने श्री गिरधारी लाल भार्गव को ही बोलने की अनुमति दी, अन्य किसी को नहीं। गिरधारी लाल भार्गव जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर भार्गव, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सारे सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं, आपका यह तरीका अच्छा नहीं है। मैंने जिनको पर्मिशन दी है केवल वही माननीय सदस्य भाषण कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप एक सीनियर सदस्य हैं, यह तरीका अच्छा नहीं है। आप सब नियम तोड़कर बोलना चाहेंगे तो यह तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको समय दूंगा, लेकिन यह तरीका कहां का है कि सब एक साथ बोलने लगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे तो नहीं लगता कि समस्या गंभीर है। जब आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता तो समस्या गंभीर कैसे है? आप सभी बैठ जाइये। भार्गव जी आप बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष जी, राजस्थान में पिछले चार सालों से अकाल पड़ा हुआ था और अब इन खानों के बंद होने से 14 जिले प्रभावित हुए हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। ईंट के भट्टे बंद हो गये हैं। मार्बल कार्य और खनन कार्य रोके जाने से मकान बनने बंद हो गये हैं। सीमेंट के, पत्थर के और मार्बल के दाम बढ़ गये हैं। इस विषय पर दलगत भावना से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों के लोग एक हैं। राजस्थान सरकार को जो आय होती थी वह भी इनके बंद हो जाने से खत्म हो गयी है। इसलिए सदन ऐसा विधेयक लाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यवाही की है उसका कोई रास्ता निकल सके क्योंकि यह राजस्थान के हित का सर्वदलीय प्रश्न है। यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, राजस्थान के सारे लोगों के हितों का प्रश्न है। खनन उद्योग पर जो रोक लगाई गयी है उस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर रोक लगाई गयी है लेकिन राजस्थान सरकार ने सारी की सारी खानें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बंद कर दीं। यह अनैतिक कार्य है और इन खानों को वापस खोला जाना आवश्यक है।

आप हमारे अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान के लोग आज बेरोजगार हैं, भुखमरी के कगार पर हैं और वे हमें मारेंगे, अगर हम यहां राजस्थान के हितों की बात नहीं करेंगे। इसलिए भारत सरकार को विधेयक लाकर बंद पड़ी खानों को खुलवाना चाहिए।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष जी, राजस्थान में खनन कार्य बंद हो जाने के कारण वहां के श्रमिकों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। लाखों की संख्या में गरीब लोग इस खनन के कार्य में कार्यरत थे। हिंदुस्तान जिंक लि., आरएसएमएम, सोपस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ग्रीन-मार्बल आदि 9 हजार 800 के करीब खानें बंद हो गयी हैं और उतने ही मालिक भी बेकार हो गये हैं। इसमें सीधे-सीधे तीन लाख मजदूर बेकार हुए हैं। अगर आप उनके परिवारों को मिलाकर बेकारों की संख्या देखेंगे तो यह संख्या 12 लाख से ऊपर बैठेगी, जिनके ऊपर इनके बंद होने का असर पड़ा है। कोर्ट के फैसले का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या हैं? कारणों के पीछे कोई नहीं जा रहा है? पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपया वन-विभाग द्वारा खर्च किया गया है लेकिन जो मौजूदा वन थे, वे आज नष्ट हो गये हैं। वन-विभाग ने जो कोट-दीवार बनाई थी वे भी बेचकर खा जाते हैं। यदि कहीं किसी पहाड़ में कोई खान होती है तो वह छोटा सा टुकड़ा होता है।

उस टुकड़े से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता है। सारे वन नष्ट करने के कारण दूषित वायु फैली है। ऐसे लोग जो रोजगार में लगे हैं, यदि इस सरकार ने उनको बेरजोगार नहीं करना है तो ऐसा कानून लागू करना चाहिए। वन विभाग का नियम बिल्कुल गलत है। वह पांच साल पेड़ लगाने के बाद पांच साल तक उनका रख-रखाव करता है। फिर उसे छोड़ देता है जिससे एक साल में पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। यदि पर्यावरण की राक्षा करनी है तो वन विभाग को पाबंद करना चाहिए। वह अपना काम नहीं कर रहे हैं। वह करोड़ों रुपया खा गये हैं। जिन्होंने धंधा करने वालों की रोजी-रोटी छीन ली है, उनको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। पहले भी कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके अंतर्गत आरक्षण को बंद कर दिया गया था। लोक सभा ने एक विधेयक लाकर उसे वापस लागू किया। 16 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है। यदि वह इस खनन के फेवर में आ जाता है तो कोई बात नहीं। यदि नहीं आता है तो मैं सरकार और सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि विधेयक लाकर इसे फिर से चालू किया जाए जिससे लाखों लोग बेरोजगार न हों। हिन्दुस्तान जिंक जैसी लाखों बड़ी माइन्स हैं, जिन्हें अभी भारत सरकार ने बेचा है। जिन्होंने खरीदा है, उनका क्या होगा? इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि कोई विषय आता है तो माननीय सदस्य उसके बारे में नोटिस देते हैं और मैं उनको बोलने की इजाजत देता हूं। आपके इंटरस्ट में भी यही बात है। इस विषय में आपने सब का ध्यान आकर्षित किया। मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है। यदि आप चाहते हैं तो सोमवार या मंगलवार को दूसरे किसी माध्यम से इस विषय को उठाएं। मैं इस पर चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं। यहां संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं उनके सामने यह विषय रखूंगा और कहूंगा। यदि आप समझते हैं कि इस पर चर्चा की सख्त जरूरत है तो मैं उसे करवाने के लिए तैयार हूं। मैं भी सोचता हूं कि कि किसी न किसी माध्यम से इस पर चर्चा हो सकती है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप भी इसी विषय पर बोलना चाहते थे। जब चर्चा होगी, उस समय मैं आपको इजाजत दूंगा। अब इस विषय में और कुछ बोलने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने भी नोटिस नहीं दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): इस पर पूरी चर्चा करवा ली जाए क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर चर्चा जरूर दूंगा। बिश्नोई जी, आप दो मिनट बोलिए। यह विषय खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा विषय लूंगा।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पैटिशन पैंडिंग थी, उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पावर्ड कमेटी बनायी और उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें स्पष्ट रूप से दो गांवों का हवाला दिया गया और कहा कि दो गांवों में इल्लिगल माइनिंग हो रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसिजन दिया है, उसमें यह भी स्पष्ट कहा है कि अरावली हिल्स में जो इल्लिगल माइनिंग हो रही है, उसे भी रोका जाए लेकिन बाद में कह दिया कि एनटायर अरावली हिल्स में सारा का सारा काम रोक दिया जाए। इसके बाद हालात यह बन गए हैं कि राजस्थान के 14 जिलों में माइनिंग का कार्य बंद हो गया है। इससे डायरैक्टली और इनडायरैक्टली 30-35 लाख मजगूर बेरोजगार हो गए हैं। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लोन लेकर माइन्स डैवलप की थी और मशीनें लगायी थीं, वे सारी एक ही रात में बंद हो गई। वहां पिछले चार वर्ष से लगातार अकाल पड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सारे राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने जा रही हैं। मैं खास तौर पर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो एक बिल लाकर उच्चतम न्यायालय के

निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में रिट पैटिशन फाइल की जाए।

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद): केवल राजस्थान के गांव नहीं बल्कि हरियाणा के गांव भी इसमें आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा के समय आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैं अविलम्ब और लोक महत्व के मामले को उठाने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

देश में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवकों में भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण बढ़ती जा रही है। यह स्थिति विनिवेश, वैश्वीकरण और उद्योगो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के निजीकरण के पश्चात् और खराब होगी। क्योंकि उस मामले में वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों को भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के दायित्व के प्रति बाध्य नहीं होंगे।

राज्य सरकारों ने भी सुधारों के कारण कर्मचारियों की संख्या घटानी शुरू कर दी है। अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। इसके साथ-साथ कई आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं और भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में आरक्षित पदों का भारी बैकलाग हैं। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बैकलाग को खत्म करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल में आपको इसे एक वाक्य में कहना होगा। यह केवल सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए है।

श्री कोडीकुनील सुरेश: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाए ताकि निजी क्षेत्र/ सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं और स्कूलों और कालेजों में आरक्षण प्रदान किया जा सके जहां सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भागीदारी है अन्यथा जहां सरकार निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए सहायता, और इकाईयों के विस्तारण अथवा नये एककों की स्थापना करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री तथा वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा उषा कम्पनी को मोबाइल फोन का लाइसेंस दिया गया था। इस कंपनी ने अरबों रुपया उपभोक्ताओं से लिया, स्वयं मैंने भी दस हजार रुपये सिक्युरिटी के जमा कराये थे। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के तमाम लोगों ने इस कंपनी की डीलरशिप ली। तीन-चार साल तक उषा मोबाइल फोन आपरेट करती रही और उसके बाद उसने इसे बंद कर दिया। जिन लोगों की सिक्युरिटी वहां फंसी है, किसी की भी सिक्युरिटी वापस नहीं दी जा रही है। तहसील हैडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लोग इसके डीलर बने थे, उनका भी पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार की मिलीभगत है। कंपनी अरबों रुपया लेकर बैठी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी हच कंपनी है। मैं विदेश यात्रा पर जा रहा था, मैंने सोचा घरवालों से बात करनी होगी, इसलिए मैंने दस हजार रुपये का कार्ड ले लिया। मैं विदेश गया तो उसने काम ही नहीं किया। मैं बाहर से वापस आया और मैंने एक महीने का 1300 रुपये बिल भी दे दिया। अब वह मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है और पांच हजार रुपये का बिल फिर आ गया है।

अध्यक्ष महोदय: विदेश यात्रा का क्या होगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं वहां बात ही नहीं कर पाया। मैंने इसलिए खरीद लिया कि घरवाले तथा मित्र हमें फोन करेंगे। लेकिन मोबाइल फोन ने काम नहीं किया। मेरे जैसे लोग, जो एक सांसद है, ने पैसा जमा करा रखा है। लेकिन फ्राड कंपनी लोगों का पैसा लेकर बैठी हुई है। कंपनी भाग रही है, बंद हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। उषा कंपनी ने अरबों रुपया उपभोक्ताओं का ले लिया है और वह पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या सरकार इस कंपनी से मिली हुई हैं या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। माननीय मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी यहां हैं। मैं चाहूंगा कि वे मेरी इस बात का जवाब दें कि क्या लोगों का पैसा सरकार वापस करायेगी।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): ब्याज सहित।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मूलधन ही वापस हो जाए, ब्याज कौन देता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मेरा न हो और लोगों का वापस हो जाए। उषा कंपनी जो बंद हुई है, उसने लोगों का पैसा लिया है। उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में झरिया कोल टाउन है, जिसका रेल मार्ग से संबंध विच्छेद हो गया है। वहां जो रेलवे लाइन पथरडीह से झरिया तक जाती थी, वह पिछले छः महीनों से बंद हो गई है। वह रेलवे लाइन कोयला खदान में गैरकानूनी खनन के कारण बंद हुई है। झरिया इतना बड़ा टाउन और बिजनेस सैन्टर है, इस लाइन के बंद होने से वहां बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी पथरडीह-झरिया रेलवे लाइन को जोड़ा जाए।

अपराह्न 12.40 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल में किसानों पर पुलिस की कथित गोलीबारी के बारे में

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के अंतर्गत मुंडरवा चीनी मिल के गेट पर धरना दे रहे तीन किसानों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। यह घटना बड़ी दुखद और शर्मनाक है। इस बारे में आपने आलरेडी नियमन दे दिया है कि किसानों के प्रश्न पर 19 दिसम्बर को चर्चा होगी, लेकिन यह विषय इसलिए बहुत गम्भीर है क्योंकि अभी भी सात किसान मरणासन्न अवस्था में हैं। जो किसान विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके बारे में जो जानकारी मेरे पास है, मैं उसे सदन को बताना चाहता हूं। 19 तारीख को जो चर्चा होगी वह किसानों के गन्ने के बाकया के भुगतान के बारे में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं उनके बारे में बताना मैं आवश्यक समझता हूं। गोरखपुर मैडीकल कालेज अस्पताल में 20 किसान भर्ती हैं। बस्ती सदर अस्पताल में 10 किसान घायलावस्था में भर्ती हैं। लखनऊ मैडीकल कालेज अस्पातल में अभी 10 किसानों के केसेस रैफर किए गए हैं। सारे देश के संपूर्ण प्रदेशों में किसानों में जो संकेत गया है, उसके अनुसार उनमें बहुत आक्रोष व्याप्त है जिससे सारे देश में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ताकि जो सात किसान मरणासन्न अवस्था में हैं उनके जीवन की रक्षा हो सके और 19 तारीख में तो छः दिन शेष हैं, तो क्या छः दिन तक सरकार सदन को अंधकार में रखेगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए, 19 तारीख को चर्चा है। उस दिन आप मंत्री जी से इस बात की भी जानकारी ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को सरकार गन्ने के बकाया भुगतान और गन्ने के मूल्य के बारे में जवाब देगी। यह विषय बहुत गम्भीर है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उस समय यह विषय उठा सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है।*...(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और सदन का ध्यान भू.पू. सैनिकों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण वे राजस्थान में आन्दोलन कर रहे हैं। वहां हालत बहुत खराब है, लेकिन यह अच्छी बात हुई कि वहां लाठी और गोली नहीं चली। वहां भू.पू. प्रधान मंत्री जी भी गए थे और उनको आश्वासन देकर आए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देश में पिछले 55 वर्षों में भू.पू. सैनिकों की दशा दिनोंदिन खराब होती जा रही है। हर साल 50 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। आज करीब 50 लाख भू.पू. सैनिक और उनके परिवार देश में हैं। देश में आज 18 लाख सैनिक विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय सैनिक बोर्डों में भर्ती के लिए दर्ज हैं। यह दुर्दशा इसलिए हो रही है कि भू.पू. सैनिक 35-40 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिए जाते हैं क्योंकि हमें यंग आर्मी की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में जो केन्द्र सरकार के इंस्ट्रक्शन्स होते हैं, जो हिदायतें होती हैं, उन पर राज्यों में अमल नहीं होता है।

महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय "वन रैंक वन पेंशन" का है। वन रैंक वन पैंशन देने का सवाल अनेक वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसको सरकार नहीं मान रही है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेंडिंग कमेटी का भी मैम्बर हूं। हमने यह मामला वहां भी उठाया था, लेकिन उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि दूसरी नौकरियों में बदलाव के लिए हम प्रयास करेंगे और इस बात को नहीं माना।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो सर्विस कंडीशन्स हैं, वे सिविलियन से बिलकुल अलग हैं। आजादी से पहले भू.पू. जवानों को ज्यादा सुविधाएं मिलती थीं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये लोग 35-40 साल की उम्र तक ही सेवा करते हैं और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। उन्हें छुट्टिया भी बहुत कम मिलती हैं। मैं आपको आंकड़ें बताना चाहता हूं कि भू.पू. सैनिकों को आजादी से पहले वेतन के 70 से 90 प्रतिशत तक पेंशन मिलती थी। उनका कहना था कि अरली रिटायरमेंट हायर कंपैनसेशन। उन्होंने यह फार्मूला दिया था। इसके अलावा जो ग्रुप "डी" और "सी" के लिए सुविधाएं केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से मिलनी चाहिएं वे सुविधाएं राज्य सरकारें नहीं देती हैं। इसके लिए हमने पिछली बार भी यहां पर कहा था। यह मामला यहां उठाया भी था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत जो भी हिदायत केन्द्र सरकार की ओर से एक्स सर्विसमैन को सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को जाएं उनका वहां पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है भू.पू. सैनिकों को मैडीकल सुविधाओं का अभाव। केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस.

के माध्यम से मैडीकल की सुविधाएं मिलती हैं। आज उनको कुछ भी फैसीलिटीज नहीं मिलती हैं। उनके लिए आर्मी हास्पिटल्स हैं। उनको कहा जाता है कि आप आर्मी हास्पिटल में जाइये। जब वहां सर्विस कर रहे सोल्जर को पूरी फैसीलिटी नहीं मिलती तब इनको कैसे मिलेगी? पिछले चार साल से कुछ कम्पेनसेशन पैकेज देने के लिए कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। सौ रुपया महीना देने की बात है।...*(व्यवधान)* इक सौ रुपये से क्या होता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं स्वयं को इनके साथ सम्बद्ध करती हूं। मैं सैनिक की पत्नी हूं। दुख यह है कि यह सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष बल है। यह हमारे देश की अन्तिम बुर्ज हैं जहां युद्ध और शान्ति के समय सभी जातियों, समुदायों के लोग मिलकर राष्ट्र की सेवा करते हैं। यदि सरकार हमारे सैनिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है तो यह उनके हित में नहीं होगा। हम उन्हें उस समय सेवानिवृत्त करते है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होते है। देश ने उनके मद पर निवेश किया है और इन लोगों को किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है जब अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है राजनीतिक तनाव पैदा होता है और हमारी सीमा पर आक्रमण हो। ये वही लोग हैं जो स्थिति का मुकाबला करने के लिये एकजुट होकर खड़े होते हैं। अब सेना में भर्ती में कोई आकर्षण नहीं है। यदि जवान अपने चरम काल में और सर्वाधिक सक्षम समय पर सेवानिवृत्त होता है तो यह स्थिति उनके परिवार के सदस्यों को सड़क पर भीख मांगने के समान होगी। अत: मैं चाहती हूं कि सरकार को इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: दूसरा, एप्वाइंटमैंट के बारे में हो जै स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है। आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ आदि तीनों के चीफ ने भी दिया है कि 17 साल की बजाय 6-7 साल सर्विस कर दें, उसके बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती कर दें। इससे वे यंग जवान पैरामिलिट्री फोर्स में चले जायेंगे और 58 साल तक नौकरी करेंगे।...*(व्यवधान)* ये हमारी मांग हैं।

अध्यक्ष महोदय: इससे ज्यादा समय मैं आपको और नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इनके बारे में प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए। यह उन्हीं के माध्यम से हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): राष्ट्रीय मछुआरा मंच के बैनर के अंतर्गत भारत के सभी भागों, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उदुपी जो दक्षिण कन्नड तट पर स्थित है, सहित के मछुआरे जुलाई 2002 में केन्द्र को मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए राजधानी में एकत्र हुए थे जिससे इसके साथ-साथ निम्नलिखित के माध्यम से राहत की मांग की गई थी:

1. मुरारी समिति ने प्रतिवेदन के कार्यान्वयन का काम इसकी समग्रता से तेज करना।
2. गहरे समुद्र में चलने वाले संयुक्त/पट्टे/परीक्षण मत्स्य माल वाहकों को जारी लाइसेंसों को रद्द करना।
3. परम्परागत और छोटे मशीनी क्षेत्र द्वारा उपयोग किए गए मिट्टी के तेल के आपूर्ति कोटे को बढ़ाना।
4. आज की एच एस डी मूल्यों की राजसहायता घटक के साथ समानता बनाए रखने के लिए मत्स्य नौकाओं द्वारा उपयोग किए गए हाई स्पीड डीजल तेल पर केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करके इसे 1991 में निर्धारित 35 पैसे प्रति लिटर से बढ़ाकर 2.82 रु. प्रति लिटर किया जाना।
5. अभी विदेशी मत्स्य नौकाओं को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी लाइसेंसों को रद्द करना, जो मुरारी समिति की सिफारिशों और भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही है।
6. मात्स्यिकी प्राधिकरण विधेयक को शीघ्र लागू करना।
7. स्वयं रोजगार के माध्यम से मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्वर्णिम योजना के अधीन आवंटन का 25% अलग रखा जाना।

मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह इन मांगों पर विचार करे और भारत के मछुआरा समुदाय को समुचित अनुदान प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के माध्यम से मैं एक अति महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। बिहार सरकार में एक नोटीफिकेशन नम्बर 132 दिनांक 5.12.1985 अंडर सैक्शन 10 आफ दी कांट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड ऐबालिशन) एक्ट, 1970 बाय फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया 17 वर्षों से लंबित है। वहां जो कंसर्न्ड डिपोज थे, वे एफ.सी.आई. ने बंद कर दिये हैं। 17 वर्षों से वहां जो मंजदूर काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है। वे मजदूर इस आशा में थे कि इस कांट्रेक्ट के अनुसार हमें यह सुविधा प्रदान होगी। जहां 17 वर्षों से वे मजदूर उज्जवल भविष्य की तलाश में लगे हुए थे, वहां एफ.सी.आई. ने पिछले एक वर्ष में उन सारे डिपोज को बंद करके उनके सामने अंधकार का वातावरण पैदा कर दिया है। आज उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वे इन मजदूरों के भविष्य के प्रति कुछ ठोस कदम उठाये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार ने वन कानून बनाया है जिसका उद्देश्य था कि वनों की रक्षा की जाए। लेकिन वनों की रक्षा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने शामिल होकर वनों की अनदेखी की। इसलिए वन खत्म हो गए। जो पिछली जमात के लोग जंगलों के ऊपर निर्भर करते थे, उनकी हालत भी खराब है। विकास के काम के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए छोटे वन, टेलीफोन लगाना, बिजली की सुविधा देना, आदिम जाति के विकास आदि के बारे में सरकार पैसा देती है। जल्दी भूमि न मिलने के कारण पैसा वापिस चाला जाता है। इस देरी से कार्य की रकम दस गुना हो जाती है। इस बारे में 22 तारीख को लौगों द्वारा केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लिया गया था। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि इस कानून में संशोधन करें।

अपराह्न 12.51 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल में किसानों पर पुलिस की कथित गोलीबारी के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने 19 तारीख को गन्ना किसानों की समस्याओं पर चर्चा कराने की बात मंजूर कर ली है। अभी जैसे भाई देवेन्द्र ने कहा, बस्ती में जो फायरिंग हुई, उसके बाद से बस्ती जिले के पास-पड़ोस के तमाम किसान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

दूसरी प्रार्थना यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सांसद अखिलेश जी भी शामिल थे, मौके की जांच करने गया था कि वस्तुस्थिति क्या है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार से बात करें कि क्या बात है। क्या कोई जांच करने नहीं जा सकता? कोई उपद्रव पैदा करने के लिए वहां नहीं जा रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जांच कर लें कि क्या स्थिति है। मेहरबानी करके उन लोगों को छुड़वाने की व्यवस्था की जाए। जो कुछ हुआ, वह हुआ, चालीस किसान घायल हैं।...*(व्यवधान)* हमने कल ही कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है और शरद यादव जी ने यहां जो बयान पढ़ा था, उसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री का बयान अखबारों में छपा है कि फायरिंग हुई है। कल राज्य सरकार ने जो जानकारी दी थी और जो बयान मंत्री जी ने पढ़ा, उसमें फायरिंग न होने की बात कही गई थी। यह बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। श्री गंगवार जी बैठे हुए हैं। वे राज्य सरकार से बात कर लें कि क्या स्थिति है। एक सांसद गिरफ्तार है और जो दूसरे लोग गिरफ्तार हैं...*(व्यवधान)* यह गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, चालीस किसान घायल हैं।...*(व्यवधान)* मंत्री जी को इसका अध्ययन करना चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय मुलायम सिंह जी ने सदन के प्रारंभ में ही बताया था और सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है। इसलिए दुबारा इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, संसद में तब गतिरोध पैदा होता है जब सरकार का रवैया सार्थक नहीं होता। आपने राज्य सरकार से क्या बात की, वह बताएं।...(व्यवधान) जो लोग गिरफ्तार हैं, एक सांसद गिरफ्तार है, आपने क्या नोटिस लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: शिष्टमंडल जाए, जानकारी ले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रारंभ में ही बताया जा चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर दुबारा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप यह मामला सम्बद्ध मंत्री के साथ उठाइए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आपने नियमन दिया है। इस विषय को आपने अत्यन्त गम्भीर माना है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: जब प्रारंभ में कहा गया तभी सरकार ने इसका संज्ञान लिया था लेकिन हम एक हफ्ते में सारी जानकारी आपको नहीं दे सकते। फिर भी हम समझते हैं कि शिष्टमंडल जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रिपोर्ट देनी चाहिए, इसमें कुछ रोकने की बात नहीं है। इस संबंध में सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आब माननीय राज्य मंत्री द्वारा और अधिक आश्वासन नहीं दिया जाए। अब श्री के.एच. मुनियप्पा बोलेंगें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: राज्य सरकार से बात करके उनको छुड़वाने की व्यवस्था करवाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। पिछले दो वर्षों से इसके श्रकिमों को विना वेतन के कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब आप भारी उद्योग मंत्री थे तब आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के लिए एक नए पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। हमने सरकार को उसके लिए अनुरोध किया है लेकिन वह नहीं दिया गया था। अब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ा है। भारत सरकार इस मामले का हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। 20 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु पिछले छह माह में हो गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उच्च न्यायालय में इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही करने और यथाशीघ्र मामले को निपटाने के लिए अविलम्ब कदम उठाने चाहिएं। कर्नाटक सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए और ऋण के लिए इस मामले को पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम के साथ उठाया है।

भारत सरकार और माननीय मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया ने वहां एक दल भेजा है। इस दल द्वारा व्यापक कार्यक्रम बनाकर सरकार को पेश भी किया गया है। महोदय मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार भारत गोल्डमाइन लि. में नियोजित व्यक्तियों जो वहां संकट में हैं, को ऋण प्रदान करें और यथाशीघ्र इस मामले को हल करें।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अनोथराइज्ड कालोनियों की एक जटिल समस्या खड़ी है, लगभग 30-40 लाख लोग अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। कालोनियों को पास कराने का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। कोई भी नागरिक सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। हम वहां से 3-3 बार जीतकर आये हैं, लेकिन यहां तक कि एम.पी.लेड. फंड से हम वहां पर नाली, खड़ंजे और गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जबकि इन लोगों ने हमें वोट दिया है। हमें जानकारी मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने प्रधानमंत्री जी से मिलकर दो करोड़ को बढ़ाकर तीन करोड़ किया है, हमें लगता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किया नहीं है, मैंने उनसे विनती की है।

श्री लाल बिहारी तिवारी: करने का प्रस्ताव रखा है। आपने किया है तो हमें उम्मीद है कि हो ही जायेगा। इससे हमें बहुत खुशी हुई, उसे आप ठीक करिये। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस जगह से हम जीतकर आ रहे हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उन कालोनियों में सुविधाओं के लिए हम एम.पी.लेड. से अपना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी इजाजत हमें दिलाई जाये, क्योंकि कालोनियों में 30-40 लाख लोग रहते हैं और अधिकांश हमारे मतदाता हैं। हमें इजाजत नहीं मिलने से लोगों को बहुत परेशानी रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप निर्देश दें कि हमें वहां काम करने की इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा। हमें समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री श्री अनन्त कुमार ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। संसद के सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित इस प्रकार एक प्रमुख

नीतिगत निर्णय पहले सभा में घोषित किया जाना चाहिए और इसमें राज्य सरकार की मंजूरी और परामर्श भी दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सभा के बाहर इस प्रकार की राजनैतिक हेरा-फेरी उचित नहीं है। यह बहुत अनुचित है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारे इसी आशय के नोटिस को बाद में लेंगे?

अध्यक्ष महोदय: जब आपका नम्बर आयेगा तो मैं समय दूंगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं आपका और सदन का एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यानाकर्षण करता हूं। हम सभी लोग मतदाता सूची के माध्यम से चुनकर आते हैं। कल गुजरात में जो वोटिंग हुई, गुजरात में वोटिंग होने के बाद पता चला कि मददाता सूची से कई नाम गायब हो गये। विश्व हिन्दू परिषद के प्रवीण तोगड़ियां जी का भी नाम गायब हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में जब 2002 की मतदाता सूचियां बन रही हैं, जो मतदातासूचियां...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: यह काम इलैक्शन कमीशन का नहीं है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री चन्द्रकांत खैरे: हाल ही में महाराष्ट्र में जलगांव में एक बाई इलैक्शन हुआ था, वहां बस्ती की बस्ती गायब हो गई थी, बस्ती के सभी 3500 वोटर्स के नाम गायब हो गये थे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बस्ती तो वहीं थी, नाम गायब हो गये थे।

श्री चन्द्रकांत खैरे: चुनाव आयोग ने यह बताया कि बस्ती की बस्ती के वोटरों के नाम गायब हो गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने यह डिक्लेयर किया है कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोग सूची भेजते हैं, लेकिन उस सूची में बहुत सी मिस्टेक्स हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बारे में सजग नहीं है। हर नागरिक को, जो 18 वर्ष से ऊपर का है, उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। इसके लिए लोक सभा के माध्यम से चुनाव आयोग को विनती, सूचना या जो भी जाये, क्योंकि हर नागरिक वोटर है, आने वाले समय में कम्पलसरी वोटिंग के संबंध में एक विधेयक भी आने वाला है, उसके लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए 14 साल उम्र है और बाकी लोगों के लिए 18 साल है।

अपराह्न 1.00 बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, लाल बिहारी तिवारी जी ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के बारे में सवाल उठाया था। इस समय वह चले गए हैं। दिल्ली में जिसे हम अनधिकृत कालोनियां कहते हैं, वहां लाखों-लाख की संख्या में लोग बसे हुए हैं और काम करके खा रहे हैं। लेकिन इन अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के नाम पर कहा जा रहा है कि उन लोगों से दंड लिया जाएगा और वह भी भूमि की कीमत और कब्जे के आधार पर लिया जाएगा। इस तरह का फैसला किया गया है जो नाजायज है। मेरा निवेदन है कि इन अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करना चाहिए और जिंदगी की सारी सहूलियतें वहां दी जानी चाहिए। इस फैसले से वहां के लोगों में बड़ा भारी आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है। इस राज पर किसी को कोई भरोसा नहीं है कि कब इन मेहनतकश लोगों के संबंध में गड़बड़ हो जाए। इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों ने दिल्ली को अपनी मेहनत से सुंदर बनाने का काम किया है। पहले जब इन झुग्गी-झोंपड़ियों को वहां से हटाया जाता था, तो इनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया और कहा है कि बिना प्रबंधन के उनको उजाड़ने की इजाजत दी जा सकती है। जो लाखों लोग वहां बसे हुए हैं, उनमें इससे बड़ा आतंक है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन मेहनतकश लोगों की सुरक्षा के लिए और उनको जिंदगी की सारी सहूलियतें देने का इंतजाम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले, विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरि में सूखे के कारण व्याप्त बिगड़ी हुई स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। धर्मपुरी जिला राज्य का सर्वाधिक सूखा प्रभावित इलाका है यहां लगातार दो वर्षों से अत्यधिक सूखे की स्थिति व्याप्त है। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में जिले में सूखे का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों को पेयजल और खाद्यान्न के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मानसून के विफल रहने के कारण सिंचाई पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। पशुधन की संख्या में चारा और जल के अभाव में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए है। किसानों पर ऋण का व्यापक बोझ है और वे इसके भुगतान की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, इस वर्ष केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस जिले में अब तक कोई सहायता उपाय नहीं किया गया है। हमने राज्य और अन्य केन्द्रीय प्राधिकारियों से कुछ सहायता उपाय करने, और अधिक खाद्यान्न देने, किसानों के ऋण को माफ करने और जिले में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस जिले की स्थिति में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए राज्य सरकार और केन्द्रीय प्राधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने और जिले में प्रत्यक्षरूप से कुछ सहायता भी प्रदान करने का निदेश दें।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए।*)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 14, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक, 2002 पर विचार करेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडुड़ी]: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के कारणों को संक्षेप में बताना चाहता हूं। आज भारत में सड़क निर्माण कार्य अत्यधिक तेजी से चल रहा है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार नहीं हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सड़क निर्माण कार्यक्रम इतने व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है।

अब हम प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम पर ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए कम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रधान मंत्री की ग्रामीण सड़क योजना पर प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं। हम राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं जिसे राज्य को दिया जायेगा और यह राशि राज्यों द्वारा इस संबंध में व्यय की गई राशि के अतिरिक्त होगी।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार के काम में 10 पत्तनों को भी जोड़ा जायेगा जिसपर लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए लागत आयेगी। इस प्रकार का कार्य पूर्व में कभी भी नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के परिणाम अब वास्तविक रूप में देखे जा सकते हैं। राज्य में भी इस संबंध में काफी जोश हैं और वे अपनी सड़कों में सुधार लाना चाहते हैं।

तथापि, सड़कों के विकास के साथ-साथ अतिक्रमण, अप्राधिकृत कब्जे की प्रवृत्ति और सड़कों के विकास में अड़चन उत्पन्न करने की घटनाएं भी हुई हैं जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में प्रतिवर्ष सभी सड़कों पर दुर्घटनाओं के कारण लगभग 70,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार निर्मित सड़कों की पूर्ण क्षमता- 4 और 6 लेन वाले सड़कों पर जहां यातायात की गति तेज होनी चाहिए, जनसंख्या और अप्राधिकृत कब्जों के कारण तीव्र यातायात नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन सब कारणों से कठिनाई उत्पन्न होती है।

अत: व्यय की जा रही विशाल धनराशि का उचित रूप में उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त, यदि हम भविष्य में और विस्तार करना चाहें तब यह संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि सड़क के दोनों तरफ अन्य प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं। यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य हेतु भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति है।

विद्यमान स्थिति में हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्गों सहित किसी राजमार्ग पर अनाधिकृत कब्जे पर नियंत्रण रखने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अधिनियमन नहीं है। इस समय हम केवल सीआरपीसी

[श्री भुवन चन्द्र खंडुड़ी]

अथवा आईपीसी के अंतर्गत मामला चला सकते हैं लेकिन इसमें लम्बी प्रक्रिया निहित होती है और इस कारण से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। राजमार्गों के संबंध में हमारे पास इस समय दो अधिनियम हैं। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम है जिसके द्वारा राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदलने का अधिकार दिया गया है और इसका रखरखाव करने का भी अधिकार प्राप्त है और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 है जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापित की गई है। इन दो के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा कानून नहीं है। अत: यह महसूस किया गया कि हमारे पास यह कानून होना चाहिए। इस संबंध में न केवल हमारी तरफ से बल्कि सभा में दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी का यह विचार था कि ऐसा किया जाना चाहिए। हमसे कई बार यह पूछा गया है कि अतिक्रमण को रोकने अथवा इसे हटाने के लिए हम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि हम एक राजमार्ग प्रशासन स्थापित करना चाहते हैं जो इन मार्गों पर अनाधिकृत कब्जे को नियंत्रित करेगा, इसे कम करेगा और संभवत: इसको समाप्त करेगा। इस विधेयक में हमने एक न्यायाधिकरण का भी उपबंध किया है ताकि यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो, वह न्यायाधिकरण जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। हमने न केवल अप्राधिकृत कब्जों को हटाने का ही उपबंध नहीं किया है बल्कि इन मार्गों पर संपर्क संबंधी नियंत्रण का भी उपबंध किया है। हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करता है। इसके परिणामस्वरूप, यातायात की निर्बाध गति अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार इस पर किस प्रकार के वाहन चलें, सड़क के किस भाग को किसी विशेष श्रेणी के वाहन हेतु बनाए जाने की आवश्यकता है, इन सभी पहलुओं को विधेयक में शामिल किया गया है। संक्षेप में विधेयक में यही व्यवस्था है।

मैं सभा से समर्थन देने का अनुरोध करता हूं ताकि इन सड़कों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके। मैं सभा से इस विधेयक को शीघ्रतिशीघ्र पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि, मार्गाधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात का नियंत्रण तथा उन पर अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने का भी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सभापति जी, भारत सरकार बहुत सालों के बाद एक अच्छा बिल लाई है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। सरकार के बजाए मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी को, मिलिट्री के अनुभव के कारण, नार्थ-ईस्ट और पहाड़ी इलाकों की पहचान है तथा उन्होंने पूना में काम किया है। साथ ही उन्हें डैवलेप हो रहे शहरों की भी जानकारी है। इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

पिछले चार सालों में जितने भी ट्रांसपोर्ट मंत्री हुए, उनके जरिये मैं भारत सरकार से निवेदन करता रहा हूं कि भारत सरकार का जो एक्ट है, उससे ठीक तरह से काम नहीं चल रहा है। आप कहीं भी देखिये, बहुत सी जगह हाई-वे है जहां सर्विस लेन नहीं हैं लेकिन नाम उनका हाई-वे है। हाई-वे की अगल-बगल में इतनी बस्तियां बन गयी हैं कि रोज-रोज एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे सड़क पर, रास्ते में खेलने के लिए आते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा नेशनल हाई-वेज का काफी अनुभव है और खासतौर से हाई-वे नम्बर 9 और 13 का, जो मेरे क्षेत्र से होकर जाता है। वहां सरकार ने बहुत काम किया है लेकिन आज जो आप नया कानून ला रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि गैर-कानूनी-कब्जा हटाने के लिए एक अथारिटी बनानी है। इसके लक्ष्य और उद्देश्यों में आपने कहा है कि:-

[अनुवाद]

"तथापि, ये अधिनियमितियां केन्द्रीय सरकार को, राष्ट्रीय राजमार्गों के अधीन भूमि के अधिक्रमण को रोकने या हटाने या संलग्न भूमि से उन तक पहुंच को निर्बन्धित करने के लिए या राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानों या पशुओं के किसी प्रवर्ग के यातायात चालन को विनियमित करने के लिए शक्तियां प्रदत्त नहीं करती हैं।"

[हिन्दी]

इनक्रोचमैंट के बारे मैं समझ सकता हूं। आपके आफिसर हर स्टेट में होते हैं जो बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन देते हैं। आप इस काम को कहां और कब करोगे? मैं एक टिक्लिश प्राबलम मंत्री महोदय को बताने वाला हूं। मुम्बई हाई कोर्ट में एक एक्ट पास हुआ था। अभी महाराष्ट्र स्टेट है। वहां बम्बई हाईवे एक्ट, 1955 पास हुआ। उस वक्त भी ऐसा ही डायरैक्शन गया होगा। भारत सरकार के इनस्ट्रक्शन देने से हर स्टेट उनकी बात सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कानून बनाया और हर चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा। मंत्री महोदय ने मुझे उसकी कापी भेजी है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कितने मुख्यमंत्रियों ने

उसे स्वीकार किया है? यदि किया है तो आपकी एथारिटी से स्वीकार किया होगा। वैसे ही यह बात है। बम्बई हाईवे एक्ट 1955 में चैप्टर तीन है। उसमें रिस्टिक्शन आफ रिब्बन डैवलपमैंट सैक्शन है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

इसका इस अधिनियम के अंतर्गत कोई महत्व नहीं है। लेकिन राज्यों को निदेश देना उपयोगी होगा। यह भी उपयोगी होगा जब आप अपने कानून की उपधारा तैयार करेंगे। धारा 24 में कह गया है:

"कोई भी व्यक्ति, किसी राजमार्ग भूमि को अधिभोग में नहीं लेगा या ऐसी भूमि पर किसी नाले के माध्यम से किसी सामग्री का व्ययन नहीं करेगा जब तक कि उसने राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित में ऐसे प्रयोजन के लिए पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त न की हो।"

[हिन्दी]

इस समय भी एक प्राधिकरण मौजूद है।

जो रिब्बन एरिया है जहां हाईवेज होते हैं, वहां कुछ जगह छोड़ कर घर बनाने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन आज कोई स्टेट उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं ऐसे कई हाईवेज के उदाहरण दे सकता हूं जहां घर बनाए गए। आपने कहा है कि वहां सर्विस रोड छोड़नी पड़ेगी। इसको कौन इम्पलीमैंट करता है? क्या आपके यहां इसे मानिटर करने का प्रावधान है या नहीं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है?

एक समय था, जब रूरल पापुलेशन बढ़ती थी लेकिन अब अरबन पापुलेशन बढ़ रही है। मुझे याद है, यह 18 परसैंट से 32-42 परसैंट तक जा रही है। जब अरबन पापुलेशन बढ़ती है तो शहर बढ़ते हैं, एग्लोमरेशन एरिया बढ़ता है, एक्सटैंशन आफ एरिया, कारपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी बढ़ती हैं। इसे मानिटर करने का कोई प्रावधान है या नहीं? आज हमें कई शहर खराब दिखायी देते हैं। हम स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में सड़कें देखते हैं। मलेशिया भी कई लोग जाकर आए हैं और कहते हैं कि वहां रोड्स अच्छी हैं। हम कहते हैं कि इंडिया को सिंगापुर बनाना चाहते हैं लेकिन क्या इसके लिए पालिटिकल विल है?

इस बिल के द्वारा स्कीम की शुरूआत होने जा रही है। मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं। उन्होंने इसे करने के लिए जोर दिया होगा। आप इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। 60 हजार रुपए का खर्चा कर रहे हैं। यदि शहरों की गलत तरीके से प्लानिंग होगी तो अच्छा नहीं होगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने चंडीगढ़ को स्थापित किया था। उन्होंने सुन्दर शहर बनाया और वहां अच्छी रोड्स बनायीं यानी प्लानिंग अच्छी की-उसकी सिटी प्लानिंग की। क्या हम आज उस तरह की प्लानिंग इस देश में सोच रहे हैं या नहीं। यदि नहीं सोचेंगे तो केवल अथारिटी बनाने में उसका कोई उपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि मैं 1997 से भारत सरकार से अपने प्रश्न पर एजीटेट कर रहा हूं। यह केवल मेरा अकेले का प्रश्न नहीं है। मैं कहता आ रहा हूं कि इसमें कुछ करो। वह कहते रहे हैं कि क्या करें, हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, यह राज्य का कानून है, राज्य से पूछिये। राज्य कहते हैं कि हम क्या करें, हम भारत सरकार के नियमों के मुताबिक चलते हैं।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यद्यपि ऐसे बिल पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का सवाल नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाने के लिए बताना चाहता हूं कि शोलापुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन एरिया की पापुलेशन पहले तीन लाख थी। तब एरिया छोटा था, उसका टोटल एरिया तब 4-5 स्क्वायर किलोमीटर था। जैसे-जैसे शहर बढ़ता गया, आज वहां जनसंख्या दस लाख हो गई है। 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी एक्सटैंशन रिस्क लेकर 20 किलोमीटर तक बढ़ा दी, ताकि भविष्य के प्लान बनाने के लिए वहां नये हाइवेज के ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए, सर्विस रोड होनी चाहिए और एक्सटैंसन एरिया के बाहर जो एगलोमेरेशन एरिया शुरू होता है, उसमें भी पांच किलोमीटर तक कोई हाईवेज पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा। मुझे याद है, उस वक्त के मंत्री जी ने हाउस में अनाउंस कर दिया था कि यदि एलगोमेरेशन एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो ग्रामीण विभाग के सरपंच को पूरी अथारिटी होती है कि वह किसी भी तरह की परमीशन दे दे। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में जो अर्बन डेवलपमैन्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कहा था कि सरपंच उन मैप्स को परमीशन देगा जब उनकी तहसीलदार, टाउन प्लानिंग अफसर और कलक्टर इन चारों की मीटिंग होगी, तभी इस कमेटी की क्लियरेंस मिलेगी, तभी वहां देहात में कंस्ट्रक्शन हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी तकलीफ है। आपने वन विन्डो एक बार कर दिया तो यह अनोथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। क्योंकि बेचारे सरपंच को पता नहीं है कि आपका रिबन एरिया क्या है। आपकी सर्विस रोड क्या है। वह समझता है कि मेरे गांव का सवाल है, इसलिए मैं इसे परमीशन दे देता हूं और परमीशन

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

देने के बाद रास्ते पर आकर बैठ गया। इसमें परेशानी यह होती है कि यदि उसने परमीशन दे दी तो कल अथारिटी वाले आयेंगे और कहेंगे कि यह अनोथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। जो गरीब बेचारा वहां कंस्ट्रक्शन करेगा, उसे वहां से निकाला जायेगा। इसमें किसका दोष है।

अभी जो आपकी अथारिटी बनती है वह केवल पनिश करने की अथारिटी है। इसमें आपको गहराई से जाना होगा। हम चाहते हैं कि आप इससे आगे जाकर एक काम्प्रीहैंसिव ला बनाइये। वह ला ऐसा होना चाहिए कि जैसे एरिया आप डिवाइड करिये, पांच लाख, दस लाख और बीस लाख के एरिया में जहां कारपोरेशन है, जहां छोटी-बड़ी म्युनिसिपैलिटिजी हैं, उसका एक सिद्धांत होना चाहिए और उन एरियाज से जाने वाले जो हाइवेज है, उनकी एक लिमिट आप वहां रखिये। रिबन एरिया, बिल्डिंग एरिया कहां से होगा। जहां पांच लाख, दस लाख वाले लोग होंगे, वहां आप ये नहीं कर सकेंगे कि दस लाख और पांच लाख वालों के भी वहीं नियम हैं और बीस लाख-तीस लाख वालों के भी वही नियम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार कानून बना दिया, बाद में उसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं है।

महाराष्ट्र के ठाणे एरिया का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक निर्वाचन क्षेत्र चालीस लाख का निर्वाचन क्षेत्र है।

वह क्या करेगा, वही पुराना एक्ट है जिसे इम्पीलमेंट कराने के लिए आप देते हैं। मानीटर करने के लिए भी आप कोई व्यवस्था कीजिए। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है। आप सभी हाइवेज को कंप्यूटर पर लाइए और कौन सा हाइवे कहां कंस्ट्रक्ट करना है उसकी परमीशन आप दीजिए।

आपने यह बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है। हम सब इसमें आपका सहयोग देंगे। मेरा एक सुझाव है कि इस बारे में आप एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाइए और एक्ट बनाइए तथा उसके माध्यम से पूरे देश में इंस्ट्रक्शन्स दीजिए।

मेरे पास आपकी बहुत चिट्ठियां हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर की चिट्ठी है, चीफ इंजीनियर की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से राज्यों को बहुत लिखा है, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने एक अच्छी अथौरिटी निर्माण करने का प्रयत्न किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा-कहीं अच्छे लोग होते हैं, कहीं सोश्यल वर्कर्स अच्छे होते हैं वहां तो जैसा आपने कहा 26 मीटर का रास्ता पूर्ण खुला करके उन्होंने आपके निर्देश के मुताबिक दे दिया, लेकिन उसके बाद आपके आफीसर जो नामिनेट हुए होंगे, चाहे वे हाउसिंग डैवलपमेंट बोर्ड के हों, अर्बन डैवलपमेंट बोर्ड के हों, पी.डब्ल्यू.डी. के हों या सी.पी.डब्ल्यू. के हों, वह 27 मीटर रास्ता नहीं देते हैं, वह रास्ता कम कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे।

सभापति महोदय: शिन्दे जी, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो समय निर्धारित है वह बहुत कम है। मैं समय सीमा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में मैं समाप्त करना चाहता हूं। मंत्री जी के ख्याल में यह बात आनी चाहिए और चूंकि वे मेजर जनरल हैं इसलिए उनकी समझ में काफी आता है। इसलिए मैं उनसे एक्सपैक्ट करता हूं कि वे इसे इम्पलीमेंटेशन कराएंगे।

आप 27 मीटर तक खुली रोड करके जगह देंगे, लेकिन एग्लोमरेशन एरिया के बाद या इमीडिएयली आफ्टर दि एक्सटेंशन आप कार्पोरेशन एरिया, 19 मीटर पर कंस्ट्रक्शन की परमीशन देंगे, तो आप क्या करेंगे। सिटी में तो आप 27 मीटर क्लीयर करके दे देंगे और ठीक सिटी के बाहर जो बढ़ने वाली सिटी है, वहां 19 मीटर पर कंस्ट्रक्शन की परमीशन दे देंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जब आप ऐसी परमीशन देंगे, तो जो वहां रहने के लिए आने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे खेलने के लिए हाइवे पर ही आएंगे, और कहां जाएंगे और जब बच्चे हाइवे पर खेलेंगे, तो ट्रकों से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी।

महोदय, ट्रक ड्राइवरों पर स्ट्रेन होता है। वे रात-दिन मेहनत करते हैं। उनका गाड़ी चलाने का अपना समय होता है और उसके अनुसार वे गाड़ियां चलाते हैं और स्वाभाविक है कि हाइवे पर गाड़ियां तेज भी चलाई जाती हैं। उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उनसे गाड़ी चलाते समय यदि कोई गलती हो जाती है, तो दुर्घटना हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

महोदय, जैसी पैनल्टी आपने एनक्रोचमेंट के लिए रखी है, वैसी ही सजा या पैनल्टी जो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन को प्रौटैक्शन देने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर भी लगाइए। जब ऐसा तभी हाइवे पर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन रूक सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे। चूंकि समय कम है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, वरना मेरे पास इस बारे में बहुत मटीरियल है और उनके ही पेपर्स हैं जिनके बारे में मैं मंत्री जी को बताना चाहता था। मैं उन्हें इस बारे में यहां बताकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनसे इस बारे में अलग से इंडीविजुली मिलूंगा और कुछ सुझाव दूंगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उन्हें हमारा पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह काम केवल एक पार्टी का नहीं है। यह काम पार्टी से ऊपर उठ कर भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि हम अपने देश में किस प्रकार की सुविधाएं देंगे। इस पर हमें जरूर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम बार-बार सिंगापुर और अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रों की बात करते हैं। जब हम उन राष्ट्रों जैसी बात करते हैं, तो हमें अपने ऊपर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाने होंगे।

महोदय, मैं इस समय हिल रोड्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार के मणिपुर में रोड्स हैं और वहां क्या होता है, किस प्रकार से असम में रोड्स हैं वहां क्या होता है और किस प्रकार से नागालैंड में कार्नर पर टर्न करते ही दुकानें हैं। यदि इस प्रकार से होगा, तो कैसे काम चलेगा। जो डैवलपिंग स्टेट्स हैं, जहां सिटीज में पापुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए आपको ज्यादा एलर्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से काम्प्रीहैंसिव एक्ट बनाना पड़ेगा। यह काम, अगर आप 1955 के एक्ट को ही संशोधित करके लागू करने का काम करेंगे, तो नहीं होगा।

सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस विषय में कुछ करेंगे और हमें दुबारा इस बारे में कहने का अवसर नहीं देंगे। जो विचार मैंने व्यक्ति किए हैं, मुझे विश्वास है कि वे उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे और हम इस एक्ट का पूरा समर्थन करते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो कि नैशनल हाईवे को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल लेक आये हैं। आने वाले समय में इस बिल द्वारा नैशनल हाईवे के संचालन में क्रान्ति आयेगी। मैं कहना चाहूंगा कि 6 जनवरी, 1999 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन मनाया जायेगा जिस दिन प्रधान मंत्री जी ने जी. क्यू नैशनल हाईवे का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत सारे देश के अंदर 13 हजार 250 किलोमीटर नैशनल हाईवे का निर्माण होगा जिस पर 60 हजार करोड़ रुपये दो फेस के अंदर खर्च किये जायेंगे। भारत के अंदर आज से 400-500 साल पहले श्री शेरशाह सूरी हुए थे जिन्होंने जी.टी. रोड बनाया। उसके पश्चात् यह श्रेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जायेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर जो रोड सिस्टम है, उसका अनुभव प्राप्त करके, भारत के अंदर इस मोर्चे पर क्रान्ति लाने का संकल्प लिया। उस संकल्प के अंतर्गत आज एक क्रान्ति सड़क निर्माण के क्षेत्र में आ रही है। मैं उसके लिए आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

हमारा कहना है कि अब तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं था। नैशनल हाईवे के जो पुराने मामले थे, वे 1956 और 1988 के एक्ट के अंतर्गत देखे जाते थे। इसका अलावा सी.पी.सी. में इससे संबंधित जो धारा है, वह भी इसके संचालन में कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पा रही थी। खराब सड़कों के कारण न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज हाईवे का संचालन ठीक रूप से न होने के कारण 10 परसेंट फ्यूल ज्यादा लगता है और कम से कम 25 परसेंट समय वेस्ट होता है। एक्सीडेंट के केसेज बढ़ने की वजह से इंश्योरेंस सैक्टर पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। वाहनों की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

मुझे आशा है कि इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बनने से, एडमिनिस्ट्रेटिव अथारिटी बनने से 20 हजार करोड़ रुपये का लाभ आने वाले समय के अंदर होने वाला है जिससे वाहन व्यवस्था रेगुलेट होगी। जो जी.क्यू. हाईवे बन रहा है, इसके बनने से केवल मात्र 8 हजार करोड़ रुपये का सालाना लाभ होगा। इससे प्रतिवर्ष 180 मिलियन मानव दिवस का सृजन होगा इसका पहला फेस बनने से इतनी क्रान्ति आने जा रही है तो जब इसका दूसरा फेस बनकर तैयार हो जायेगा तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी और बाम्बे से गुवाहाटी तक सड़कों का जो सपना देखते हैं, वह अब पूरा होने जा रहा है।

मन में कई बार बड़ा दुख होता है, मैं कल की बात बताना चाहता हूं। कल मैं दिल्ली से अपने चुनाव क्षेत्र अम्बाला जा रहा था। यह बिल आज आने वाला था इसलिए दिमाग में यह बात थी। मैंने एक किलोमीटर जी.टी. रोड पर गहराई से नजर डाली। एक किलोमीटर के अंदर कम से कम दस जगह ऐनक्रोचमैंट थी। किसी पैट्रोल पम्प वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है, किसी होटल वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है, किसी दुकान वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है। इस प्रकार की ऐनक्रोचमैंट से एक व्यक्ति जो सोच रहा है, अखबारों में आ रहा है, लोक सभा में चर्चा हो रही है कि दिल्ली से अमृतसर तक तीन घंटे का समय बच गया है। यह बात सच है। आज लोग चर्चा करते हैं, आज हम जब बाहर जाते हैं तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस जयपुर में जाने के दिल्ली से साढ़े चार घंटे लगते थे, आज इतनी बेहतरीन सड़क बन गई है कि तीन घंटे में आप आसानी से जयपुर जा सकते हैं। लेकिन कई बार यहां आकर मजा खराब हो जाता है कि आप...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तीन घंटे में जयपुर जाने के लिए इंश्योरैंस कवरेज काफी लेना पड़ेगा, इसका भी ख्याल कीजिए। इतनी जल्दी मत जाइए, थोड़ा आराम से जाइए।

श्री रतन लाल कटारिया: कई बार बड़ी स्पीड से आप गुड़गांव तक चले गए लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्थित न होने की वजह या उसी ऐनक्रोचमैंट की वजह से जितना समय आपको जयपुर से गुड़गांव आने में लगा, उतना समय जब आपको गुड़गांव से पार्लियामैंट पहुंचने में लगता है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए इस प्रकार की अथारिटी बनने से इसमें एक क्रान्ति आएगी। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इस बिल के अंतर्गत जो भी अधिकारी बनाए जाएंगे, चाहे वे राज्य सरकार के हों, उनको जूडीशियल पावर भी दी जाएगी, उनको एफ.आई.आर. लाज करने की भी पावर होगी, वे अपना डिसीजन दे सकेंगे और उसके बाद ट्राईबुनल में जा सकेंगे। मेरे ख्याल से इस बिल के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि उनके फैसले के पश्चात् केवल उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें इस प्रकार का एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। इस बिल के आने से प्रासपैरिटी और सिक्युरिटी दोनों बढ़ेंगी।

मैं मंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहूंगा कि सड़क बहुत बढ़िया बन गई और साधन जुटाने के लिए, मैं ऐप्रीशिएट करूंगा कि पहली बार मंत्रालय इस प्रकार का प्रयत्न कर रहा है कि हम अपने पैसे से सड़कों को बनाएं और इंटरनेशनल मौनीटरी फंड या अन्य विदेशी संस्थाओं से कम कर्ज इस प्रोजैक्ट के लिए लिया जाए, अपने संसाधन देश के अंदर से जुटाए जाएं। कई बार जनप्रतिनिधि होने के नाते जगह-जगह टोल टैक्स लगाए हैं, उनको थोड़ा व्यवहारिक बनाया जाए नहीं तो आदमी कहता है कि गाड़ी चलाने में आनंद आ गया लेकिन तीन जगह डेढ़ सौ-डेढ़ सौ रुपये या पचास-पचास रुपये ठुक गए। उनकी व्यवस्था ऐसी जगह की जाए जहां रोड टैक्स भरा जाता है। आपने डीजल पर सैस लगाया हुआ है। आप इसकी ऐसी व्यवस्था करें...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि टैक्स कलैक्शन के लिए जो लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं, जो हमारे दोस्त बैठे हु हैं, उनको इससे हमारे खिलाफ वातावरण बनाने में थोड़ा मदद मिलती है। उससे बचा जाना चाहिए। पहले देश में जो प्लानिंग होती थी, उसमें हम देखते थे, हमें पढ़ने को मिलता था कि 3-4 सौ किलोमीटर पर-ईयर नेशनल हाईवे बनता था, पर आज 12-15 टाइम्स उसको बढ़ा दिया गया है। इतनी क्रान्ति इसके अन्दर लाई गई है। आज उस सारी चीज को रैगुलेट करने के लिए इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं थोड़े आंकड़ों के साथ सम-अप पर कर रहा हूं। जब से ये नेशनल हाईवे बने हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। 1999 में 1,03,839 एक्सीडेंट्स हुए, 2000 में 1,10,508 एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ये रोड्स बनने से एक्सीडेंट्स में एकदम इतनी कमी आई कि 2001 में 71 हजार एक्सीडेंट्स हुए। 1999 में 28713 लोग नेशनल हाईवे पर मरे, 2000 में 30216 मरे, लेकिन नेशनल हाईवे बनने से इनमें पिछले साल की तुलना में एकदम इतनी कमी आई कि 2001 में 19086 लोग मरे। 2001 में 98427 लोग जख्मी हुए और अब घटकर रह गये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कटारिया जी, विवरण में मत जाइये, सिर्फ विधेयक के मूल विषय पर आइये, विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रतन लाल कटारिया: इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी कुछ आपत्तियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित पश्चिम बंगाल राज्य के कतिपय प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बे समय से लंबित है और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन्हें शीघ्रता से मंजूर किया जाए।

महोदय, सरकार विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, बाजार और गैर-सरकारी क्षेत्र से ऋण प्राप्त कर रही है ताकि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर काम को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार को केंद्रीय सड़क निधि में पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाती है जिससे इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। इस धन के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-देश में 6 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहा है। यह धनराशि अधिक है। मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कारीडोर के निर्माण पर होने वाला व्यय निरर्थक है। ये वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन साथ ही साथ यदि इतनी ही धनराशि अर्थात् 60,000 करोड़ रुपए का निवेश रेल परियोजनाओं में किया जाए इससे गरीब लोगों के लिए और अधिक प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अब मैं सभा का ध्यान विधेयक की कतिपय विशेषताओं की ओर आकृष्ट करता हूं। विधेयक के खंड 27 में "अप्राधिकृत कब्जे को हटाने की लागत और लगाए गए दंड की वसूली" की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ बाजार और शक्तिगढ़ को जोड़ने

वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर ओवरहैड बाईपास के निर्माण की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 513.15 और 517 किलोमीटर प्वाइंट के बीच एक ओवरहैड उपमार्ग बनाने पर विचार कर रहा है ताकि ट्रैफिक को पन्नागढ़ मुख्य बाजार से होकर न जाना पड़े। इसकी दूरी सात किलोमीटर की होगी और इस पर 42 करोड़ रुपए जो मुआवजा और पुनर्वास के अतिरिक्त होगा, कम होगा?

इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना होगा जिससे कृषि क्षेत्र को अत्यधिक क्षति होगी। श्रमिक और छोटे-छोटे कृषक अपनी जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन को खो देंगे। पन्नागढ़ बाजार के व्यवसायी संघ ने सड़क के दोनों तरफ 150 फीट जमीन देने का वायदा किया है और शंकरगढ़ में केवल 7 अथवा दस घर ही ध्वस्त करने होंगे लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संभावना का पता लगाने से इंकार कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने सरकारी भूमि पर घनी अवैध कब्जाधारियों को पुरस्कृत किया है।

गल्सी राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 14.5 घर ध्वस्त कर दिए हैं ताकि सड़क सीधी बनाई जा सके। सड़क, को बेहतर बनाने के इस कार्य का किसी ने विरोध नहीं किया। अत: आप अवैध कब्जा करने वालों को उन्हें दंडित करने के बजाए क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं? दूसरी तरफ प्राधिकरण पन्नागढ़ बाईपास पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय करने वाला है।

सरकार को निश्चित रूप से यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मार्ग के निर्माण पर व्यय होने वाला प्रत्येक रुपया आम व्यक्तियों से ऊपर कर और शुल्क लगाकर प्राप्त हो रहा है। अत: कम किए रुपये के उपयोग का तरीका उचित होना चाहिए।

मेरी दूसरी आपत्ति सर्विस मार्ग का निर्माण नहीं किए जाने से संबंधित है। सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार धीमी गति से चलने वाले किसी वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश ग्रामीण जनता यातायात नियमों से अनभिज्ञ है। अत: सर्विस सड़क नहीं होने के कारण दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अत: ग्रामीण जनता हेतु सर्विस मार्ग अत्यधिक आवश्यक है। अन्यथा विभिन्न प्रकार के वाहनों को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी।

हमारे जैसे गरीब देश में सरकार उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली ला रही है। यह शुरू होने वाली है।

भूमि राज्य का मामला है। अब आप राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे के संबंध में एक विधेयक ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की राय ली है।

हम चाहते हैं कि अच्छी सड़के हों। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। परन्तु क्या आप वास्तविकता को अनदेखा कर सकते हैं? लाखों लोग बेघर हैं। उनकी भीड़ सड़क के दोनों तरफ और रेल लाईन के दोनों तरफ जमा होती जा रही है। राजग सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 'सभी के लिए घर' की घोषणा की थी। उन बेघर लोगों का क्या होगा?

अब मैं जानना चाहूंगा कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों है। आज की तारीख में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई केवल 1,951 कि.मी. है। 1998 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में केवल 245 कि.मी. सड़कों का काम ही पूरा किया गया था। मैं पश्चिम बंगाल में हल्दिया से मोरेग्राम बरास्ता, पन्हागढ़ के प्रस्ताव के विलम्ब के बारे में जानना चाहूंगा। इसकी घोषणा नौवीं योजना अवधि के दौरान की गई थी। यह लगभग 300 कि.मी. लम्बा मार्ग है और इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य प्रस्ताव इस प्रकार है: रायगंज से हिली, जो एक बंगलादेशी कोरीडोर है; चकदा से बोंगा; बरास्ता-बोंगा; कोमा एक्सप्रेसवे-विद्यासागर सेतु,-कोलकाता-डायमंड हारबर-कुलपी-काकद्वीप-नामखाना-बखाली- 133 कि.मी.; गाजोल-बुनियादपुर-पतिराम-त्रिमोहिनी-हिली 100 कि.मी.; रानीगंज-पनदाबेश्वर-दुबराजपुर-सुरी-मोरेग्राम-141 कि.मी.; तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा) पुरूलिया-बांकुरा-विष्णुपुर-आरामबाग-बर्दमान-मोगरा-ईश्वरगुप्ता सेतु-कल्याणी-हरीनघाट-गयाघाट-पेत्रापोत (पश्चिम बंगाल बंगलादेश सीमा)- 391 कि.मी.; राधामोनी (राष्ट्रीय राजमार्ग-51 के साथ राज्य राजमार्ग-4 का जंक्शन) अनन्तपुर-पंसकुरा-मेचोग्राम-घटाल-बोरदा-खरार-हाजीपुर-आरामबाद-बर्धमान-नारजा-मूर्त्रिपुर-नूतनघाट-फुतीसांको-कुन्ती-मोरेग्राम (राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के साथ राज्य राजमार्ग 7 का जंक्शन)-275 कि.मी. महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 60, जो पहले एक जिला सड़क थी और जिसे बाद में एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था, के पुलों के पुनर्निर्माण के काम को अविलम्ब, अमरकानन जैसी पुरानी पुलिया और बांकुरा से रानीगंज तक कुछ पुलियाओं का पुनर्निर्माण किए बिना, किया जाए। तदन्तर, गंगाजल घाट की संकरी सड़क बाईपास सड़क होनी चाहिए। दामोदर नदी पार करने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को रानीगंज से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 तब का संयोजन एक उपमार्ग होना चाहिए यह सीधा होना चाहिए।

[श्री सुनील खां]

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सड़क से बांकुरा नगर के बाद इसका विभाजन हुआ है और जो मुचीपारा (राष्ट्रीय राजमार्ग 2) को जोड़ने के लिए बरास्ता बेलियाटोर, दुर्गापुर की ओर सीधा जा रहा है उसे राजमार्ग समझा जाना चाहिए क्योंकि यह दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर तक सबसे छोटा रास्ता होगा।

महोदय, यह बात अनौपचारिक रूप से पता चली है कि 2001-2002 में आबंटन को 105 करोड़ रुपये से घटाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 2002-2003 में गैर योजना धनराशि में से यह 16.20 करोड़ रुपये से घटकर 10.30 करोड़ रुपये हो गया है।

अंत में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से मुचीपारा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जिसे माननीय मंत्री ने एक वर्ष पूर्व आरम्भ किया था, डी वी सी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यह काम एक बहुत उत्कृष्ट कम्पनी द्वारा किया गया था! मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन कार्यों को एच एस सी एल, ब्रिज एण्ड रूल इत्यादि जैसी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को सौंपने पर विचार करेगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय धन्यवाद। मैं विधेयक के समर्थन में बोल रहा हूं।

सर्वप्रथम, मैं मंत्री जी को इस दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक के बारे में बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा भाग उड़ीसा से होकर गुजरता है। इस समय लगभग 13,250 किलोमीटर मार्ग का विकास किया जा रदहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 3,301 किलोमीटर उड़ीसा से होकर गुजरता है। यदि हम इसकी तुलना अन्य राज्यों के राजमार्गों के साथ करते हैं तो यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। पर्याप्त निधियां भी दी जा रही हैं परन्तु हमें उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता है। इसका बहुत अच्छी तरह उपयोग किया जा रहा है जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है।

तथापि मेरे बचपन से ही, जब मैं हाई स्कूल में था, एक बहुत ही आम प्रश्न मेरे मन में था कि 'हाईवे' और 'एक्सप्रेसवे' में क्या अन्तर है। क्या वास्तव में कोई अन्तर है? 'मेल ट्रेन' और 'एक्सप्रेस ट्रेन' में क्या अन्तर है? 'मेल ट्रेन' डाक के थैले ले कर जाती है परन्तु एक्सप्रेस ट्रेन और मेल ट्रेन की गति लगभग समान है। इसी प्रकार 'एक्सप्रेस वे' और 'हाइवे' में क्या मूल अन्तर है?

शब्दकोश देखते हुए मुझे उनका अर्थ पता चला। मैं इसे पढ़कर बताता हूं। 'हाइवे (राजमार्ग) मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुख्य सड़क होती है परन्तु हाल ही में इसका अर्थ है 'ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में वह सड़क होती है जहां यातायात के लिए प्रवेश और निकासी के रास्ते सीमित और नियंत्रित होते हैं। यह हाईवे के संबंध में शब्दकोश की परिभाषा है। एक्सप्रैसवे की शब्दकोश की परिभाषा 'विभिन्न स्थानों को जो वाले विभाजित राजमार्ग होते है जिसमें प्रत्येक दिशा में दो या अधिक यातायात लेन होती हैं तथा जिसके बीच में आने जाने वाले यातायात को विभाजित करने वाली पट्टी होती है।' शेष समान होता है। इसके अंतर्गत नियंत्रित प्रवेश और निकासी होती है तथा इसके अंतर्गत विकसित डिजाइन होते हैं जो यह बताते हैं कि आपके आगे क्या है। परन्तु दोनों में यही अंतर है कि इसमें एक विभाजक होता है, एक अलग मध्य पट्टी होती है जो इसे विभाजित करती है।

चूंकि हमारे यहां ब्रिटिश स्टाइल का ट्रैफिक है इसलिए हम बाएं तरफ चलते है। मध्य की पट्टी विभाजित करती है। हाईवे (राजमार्ग) और एक्सप्रेस वे में यह मूल अन्तर है। इस विधेयक में नियंत्रित प्रवेश और निकासी का उल्लेख है।

अब मैं इस विधेयक के मूल उद्देश्य की बात करता हूं। समस्या क्या है? सामान्यत: किसी विधेयक में कतिपय समस्याएं सामने रखी जाती हैं और उस उद्देश्य के बारे में भी स्पष्ट किया जाता है जिसे सरकार इस विधेयक के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। मूल रूप से तीन समस्याएं हैं। मैं 60,000 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री के चार मुख्य महानगरों को जोड़ने के विचार तथा पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण इत्यादि को जोड़ने के विचार के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता परन्तु मैं इस विधेयक पर सीधे चर्चा करूंगा। मैं नहीं जानता कि मेरे पास इस पर बोलने के लिए कितना समय है। परन्तु मैं संक्षेप में केवल यही कहूंगा, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा था, कि तीन मूल समस्याएं हैं। पहली समस्या राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले यातायात को नियंत्रित करना है या राजमार्गों से जुड़ने वाली कई सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करना है। जैसा कि, मंत्री जी ने उड़ीसा का दौरा किया है और भुवनेश्वर और कटक राजमार्ग को देखा है जिसे भुवनेश्वर से खुर्दा होते हुए बानपुर तथा कटक को भद्रक से जोड़ने वाले चार लेन वाले राजमार्ग के रूप में विकसित किया गया है, वह चार लेन वाला कार्य जारी है।

पहली समस्या राजमार्ग से जुड़ने वाली संपर्क सड़कों को नियंत्रित करना है। न केवल उड़ीसा में बल्कि देश भर में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, राजमार्ग कई गांवों से होकर गुजरता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की यह प्रमुख समस्या है। जब पूर्व भूतल परिवहन मंत्री श्री राजनाथ सिंह भुवनेश्वर और कटक के चार लेन वाले

राजमार्ग का उद्घाटन करने वहां गए थे तो उस बैठक सभा में भी मैंने इसका उल्लेख किया था। भुवनेश्वर से कटक के राजमार्ग पर चार लेन का काम पूरा होने के बाद यह कई गांवों से होकर गुजरता है। इसके एक ओर धान के खेत हैं और दूसरी ओर गांव। एक तरफ स्कूल और डाकघर हैं परंतु दूसरी ओर अस्पताल। लोगों को वहां जाने के लिए इसे पार करना होता है। यद्यपि सेवा लेनें भी हैं और भूमिगत सड़कें भी बनाई गई हैं फिर भी इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे और अधिक मार्गों की आवश्यकता है जहां से लोग राजमार्ग के नीचे भी अपनी बसावट के दूसरी ओर जा सकें। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें राजमार्ग को चार लेन और छह लेनों में बढ़ाते समय ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही यातायात को नियंत्रित करने के लिए सेवा सड़कें भी बहुत आवश्यक हैं। इसका कारण है कि आजकल राजमार्ग के तैयार होते ही इसके दोनों ओर कई व्यावसायिक संस्थाएं भी बनने लगती हैं। इसके दोनों ओर गोदाम बन रहे हैं और वे धान के खेतों का स्थान घेर रहे हैं। वे केवल राजमार्ग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। भुनेश्वर-कटक के बीच यातायात उतना ही व्यस्त है जितना की मुम्बई-पूणे के बीच का यातायात है। यह दूसरी भीड़भाड़ वाली सड़क है। इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए इस यातायात को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। दूसरी समस्या यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य उपयोगिता संगठनों को खुदाई करने या अन्य कोई कदम उठाने से रोकने के लिए पर्याप्त वैध प्राधिकार दिये जाए। हम हर रोज इस समस्या का भी सामना करते हैं। जैसे ही आप अपने वाहन को किनारे करते हैं वैसे ही मिट्टी के नर्म होने के कारण उलट जाता है।

तीसरी समस्या यह है कि अतिक्रमण को हटाया जाए।

इन कुल समस्याओं के साथ मैं विधेयक के उद्देश्य के बारे में चर्चा करता हूं। मुझे पहली बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। इसका उद्देश्य राजमार्ग भूमि पर अधिकृत कब्जे को रोकना और उसे हटाना, संपर्क स्थलों का नियंत्रण और विभिन्न प्रकार के वाहनों का विनियमन करना है। वे क्या करना पसंद करेंगे? सरकार अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है और वह अधिकारी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के आर एंड या पी डब्ल्यूडी विभाग से संबंधित होगा।

अपराह्न 3.00 बजे

वह सड़क के एक विशेष भाग का कार्य देखेगा। यदि कोई उसके निर्णय से प्रभावित होता है तो न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। न्यायाधिकरण को कार्य संज्ञान लेना होगा। यदि किसी को उसके निर्णय से कोई शिकायत होती है तो वह न्यायाधिकरण में संपर्क कर सकता है। अंतत: इस संबंध में स्थानीय प्रशासन पर ही निर्भर करना होगा।

हाल ही में, उड़ीसा में कटक से भद्रक बरास्ता चांदी खोल और धामनगर और भद्रक से बालासोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग पर चार लोग का काम करते समय कई अतिक्रमण करने वाली इमारते गिरानी पड़ी। उस दौरान स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लिया गया था और उन्हें यह करना था। मेरा यह कहना है कि यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो उसके बाद भी आपको स्थानीय प्रशासन की सहायता लेनी होगी।

मैं समझता हूं कि मूल मुद्दा, जिसे माननीय मंत्री ने इस विधेयक में रखा है वह यह है कि उत्तरदायित्व उस विशेष अधिकारी पर निर्धारित किया जाए यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके लिए उक्त अधिकारी उत्तरदायी होगा। वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए उत्तरदायी होगा।

हमारी राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 58,112 किलोमीटर हैं और उन पांच वर्षों में सरकार सिर्फ 13,250 किलोमीटर पर कार्य कर रही हैं। यह आरम्भ है। मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का एक चौथाई है।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को विश्व मानदंडों के बराबर लाया गया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ ही मैं यह कहूंगा कि हमें अपने राष्ट्रीय राजमार्ग को विश्व मानदंड के अनुरूप बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक, 2002 जिस उद्देश्य से लाया गया है वह उद्देश्य बहुत अच्छा है और इसके बन जाने के बाद सड़कों पर यातायात सुनियोजित होगा और अवैध निर्माण नहीं होगा तथा सड़के सुरक्षित रहेगी।

लेकिन मंत्री जी हमें डर है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि आपका जो प्राधिकरण बन रहा है, उसके माध्यम से जो अगल-बगल के गांव हैं या जो वहां से निकलने वाले लोग हैं या

[श्री धर्मराज सिंह पटेल]

अगल-बगल के बाजार से लगने वाले इलाके के लोग हैं, उनका ही आपके अधिकारी शोषण करने लगें और हर कदम पर परेशान करने लगें। इस बात पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस तरह डीजल पर टैक्स लगाया था, उसके कारण यह निर्मित हो रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक बन रहा है लेकिन फिर भी राजमार्गों पर बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं। करीब एक से डेढ़ लाख के बीच में दुर्घटनाएं इस साल हुई हैं और उनमें करीब 60 हजार लोगों की जाने गयी हैं तथा गाड़ियों के साथ-साथ हजारों घर बर्बाद हुए हैं। ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं उनमें मरने वाले लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए इस बिल में क्या कदम उठाए गये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। आप रोड पर चलने वालों से पहले से ही रोड टैक्स लेते हैं।

कभी-कभी सड़कों पर लोगों की लाश पड़ी रहती है और राजमार्ग प्राधिकरण के लोग उसका कोई इंतजाम नहीं करते। वहां लोग एक्सीडैंट में घायल हो जाते हैं। प्राधिकरण तो पहले से बना है लेकिन इसमें सुधार की बात हो रही है। ये चीजें कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों में 50-60 किलोमीटर पर कहीं न कहीं भूतल परिवहन मंत्रालय का आफिस होना चाहिए जिससे जो दुर्घटना हो उस पर आपका आदमी नजर रखे, सड़कों पर अवैध कब्जे पर नजर रखे जिससे कोई चीज आपको तुरन्त मालुम हो जाए। आपके आदमी पहले सड़क पर कब्जा कराते हैं-चाहे वह पेट्रोल पंप और चाय की दुकान खोलने से संबंधित हो, वे आपको इसकी सूचना भी नहीं देते हैं। देश की जनता को मालूम नहीं है कि कितनी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग की है? जो सड़क किनारे खेत हैं उन्हें इस बारे में पता नहीं है। बनारस से इलाहाबाद जाने वाली सड़क के बारे में जनता को जानकारी नहीं कि कितनी चौड़ी मीटर तक आपकी रोड है और उसकी कितनी दूरी पर दुकान बननी चाहिए, घर बनाना चाहिए, पेट्रोल पंप, होटल खुलना चाहिए। इसकी किसी को जानकारी नहीं है। आपके अधिकारी कहीं बोर्ड नहीं लगाते हैं। बोर्ड न लगने के कारण अवैध कब्जा होगा। आप सार्वजनिक रूप से यह लिखवाएं कि कितनी चौड़ी प्राधिकरण (राजमार्ग) की जमीन है जिससे कम से कम पब्लिक को इसकी जानकारी हो जाए और दुकान कब्जा न कर सकें।

इलाहाबाद से कानपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर दो बनाया जा रहा है, वहां बाई पास बन रहा है-हडिया से कौड़िहार- कोखराजपुर बाई पास बन रहा है-कहां सड़क बन रही है और इसमें किसान की कितनी जमीन ली जा रही है, इसके बारे में किसानों को नोटिस नहीं दिया गया। मैं वहां का एम पी हूं लेकिन हमें नहीं बताया गया कि वह रोड कहां से कहां निकलेगी? हमसे किसान पूछते हैं कि हमें कितना पैसा दिया जाएगा, हमारी कितनी जमीन ली गई है? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कम से कम वहां के एम पी को इसकी विधिवत जानकारी देनी चाहिए कि उन्हें कितना मुआवजा दे रहे हैं?

हम रोज सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं। रेल दुर्घटना या हवाई जहाज की दुर्घटना होने पर जिस प्रकार मृतक परिवार वालों को पैसा दिया जाता है, उसी प्रकार रोड पर किसी आदमी के मरने पर, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे भूतल परिवहन मंत्रालय या राट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कुछ न कुछ मुआवजा दे, जिससे जो लोग मर रहे हैं, उनके परिवार वालों को सहायता मिल सके। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री देश में स्वर्ण चतुर्भुज और हाईवे की हवा बनाकर ये सड़क बना रहे हैं और ऊची सड़क का राजमार्ग बना रहे हैं, इसकी घोषणा कर रहे हैं। यह जमीन की मिल्कियत वाला कानून लाए हैं जिससे यह सड़क मालिक हो जाएंगे जबकि जमीन राज्य सरकार की है। हाईवेज बनाने के नाम पर यह उसका मालिक बॅनना चाहते हैं। यह इससे जमीन और ट्रैफिक के मालिक बनेंगे। यह दावा किया जा रहा है कि रेल लाइने, राजमार्ग और सड़क मार्ग बहुत अनिवार्य हैं। जैसे शरीर में खून का संचालन विभिन्न धमनियों से शरीर के विभिन्न अंगो में होता है, इन सड़कों और राजमार्गों का उसी तरह महत्व है। ये देश को ज़ोड़ने का काम करते हैं।

श्री धर्मराज सिंह पटेल: आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, केवल इसकी जरूरत है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सड़क बनाने का सपोर्ट या मालिक बनने को सपोर्ट करेंगे। सड़क बना रहे हैं, यह अच्छा काम है। लेकिन यह मालिक बनना चाहते हैं। इसमें कहां खतरा है, यह मैं संक्षेप में बता रहा हूं, चूंकि समय नहीं है। शेरशाह ने चार वर्ष के राज में राजमार्ग बनवाये थे। उसने पेशावर से पटना, कोलकाता तक जोड़ा। उसने चार वर्ष में यह काम किया। उस समय न एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, न अथारिटी थी-कुछ नहीं था। उस समय उन्होंने बनाया। अब उनके पास सब कुछ है, विकसित टेक्नालोजी है, पूंजी है। अब कहते है कि सड़कों पर चलने का टैक्स लेंगे। शेरशाह ने कोई टैक्स नहीं लिया था, ऐसे ही चार वर्ष

में बना दिया था। यह कितने वर्ष में बनाएंगे, हम नहीं जानते। पहले कानून में यह कहते हैं कि राजमार्ग का प्रशासन बनायेंगे। राजमार्ग में प्रशासन बनाने के लिए यह कैसा कानून बना रहे हैं, देखिये। एक निकाय प्राधिकरण की स्थापना करेंगे, जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के , यानी दोनों के नहीं, दोनों में से एक, इसका यही मतलब है, एक या अधिक अधिकारी होंगे, ऐसा कानून हो। यहां का क्या मतलब है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों का होता तो मान लेते कि उनका भी रहेगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के एक या अधिक अधिकारी होंगे, इस तरह का पेंचवाला कानून लाये हैं। ये सब इन्हीं का काम है, नाम सरकार का लिखा हुआ है। लेकिन कानून बनाने के वक्त इस या शब्द की वजह से केवल के केन्द्र सरकार के अफसर रखे देंगे। यानी कि जमीन राज्य सरकार की और मालिक यह बन गये। यह प्राधिकरण और प्रशासन अपना बना रहे हैं।

सभापति महोदय, इसमे दूसरा खतरा यह है कि किसी व्यक्ति को, किसी राजमार्ग पर किसी यान या पैदल पांच या इससे अधिक व्यक्ति के समूह में पहुंचने का अधिकार नहीं होगा। एक व्यक्ति पर भी रोक और पांच या अधिक व्यक्ति होंगे तो उन्हें अधिकार नहीं होगा। 144 धारा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों पर रोक होती है। किसी व्यक्ति को किसी राजमार्ग पर किसी यान द्वारा या पैदल पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में पहुंचने का अधिकार नहीं होगा। यह कौन सा कानून बना रहे हैं, इसके सब डिटेल्स देखें जाएं। लोग सोच रहे हैं कि खूब नेशनल हाइवे बन रहे हैं, अच्छा है। सड़क के बिना किसी एरिया का विकास नहं हो सकता। अर्थशास्त्री और सब लोग बताते हैं कि यातायात और संचार विकास की प्रमुख चीजें हैं। आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, जिससे सामान की ढुलाई एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सहूलियत से होनी चाहिए, यह ठीक बात है। इसके बाद इन्होंने दावा किया है कि हम इनक्रोचमैंट हटाने वाला कानून बनायेंगे। इसमें दुकान शब्द लिखा है। ढाबे शरेशाह के समय से चले आ रहे हैं। हमारे यहां लोग इन्हें लेन होटल कहते हैं। पंजाब के एरिया में ढाबा कहते हैं, दक्षिण में इसका कुछ और नाम होगा। लेकिन इसमें इन्होंने ढाबे का जिक्र कहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि कोई दुकान बने या कोई कहीं इनक्रोच कर दे - मैं जानना चाहता हूं कि आप हनुमानजी को कैसे हटायेंगे। उनके लिए इसमें कोई कानून नहीं है। तमाम सड़कों और राजमार्गों के किनारों पर हनुमानजी और लैन्ड इनक्रोचमैंट पदाधिकारी भी बैठते हैं- आप उसका क्या इलाज करेंगे-यह बतायें। ये जो कानून लाये हैं, मैं उसके खतरे बात रहा हूं। इसमें लिखा है कि हम उन्हें दुकान वालों को पांच वर्षों का पट्टा भी देंगे। लेकिन उसमें करप्शन होगी।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए और समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। इससे भी कम और क्या संक्षेप में होगा। इस पर तो आठ घंटे की चर्चा होनी चाहिए थी। इसमें सभी सदस्यों को रुचि है, लेकिन इसको इसीलिए शुक्रवार को रखा गया है ताकि कम लोग बोलें और आप भी जानते हैं कि शुक्रवार को बहुत कम लोग उपस्थित रहते हैं। वैसे यह बहुत अहम विषय है।

महोदय, हाइवे का सवाल है। अब मंत्रालय कहता है कि हम नाले पर रोक लगायेंगे। जो राजमार्ग घनी आबादी से, बाजार से अथवा छोटे-छोटे कस्बों से गुजरते हैं, उन जगहों पर सारा पानी सड़क पर आता है। संपूर्ण सड़क सूखी है, हाइवे अच्छा नजर आएगा, लेकिन जैसे ही बाजार में जाइए, नाले का पानी बरसात का पानी सड़क पर आएगा। जब पानी सड़क पर आएगा तो सड़क चौपट हो जाएगी। चाहे छोटी सड़क हो या बड़ा हाइवे हो, पानी लगते ही सड़क खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब नैशनल हाइवे का निर्माण कराते हैं, तो उसी समय नाले का निर्माण का भी प्रबंध होना चाहिए।

महोदय, नैशनल हाइवे पर जिसका घर बगल में, वह बेचारा क्या केरगा। उसके घर के आगे हाइवे आ गया, उसके घर के आगे सड़क आ गई, तो वह अपने घर का पानी कहां ले जाएगा, घर का पानी कहां बहाएगा, यह हम जानना चाहते हैं। अगल-बगल का सारा पानी इकट्ठा होकर सड़क पर आ जाएगा और सड़क पर अटका रहेगा। जैसे ही पानी भरी सड़क पर गाड़ियां चलेगी, वैसे ही सड़क नष्ट हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हाइवे के अगल-बगल में दुकानें और घर जहां होते हैं, वे अपने घर के आगे थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं जिससे सारा पानी सड़क पर भरा रहता है और ऐसा होने से पूरी सड़क बर्बाद हो जाती है। जहां कस्बों और बस्तियों से हाइवे गुजरते हैं वहां उन कस्बों और बस्तियों के पानी के निकास का कोई प्रबंध नहीं होता है और इस प्रकार से सड़के नष्ट होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बरसाती पानी और बस्तियों के पानी के निकास के लिए कोई न कोई प्रबंध करने की व्यवस्था इसमें जरूर होनी चाहिए।

महोदय, इंडियन रोड कांग्रेस ने कभी इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। इसलिए हर जगह सड़के बर्बाद होती हैं। जहां पानी सड़कों पर आता है वहां सड़के चौपट हो जाती हैं। जन-सुरक्षा

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। इस बिल के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए के एस्टीमेट्स बनेंगे और व्यय होंगे, लेकिन सड़कों की सुरक्षा न होने से हर साल सड़कें चौपट होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाइवे पर बरसाती पानी के निकास के लिए, बस्तियों कस्बों तथा बाजारों के पानी के निकास के लिए नालों को बनाने का प्रबंध भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सड़क के साथ ही अगर नाला बन जाएगा, तो बर्साती पानी तथा अन्य जगहों से आने वाला पानी निकल जाएगा या थोड़ी देर तक रुका रहेगा, तो भी बाद में निकल जाएगा और इस प्रकार से सारी सड़क सूखी रहेगी और सड़क चौपट होने से बचेगी। इसलिए मैं आपको यह एक प्रैक्टिकल सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि आप अपने इंजीनियरों और विशेषज्ञों से मेरे इस सुझाव पर विचार-विमर्श कर लीजिए और इसका परीक्षण करा लीजिए।

महोदय, शेरशाह सूरी ने तो जो सड़क बनवाई है वह देश के ठेकेदारों से बनवाई, लेकिन इस सरकार ने सड़क विदेशी ठेकेदारों से बनवाने की पूरी व्यवस्था की है। इसमें जानबूझकर एसी शर्तें लगाई गई हैं जिससे देशी ठेकेदार उसमें काम नहीं कर सकें और सिर्फ विदेशी ठेकेदार ही फिट बैठें। इसमें लिखा हैं कि इस परियोजना के लिए 137 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई जिनमें से 89 यहां की 26 संयुक्त उद्यम और 12 विदेशी कंपनियां थीं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): इसमें 132 में से सिर्फ 12 विदेशी कंपनियां हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो विदेशी कंपनिया है वहीं काम करेंगी और जो देश के ठेकेदार हैं वे नहीं कर पाएंगे, बल्कि वह तो उन विदेशी कंपनियों के साथ अटैच होकर सैकिंड गेरेड के सिटीजन बन कर रहेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: डाक्टर साहब 132 में से सिर्फ 12 विदेशी कंपनियां हैं, 35 जाइंट वैंचर हैं और 85 सेवदेशी कंपनिया हैं-इसमें कहां गलती है, यह बताएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह तो वही गाड़ी की नंबर प्लेट वाली बात हो रही है कि एक स्पेसीफिक नंबर प्लेट बनाने के लिए ऐसी शर्त रख दी गई हैं जिसे देश की कोई कंपनी बना ही नहीं सके। कोई जर्मनी की कंपनी है सिर्फ वही बनाएगी। जो यहां के लोग हैं, वे इसी कंपनी के साथ लगकर कुछ हासिल करना चाहते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: डाक्टर साहब, जिन शर्तों के बारे में आप कह रहे हैं वे सब शर्तें प्रदेश सरकारें लगा रही है। केन्द्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है।

डा. रघुवंस प्रसाद सिंह: आपके नाम पर, आपके सचिव ही हर महीने प्रदेश सरकारों के सचिवों की बैठक बुला रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जोर डाल रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: डाक्टर साहब, इसमें केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश सरकारें ही शर्तें लगा रही हैं। केन्द्र सरकार की ओर से ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। हमने यही कहा है कि जो काम केवल विदेशी कर पाएं, ऐसी शर्तें ने लगाएं। जो हमारे स्वदेशी लोग कर सकें ऐसी व्यवस्था करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अब महोदय, एन.एच.77 है जो पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतापुर-सोनवार्सा तक है। उस पर कटौझा पुल है। उसके लिए लोग आमरण अनशन कर रहे हैं।

बड़े एन मौके पर यह बलि आया है। वहां लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। चार महीने तक सीतामढ़ी का सिहोर जिला दुनिया से कट जाता है। राज्य सरकार ने इसके बारे में प्रस्ताव भेजा है। एन.एच 77 और एन.एच. 104 जो शिवहर, सीतामढ़ी से पूर्व की तरफ जाता है, उसमें डूबापुल है। एन.एच. 104 पर डूबापुल और एन.एच. 77 पर कटोझापुल है, इन दोनों के बारे में राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजा है। हमने भी पत्र लिखा था। *...(व्यवधान)* मंत्री जी ने हमें उस पत्र के जवाब में कहा है कि वह विचाराधीन है। हमारा कहना है कि वहां लोग मर रहे हैं, भयंकर तबाही है। हम पूछना चाहते है कि वह विचाराधीन कब तक चलेगा? इसे आप जल्दी कराइये।

इसी तरह से जो लोग महात्मा गांधी सेतु से जाते हैं, वहां सड़क की हालत बहुत खराब है। वह उत्तर बिहार की लाइफ लाइन है। उस सड़क पर प्रतिदिन 64 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। उस सड़ की हालत बहुत चौपट है। यहां पर उत्र बिहार का कोई भी सांसद उपस्थित नहीं है। श्री हुक्म देव नारायण जी जानते होंगे। वे जब गंगा पुल से जायेंगे तो देखेंगे की सड़क कितनी खराब है। दरभंगा, छपरा, सीवान, मधुबनी, आदि सभी जिलों को जाने वाली सड़क बिल्कुल चौपट है। उन एन.एच को दुरस्त बनाने के लिए आप राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब आप समाप्त करें।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं यह मांग करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा था कि हम

विचार केरेंगे- भगवान महावीर की जन्म भूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और जनतंत्र की जन्म भूमि लिच्छवी रिपब्लिक वैशाली, हाजीपुर से वैशाली, केसरिया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप निकला है- उसे खजुरिया तक जोड़ना है। हमारा कहना है कि वह सड़क काफी दूर तक सही है लेकिन कुछ थोड़ी सी जगह में सही नहीं है। इसको ठीक करने में पैसा भी कम लगेगा। हमारा कहना है कि उसको एन.एच का दर्जा दिया जाये। यह पर्यटन की दृष्टि से भी ठीक है। ...*(व्यवधान)* पर्यटन वालों ने भी इसके बारे में कहा था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा कहना है कि श्री शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे पेड़ लगाये थे। मैं जानता हूं कि हाईवे के किनारे पेड़ लगाने की क्या योजना है? एट्रोकलाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां पेड़ लगे। इससे पर्यावरण भी दुरस्त रहेगा और छांव भी रहेगीष सड़कों के किनारे जो ढाबा यो होटल चलाने वाले हैं, उनको भी इससे सुविधा होगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आपने दो पुलों के बारे में कहा है कि वे विचाराधीन है। वह विचार पूरा हो गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जवाब देते समय यह बता दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आप बैठे रहिये। मैं जवाब देने के समय इन दोनों पुलों के बारे में आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय, सभापति महोदय, इस विधेयक पर कुछ सुझाव देने के लिए मुझे यह अवसर देने हेतु, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, अच्छी सड़क का अर्थ तीव्रतर प्रगति है, इसलिए सरकार दिए गए समय में 14,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पूरा करने के लिए सभी अड़चनों को दूर कर रही हैं। 54,000 करोड़ रुपए की राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने आठ वर्षों से भी कम के रिकार्ड समय में 14,080 कि.मी. राजमार्ग निर्माण की परिकल्पना की है।

मैं कुछ अपवादों के साथ इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। सबसे पहले इस विधेयक का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने और कब्जा हटाने को आसान बनाने का है और दूसरा एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने का है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता हैं कि इस परियोजना को तैयार करने से पहले भारत के माननीय प्रधान मंत्री सरकार ने भूमि अधिग्रहण के संबध में सभी राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया।

अपराह्न 3.24 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

महोदय, इस परियोजना को पूरा करने के लिए आठ वर्षों के निर्धारित समय में से बिना अधिक प्रगति किए हुए काफी समय बिता चुके हैं। क्या इस परियोजना को दिए गए समय में पूरा करना अब संभव हैं? दूसरा, सरकार का प्रस्ताव ट्रिब्यूनल गठित करने का हैं। ट्रिब्यूनल की स्थापना से इस परियोजना को दिए गए समय में पूरा करने में कैसे मदद मिलेगी?

महोदय, मैं कुछ महीनें पहलें एक याचिका में प्रकाशित लेख के कुछ वाक्यों को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

> "यह राष्ट्र का आधारभूत संरचना के लिए देन है। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नें इसे महत्वाकांक्षी परियोजना कहा है। स्वाभाविक है, युद्धस्तर पर ही ऊर्जा इसमें लगाई गई हैं। तथापि, यहां थोड़ा सड़क निर्माण कर्मकार हैं और रोड रालर तथा 'पेवर' हथियार हैं। इसका नेतृत्व सेवा निवृत्त मेजर जनरल बी.सी खंडूरी जो सड़क परिवहन और राज मार्ग के कर्मठ नेता हैं कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन खंडूरी दूर दराज के किसान जिनकी उपज आधारभूत संरचना के अभाव के कारण सड़ जाती हैं के लिए सुचारू सड़क तंत्र को महत्व समझते हैं।"

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो संभवत: सरकार को बजट आबंटन के अंदर 14000 कि.मी. सड़को के निर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकते है। त्यागराज इंजीनियरिंग कालेज, मदुरई के प्रोफेसर वासुदेवन ने प्लास्टिक और कोलतार के मिश्रण से सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उनसे पूछा है कि उन्होंने इस तरह के मिश्रण से सड़कों की गुणवत्ता और मात्रा का प्रदर्शन क्यों नहीं किया। इसे अभी कार्यान्वित किया गया है और इस कार्य की प्रशंसा भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने की है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेषज्ञों के दल के साथ मदुरई का दौरा करने को आये प्रो. वासुदेवन के प्रयोगों पर आधारित कार्य को देखने का अनुरोध करता हूं। फिर वह भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और सड़कों के निर्माम के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर ब्यौरा है लेकिन समयाभाव के कारण मैं सिर्फ इस विधेयक के संबंध में अपना सुझाव ही दूंगा।

[डा. वी. सरोजा]

महोदय, इस परियोजना को पूरा करने में हुए विलम्ब से दो बातों का पता चलता है। पहला इस परियोजना के तैयार होने से पहले, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच सहयोग और समन्वय का अभाव था। दूसरा भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कोई सहयोग और समन्वय नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर-दक्षिण कारिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण की इस परियोजना को को शुरु करने से पहले सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसे मंत्रालयों और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को भी विश्वास में लेना चाहिए था। ऐसा किए जाने की आवश्यकता सड़क दुर्घटना के मामले में समुचित चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था करने और बिना समय गवाएं पुनर्वास के लिए अपेक्षित था। दुर्घटना की स्थिति में अविलम्ब चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यधिक आवश्यक है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री से समुचित श्रम शक्ति और सभी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ सुसज्जित अस्पताल की स्थापना के लिए इन मंत्रालयों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा यह परियोजना सिर्फ सपना ही रह जाएगी और आम जनता के किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी।

महोदय, सरकार का प्रस्ताव डीजल पर 1 रु. का उपकर प्रभावित कर 6 करोड़ रुपए की राशि वसूल करना है। क्या सरकार को मालूम है कि ट्रांसपोर्ट स्थानियों द्वारा इस समय व्हाइट केरोसीन, का उपयोग किया जा रहा है जो राजस्व उगाहने के अवसर को कम करेगा जैसा कि सरकार करना चाहती है? इस प्रक्रिया में यह परियोजना किसी न किसी तरह से बाधित हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि सरकार को डीजल और 'व्हाइट केरोसीन' का मूल्य बराबर कर देना चाहिए। इससे इस कठिनाई से निपटने में सहायता मिलेगी।

पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथनाल मिलाने के लिए हम उन राज्यों में जहां अधिक गन्ना पैदा होता हैं एथनाल मिश्रण एकक स्थापित करने जा रहे हैं। मंत्री किस तरह से इस कार्यकलाप से सृजित आय को विनियमित करेंगे? क्या उन्होंने इस मुद्दों पर समन्वित प्रयास के लिए कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित व्यक्तियों से चर्चा की है?

मैं माननीय मंत्री जी से स्मार्ट कार्ड शुरू करने का मूल्यांकन करने का अनुरोध करता हूं। इसके माध्यम से दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं, अपराधियों को आसानी से खोजा जा सकता है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता हैं। इसलिए पूरे देश में स्मार्ट कार्ड उपयोग शुरू करना अत्यधिक आवश्यक हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद को अगली बैठक भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में इस माह की 21 तारीख को होगी। मैं मंत्री जी से अगले वर्ष की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने का अनुरोध करूंगा यदि यह किया गया तो वे-विशेषकर इस नई परियोजना के लिए कब्जा हटाने और भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आपने सुझाव दे सकते हैं। इसे 21 दिसम्बर की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के लिए कार्यसूची के एक मुद्दे के रूप में लिया जा सकता है।

हमने चिकित्सा बीमा के बारे में नही सोचा है। आपको इस पर विचार करना होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में नामक्कल से मुडालिपट्ठी, नागापट्टिनम से गुडालुर वाया करुड़ और कोयम्बटूर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-65 ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः अब कन्क्लूड कीजिए, समय समाप्त हो गया। अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करना है। इसमें एक मिनट लेट करना भी बहुत कठिन है। अगली बार आप इस पर बोल सकती हैं। अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): यह बिल फिर कब आयेगा।

सभापति महोदयः अभी बिजनेस तय होगा, लेकिन अगली बार नैक्स्ट वीक में आयेगा।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

गोहत्या पर प्रतिबंध

सभापति महोदयः अब सभा मद संख्या 15 को लेगी।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी का भाषण अपूर्ण था, इसलिए माननीय मंत्री जी आपना भाषण पूरा करें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): इस प्रस्ताव पर पिछली बार चर्चा हुई थी तो सरकार की तरफ से जो कहना चाहिए, मैने सदन के सामने निवेदन कर दिया था।

अन्त में मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि सभी राज्य सरकारों के जो

पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उनकी शीघ्र ही एक बैठक हम बुलाने वाले हैं और राज्य सरकारों के सभी पशुपालन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठकर पशुपालन के विकास पर जहां चर्चा करेंगे, वहीं इस संबंध में भी उनसे चर्चा करेंगे कि इस पर जो कानून राज्यों में बने हुए हैं, उन पर कैसे अमल किया जाये और कैसे उसे पूर्णरूपेण कारगर रूप दिया जाये, जिससे गौवंश की रक्षा हो सके, पशुधन की रक्षा हो सके। भारत सरकार की यह नीति है कि पशु की सुरक्षा, उसके विकास, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, उनका आगे जो कुछ भी हो उसके लिए भारत सरकार पूर्णरूपेण संकल्पित है और चाहती है कि हम स्वयं आगे बढ़ें।

हमारे सामने जो पशु आयोग की रिपोर्ट आई है, प्रतिवेदन आया है उस पर हम एक टास्क फोर्स गठित करके, विशेष अध्ययन दल बनाकर चर्चा करेंगे कि पशु आयोग के जो सुझाव हैं, उनको कैसे हम अमल ने लायें। उस पर कानून बनाना पड़े, संसद में आना पड़े या राज्य सरकार के साथ सहमति बनानी पड़े, वह हम करेंगे।

माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि यह राज्यों का विषय है। राज्य सरकारों के पशु पालन मंत्रियों से हम चर्चा करने के बाद जो केन्द्र सरकार की राय है, उसके साथ मिलजुलकर इस पर आवश्यक रूप से जो करना होगा, वह करेंगे। माननीय सदस्य की भावना को और अन्य सदस्यों की जो राय आई है, उसको भी मैं राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन में रखूंगा। सबकी सम्मति से जो कुछ बनेगा और वहां जो राय बनेगी वह ज्यादा प्रभावकारी होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील प्रस्ताव पर सदन में मतदान न कराएं, बल्कि इसको वापस ले लें। उनकी भावना का सरकार आदर करेगी और हम आगे इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, कृपया मुझे 10 मिनट दीजिए। श्री प्रहलाद सिंह पटेल चाहते है कि मैं गौ वध पर पाबंदी के संबंध में बोलूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी का उत्तर हो गया है। उन्होंने माननीय सदस्य को अनुरोध किया है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें, वह विचार करके बताएंगे। इसमें अब बहस की बात कहां से पैदा होती है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: वे इस विषय पर टाल-मटोल कर रहे हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह हमारी जनसंख्या के बहुमत की भावनाओं को प्रभावित करता है। ...*(व्यवधान)* मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पहले नाम देना था, अब भाषण खत्म हो गया।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुझसे कहा कि मैं बोल सकता हूं। वे मुझे कुछ समय देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उनका समय थोड़े ही है। नियम में है कि मंत्री जी का जवाब हो गया तो उसके बाद कोई दूसरा भाषण नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया है कि गौ रक्षा के लिए क्या किया जाना है। वे कहते हैं गौ वध रोकिए। यहां मैं गौ रक्षा के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप दोबारा नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय यद्यपि हमारी पार्टी उस संकल्प का समर्थन करती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बोल चुके हैं। एक ही विषय पर दो बार बोलने पर रोक है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, मैंने पिछले सप्ताह कहा था किन्तु अब मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सुझाव दे दें।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप मंत्री जी को लिखित रूप में भेज दें।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुमति मांगी है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: एक बार बोलने के बाद फिर दोबारा बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय मैं अपका अत्यधिक सम्मान करता हूं। आप पटना से आते हैं। आप हम पटना के बारे में चर्चा करते हैं।...*(व्यवधान)* मैंने आपकी भागलपुर जेल में चार वर्ष बिताए हैं।...*(व्यवधान)* महोदय मैं आपकी भाषा में भी बात करूंगा। अनुमति दे दीजिए न।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: गुरु गोविन्द सिंह जी और पटना साहिब का नाम ले रहे हैं इसलिए दो मिनट बोल लीजिए।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, ये मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों की मांग हैं। उन्होंने कहा है कि मैं गौ वध पर जरूर बोलूं। कृपया मुझे 5 मिनट दीजिए।...*(व्यवधान)* उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नहीं, मंत्री जी से मिलकर बात कर लीजिए। दूसरी बार एक ही विषय पर बोलना नियम में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान: उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप बैठिए, क्योंकि आप पहले सब बोल चुके हैं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (बालाघाट): सभापति महोदय, मैंने 26 जुलाई, 2002 को सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसको मैं ज्यों का त्यों पढ़ना चाहता हूं।

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार संपूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए।"

मैंने प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा -मैंने कहा है कि विधान लेकर आए। इस में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। अगर मैं कहता कि तत्काल पाबंदी लगा दी जाए, तो सरकार यह कहने का हक रखती है कि यह राज्य का विषय है, हम विचार-विमर्श करेंगे। इस संकल्प में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि संविधान जब बना था, जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, उसमें जो लिखा है कि पशुधन के मामले में गुणवत्ता के आधार पर गुणात्मक वृद्धि करने का संकल्प लेते हैं। देश की आजादी को 55 साल हो गए हैं। इतना समय सरकार में रहने के बाद भी संविधान का सम्मान नहीं किया गया। मैं यही कह रहा हूं। इसलिए सदन को आवश्यक है कि इस संकल्प में मत देकर सरकार को बांधने का काम करे, संविधान की इस मूल भावना का सम्मान करे, जो संविधान आजादी के समय लिखा गया था। पशुधन में वृद्धि करने का हमने कहीं कोई प्रयास नहीं किया, यह हमें स्वीकार करना चाहिए।

मैं सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों सर्वश्री भर्तृहरि मेहताब जी, अनादि चरण साहू जी, योगी आदित्यनाथ जी, श्रीरामचौहान जी, सिमरनजीत सिंह मान जी, दासमुंशी जी, राजो सिंह जी और सामदास आठवले जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बात कहूंगा कि जब दासमुंशी जी अपना भाषण कर रहे थे, उनको भी मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि ऐसी हमारी नियत नहीं, जैसा वह सोचते हैं।

बल्कि योगीराज जी ने अपने भाषण में गौ माता की बात करते समय कहा था कि सिर्फ गौ का सवाल नहीं है, गौ का मतलब प्रकृति भी होता है। हम सदन में बैठे लोग अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो न तो संविधान का सम्मान होगा और न आने वाली पीढ़ी का भला हो सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है और आप चाहे पशु आयोग की रिपोर्ट देखें, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें, सबने कहा है कि हमें पशु-संवर्धन की चिंता करनी चाहिए। अगर इस देश में इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है तो उसी के साथ पशु धन के अनुसंधान

और विकास के अवसर भी रख दिए गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने कभी विचार किया कि इन पचास वर्षों में कोई काउंसिल बनाई जाती और अनुसंधान होता जहां पशुओं के विकास पर चर्चा होती, यह तथ्य कभी सामने नहीं आया। मैं मांग करता हूं कि पहले सरकार को सिर्फ इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि कोई कानून लेकर आए बल्कि प्रशासनिक ढांचो पर भी विचार करना चाहिए। यदि एग्रीकल्चर के रिसर्च पर विचार कर सकते हैं तो क्या पशुओं के रिसर्च पर विचार नहीं कर सकते? हमें विचार करना होगा।

जितनी भी स्टैंडिंग कमेंटीज हैं, उनकी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए और जितने भी आपने आयोग बनाए, वे चाहे जीव-जंतुओं के बारे में हों, ताहे पशुओं के बारे में हों, सबने सिफारिश की है कि पशुओं के अनुसंधान और विकास के लिए काम होना चाहिए। मेरे संकल्प में कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं है जहां राज्यों के संवैधानिक हकों को नुकसान पहुंचता हो। मैंने आपसे कहा है कि एक विधान लेकर आइए। वही बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो मतदान क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं सदन से प्रर्थना करना चाहता हूं कि चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसे बंधना चाहिए कि हम अगली बार विधान लेकर आएंगे, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं। इसमें किसी दल का सवाल नहीं है। मैं राजनीति करने के लिए संकल्प लेकर नहीं आया हूं। मैंने जिस समय संकल्प जिस समय प्रस्तुत किया था, उस समय मैंने आराध्य की वाणी को दोहराया था। इस संकल्प में मेरे आराध्य श्री बाबा श्री हैं। वह अनाज नहीं खाते, वह नर्मदा जी का जल पीते हैं। उन्होंने कहा था कि संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। संकल्प के विकल्प नहीं होते। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें भेद नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे चाहे वे किसी भी दृष्टिकोण से देखें। उनको विचार करना पड़ेगा कि गौ-वंश की रक्षा इस देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहती है। इसलिए सभी को विचार करना पड़ेगा।

जिन लोगों ने संविधान बनाया, वे भारत की चिंता करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा था कि गुणवत्ता के आधार पर गुणात्मक विकास की चिंता करनी चाहिए जो इस देश ने नहीं की। मैंने आंकड़े नहीं दिये थे जिसमें बताया गया है कि प्रति हजार पशुओं की आबादी किस बुरी तरह से घटी है। हमने जिस तरह से विदेशी मुद्रा के बारे में विचार किया, हम विकासशील देशों की तुलना करते हैं, विकसित देशों की तुलना करते हैं, लेकिन वहां पशु-धन एक हजार व्यक्तियों के ऊपर बढ़ा है और भारतवर्ष में जो लोग आध्यात्म की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, वहां प्रति हजार व्यक्तियों के ऊपर पशुओं का धन घटा है। हमारी धरती का उर्वरा शक्ति घटी है। एक तरफ से हम कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में हमारी खेती का अनुपात घटता जा रहा हैऔर जमीन की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एकमात्र रास्ता यह है कि पशु-धन से गोबर मिलता है जिससे उर्वरा शक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। यह कोई मजहबी सवाल नहीं है। यह देश के हित का सवाल है। ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। हम किसी भी मुद्दे में मानते है कि सदन विचार करेगा। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस पर विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि संकल्प को पारित करके हम सरकार के सामने रखें, बल्कि सरकार को बाध्य करें कि निश्चित रूप से राज्य से सलाह-मशविरा करके जल्दी गौ और गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध का कानून लेकर आए, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि सर्व सम्मति से इस संकल्प को पारित किया जाए।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, क्या आप इसे वापस करेंगे?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेलः नहीं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): इसे पास कर दिया जाए।

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी, आप पढ़िए।

श्री हुकमदेव नारायण यादवः महोदय, जैसा मैंने उनसे कहा, भारत सरकार इस संबंध में पशु-धन के संवर्धन और सुरक्षा के पक्ष में हैं। जब माननीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी एनीमल हसबैंडरी में मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय सुझाव दिया था कि जैसे आईसीएआर है, उसी तरह आईसीवीआर भी होना चाहिए।

स्टैंडिंग कमेटी और पशु आयोग ने भी ऐसा सुझाव दिया है जो सरकार के सामने विचाराधीन है, क्योंकि उसके लिए नये सिरे से ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय में सारे अधिकारियों से चर्चा हुई है और राज्य सरकारों से भी चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे सहमति करके इस संबंध में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए सदन में इस प्रस्ताव पर मतदान करा कर माननीय सदस्य कुछ निकाल नहीं पाएंगे। आप सरकार को अवसर दें, हम इस पर विचार करके कुछ रास्ता निकालेंगे। इसलिए हम माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे सरकार के साथ हों और सरकार को इस काम को करने में मदद करें, सदन में इस पर मतदान न कराएं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): माननीय मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, वही ये भी कह रहे हैं, वही ये भी कह रहे हैं, अंतर कहीं नहीं है। सबसे विचार करके संकल्प लाएं, केवल यह प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: यह प्रस्ताव है और सर्वसम्मति से दोनों पक्षों के लोग इससे सहमत हैं। महोदय, आपने स्वयं भी कहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदोई): महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं? सभा में सिर्फ 35 सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: घंटी बजाई जा रही है-

अपराह्न 3.52 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में गणपूर्ति नहीं है, अत: अब सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2002/25 अग्रहायण,1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.29.18/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।